सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत

वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के 25 वर्ष

वार्षिक रिपोर्ट

2017 - 2018

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

प्रस्तावना

1. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि की अपनी पच्चीसवीं वार्षिक रिपोर्ट भारत की संसद और लोगों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी और इस वर्ष आयोग मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्द्धन के अपने इस अग्रणी कार्य के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को अपनी रजत जयंती मनाएगा।

3. आयोग ने पिछले पच्चीस वर्षों से देश के नागरिक की गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने का अथक प्रयास किया है। आयोग तभी से निरन्तर केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार में मानव अधिकार केन्द्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कार्य करने के साथ–साथ लोक प्राधिकारियों एवं नागरिक समाज के बीच मानव अधिकार जागरुकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करने की दिशा में कार्यरत है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष आयोग ने लोगों के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ–साथ उनके आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में भी अपने प्रयासों को बढ़ाया है।

4. अपनी स्थापना के समय से ही, आयोग ने अलग–अलग परिस्थितियों में भारत के लोगों की सेवा करने के लिए मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा प्रदान किए गए अवसरों में सख्ती और प्रभावी ढंग से वृद्धि की है और इस प्रक्रिया में यह राष्ट्र के लिए एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रत्येक दिन, हमारे सैकड़ों हमवतन मुख्य रूप से अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपनी शिकायतों के निवारण हेतु आयोग के हस्तक्षेप की मांग करते हैं। यह न केवल नागरिकों के बीच मानव अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता का द्योतक है, अपितु उनके विश्वास को भी दर्शाता है कि आयोग एक सक्षम, जवाबदेह और आधिकारिक संस्था है, जो उनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।

5. आयोग ने अपने जनादेश के साथ, स्वप्रेरित या सिविल सोसायटी, मीडिया, संबंधित नागरिकों, या विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा सूचित मानव अधिकारों से जुड़े महत्त्वपूर्ण विषयों को उठाया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 12 के तहत अधिदेशित एवं सौंपे गए विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आयोग निरन्तर स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा से संबंधित अधिकारों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में कार्य करने के साथ–साथ अन्य कमज़ोर वर्गों जैसे महिलाएं, बच्चे, अशक्त एवं वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों, मानव अधिकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा जागरुकता फैला रहा है।

6. इसके अलावा, देश भर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, आयोग विभिन्न हितधारकों जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस कर्मियों, सरकारी अधिकारियों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों और शिक्षाविदों (छात्रों सहित), सहित विभिन्न वर्गों विशेष रूप से अपने प्रतिष्ठित इंटर्नशिप कार्यक्रमों, प्रकाशनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परामर्शों और ऐसे अन्य साधनों के माध्यम से साथ नए और अधिक व्यापक साझेदारी कायम कर रहा है। इसके अलावा, आयोग अपनी शिकायत निपटान प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहा है। साथ ही, इसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई. सी.) के तकनीकी सहयोग से शिकायत प्रबंधन प्रणाली, सोफ्टवेयर के वेब–आधारित स्वरूप को डिज़ाइन, विकसित एवं कार्यान्वित किया है।

7. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2017–18 की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ आयोग की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों तथा देश में मानव अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 2017–18 के दौरान की गई अनेक पहलों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। रिपोर्ट के अध्यायों में आतंकवाद और उग्रवाद, हिरासत के दौरान हिंसा और यातना से प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संरक्षण सहित नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों का भी वर्णन किया गया है। इसमें जेलों और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रणालीगत सुधारों; मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों से निपटना; स्वास्थ्य का अधिकार; तस्करी के गंभीर सवाल सहित महिलाओं और बच्चों के अधिकार; समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से एससी/एसटी, बच्चों, एलजीबीटीक्यू के अधिकारों; मेगा–परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों/समुदायों के अधिकारों और बंधुआ मजदूरी द्वारा शोषित लोगों; विकलांग लोगों के अधिकारों का भी उल्लेख है। इसके अलावा, रिपोर्ट आयोग को संबोधित शिकायतों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के आयोग के प्रयासों का उल्लेख करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लिए गए कुछ प्रमुख मामलों के सारांश प्रदान किये जा रहे हैं।

8. आयोग को यह उम्मीद है कि वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट पिछले वर्ष के दौरान आयोग द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहलों के विषय में इसके पाठकों को न केवल सूचना मुहैया कराएगी बल्कि सरकार एवं नागरिक समाज दोनों को ही मानव अधिकार की चुनौतियों पर निकटता व और अधिक गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि हम संयुक्त रूप से एक राष्ट्र के रूप में सामने आएं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापक एवं समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान कर सकें।

(न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू)
(भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)
अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी.

विषय वस्तु

अध्याय–1	परिचय	1
अध्याय–2	मुख्य बिंदु	4
अध्याय–3	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य	35
अध्याय–4	नागरिक और राजनीतिक अधिकार	43
	क. आतंकवाद और उग्रवाद	43
	ख. हिरासत में हिंसा एव प्रताड़ना	44
	ग. महत्वपूर्ण दृष्टांत मामले	44
	क) हिरासत में मौत	44
	1. तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में 12.08.2015 को 28 साल के विचाराधीन कैदी दीपक की हिरासत में मौत (मामला संख्या 4533/30/9/2015–जेसीडी)	44
	2. जेल स्टाफ की लापरवाही के कारण गोंडा जिला की जेल में 22 वर्षीय अफ़ज़ल, पुत्र अकबर खान, ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। (मामला संख्या 7699/24/33/2015–जेसीडी)	45
	3. पुलिस थाना बिंदापुर, दिल्ली में मनोज राणा की पुलिस हिरासत में मृत्यु (मामला संख्या 2929/30/9/2014–ए.डी.)	46
	4. बैकुंठपुर, छतीसगढ़ की जेल में सजायाफ्ता कमल सिंह की न्यायिक हिरासत में चिकित्सीय सुविधा के लापरवाही के कारण मृत्यु (मामला संख्या 614/33/10/2013–जेसीडी)	48
	ख) गैर कानूनी गिरफ्तारी, नजरबंदी एवं प्रताड़ना	49
	5. महाराष्ट्र पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के भतीजे फुलेश्वर यादव का गैर कानूनी रूप से नजरबंदी और प्रताड़ना (मामला संख्या 476/13/16/2012)	49
	ग) पुलिस की मनमानी	50
	6. पुलिस की उदासीनता के कारण एक परिवार द्वारा आत्महत्या (मामला संख्या 2981/7/6/2013)	50
	7. राम नगर, त्रिपुरा में बी.एस.एफ. की फायरिंग के दौरान एक ग्रामीण, इस्माइल मिया की मृत्यु (मामला संख्या 19/23/4/2015–पीएफ)	51

8.	मध्य प्रदेश के सतना पुलिस ने 20 साल के मयूर सिंह को हिरासत में लिया और प्रताड़ित किया। (मामला संख्या 1701/12/38/2013)	52
9.	दिल्ली पुलिस, पुलिस स्टेशन, नेब सराय द्वारा किसी उदय सिंह को जिन्दा जलाया गया (मामला संख्या 6565/30/8/2013)	53
10.	सब इंस्पेक्टर, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र द्वारा एक नाबालिग लड़की का बलात्कार (मामला संख्या 1803/13/21/2016 डब्ल्यूसी)	53
	घ) पुलिस फायरिंग और मुठभेड़	54
11.	असम के बक्सा, मुशालपुर में सेना के साथ मुठभेड़ में 28 वर्षीय लखन बोरो की मौत। (मामला संख्या 380/3/0/2012–एएफ)	54
	(ङ) जेल में अत्याचार	55
12.	मुजफ्फरनगर, उ.प्र. की जिला जेल में श्री बाबू राजपूत के पुत्र चंद्रहास की मृत्यु। (मामला नंबर 26132/24/57/2016–जेसीडी)	55
13.	जिला जेल, शेखपुरा, बिहार में जेल कर्मचारियों द्वारा महिला कैदी का बलात्कार किया गया (मामला संख्या 1856/4/34/2013)	56
14.	पुलिस प्रहरी उपलब्ध न होने के कारण कैदी को सुनवाई के लिए अदालत नहीं ले जाया गया (मामला संख्या 27705/24/1/2016)	57
15.	तिहाड़ जेल की रसोई में काम करते हुए कैदी चंदर की लगी चोट के कारण दिव्यांगता (मामला संख्या 3595/30/9/2015)	58
	(च) बिजली से करंट लगने के मामले	59
16.	एक 15 साल के लड़के शोएब की मौत करंट लगने की वजह से हुई जबकि उसके भाई को चोटें आईं (मामला संख्या 17753/24/19/2014)	59
17.	11 केवी की बिजली का तार नीचे होने के कारण, ग्राम बदरुपा, जिला बदरक, ओडिशा में 60 वर्षीय ब्रज किशोर साहू की मृत्यु (मामला संख्या 5685/18/18/2016)	60
	(छ) प्रदूषण और पर्यावरण मामले	61
18.	पलक्कड़ की रेलवे कॉलोनी में सेप्टिक टैंक होने के कारण आस–पास के पानी निकायों के दूषित होने से पर्यावरणीय खतरा। (मामला संख्या 295/11/10/2017)	61

अन्य महत्वपूर्ण मामले 62

19. दिल्ली के जामिया नगर में आवारा कुत्तों के हमले के कारण सात साल के लड़के की मौत 62
(मामला संख्या 4375/30/8/2015)

20. असम जिले के कोकराझार और बक्सा जिलों के गांवों में अज्ञात बदमाशों के एक समूह, जिस पर एनडीएफबी (एस) के प्रतिबंधित संगठन के सदस्य होने का संदेह था, द्वारा किए गए हमले में 39 ग्रामीणों की मौत। 63
(मामला संख्या 215/3/11/2014)

21. रक्षा मंत्रालय द्वारा पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन की स्वीकृति में विलम्ब। 64
(मामला संख्या 156/11/1/2016)

22. श्री सुनहेरा सिंह, जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ से एकाउंटेंट के रूप में सेवानिवृत्त हुए, को टर्मिनल लाभ प्रदान करने में विलम्ब। 65
(मामला संख्या 19804/24/57/2016)

23. पश्चिम बंगाल के वैग्रेंट होम्स में रहने वालो की दयनीय स्थिति। 65
(मामला संख्या 694/25/13/2013)

24. रानपुर, जिला नयागढ़, ओडिशा में सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे को खुला छोड़ देने के कारण दो बच्चों की डूबने से मौत। 66
(मामला संख्या 1209/18/31/2016)

25. श्री माता वैष्णो देवी पवित्र तीर्थ स्थल, कटरा, जम्मू में खच्चर वालों, पालकी वालों पिट्ठूवालों और ऐसे अन्य श्रमिकों का–गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार 67
(मामला संख्या 135/9/5/2014)

घ. जेल में स्थितियां 68

जेलों का दौरा 68

अध्याय–5 **विस्तार क्षेत्र** 71

क. आयोग की बैठकें 71

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शिविर बैठकें 71

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की खुली जन सुनवाई 72

घ. सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक 72

ङ. विशेष प्रतिवेदक 73

च. कोर एवं विशेषज्ञ समूह 74

अध्याय–6	स्वास्थ्य का अधिकार	76
	क. सिलिकोसिस	77
	ख. रोगी के अधिकारों पर चार्टर	77
	ग. स्वास्थ्य प्रणाली वितरण की स्थिति का आकलन करने और जनजातीय समुदायों के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का निर्धारण करने वाले कारक पर शोध अध्ययन	78
	घ. विशेष प्रतिवेदक का दौरा	80
	ङ. एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत मामले	80
	1. पश्चिम बंगाल में सिलिकोसिस के कारण श्रमिकों की मौत (मामला संख्या 1209/25/15/2014)	80
	2. मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का खनन बनाम सिलिकोसिस के शिकार हुए श्रमिक (मामला संख्या 430/12/32/2012)	82
	3. जिला आनंद, गुजरात में सिलिकोसिस के शिकारः गाँव खंबात में "अगेट" श्रमिक (मामला संख्या 351/6/3/2010)	84
	4. अनुसूचित जाति की कुष्ठ रोग से पीड़ित महिला तुनी नाइक को ओडिशा के सीएचसी, बंटाला में चिकित्सा अधिकारी द्वारा टीबी प्रतिरोधक दवाइयां दी गईं (मामला संख्या 1042/18/16/2015)	87
	5. वार्ड बॉय ने जिला अस्पताल, वाराणसी में डॉक्टर के रूप में कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप नौ साल के लड़के का पैर काटना पड़ा। (मामला संख्या 46982/24/72/2015)	88
	6. लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ में एक एचआईवी मरीज को उसकी एचआईवी स्थिति उजागर कर उसकी गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन। (मामला संख्या 25825/24/54/2015)	89
	7. केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापडी इलाके में कुपोषण के कारण 39 आदिवासी बच्चों की मौत। (मामला संख्या 437/11/10/2013)	90
	8. राजस्थान के जिला बांसवाड़ा में एक सरकारी अस्पताल में 80 से अधिक नवजात शिशुओं/बच्चों की मौत। (मामला संख्या 2064/20/3/2017)	91
अध्याय–7	भोजन का अधिकार	93
	क. 27 अक्टूबर, 2017 को बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन।	94

	ख. कृषिकरण संकट और किसानों की आत्महत्या पर अनुसंधान परियोजना– राज्य विशेष के मुद्दों और चिंताओं पर एक प्रयोगसिद्ध अध्ययन	95
	ग. विशेष प्रतिवेदक का दौरा	96
	घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा भोजन के अधिकार पर दृष्टांत मामले	98
	1. मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मध्याह्न भोजन के बाद अड़सठ छात्र बीमार पड़े (मामला संख्या 1746/12/5/2013)	98
	2. नयागढ़ जिला, ओडिशा में अभिभावकों की मृत्यु के कारण पांच नाबालिग बच्चे भुखमरी के शिकार हुए। (मामला संख्या 2525/18/31/2013)	99
अध्याय–8	शिक्षा का अधिकार	100
	क. केरल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित मानव अधिकार के मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन	102
	ख. एन.एच.आर.सी. द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित दृष्टांत मामले	103
	1. त्रिपुरा में एनईईटी परीक्षा में खुमुलवंग के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के पंद्रह छात्रों को उपस्थित होने से वंचित किया गया (मामला संख्या 21/23/4/2017)	103
	2. राजस्थान के बारां जिले में एक आदिवासी लड़कियों के लिए सरकारी आवासीय विद्यालय में अपर्याप्त भोजन के कारण नौ छात्राएं बेहोश हो गईं। (मामला संख्या 339/20/33/2014)	104
अध्याय–9	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर समूहों के अधिकार	106
	क. बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन	107
	(क) बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पर क्षेत्रीय कार्यशाला	107
	(ख) बंधुआ मजदूरी पर छमाही रिपोर्ट	108
	ख. अनुसंधान परियोजना	108
	ग. एन.एच.आर.सी. द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर समूहों से संबंधित दृष्टांत मामले	108
	1. ओडिशा के पुरी जिले, में एससी/एसटी विकास के अंतर्गत संचालित एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा 18 छात्रों का कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न (मामला संख्या 1799/18/30/2014–डब्ल्यूसी)	108

2.	पंजाब के होशियारपुर जिले में बथुला गांव के पास एसबीआई ईंट–भट्ठा स्थान से अनु जॉर्ज, कार्यकर्ता द्वारा 33 व्यक्तियों (28 बंधुआ मजदूर सहित 7 बच्चों की पहचान की गई) को बचाया/विमुक्त किया गया। (मामला संख्या 42/19/7/2014–बीएल)	109
3.	डॉ. के. कृष्णन, कार्यकर्ता ने मुक्त करवाई गई पांच बंधुआ मजदूरों (महिला) को बचाया और पुनर्वास किया। (मामला संख्या 84/22/44/2014–बीएल)	110
अध्याय–10	महिलाओं और बच्चों के अधिकार	112
क.	**किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पर दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन**	113
ख.	**वन स्टॉप सेंटर पर एक दिवसीय बैठक**	113
ग.	**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण**	114
घ.	**किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन**	115
ङ.	**बाल विवाह को समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन**	115
च.	**दूसरे तरीकों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की पूछताछ करनाः अपराधियों की दुनिया में एक खोजपूर्ण अध्ययन**	116
छ.	**तीसरे जेंडर के रूप में ट्रांसजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन**	116
ज.	**यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्याण के संदर्भ में मानव अधिकारों पर देशीय आकलन/ राष्ट्रीय जांच**	116
झ.	**मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों पर कोर ग्रुप**	117
ञ.	**एन.एच.आर.सी. द्वारा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले**	117
1.	झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में सी.आर.पी.एफ. के दो कांस्टेबल बर्खास्त हो गए (मामला संख्या 1310/34/6/2012–डब्ल्यूसी)	117

	2. छत्तीसगढ़ के कांकेर में केन्द्रीय विद्यालय के एक चपरासी द्वारा सात साल के बच्चे का यौन शोषण (मामला संख्या 671/33/8/2015)	118
अध्याय–11	वृद्धजनों के अधिकार	120
	क. बुजुर्ग व्यक्तियों के संरक्षण और कल्याण पर कोर ग्रुप की बैठक	121
	ख. वृद्धजनों के मानव अधिकारः कानून, नीतियां और कार्यान्वयन–केरल के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन	122
	ग. विशेष प्रतिवेदक का दौरा	123
	घ. एन.एच.आर.सी. द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए मामले	124
	1. कलेक्टर, जिला अजमेर, राजस्थान द्वारा वरिष्ठ नागरिक, सत्य नारायण गर्ग का उत्पीड़न और दुर्व्यवहार। मामला संख्या 2806/20/1/2015)	124
	2. डाक विभाग द्वारा मृतक कर्मचारी की पत्नी को बीमा दावा के भुगतान में उदासीनता और विलम्ब। (मामला संख्या 15966/24/48/2016)	126
अध्याय–12	दिव्यांगों के अधिकार	127
	क. दिव्यांगता पर एन.एच.आर.सी. के कोर ग्रुप की बैठक	128
	ख. दिव्यांगता पर विशेष प्रतिवेदक	129
	ग. मानसिक स्वास्थ्य पर एन.एच.आर.सी. कोर ग्रुप की बैठक	131
	घ. एन.एच.आर.सी. द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए मामले	133
	1. समाज कल्याण योजनाओं के तहत पीड़ित को वित्तीय/ चिकित्सा राहत की गैर–उपलब्धता (मामला संख्या 151/4/2017)	133
अध्याय–13	मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता	134
	क. प्रशिक्षण कार्यक्रम	134
	ख. मानव अधिकार पर ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम	135
	ग. मानव अधिकारों पर हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन	135

	घ. विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर पुस्तिकाओं का विकास	136
	ड. भारत के नागरिकों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता	136
	च. वाद–विवाद प्रतियोगिता	137
	अखिल भारतीय अन्तरकेन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता, 2017	137
	राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता	
अध्याय–14	मानव अधिकार समर्थक	138
	एन.एच.आर.सी. में मानव अधिकार रक्षकों के लिए मुख्य बिंदु	139
	क. मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य	139
	ख. अंतर्राष्ट्रीय विकास	140
	ग. मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुने गए मामले।	140
	1. राजस्थान के जयपुर में पुलिस अधिकारियों द्वारा मानव अधिकार कार्यकर्ता कैलाश चिड़ीवाल का कथित उत्पीड़न। (मामला संख्या 158/20/1/2017)	141
	2. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं पर हमला (मामला संख्या 27778/24/46/2017)	141
	3. युवा एकता फाउंडेशन के निदेशक पर हमला (मामला संख्या 51/7/5/2018)	142
	4. राशन में भ्रष्टाचार के एक मामले की रिपोर्टिंग के लिए पुलिस द्वारा एक रिपोर्टर और उसके परिवार का उत्पीड़न (मामला संख्या नंबर 32073/24/7/2017–डब्ल्यू. सी.)	142
	5. मणिपुर में "ह्यूमन राइट्स अलर्ट" नामक एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने वाले एक शोधकर्ता को कथित धमकी और उत्पीड़न (मामला संख्या 9/14/0/2018/एनएच)	142
	6. एक मानव अधिकार कार्यकर्ता की हत्या (मामला संख्या 1167/22/5/2017)	143
	7. सेना के कार्मिकों द्वारा मानव अधिकार कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों का कथित उत्पीड़न (मामला संख्या 12/3/0/2017–एएफ)	143
	8. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला मानव अधिकार समर्थक को धमकी (मामला संख्या 60/3/7/2017)	144

	9.	मणिपुर और मेघालय में सामाजिक विकास केंद्र के सदस्य और कर्मचारियों की कथित सैन्य निगरानी (मामला संख्या 10/14/4/2018)	144
अध्याय–15		अंतरराष्ट्रीय सहयोग	145
	क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फोरम के साथ सहयोग	145
	ख.	एन.एच.आर.सी. द्वारा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और कार्यक्रमों में भागीदारी	146
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के वैश्विक संगठन (गनहरी) के साथ सहयोग	147
	घ.	व्यवसाय और मानव अधिकार	149
	ङ.	व्यावसाय और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन	149
	च.	व्यवसाय और मानव अधिकार विषय पर आयोग द्वारा प्रदत्त शोध अध्ययन	150
	दृ	एन.एच.आर.सी. के विदेशी प्रतिनिधि के साथ विचार–विमर्श	150
अध्याय–16		प्रशासन और संभारकीय सहयोग	152
	क.	कर्मचारी का सहयोग	152
	ख.	राजभाषा का प्रचार–प्रसार	153
	ग.	प्रलेखन केंद्र (ई–लाइब्रेरी)	153
	घ.	सूचना का अधिकार	154
अध्याय–17		राज्य सरकार द्वारा एन.एच.आर.सी. की सिफारिशों की गैर–स्वीकृति	156
अध्याय–18		एन.एच.आर.सी. के अपनी प्रभावी कार्यान्वयन में हो रही समस्याएं	159
अध्याय–19		प्रमुख अनुशंसाओं और टिप्पणियों का सारांश	161
	क.	शिकायतों की संख्या और प्रकृति	161
	ख.	मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले	161
	ग.	हिरासतीय हिंसा की रोकथाम	162
	घ.	आर्थिक राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें एवं उसका अनुपालन	162

ङ. सिलिकोसिस 162

च. "बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन 171

छ. वन स्टॉप सेंटर पर एक दिवसीय बैठक 174

ज. बाल विवाह पर क्षेत्रीय सम्मलेन 175

झ. वृद्वजनों के अधिकार 178

ञ. दिव्यांगता पर एन.एच.आर.सी. कोर ग्रुप की बैठक 180

ट. मानसिक स्वास्थ्य पर एन.एच.आर.सी. के कोर ग्रुप की बैठक 181

ठ. व्यवसाय और मानव अधिकार अधिकार 182

अनुलग्नक 183

1. दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका 184

2. वर्ष 2017–18 के दौरान राज्यवार निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाली तालिका 185

3. 31.03.2018 तक लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाली तालिका (दिनांक 19–07–2018 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार) 186

4. वर्ष 2017–18 के दौरान वित्तीय राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या (दिनांक 20.08.2018 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार) 187

5. वर्ष 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों के लंबित मामलों का विवरण 188

6. वित्तीय राहत के भुगतान हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण 210

7. वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के लिए वर्ष 2000–01 एवं वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण 219

संक्षिप्तियाँ 227

अध्याय 1

परिचय

1.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि की है। यह आयोग की पच्चीसवीं वार्षिक रिपोर्ट है।

1.2 आयोग की चौबीसवीं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि शामिल है, को की गई कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन तैयार करने तथा "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993" की धारा 20 और सितंबर 2006 में इसके संशोधन के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करने के लिए 10 अप्रैल, 2018 को केंद्र सरकार को सौंपी गई थी।

1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेसन (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय), श्री एस.सी. सिन्हा (पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण) और श्रीमती ज्योतिका कालरा (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड पर अधिवक्ता) आयोग में सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। न्यायमूर्ति श्री पी.सी. घोष (भारत के उच्चतम न्यायलय के पूर्व न्यायाधीश) ने दिनांक 30.06.2017 से आयोग में सदस्य के रूप में पदभार संभाला।

1.4 डॉ. सत्य नारायण मोहंती, आई.ए.एस. (1980: तेलंगाना कैडर), पूर्व महासचिव, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30.06.2017 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए। श्री अम्बुज शर्मा, आई.ए.एस (तमिलनाडु: 1983) जो पूर्व में अपर मुख्य सचिव/उद्योग आयुक्त एवं उद्योग और वाणिज्य के निदेशक, तमिलनाडु सरकार, के रूप में तैनात थे, ने एन. एच.आर.सी. के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दिनांक 05.08.2017 से पदभार ग्रहण किया। श्री गुरबचन सिंह, महानिदेशक (अन्वेषण) दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को एन.एच.आर.सी. में शामिल हुए। श्री सुरजीत डे दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को रजिस्ट्रार (विधि) के रूप में तथा श्री दिलीप कुमार (1995: पंजाब) दिनांक 16 मई, 2018 को संयुक्त सचिव (प्रशि. एवं अनु.) के रूप में एन.एच.आर.सी. में शामिल हुए।

1.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) में यथा प्रदत्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) रामशंकर कथेरिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साई, राष्ट्रीय

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री सैयद घायोरुल हसन रिज़वी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य– प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन हेतु आयोग के मानद सदस्य माने जायेंगें।

1.6 आयोग की वार्षिक रिपोर्टें इसके द्वारा प्रतिवर्ष की गई समग्र गतिविधियों के विषय में न केवल विवरण प्रस्तुत करती हैं बल्कि देश में मानव अधिकार स्थिति के विषय में सूचना का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत भी है। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित विविध कार्यों के अनुरूप व्यापक गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। आयोग ने देश के विभिन्न भागों में पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रयोग किए गए अत्यधिक बल के कारण कई लोगों की जान गई; पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बलात्कार और मृत्यु; जेलों में कैदियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन; अवैध रूप से बंदी बनाना और प्रताड़ना; मुठभेड़ में मौत; बिजली के करंट के कारण मृत्यु; सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान में विलम्ब; स्कूलों में शिक्षण तथा मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, सुरक्षित भवन एवं अवसंरचना का अभाव; स्कूलों में मिड–डे–मील खाने के बाद बच्चों का बीमार होना; आई. वी. एफ. क्लिीनिक्स की संदिग्ध गतिविधियां; बच्चों एवं महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बलात्कार तथा अवैध व्यापार; काला जादू करने का आरोप लगाकर व्यक्तियों की हत्या; किसानों द्वारा आत्महत्या; बच्चों को भीख मांगने के लिए बाध्य करना; आवारा कुत्तों का आतंक; सब्जियों एवं फलों में कीटनाशक; मोतियाबिंद की गलत सर्जरी; दलित बच्चों के लिए पृथक आंगनवाड़ी; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्न स्तरीय सुविधाओं के चलते नवजात शिशुओं की मृत्यु; बच्चों के गुमशुदा होने की घटनाओं में वृद्धि; और कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्ग, बच्चे, महिलाओं, अशक्तों एवं वृद्धों के प्रति क्रूरता से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के साथ–साथ इनके संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया। इन सभी मामलों में संबंधित राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करने और घटना स्थल की जांच करने के लिए अन्वेषण प्रभाग से अपनी टीम भेजने के अलावा आयोग ने अधिकार उल्लंघन के पीडितों या उनके निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत का भुगतान करने और किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने की सिफारिश भी की।

1.7 आयोग हमेशा ही समाज के कमज़ोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रति संवेदनशील रहा है। आयोग ने श्री के. बी. सक्सेना, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा दी गई संस्तुतियों जिसमें उन्होंने आयोग के आग्रह पर अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार के विषय में अध्ययन करके आयोग को रिपोर्ट दी थी, के कार्यान्वयन के प्रयास में देश के विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में शिविर बैठकों और जन सुनवाई का आयोजन किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने नागालैंड, असम और मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में शिविर बैठकों का आयोजन और जन सुनवाई की।

1.8 इस वार्षिक रिपोर्ट (2017–18) में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों जिसमें पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में मौत, अवैध नज़रबंदी, पुलिस द्वारा बल प्रयोग, पुलिस मुठभेड़ में मौत आदि शामिल हैं, के विषय पर जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों जैसे स्वास्थ्य देखरेख से संबंधित अधिकार जिसमें मानसिक स्वास्थ्य

देखरेख एवं कुष्ठ रोग भी शामिल हैं, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं एवं बच्चों को शामिल कर कमज़ोर वर्गों के अधिकार, बंधुआ एवं बाल मज़दूरों का बचाव, रिहाई एवं पुनर्वास शामिल हैं। आयोग ने मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों के बीच सहयोग एवं समन्वय के क्षेत्रों का भी पता लगाया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, सरकारी अधिकारियों, मीडिया व्यक्तियों, गैर–सरकारी और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों जैसे प्रमुख हितधारकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम, प्रकाशन, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला, परामर्श और अन्य उपलब्ध प्रशिक्षण साधनों के माध्यम से जारी रखा।

1.9 वार्षिक रिपोर्ट 2017–2018 के विभिन्न अध्यायों में इन मुद्दों पर और अधिक विस्तार से टिप्पणी की गई है।

अध्याय 2

मुख्य बिंदु

2.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। आयोग का अधिदेश, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यह आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोग की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।

वेब आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली में अतिरिक्त मॉड्यूलः

2.2 आयोग ने वेब आधारित संस्करण शिकायत प्रबंधन प्रणाली में फाइल वीडआउट मॉड्यूल, स्क्रूटिनी कंसल्टेंट्स मॉड्यूल, डेटाबेस अपडेशन रिक्वेस्ट मॉड्यूल और सामान्य पत्राचार मॉड्यूल को सम्मिलित किया है।

वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली में अतिरिक्त रिपोर्टः

2.3 आयोग ने वेब आधारित वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर में उपयोगी रिपोर्ट्स को सम्मिलित किया है जो मामला निपटान के विभिन्न चरणों के दौरान लिए गए समय के विषय में, विधि प्रभाग के लिए अप्राप्त सीआर डायरी की पहचान और मामलों के निपटान के लिए औसतन समय की सूचना प्रदान करता है।

पुस्तकालय ई–ग्रंथालय (क्लाउड संस्करण):

2.4 एन.एच.आर.सी. के पुस्तकालय/ई– डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के पुराने संस्करण (ई–ग्रन्थालय) को ई–ग्रन्थालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के क्लाउड संस्करण के साथ बदल दिया गया है।

फाइल मूवमेंट सिस्टमः

2.5 एन.एच.आर.सी. ने अपने सभी प्रभागों/अनुभागों में फाइल मूवमेंट सिस्टम के उपयोग को पुनः आरम्भ किया है।

एन.आई.सी. क्लाउड में वेबसाइट का माइग्रेशनः

2.6 एन.एच.आर.सी. ने अपनी वर्तमान आधिकारिक वेबसाइट को साझा और सह–स्थित सर्वर से राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) क्लाउड के वर्चुअल मशीनों तक बढ़ा दिया है।

एन.एच.आर.सी. टुडे सॉफ्टवेयरः

2.7 आयोग ने डिजिटल संकेतकों पर आज का शब्द, आज का उद्धरण, विशेष अवसरों पर अभिवादन के प्रकाशन हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया है।

ऑनलाइन मानव अधिकार संकल्प :

2.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 26 जनवरी, 2018 को एक 'ऑनलाइन मानव अधिकार संकल्प' शुरू की है। यह संकल्प मेरी सरकार पोर्टल या एन.एच.आर.सी. वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत या संगठन द्वारा लिया जा सकता है।

मेरी सरकार पोर्टल पर लोगो, आदर्श वाक्य/प्रचार वाक्य और चित्रकारी प्रतियोगिताएंः

2.9 एन.एच.आर.सी. मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मेरी सरकार मंच का उपयोग कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए, मेरी सरकार पोर्टल पर लोगो, आदर्श वाक्य/प्रचार वाक्य और चित्रकारी प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं।

एन.एच.आर.सी. द्वारा जवाब दिए गए संसदीय प्रश्नों के लिए एमआईएसः

2.10 एन.एच.आर.सी. ने आयोग में प्राप्त संसद प्रश्नों के रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, विकसित और कार्यान्वित किया है।

एन.एच.आर.सी. वेबसाइट के लिए भारत सरकार की वेबसाइटों (जी.आई.जी.डब्ल्यू.) के अनुपालन हेतु दिशानिर्देशः

2.11 एन.एच.आर.सी. ने एन.आई.सी. की तकनीकी सहायता से कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का उपयोग करके जी. आई.जी.डब्ल्यू. मानदंडों के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट को पुनः डिजाइन और विकसित करना आरम्भ कर दिया है।

टोल फ्री नंबरः

2.12 एन.एच.आर.सी. ने टोल फ्री सेवाओं का उपयोग करके मानव अधिकार हेल्पलाइन को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की।

ई–शुभकामनायें:

2.13 एन.एच.आर.सी. के कर्मचारियों को एसएमएस और ई–मेल के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजने के लिए एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

स्थापना दिवस समारोह

2.14 दिनांक 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 में भी आयोग का स्थापना दिवस डॉ. डी. एस. कोठारी सभागार, डी.आर.डी.ओ. भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली में मनाया गया था। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा मुख्य अतिथि थे।

मानव अधिकार दिवस समारोह

2.15 आयोग द्वारा प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष, अर्थात्, 2017 में, आयोग ने मानव अधिकार दिवस प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 10.12.2017 को मनाया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री वेंकैया नायडू इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

10 दिसंबर, 2017 को मानव अधिकार दिवस समारोह

एन.एच.आर.सी. रजत जयंती समारोह

2.16 भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को अपनी रजत जयंती मनाएगा। रजत जयंती समारोह के अवसर पर, एन.एच.आर.सी. ने 1 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

2.17 रजत जयंती समारोह के भाग के रूप में, 10 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में एक रजत जयंती व्याख्यान का आयोजन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जिसमें सरकार, गैर सरकारी संगठनों, राजनयिक संगठनों, आदि के प्रतिष्ठित प्रतिभागी उपस्थित होंगे। इस अवसर पर नोबल पुरस्कार विजेता, श्री कैलाश सत्यार्थी मुख्य अतिथि बनने के लिए सहमत हो गए हैं और वे 10 सितंबर, 2018 को रजत जयंती व्याख्यान प्रस्तुत करेंगें। उक्त अवसर पर डॉ. अजय माथुर, 'ऊर्जा और संसाधन संस्थान' (टेरी) के महानिदेशक और श्री प्रकाश सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक, बी. एस.एफ., यूपी एवं असम ने उक्त समारोह में आने के लिए सहमति दी है।

आयोग की बैठकें

2.18 वर्ष की समीक्षा के दौरान, आयोग ने अपनी 32 बैठकों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के 361 मामले उठाए। इसके अलावा, दो विभागीय पीठों ने 71 बैठकों में 863 मामलों पर विचार किया। इसके अलावा, आयोग की 5 बैठकों में कश्मीरी विस्थापितों के 22 मामलों पर जन सुनवाई अदालत में विचार भी किया गया।

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शिविर बैठकें

2.19 आयोग लंबित शिकायतों के निपटान में तेजी लाने और मानव अधिकारों के मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में शिविर सभाओं का आयोजन करता रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने कोहिमा, नागालैंड (24 अप्रैल, 2017), असम और मेघालय (17–18 मई, 2017), उत्तराखंड (13–14 जुलाई, 2017), उत्तर प्रदेश (9–11 अगस्त 2017) और राजस्थान (18–19 जनवरी, 2018) में शिविर बैठकों का आयोजन किया। इन शिविर बैठकों में, आयोग ने पूर्ण आयोग की अपनी बैठकों में 77 मामलों और खंडपीठ के 98 मामलों पर विचार किया।

ग. अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जन सुनवाई

2.20 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने कोहिमा, नागालैंड–8 मामलों (24 अप्रैल, 2017), उत्तराखंड–27 मामलों (13 जुलाई, 2017), उत्तर प्रदेश–171 मामलों (9 अगस्त, 2017) तथा राजस्थान–169 मामलों (18 जनवरी, 2018) में 375 खुली जन सुनवाई आयोजित की।

सूचना का प्रसार

2.21 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विभिन्न साधनों के माध्यम से आयोग की गतिविधियों के विषय में मीडिया और संचार (एम. एंड सी.) विंग के द्वारा सूचना का प्रचार–प्रसार करता है। इनमें प्रेस विज्ञप्तियां, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार शामिल हैं।

आउटरीच तंत्रः प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलन, साक्षात्कार, समाचार पत्र।

2.22 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान, मीडिया और संचार (एम एंड सी) विंग द्वारा आयोग के विभिन्न हस्तक्षेपों और गतिविधियों के बारे में 120 प्रेस विज्ञप्ति/वक्तव्य तैयार और जारी किए गए। जन सुनवाई एवं शिविर बैठकों के पश्चात 05 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं। इसके अलावा, आयोग के 25 वर्षों के सफ़र पर पूर्ण पृष्ठ लेख के संबंध में एक प्रमुख समाचार पत्र के लिए अध्यक्ष के एक साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

2.23 आयोग के समक्ष स्वतः संज्ञान लेने के लिए लगभग 100 समाचार कतरनों को रखा गया। मीडिया में रिपोर्ट किए गए मुद्दों, विशेषतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका और उसके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बारे में समग्र ब्यौरा देने के लिए, समाचार पत्रों की कतरनों को दिन–प्रतिदिन आधार पर आयोग की वेबसाईट पर डाला गया। इन समाचार–पत्रों की कतरनों के मासिक संग्रह को तैयार किया गया और अन्य पुस्तकालयों को प्रचार–प्रसार के प्रयोजनार्थ और पुस्तकालय में आने वाले अन्य सभी लोगों के संदर्भ हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पुस्तकालय में भेजा गया। इसके अलावा, लोगों की भागीदारी के माध्यम से आउटरीच का विस्तार करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मीडिया माध्यमों का पता लगाने का प्रयास किया गया।

2.24 इसके अलावा, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मासिक न्यूजलैटर प्रकाशित किए जाते हैं, जो सरकार के सभी पदाधिकारियों को, अकादमिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, मीडियाकर्मियों और सभ्य समाज के व्यक्तियों आदि को मानव अधिकारों के महत्त्व और आयोग द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेपों एवं सिफारिशों के बारे जागरुकता फैलाने हेतु उन्हें निःशुल्क परिचालित किए जाते हैं। एन.एच.आर.सी. की वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों की संख्या, निपटान शिकायतें और शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया के तहत आंकड़ों की संख्या से सम्बंधित लिंक को अपलोड किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्वागत कक्ष में आने वाले आगंतुकों के लिए इन न्यूजलैटर की प्रतियां उपलब्ध हैं।

2.25 2017 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के न्यूज़लैटर को 12 पृष्ठों के रंगीन और आकर्षक आवरण तथा लेआउट डिज़ाइन पत्रिका के रूप में तैयार करने के लिए इसमें 04 और पृष्ठ एवं कई नए कॉलम जोड़े गए।

2.26 इस अवधि के दौरान कुछ विशिष्ट मुद्दों पर मीडियाकर्मियों को जानकारी प्रदान करने के अलावा, (एम एंड सी) विंग ने उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित आयोग के 14 शिविर सभाओं और जन सुनवाई/कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/सम्मेलनों के कवरेज के लिए आमंत्रित किया। आयोग के मुख्यालय में की गई गतिविधियों के अलावा, इस अवधि के दौरान मीडिया कवरेज के लिए कुछ विशिष्ट बाहरी स्थानों पर विशेष प्रयास किए गए, जो निम्नानुसार थेः

1. 24 अप्रैल, 2017 को कोहिमा, नागालैंड में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दिन भर की जन सुनवाई और शिविर बैठक का आयोजन।
2. 28 से 29 अप्रैल, 2017 तक उत्तरी भारत के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सुशासन, विकास और मानव अधिकार विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
3. 17–18 मई, 2017 तक गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दो दिन की जन सुनवाई एवं शिविर बैठक का आयोजन।
4. 19 मई, 2017 को असम सरकार के सहयोग से उत्तर–पूर्व के लिए 'बंधुआ मजदुर प्रथा का उन्मूलन' विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन।
5. 22 जून, 2017 को बेंगलुरू, कर्नाटक में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, एन.एल.एस.आई.यू., के सहयोग से 'मानव अधिकार के संवर्द्धन और संरक्षण में मीडिया की भूमिका' विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
6. 13 से 14 जुलाई, 2017 तक देहरादून, उत्तराखंड में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दो दिवसीय जन सुनवाई एवं शिविर बैठक का आयोजन।
7. 21 जुलाई, 2017 को पटना में बिहार सरकार के सहयोग से बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
8. लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 09 से 11 अगस्त, 2017 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तीन दिवसीय जन सुनवाई एवं शिविर बैठक का आयोजन।
9. 21 से 22 सितंबर, 2017 तक नई दिल्ली में सुशासन, विकास और मानव अधिकार विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।
10. 5 से 6 सितंबर, 2017 तक दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई में बाल अधिकारों पर संबंधित कानूनों को लागू करने के विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दो दिवसीय सम्मलेन का आयोजन।
11. 27 अक्टूबर, 2017 से नई दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सम्मेलन का आयोजन।
12. जयपुर, राजस्थान में 18 से 19 जनवरी, 2018 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दो दिवसीय जन सुनवाई एवं शिविर बैठक का आयोजन।
13. 12 जनवरी, 2018 को कोच्चि में केरल सरकार के सहयोग से बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
14. 12 जनवरी, 2018 को बेंगलुरु में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से व्यापार और मानव अधिकार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।

इन हाउस फीडबैक मैकेनिज्म

2.27 प्रतिदिन आयोग के अध्यक्ष को मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समाचार कतरनें मुहैया कराने के अलावा आयोग के फीडबैक के लिए मीडिया में रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार मुद्दों पर एक 'साप्ताहिक न्यूज

डाइजेस्ट' तैयार किया जाता है, जिसकी एक प्रति मासिक संग्रह के साथ सभी मुख्य पुस्तकालयों को सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है।

2.28 मानव अधिकार विषयों और इसी प्रकार के समारोहों एवं क्रिया–कलापों, जिनका मानव अधिकारों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर हो सकता है, के सन्दर्भ के लिए मीडिया रिपोर्टों का एक मासिक संग्रह तैयार किया गया।

2.29 2017–18 की अवधि के दौरान, 'मानव अधिकारों पर साप्ताहिक समाचार डाइजेस्ट' में और अधिक सुविधाएँ जोड़ी गईं, इसके अलावा रिकॉर्ड, संदर्भ और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए मासिक 'एन.एच.आर.सी. इन न्यूज़' फोल्डर और साथ ही साथ 'मानव अधिकार समाचार क्लिपिंग्स' फ़ोल्डर में और अधिक रिपोर्ट, लेख और संपादकीय शामिल करके समृद्ध किया गया।

2.30 एन.एच.आर.सी. वेबसाइट पर एन.एच.आर.सी. की विशिष्ट समाचार कतरनों को अपलोड करने के अलावा, आयोग की सभी मंजिलों पर प्रदर्शन बोर्डों को आयोग में आने वाले आगुन्तकों के साथ आन्तरिक अधिकारियों के जागरूकता और सूचना के लिए नियमित आधार पर 'एन.एच.आर.सी. इन न्यूज' के तहत इस तरह की कतरनों को और अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाया गया।

2.31 आयोग की वेबसाइट के माध्यम से मानव अधिकार भवन के स्वागत स्थान पर मानवीय मूल्यों और अधिकारों से संबंधित 'थॉट ऑफ द डे' के लिए दैनिक उद्धरण प्रदान करना आरम्भ किया गया।

कुछ अन्य प्रमुख क्रियाकलाप

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का लघु फिल्म पुरस्कार

2.32 आयोग ने वर्ष 2015 से इसके मीडिया एवं संचार यूनिट की पहल पर मानव अधिकार विषय पर सर्वश्रेष्ठ तीन लघु फिल्मों को पुरस्कार देना ज़ारी रखा जिसमें क्रमशः ₹ 1,00,000/–, ₹ 75,000/– और ₹ 50,000/– के पुरस्कार के साथ प्रमाण–पत्र एवं विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2017 में कुल 65 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिसमें से केवल 57 प्रविष्टियां ही शर्तों के अनुकूल पाई गईं; बाहरी विशेषज्ञों की ज्यूरी का गठन किया गया जिसमें श्री शंकर मोहन, पूर्व निदेशक, भारतीय फिल्म समारोह निदेशालय, श्री अरुण चड्ढा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और एफटीआईआई के पूर्व छात्र, श्री उत्पल बोरपुजारी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और एफटीआईआई के पूर्व छात्र और सुश्री अदिति कपूर, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, साउथ एशिया मीडिया और एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर सम्मिलित थे। उन्होंने पुरस्कारों के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चयन किया जिनमें चंडीगढ़ से सुश्री ईशरत बराड़ की नाइट्स ऑफ टेरर, महाराष्ट्र से सुश्री सयाली मठादिकारी की वरवंता, उत्तर प्रदेश के श्री महेश कुमार मिश्रा की सावित्री का स्यापा शामिल थी। उन्होनें चार अन्य फ़िल्मों को 'स्पेशल मेंशन' के प्रमाण–पत्र की भी सिफारिश की जिनमें 1. हर कुत्ते का दिन आता है, 2. पैरेलल, 3. रोमियो वेड्स जूलियट, 4. नया मंझा शामिल थे एवं जिसे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, ज्यूरी ने 08 और फिल्मों की सिफारिश की, जिन्हें आयोग जागरूकता उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है। मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए आयोग द्वारा

आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तीनों पुरस्कार विजेताओं को दिल्ली आमंत्रित किया गया।

बच्चों के लिए चित्रकला और फोटो प्रदर्शनी

2.33 मानव अधिकार दिवस, 2017 के अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्रियाकलापों के बारे में बच्चों की चित्रकला और फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में पुरस्कार विजेता फिल्मों के पोस्टर और अभिलेखीय कोलाज भी शामिल थे, जिनका विमोचन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह के मुख्य अतिथि श्री एम. वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति ने किया।

समाचार क्लिपिंग्स और तस्वीरों की अभिलेखीय प्रदर्शनी

2.34 एम एंड सी विंग द्वारा इन हाउस स्तर पर आयोग के क्रियाकलापों पर वर्ष वार समाचार कतरनों और तस्वीरों का एक संग्रह तैयार किया जा रहा है और इसे प्रतिवर्ष मानव अधिकार अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रक्रिया 2014 में शुरू की गई और 2015, 2016 और 2017 में भी इस अवधारणा का पालन किया गया था ताकि समाचार कतरनों की 'अभिलेखीय गैलरी' बनाई जा सके, जो विभिन्न वर्षों के दौरान आगंतुकों के लिए आयोग के कार्य के विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलुओं की एक झलक प्रस्तुत कर सके।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के रजत जयंती समारोह के लिए नई पहलें

2.35 वर्ष 2018 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के रजत जयंती समारोह के लिए, कई नए क्रियाकलापों गतिविधियों की योजना तैयार की गई और उन पर कार्रवाई करने से पहले आयोग की मंजूरी के लिए नीतियां प्रस्तुत की गईं। इनमें टैगलाइन/स्लोगन लेखन, लोगो डिजाइनिंग और चित्रकारी प्रतियोगिताएं, जो मेरी सरकार पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जानी हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार और संरचित करना तथा महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर एक लघु फिल्म बनाना और फिल्म्स डिवीजन को उनके निर्माण के लिए बाह्य स्त्रोत प्रदान करना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहली स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल एंड अवार्ड स्कीम– 2018, ऑनलाइन शिकायत दाखिल करने और आउटसोर्सिंग के लिए एन.एच.आर.सी. वेबसाइट के साथ भारत सरकार के एन.एच.आर.सी. वेबसाइट के साथ कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) पोर्टल को लिंक करना, मानव अधिकार जागरूकता के लिए लघु फिल्मों सहित ई–सामग्री की तैयारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चौथी लघु फिल्म पुरस्कार योजना–2018, "मानव अधिकारों पर जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका" पर फिल्मों और पैनल चर्चा की स्क्रीनिंग, आयोग के 25 वर्षों की मील के पत्थर के सफ़र को पुस्तक का रूप देने के लिए विचार एवं कार्य आरम्भ करना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यात्रा के 25 वर्षों के सफ़र से सम्बंधित लेखों/विशेषताओं के मुद्रण हेतु समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं ।

शिकायतों की संख्या और प्रकृति

2.36 मानव अधिकार साक्षरता देश में निरंतर बढ़ती जा रही है। मानव अधिकारों की पहुंच प्रासंगिक रूप से कानूनों के साथ–साथ न्यायिक कथनों के माध्यम से भी विस्तृत हुई है जिससे मानव अधिकारों की परिधि में अधिक

अधिकार एवं मानव अधिकारों के नए पहलू सामने आए हैं। फोर्थ जनरेशन मानव अधिकारों के विषय में व्यापक चर्चा एवं विमर्श मौजूद है। आमलोग मानव अधिकारों के संरक्षण के कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं तथा अनेक स्वयंसेवक एवं गैर–सरकारी संगठन मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी होनी ही थी। अब राज्य मानव अधिकार आयोग भी इस प्रकार की शिकायतों का बड़ी संख्या में समाधान कर रहे हैं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच दिन प्रतिदिन मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है। इन तथ्यों के कारण आयोग में अभिकथित मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों में थोड़ी कमी आई है जहां वर्ष 2016–17 में आयोग द्वारा 91,887 मामले दर्ज किए गए थे वहीं वर्ष 2017–18 में 79,612 मामले दर्ज किए गए। आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों में लोकसेवकों द्वारा लापरवाही के कारण अभिकथित मानव अधिकार उल्लंघन तथा इस प्रकार के उल्लंघन से बचाव करने में लापरवाही, हिरासतीय हिंसा, यातना, फर्जी मुठभेड़, पुलिस की बर्बरता, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हनन जेलों से संबंधित स्थिति, महिलाओं एवं बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, सेवानिवृत्ति के लाभों का भुगतान नहीं करना, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार आदि के आरोप वाले मामले शामिल थे। आयोग ने इसके अतिरिक्त पुलिस मुठभेड़ एवं पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत तथा रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संज्ञान लिया।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया गया, जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जो देश के विभिन्न भागों में दौरे के दौरान अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आए।

2.37 पिछले पांच वर्षों के परिप्रेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण मानकों का विवरण निम्नलिखित है:

पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाले विवरण (सीएमएस डाटा के अनुसार)

वित्तीय वर्ष	2013 — 2014	2014 — 2015	2015 — 2016	2016 — 2017	2017 — 2018
पुलिस मुठभेड़ में मौत (घटना कोड 812)	137	188	179	169	164
हिरासत के दौरान मौत (न्यायिक) (सूचना) (घटना कोड 301)	1577	1588	1668	1616	1636
हिरासत के दौरान मौत (न्यायिक) (सूचना) (घटना कोड 807)	140	130	151	145	148

पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाले विवरण (सीएमएस डाटा के अनुसार)					
वित्तीय वर्ष	2013 — 2014	2014 — 2015	2015 — 2016	2016 — 2017	2017 — 2018
बाल मजदूरी (घटना कोड 101)	63	716	66	50	46
बंधुआ मजदूरी (घटना कोड 601)	3174	1017	3345	240	210
राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता (घटना कोड 1505)	9546	14799	16258	13578	9982
सामूहिक बलात्कार (घटना कोड 1307)	659	759	572	455	392
बलात्कार (घटना कोड 1311)	827	978	707	535	498
बच्चे (घटना कोड 100–112)	1568	2560	1657	1211	906
स्वास्थ्य (घटना कोड 200–205)	1475	2738	2535	1832	1910
जेल (घटना कोड 300–318)	2597	2583	2670	2447	2416
पुलिस (घटना कोड 800–823)	34968	34954	35533	27845	26391
प्रदूषण/पारिस्थितिकी/पर्यावरण (घटना कोड 900–904)	271	334	457	446	403
महिलाएं (घटना कोड 1300–1314)	8991	9904	8105	7413	7460
रक्षा बल (घटना कोड 1600–1617)	144	144	128	72	103
अर्द्ध– सैनिक बल (घटना कोड 1700–1717)	141	178	160	152	95
अनु. जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. (घटना कोड 1900–1904)	3210	3555	3454	3207	2679

मानव अधिकार उल्लंघन के मामले

2.38 आयोग में वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 79,612 मामले दर्ज किये गए (अनुलग्नक–1)। इन 79,612 मामलों में से आयोग ने 38,695 मामले उत्तर प्रदेश, 5,829 मामले दिल्ली, 4,977 ओड़िशा, 3,522 मामले बिहार एवं 3,285 मामले राजस्थान से सम्बंधित थे। पंजीकृत किये गए मामलों की संख्या का राज्यवार विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है :–

वर्ष 2017–2018 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या

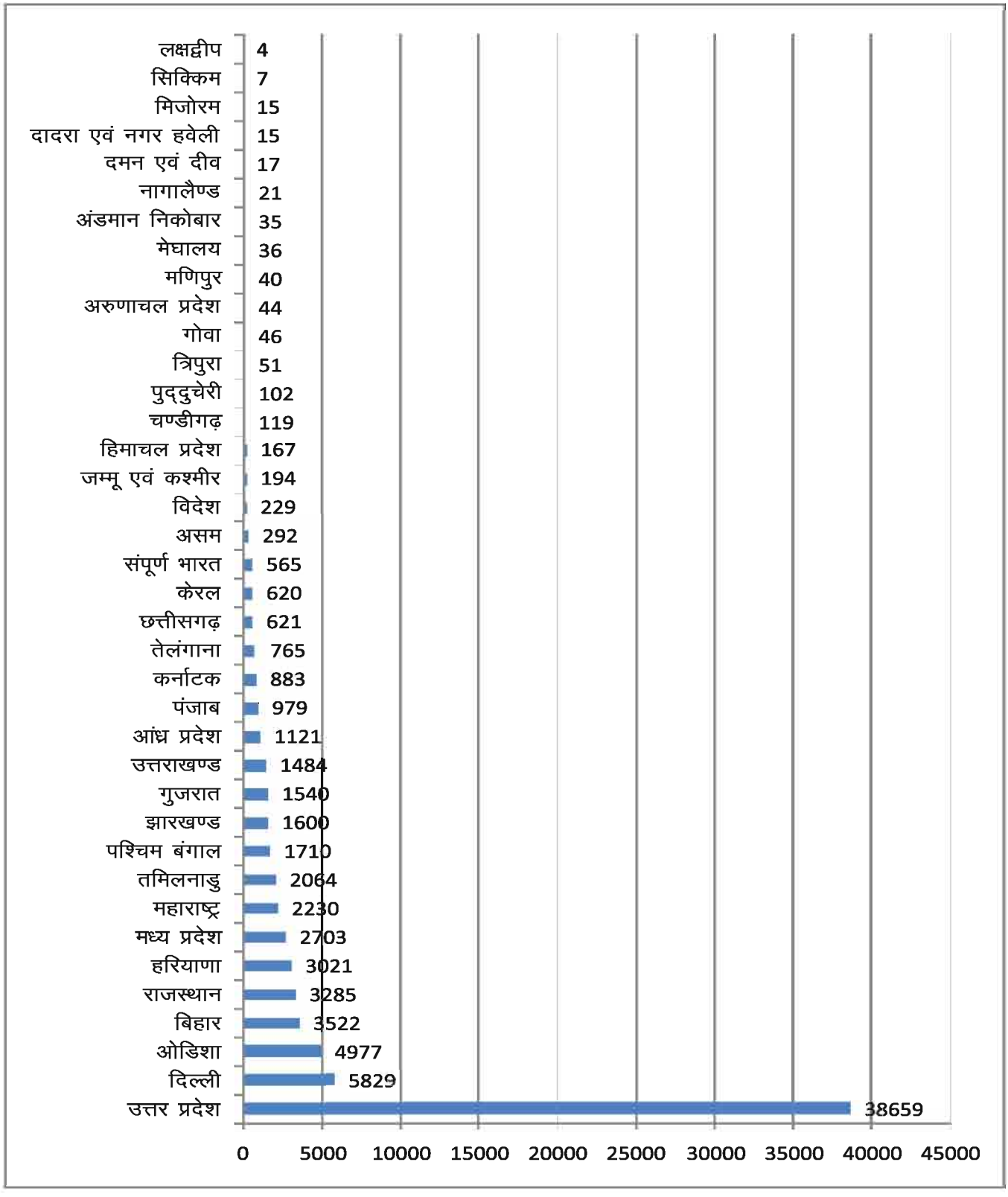

2.39 वर्ष 2016–2017 से 2017–2018 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत मामलों की कुल संख्या का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे ग्राफ में दिया गया है :–

पंजीकृत एवं निपटाए गए मामलों की कुल संख्या (2015–2016 से 2017–2018)

वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या	निपटाए गए (बैकलॉग सहित)
2015-2016	117808	118254
2016-2017	91887	100699
2017-2018	79612	86187

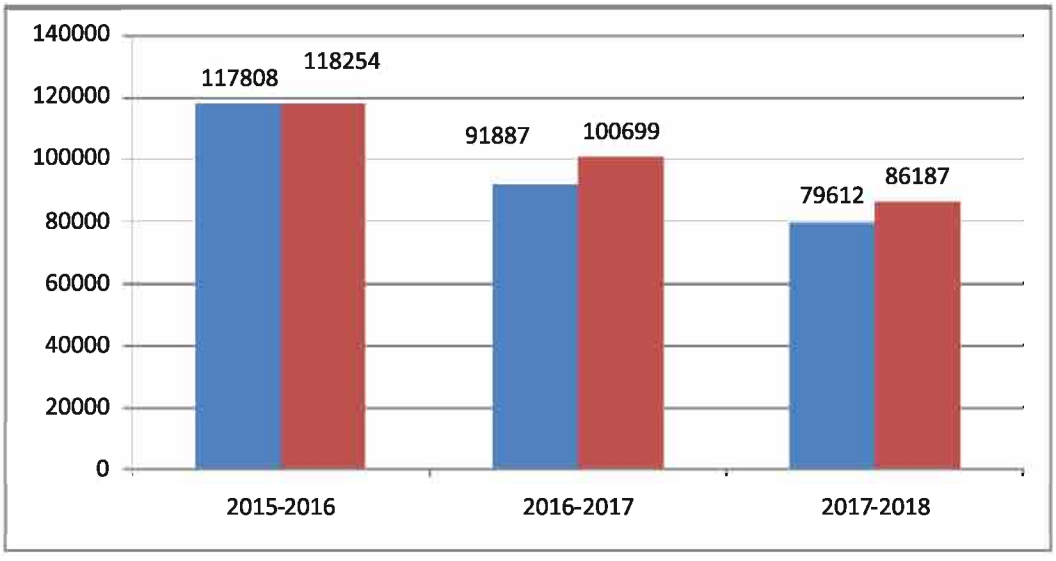

2.40 वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 86,187 मामलों का निपटान किया गया, जिसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 33,290 मामलों को आरम्भ में ही ख़ारिज कर दिया गया। इन मामलों का राज्यवार विवरण नीचे चार्ट में प्रस्तुत किया गया है :

वर्ष 2017–2018 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रारम्भ में ख़ारिज मामले

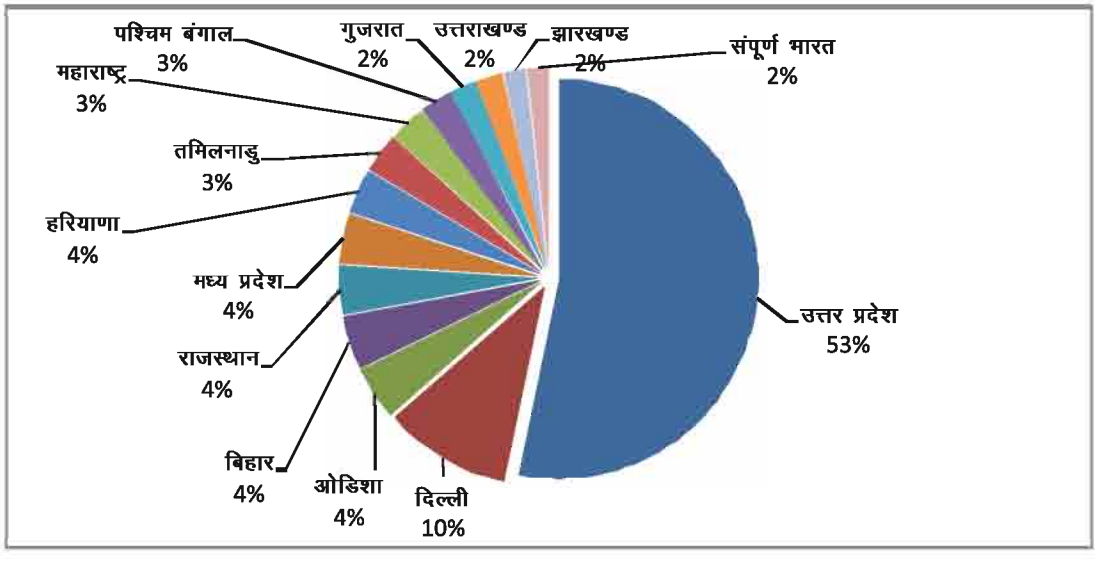

2.41 आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान 15,364 मामलों का निपटान उचित प्राधिकरणों को उपचारात्मक उपाय के निर्देश के साथ किया गया। इन मामलों का राज्यवार विवरण नीचे चार्ट में प्रस्तुत किया गया है :–

आयोग द्वारा वर्ष 2017–2018 के दौरान निर्देश सहित निपटाए (डी.डब्ल्यू.डी.) गए मामले

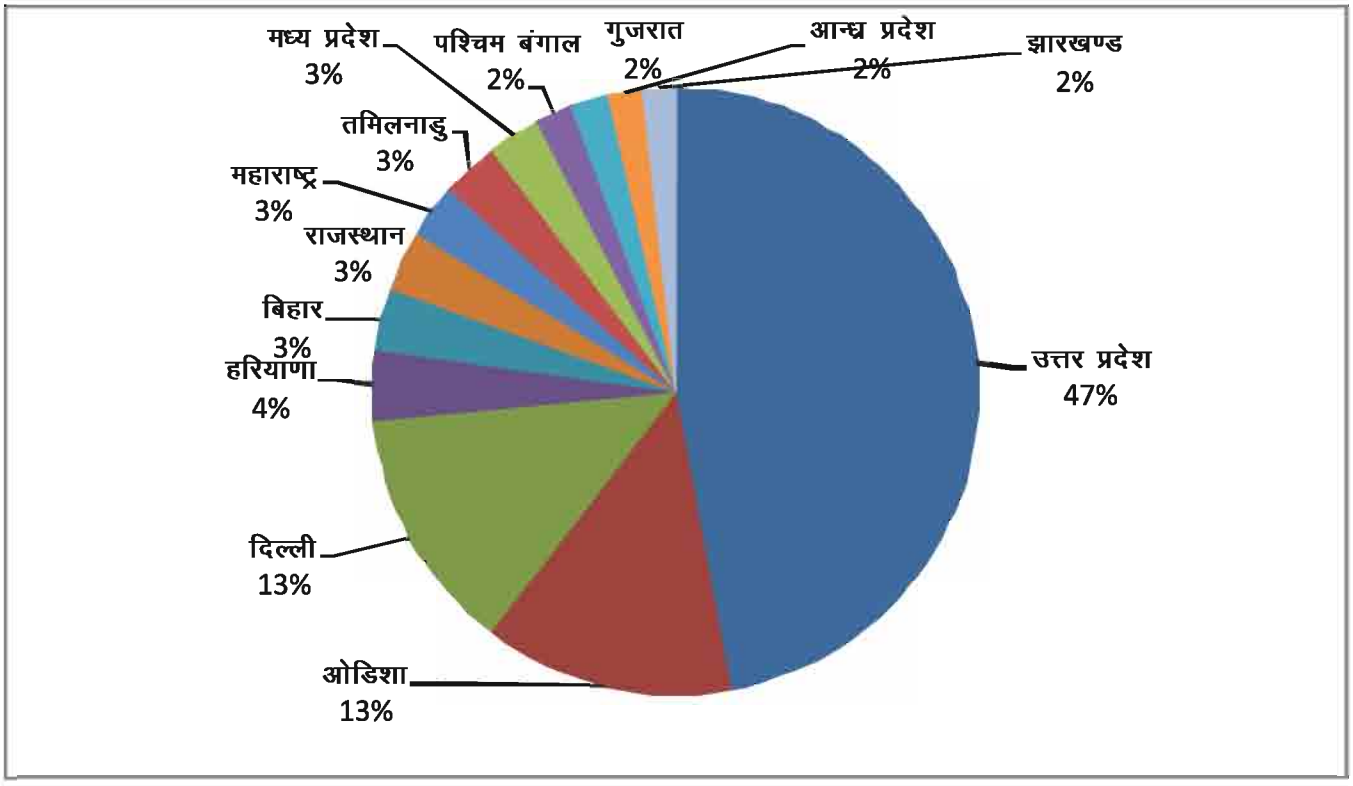

2.42 कुल 21,652 मामलों को राज्य मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की उपबंधों के अनुसार निपटान के लिए भेजा गया। इनको चार्ट में भी दर्शाया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण के लिए कृपया **अनुलग्नक–2** देखें।

वर्ष 2017–2018 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित मामले

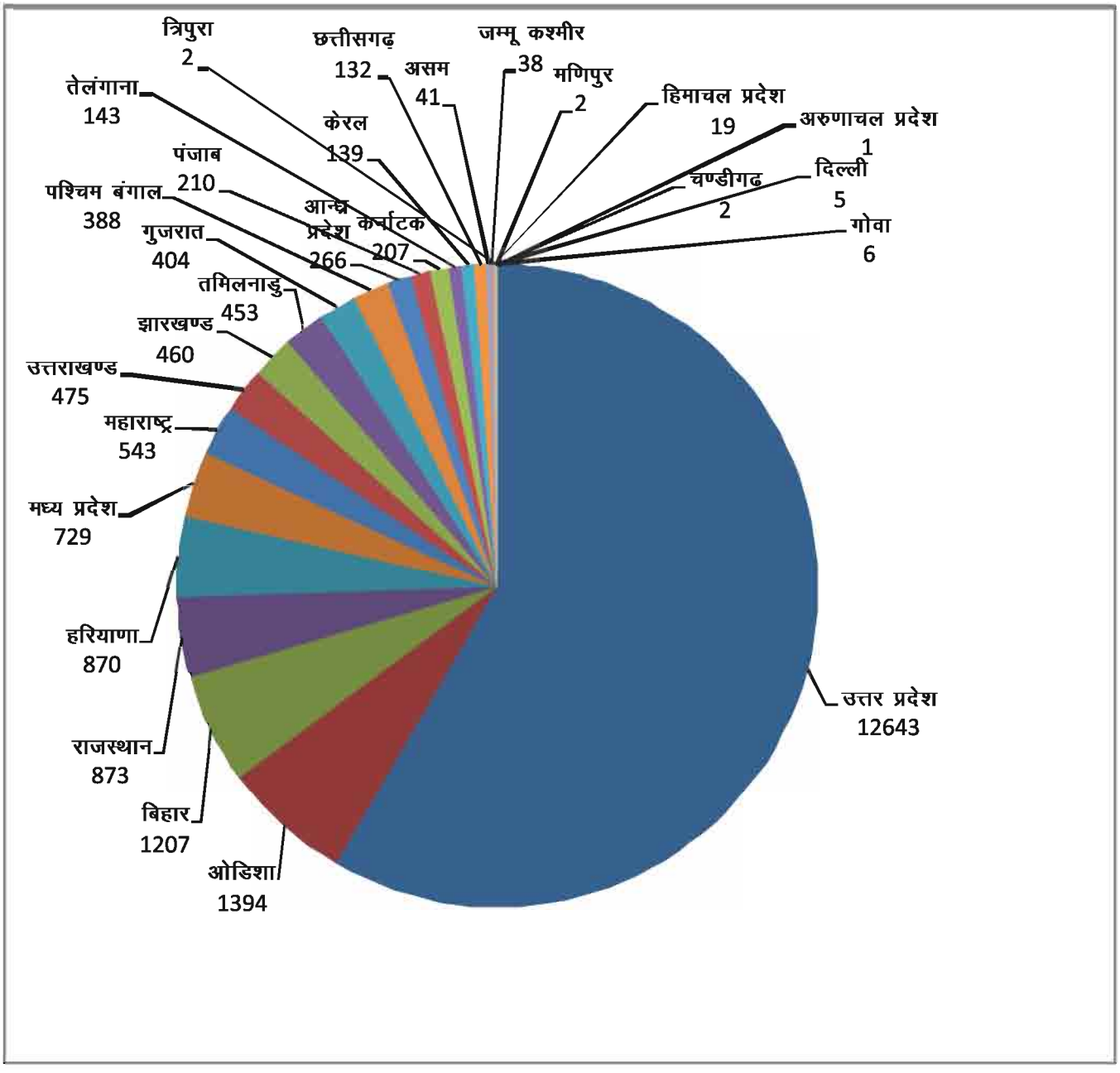

2.43 समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार से जैसे शिकायत खारिज़ करना (डी.आई.एल.) प्राधिकारियों को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश देकर, राज्य मानव अधिकार आयोगों को शिकायत हस्तांतरित करके आयोग के निदेश के अनुपालन में प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद बंद करके मामलों के निपटान का विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है:–

वर्ष 2017–2018 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

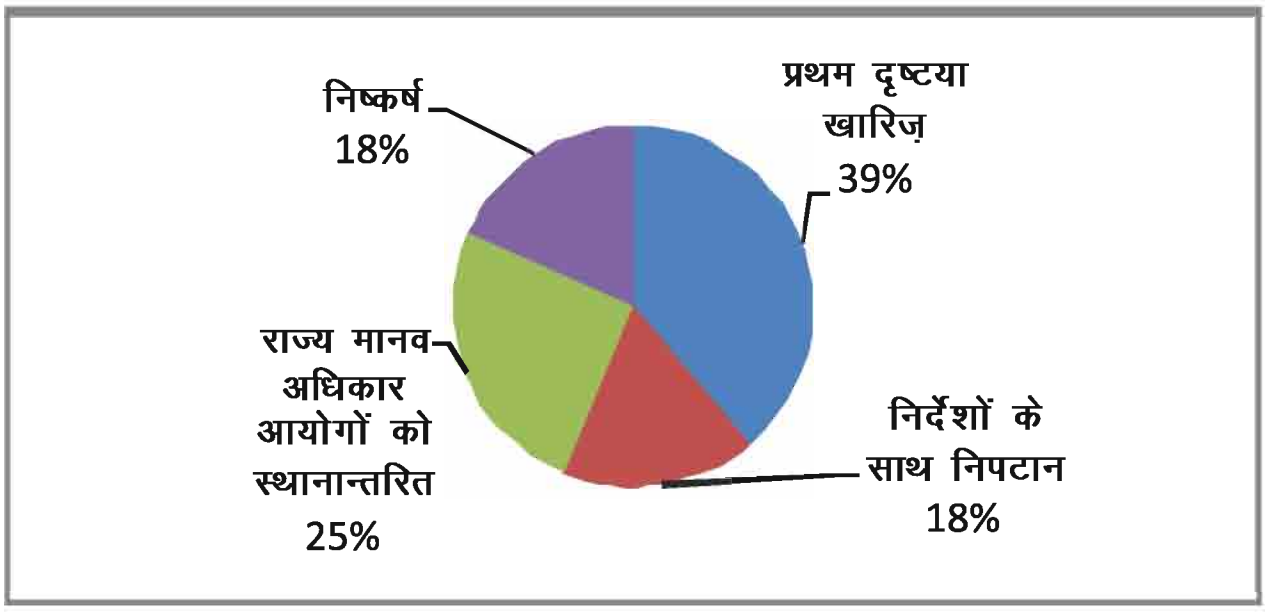

2.44 प्रतिवेदनावधि अथार्त 31 मार्च 2018 के अंत में आयोग के पास कुल 25,775 मामले लंबित थे। इनमें से 2,212 मामले प्रारंभिक विचारण के लिए प्रतीक्षित तथा 23,563 मामले या तो संबद्ध प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने अथवा आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर विचारण करने हेतु लंबित थे **(अनुलग्नक–3)**।

नागरिक और राजनीतिक अधिकार

हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

2.45 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को वर्ष 2017–18 के दौरान न्यायिक हिरासत[1] में मौत से सम्बंधित 1,636 सूचनाएं तथा पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार की 148 सूचनाएं प्राप्त हुई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अर्द्ध सैन्य बल/ रक्षा बल की हिरासत में मौत की एक सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने हिरासतीय मौत के 2,151 मामले निपटाए। इन 2,151 मामलों में से न्यायिक हिरासत में मौत के 1,945 मामले, पुलिस हिरासत में मौत के 205 मामले तथा अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत के एक मामले का निपटान किया गया। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल है। विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए ग्राफ देखें :–

1. वार्षिक रिपोर्ट में, न्यायिक हिरासत से तात्पर्य न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बंद व्यक्तियों से है।

वर्ष 2017–2018 के दौरान दर्ज एवं निपटाए गए हिरासतीय मौत/बलात्कार की घटनाओं की संख्या

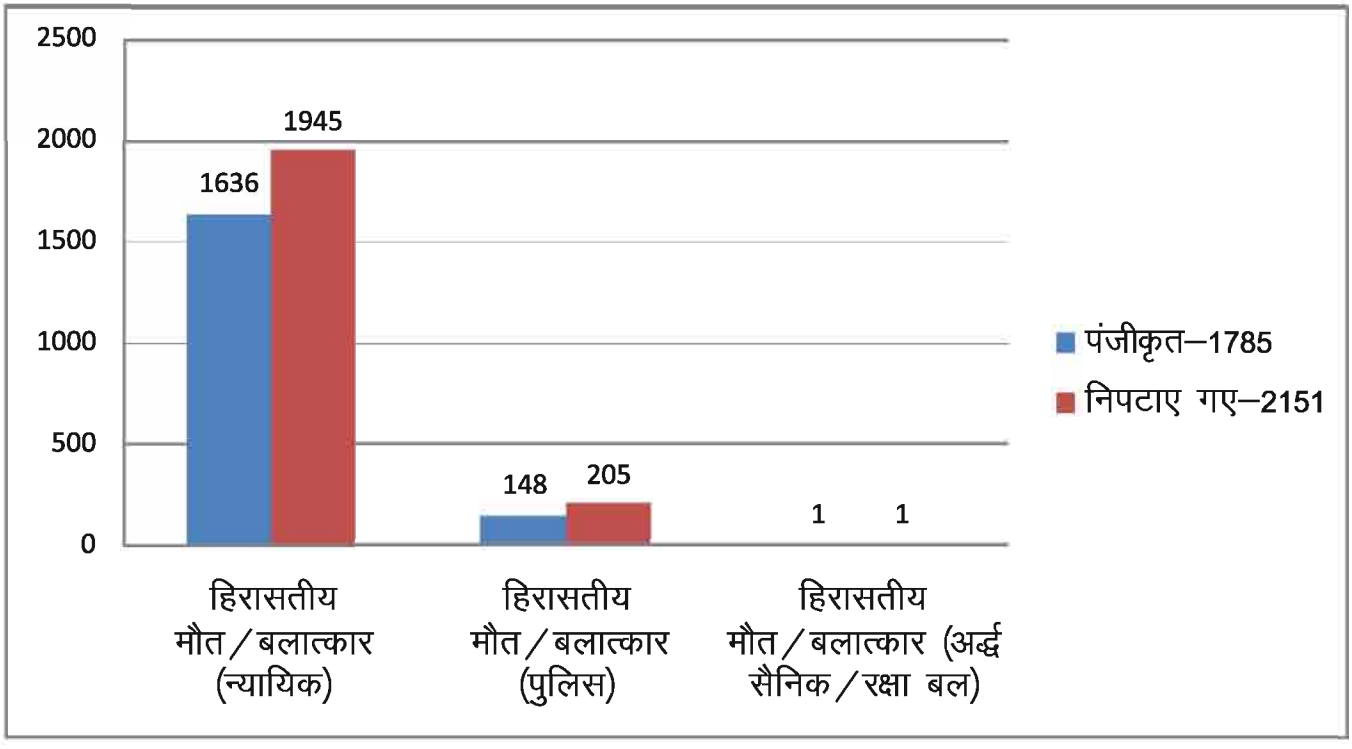

आर्थिक राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें एवं उसका अनुपालन

2.46 समीक्षाधीन अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान आयोग ने 757 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकट सम्बन्धी को आर्थिक राहत/ मुआवजे के भुगतान के रूप में ₹ 22,69,80,000/– की सिफारिश की। इन 757 मामलों में से जितने मामलों में आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई थी, उनमें से केवल 151 मामलों में ही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जबकि कुल ₹ 5,67,75,000/– की राशि का भुगतान पीड़ितों/मृतकों के निकट सम्बन्धी को किया गया। इन मामलों का राज्य व संघ क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक–4** पर दिया गया है।

2.47 दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ऐसे 606 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए जिनमें ₹ 17,02,05,000/– की आर्थिक राहत की अनुशंसा की गई थी (मामलों का विवरण **अनुलग्नक–5** में दिया गया है)। आर्थिक राहत के सम्बन्ध में की गई सिफारिश के अलावा आयोग ने 38 मामलों में दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई तथा 02 मामलों में दोषी लोकसेवकों के अभियोजन की अनुशंसा भी की। आयोग ने एक बार फिर उन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उनके यहाँ लंबित पड़े मामलों पर अनुपालन से सम्बंधित त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश की ताकि प्रत्येक मामले में पीड़ितों/निकतम सम्बन्धी को संस्तुति आर्थिक राहत तत्काल प्रदान की जा सके।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा आर्थिक राहत हेतु की गई सिफारिशें जिनका अनुपालन लंबित है, का राज्यवार विवरण (31.03.2018 तक)

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	मामलों की संख्या
1)	उत्तरप्रदेश सरकार	212
2)	ओडिशा सरकार	49
3)	बिहार सरकार	40
4)	राजस्थान सरकार	37
5)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	34
6)	महाराष्ट्र सरकार	25
7)	झारखण्ड सरकार	24
8)	हरियाणा सरकार	22
9)	पश्चिम बंगाल सरकार	21
10)	मध्य प्रदेश सरकार	20
11)	आंध्र प्रदेश सरकार	17
12)	तेलंगाना सरकार	14
13)	पंजाब सरकार	13
14)	गुजरात सरकार	13
15)	मणिपुर सरकार	13
16)	छत्तीसगढ़ सरकार	11
17)	तमिलनाडु सरकार	9
18)	असम सरकार	6
19)	कर्नाटक सरकार	5
20)	अरुणांचल प्रदेश सरकार	3
21)	केरल सरकार	3
22)	मेघालय सरकार	3
23)	उत्तराखंड सरकार	3
24)	हिमाचल प्रदेश सरकार	2
25)	नागालैंड सरकार	2
26)	त्रिपुरा सरकार	2
27)	जम्मू कश्मीर सरकार	1
28)	मिजोरम सरकार	1
29)	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार का प्रशासन	1
	कुल	**606**

2.48 पिछले वर्षों से सम्बंधित मामलों की अनुपालन रिपोर्टों के सम्बन्ध में 274 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है। विवरण के लिए **अनुलग्नक 6 एवं 7** देखें।

2.49 **अनुलग्नक–6** आर्थिक राहत के भुगतान के संबंध में वर्ष 2016–2017 के लिए लंबित अनुपालन के 172 मामलों का विवरण दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है कि इस सूची में भी उत्तर प्रदेश राज्य एक बार फिर सबसे ऊपर है, क्योंकि आयोग को आज की तारीख तक 50 मामलों, जिनमें से अधिकांश नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, में भुगतान का प्रमाण नहीं मिला है। अन्य राज्य, जो अभी तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट को अग्रेषित नहीं कर पाए हैं वे इस प्रकार हैं– महाराष्ट्र 19, ओडिशा 18, झारखंड 13, राजस्थान 12, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 09, बिहार 09, मध्य प्रदेश 07, आंध्र प्रदेश 05, पश्चिम बंगाल 04, असम 04, गुजरात 04, केरल 04, तमिलनाडु 04, मणिपुर 03, पंजाब 03, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 01 रिपोर्ट। इन मामलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में अनियमितताओं/दुराचारों अपहरण, बलात्कार, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महिलाओं का अपहरण/बलात्कार और पेंशन का भुगतान न किये जाने से सम्बंधित है। इन मामलों का विवरण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है। आयोग एक बार फिर उपरोक्त सभी राज्य सरकारों का आह्वान करता है कि वे आयोग को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए तत्काल कदम उठाएं साथ ही हिंसा की घटनाओं को रोकने तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाली महिलाओं सहित महिलाओं के प्रति भेद–भाव को रोकने के लिए विशेष उपाय करने सहित नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की रक्षा एवं उसकी बहाली के लिए व्यापक कदम उठाएं।

2.50 **अनुलग्नक–7** में वर्ष 2000–01 से 2015–2016 की अवधि के लिए आयोग द्वारा आर्थिक सहायता के भुगतान, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों पर लंबित अनुपालन के 102 मामलों का विवरण दिया गया है। निर्दिष्ट अनुलग्नक में उद्धृत 101 मामलों में से 5 मामलों में संबंधित राज्य सरकारों ने अपने–अपने उच्च न्यायालायों में आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी है तथा इनमें से अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। ये राज्य हैं– जम्मू एवं कश्मीर (2), ओडिशा (1) एवं रेलवे मंत्रालय (2) (अनुलग्नक–7 की क्रम संख्या 48, 49, 50, 56 एवं 71)। आयोग इन सभी राज्य सरकारों से अपील करता है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसके अतिरिक्त, आयोग को यह विश्वास है कि अनुलग्नक–7 में सूचीबद्ध अन्य राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करेंगे तथा पीड़ितों एवं उनके निकट संबंधी को तत्काल राहत प्रदान करेंगे।

अन्वेषण प्रभाग द्वारा जांच किये गए मामले

2.51 दिनांक 01–04–2017 से 31–03–2018 की अवधि के दौरान अन्वेषण प्रभाग ने कुल 5,371 मामले निपटाए जिनमें न्यायिक हिरासत में मौत के 2,896, पुलिस हिरासत में मौत के 250, तथा तथ्य अन्वेषण के 2225 मामले शामिल है। प्रभाग ने पुलिस मुठभेड़ में मौत के 277 मामलों का भी निपटान किया।

अन्वेषण प्रभाग द्वारा जांच किये गए मामले

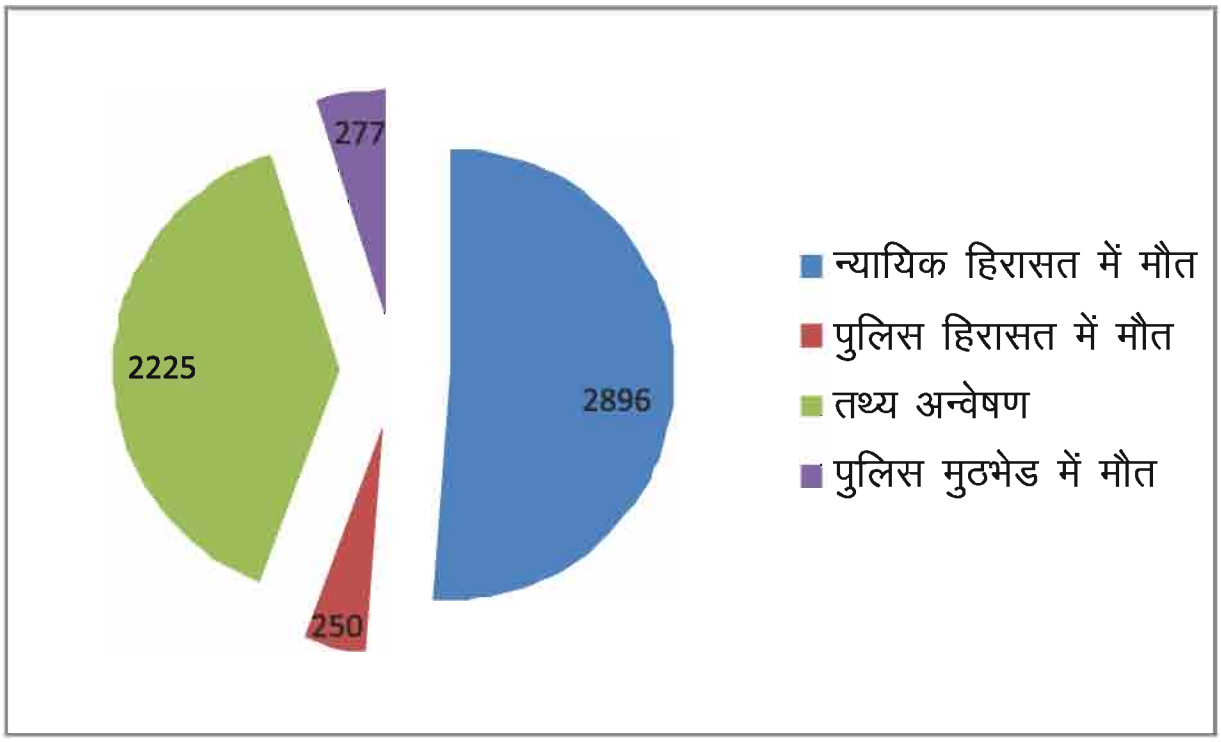

मौके पर जांच

2.52 दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान अन्वेषण प्रभाग ने सिविल, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन संबंधी 63 मामलों के बारे में मौके पर जांच की। यह मामले हिरासत में हुई मौतों/बलात्कारों; पुलिसकार्मिकों द्वारा यौन शोषण; हिरासतीय प्रताड़ना; झूठे मामले में फंसाना; गैर–कानूनी रूप से गिरफ्तार करना; बंधुआ एवं बाल श्रम; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों पर अत्याचार; कारवासों तथा बच्चों के सुधार गृहों की अमानवीय परिस्थितियों आदि से संबंधित थे।

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

सिलिकोसिस

2.53 आयोग सिलकोसिस विषय पर संसद में विशेष रिपोर्ट सहित क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, सम्मेलनों, अनुशंसाओं की श्रृंखला के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। सिलिकोसिस के मुद्दे से निपटने के लिए आयोग ने दोतरफा दृष्टिकोण अपनाया था। एक तरफ, आयोग ने प्राप्त की गई व्यक्तिगत शिकायत पर मुआवजा देने की

सिफारिशें की हैं और दूसरी तरफ, इस व्यावसायिक खतरे से निपटने के लिए विभिन्न विधानों, नीति और निगरानी तंत्रों की सिफारिश और समीक्षा की है। आयोग ने सिलिकोसिस पर विशेषज्ञों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया, जो 23 जनवरी, 7 फरवरी और 6 अप्रैल 2017 को आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रभावित श्रमिक और उनके परिवार के सदस्यों के सिलिकोसिस की समस्या को कम करने के लिए निवारक, उपचारात्मक, प्रतिपूरक और पुनर्वास उपायों के संबंध में ठोस सुझाव दिए गए थे। तत्पश्चात सुझावों को सिफारिशों के रूप में एक मसौदा तैयार किया गया। आयोग ने 2006 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 110 (पीपुल्स राइट्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दायर किया गया है, जिसमें सिलिकोसिस के निवारक, उपचारात्मक, पुनर्मूल्यांकन और मुआवजे के पहलुओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।

गैर सरकारी संगठनों का मुख्य समूह

2.54 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (झ) के अनुपालन में आयोग अपने स्थापना काल से ही मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। आयोग मानव अधिकारों की जागरुकता के क्षेत्र में इसके द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रोजेक्टों में प्रशिक्षित गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग एवं साझेदारी करता आ रहा है। चूंकि मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में मानव अधिकार की जागरुकता एक महत्त्वपूर्ण पहलू है अतः गैर सरकारी संगठनों के साथ चर्चा को बढ़ाने के बेहतर अवसर हैं। गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ अपनी चर्चा को बढ़ाने की दिशा में आयोग ने 17 जुलाई, 2001 को गैर सरकारी संगठनों का एक कोर समूह गठित किया। इस समूह को अन्तिम बार 16 सितम्बर, 2011 को 11 सदस्यों सहित पुनर्गठित किया गया था। गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह के पुनर्गठन से संबंधित मामला एक बार पुनः आयोग के विचाराधीन है। ताकि देशभर में मानव अधिकारों के विभिन्न क्षेत्रों से विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों से व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

राज्य मानव अधिकार आयोग

2.55 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पी.एच.आर.ए.) के तहत किया गया। पी.एच.आर. एक्ट की धारा 21 में यह निहित है कि सभी राज्य सरकारों के पास अपना राज्य मानव अधिकार आयोग होना चाहिए। राज्यों में मानव अधिकार आयोग की उपस्थिति एवं कार्यप्रणाली देश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मानव अधिकार की रक्षा में दूरगामी स्तर तक प्रभावी रहेगा। आयोग उन राज्य सरकारों को राज्य आयोगों के गठन का आग्रह कर रहा है जहां पर अभी तक राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन नहीं किया गया है ताकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 तथा पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके।

2.56 आयोग राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ समन्वय एवं साझेदारी के क्षेत्र तलाशने एवं उन्हें सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से चर्चा करने की पहल करता रहा है।

2.57 राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 26 राज्यों ने राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन किया है ये राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (संयुक्त एस.एच.आर.सी.), असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, गोवा, पश्चिम बंगाल एवं मेघालय।

2.58 आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों के सुलभ कार्य निष्पादन हेतु शिकायत निपटान की स्ट्रीमलाइनिंग सहित बुनियादी संरचना, न्यूनतम जनशक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताओं जैसे चिंतनीय मुद्दों के निपटान हेतु भारत सरकार से गुहार लगाई है। इसके उत्तर में, भारत सरकार ने एन.एच.आर.सी. से निवेदन कर प्रत्येक एस.एच.आर.सी. के संबंध में पजीकृत शिकायतों, निपटान, लम्बित शिकायतों, विभाग–आधार पर जनशक्ति, वित्तीय आवंटन, अनुभव की गई कमियों के प्रकार एवं इसकी वृद्धि के स्पष्टीकरण के संबंध में विवरण अग्रेषित करने का निवेदन किया है। एन.एच.आर.सी. ने राज्य मानव अधिकार आयोगों से प्राप्त विवरण को दिनांक 23 मार्च, 2015 को भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया। भारत सरकार से आगे का उत्तर प्रतीक्षित है।

2.59 आयोग ने 17 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में राज्य मानव अधिकार आयोगों का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष/ कार्यवाहक अध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा अधिकारीगण के साथ–साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

2.60 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन करने के पीछे भारत के विधि निर्माताओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भारत के लागों के अनुलंघनीय अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना था। आयोग को दी गई शक्तियों का विवरण मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं राज्य मानव अधिकार आयोग नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की एक व्यापक श्रृंखला के संबंध में कार्य करते हैं। आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग बैठक हेतु एजेंडा तैयार किया जिसमें दोनों के ही चिंता के विभिन्न विषयों को व्यापक रूप से शामिल किया गया इनमें पी.एच.आर. अधिनियम में यथोचित संशोधन से संबंधित मामले शामिल थे जिनके संबंध में इन आयोगों को अधिक शक्ति के साथ–साथ अधिक प्रभावी कार्य करने के लिए अधिक वित्तीय एवं कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जा सके। बैठक का एक अन्य उद्देश्य मानव अधिकार समर्थकों, प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकारों के संवर्द्धन संबंधी महत्त्वपूर्ण चिंताओं पर विचार–विमर्श करने के साथ–साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ बेहतर कार्यों को साझा करने में विशेष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने के क्षेत्र में परस्पर साझेदारी करना था।

2.61 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी ने कहा कि 'सार्वभौमिकता' मानव अधिकारों की आधारशिला है। यह सिद्धांत पहली बार 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जोड़ दिया गया था तथा 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंगीकरण के माध्यम से दोहराया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना भी सभी मनुष्यों की जीवन में अंतर्निहित गरिमा के सिद्धांत पर आधारित है। न्यायमूर्ति भंडारी ने कहा कि मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोगों की भूमिका की वे इसलिए भी सराहना करते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना काल से ही उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी भी नज़र आती है। न्यायमूर्ति भंडारी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इन आयोगों को, विशेषरूप से अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोगों को सक्षम बनाने हेतु अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

स्वच्छ भारत अभियान

2.62 आयोग ने स्वच्छ भारत अभियान के विचार को लागू किया और पुराने रिकॉर्ड के निपटान हेतु विशेष मुहिम का आयोजन किया। आयोग के कार्यालय भवन, मानव अधिकार भवन में और उसके आसपास विशेष सफाई अभियान का भी आयोजन किया।

2.63 वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन किया गया है:–

क्र.सं.	कार्यक्रम / योजनायें / गतिविधियाँ
1.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वेबसाइट और मानव अधिकार भवन के कार्यालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार, निकास द्वार, केंद्रीय प्रांगण क्षेत्रों में बैनरों का प्रदर्शन।
2.	13.12.2017 को स्वच्छता प्रतिज्ञा दिलाई गई है।
3.	28.09.2017 और 13.12.2017 को जीपीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर से कार्यालय परिसर की सफाई के लिए विशेष अभियान का आयोजन।
4.	29.09.2017 और 14.12.2017 को एम्स के मुख्य द्वार के सामने सफाई के लिए विशेष अभियान का आयोजन।
5.	26.09.2017 और 12.12.2017 को आयोग के सभी प्रभागीय प्रमुखों को जारी किये गए परिपत्रों के माध्यम से अपने संबंधित प्रभागों में पुराने रिकॉर्डों की सफाई / निपटान के लिए विशेष अभियान आयोजित करने का अनुरोध किया गया।
6.	विशेष मुहिम के लिए हाउस कीपिंग / शौचालय की वस्तुओं की खरीद।

सुशासन, विकास एवं मानव अधिकारों पर क्षेत्रीय कार्यशाला

2.64 आयोग न केवल मानव अधिकारों बल्कि सुशासन को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्देश्य मानव अधिकारों की जागरूकता और सुशासन की प्राप्ति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना है।

क्र.सं.	राज्य	कार्यशाला की तिथि
1	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के साथ भाग लेने वाले राज्यों हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर	28–29 अप्रैल, 2017

सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

2.65 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 21–22 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में सुशासन, विकास और मानव अधिकारों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री एच. एल. दत्तू ने किया। 21 सितंबर 2017 को उद्घाटन सत्र के दौरान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे और 22 सितंबर 2017 को कानून और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने समापन भाषण प्रस्तुत किया। इस संगोष्ठी की परिणति तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिलांग (मेघालय), दक्षिणी क्षेत्र में बैंगलोर (कर्नाटक) और उत्तरी क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र चड़ीगढ़ (पंजाब) में हुई।

2.66 इस संगोष्ठी के प्रतिभागियों में केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोगों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित बंधुआ मजदूरों के मुख्य समूह के विशेष प्रतिवेदकों और सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों, अनुसंधानविदों ने भाग लिया।

2.67 इस संगोष्ठी का उद्देश्य मानव अधिकारों और विकास के संबंध में सुशासन के महत्त्व के बारे में सभी हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ाना था। इस संगोष्ठी ने राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, विकास अंतराल की पहचान करने और कैसे इन अंतरालों को जमीनी स्तर पर समाप्त करने हेतु न्याय, नीति, नियम और नियत पर केंद्रित एक मंच प्रदान किया है। सम्मेलन में प्राप्त सिफारिशें नीचे प्रस्तुत की गई हैं:–

1. **राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और अपनाना** : सभी राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को राज्य पोर्टल पर साझा और अपलोड किया जाना चाहिए ताकि अन्य राज्य इन कार्यों को पुनः करने के बजाय इनका अनुसरण कर सकें एवं सभी राज्य एक दूसरे से सीख पाएं।

2. **अधिकतम शासन एवं न्यूनतम सरकार:** लोगों को सशक्त करने में न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का सक्रिय निवेश एक बानगी है। इसमें प्रक्रियाओं का सरलीकरण, अप्रचलित कानूनों की पहचान और निरसन, विभिन्न अनुप्रयोगों की पहचान और रिपोर्टिंग फॉर्म जैसे घर के पंजीकरण, बैंक खातों को खोलना इत्यादि को छोटा करना और सार्वजनिक इंटरफ़ेस में पारदर्शिता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और एक मजबूत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली लगाना इत्यादि शामिल है।

3. **सुशासन संबंधी पहल एवं मानव अधिकारों के संवर्द्धन हेतु सामंजस्य तकनीकी का प्रयोग:** लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सुशासन की पहल के रूप में प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना

चाहिए। उदाहरण के लिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग नौकरी के अवसरों, कौशल विकास और अच्छी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा सकता है। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा नागरिक सेवाओं, सुरक्षा और प्रभावी वितरण प्रणाली और एफ.डी.आई. आवेदनों की ई–फाईलिंग में जी.आई.एस. प्रौद्योगिकी का उपयोग।

4. **स्वच्छ भारत अभियानः** स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है जिसे आत्मनिरीक्षण और 'हमारे और हमारे आसपास' की संस्कृति का निर्माण कर हासिल किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े फेकना अपराध के रूप में निर्धारित किया जाये और प्रत्येक विद्यालय में 'शून्यकाल' की व्यवस्था हो और संस्थानों में स्वच्छता हो। नियमित अंतराल पर अच्छे सफाई कर्मचारी को प्रोत्साहन और सम्मान दें। हमें सभी हितधारकों के एकीकृत प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और बड़े शहरों के परिवेश को स्वच्छ करने की आवश्यकता है।

5. **सुशासन एक अपवाद नहीं बल्कि यह एक नियम कानून होना चाहिएः** मीडिया का उपयोग करते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और जमीनी स्तर पर प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रणाली को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

6. **सेवा वितरण के लिए बेंचमार्कः** सेवा वितरण प्राणाली के सभी विभागों में बेंचमार्किंग को समयबद्ध तरीके से स्थापित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा सेवा वितरण सेवाओं का सेवा से बाहर अनुबंध और प्रदर्शन–आधारित दृष्टिकोणों के अनुभव की एक द्विसमीक्षा के माध्यम से होगा। राज्य सभी सेवाओं और विभागों के लिए इष्टतम "बेंचमार्क" निर्धारित कर सकता है और उन्हें समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकता है।

7. **सुशासन पहल की जागरूकता बढ़ाने में गैर–सरकारी संगठनों सहित मीडिया और सिविल सोसाइटी की भूमिकाः** मीडिया को हमारे शासन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने और एक निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत कर एक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया का उपयोग सार्वजनिक कार्यों की निगरानी और जनता से फीडबैक लेने के लिए भी किया जा सकता है। विकास परियोजनाओं के डिजाइन में गैर सरकारी संगठनों को सरकार के साथ भागीदार बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार, सभी हितधारकों को सुशासन, विकास और मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समन्वित तरीके से कार्य करना चाहिए।

8. **सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निवारणः** सेवा वितरण मॉड्यूल 'एकल वितरण प्रणाली' और शिकायतों के त्वरित निवारण पर आधारित होना चाहिए। लोक सेवकों को इस विषय पर सरकारी नियमों के अनुसार बकाएदारों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई सहित शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

9. **भ्रष्टाचार का मुकाबला:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आर.टी.आई. अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन, डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, काले धन से मुक्ति के लिए विमुद्रीकरण और विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) का गठन, इत्यादि भ्रष्टाचार को रोकने के कुछ ऐसे कदम है जो भ्रष्ट्राचार से लड़ने एवं समग्र विकास की सुविधा के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता को बढ़ावा देने में अत्यधिक सहायक होगा।

10. **स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे में सुधार:** समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त बजट आवंटन, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। टेली–परामर्श के साथ 'डिजिटल डॉक्टर' की सुविधा दी जानी चाहिए।। वरिष्ठ नागरिकों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं और जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रावधान होना चाहिए जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख हैं।

11. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता:** शिक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की गुणवत्ता और मानव अधिकारों की संस्कृति का निर्माण शामिल है। स्कूली छात्रों के लिए संरचित मानदंडों हेतु एप्स बनाने/ सक्षम करने के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी संचालित पहलों को विकसित करने की भी आवश्यकता है, जो आई.सी.डी.एस. के तहत मध्याह्न भोजन योजना में कमी का पता लगाने/रोकने में सहायता कर सके।

12. **अनुसंधान प्रोत्साहित करने और डेटा बेसलाइन का निर्माण :** आर्थिक, जलवायु और जनसंख्या परिवर्तनों के प्रभाव को रोकने या कम करने के तरीके खोजने के लिए एक नवीन शोध की आवश्यकता है। 93 प्रतिशत से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और वे एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। ऐसे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जाता है और उनकी भेद्यता के कारण उनका शोषण किया जाता है। प्राप्तकर्ता राज्य को पंजीकृत होना चाहिए; एक ऑनलाइन पोर्टल पर संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे प्रवासी कामगारों का डेटा तैयार कर रखा जाना चाहिए, जिन्हें राज्य द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए।

13. **राज्य, जिला और उप–जिला स्तर पर प्रभावी सतर्कता समिति का निर्माण: समाज में बंधुआ और बाल श्रमिकों की पहचान, बचाव, रिहाई, पुनर्वास और पुन:** आवासन के लिए राज्य, जिला और तहसील स्तरों पर प्रभावी सतर्कता समितियाँ होनी चाहिए। सतर्कता समितियां पूरी तरह कार्यात्मक होनी चाहिए और सभी सदस्यों के फोन नंबर के साथ संपर्क विवरण, ई–मेल विवरण इत्यादि राज्य वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।

14. **लैंगिक संवेदनशीलता में वृद्धि:** लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हमारी मानसिकता और महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नियमित अंतराल में संवेदीकरण अभियानों, प्रशिक्षण, कार्यशाला, कार्यक्रमों आदि के माध्यम से लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

15. **स्वचालन और कम्प्यूटरीकरणः** ई–गवर्नेंस के लिए नीतिगत पहल को केंद्र, राज्य और जिला स्तर के प्रशासन को बढ़ाने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए इसके समस्त कम्प्यूटरीकरण सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) का आधुनिकीकरण सुशासन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। सभी राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण को शामिल करना चाहिए।

16. **प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में राज्य उच्च अधिकार समिति का गठनः** हर राज्य में सुशासन, विकास और मानव अधिकारों के लिए मुख्य सचिव के अधीन एक राज्य उच्च शक्ति समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें नियमित अंतराल पर, अधिमानतः तीन महीने की आवृत्ति पर, अन्य सभी सरकारी विभागों के साथ प्रगति और अनुवर्ती कार्य की समीक्षा करने के लिए मिलना चाहिए।

17. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वः** कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करते हैं कि वे कर्मचारियों को व्यावसायिक स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करते हैं और अपने व्यावसायिक कार्यों के माध्यम से उनके मानव अधिकारों को बढ़ावा देते हैं और रक्षा करते हैं एवं साथ ही कर्मचारियों के भूमि अधिकारों और श्रम अधिकारों की रक्षा करते हैं। कॉर्पोरेट को समयबद्ध व्यवस्था और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए और कार्य स्थल पर उत्पीड़न को रोकना चाहिए। सुशासन की पहल को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक क्षेत्र को सभी हितधारकों के साथ एकीकृत करना चाहिए।

18. **संस्थागत निगरानी और संतुलन का निर्माणः** संस्था के भीतर एक निगरानी और मूल्यांकन बोर्ड के निर्माण से भ्रष्टाचार के मामलों पर बड़े पैमाने में जाँच करने में सहायता मिलेगी।

19. **पुलिस की पहलः** पुलिस एक सेवा है; एक बल के रूप में पुलिस के बारे में आम धारणा को बदलने की जरूरत है। पुलिस लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है और लोगों को पुलिस के पास जाने से डरना नहीं चाहिए। संवेदीकरण कार्यक्रमों द्वारा इस दृष्टिकोण को बदला जाना चाहिए।

20. **प्रौद्योगिकी के माध्यम से यातायात का विनियमनः** परिवहन नेटवर्क पर वाहनों की आवाजाही को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी (कंप्यूटिंग, संचार और सेंसर) का उपयोग करते हुए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगाने की आवश्यकता है। कम समय–सीमा के भीतर ट्रैफ़िक नियम के उल्लंघन की पहचान में सुधार करने के लिए नंबर प्लेटों का स्वचालन, स्वचालित नंबर प्लेट मान्यता (एएनपीआर) प्रणाली का उपयोग, निगरानी कर्मियों की संख्या में वृद्धि के बिना भी होना चाहिए। यह प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं की संख्या की जाँच करेगा और इसे कम करेगा।

21. **स्वच्छता और सफाईः** सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और हरित उत्पादों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो लागत प्रभावी हैं, कचरे का पुनर्चक्रण हेतु कचरा गड्ढे, बायोगैस संयंत्र और भारी निपटान संयंत्र सीपित करें। दोषियों के लिए मौजूदा कानूनों और विनियमों को जुर्माना एवं दंड लगाकर और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए।

22. **सोशल ऑडिटः** सोशल ऑडिट सटीक दस्तावेजों की पहचान करने, विकासात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता देने, निधियों के समुचित उपयोग की जांच करने में मदद करता है, और घोषित लक्ष्यों के साथ विकास गतिविधि की पुष्टि करता है और सुशासन के लिए आवश्यक सेवा की गुणवत्ता की गारंटी देता है। इस प्रकार, इसे जिला स्तर पर उपलब्ध कराने से शासन अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो जाएगा।

23. **समय–सीमा और मानकीकृत प्रक्रियाएं तय करना :** एक अपेक्षित सुधार केवल तभी होगा जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सामूहिक रूप से सुशासन को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेंगे, जो सुशासन की पहल के समयबद्ध कार्यान्वयन और आम आदमी की शिकायतों को समयसीमा में और मानकीकृत प्रक्रियाओं का समय पर निपटान में सक्षम बनाता है।

2.68 संगोष्ठी के दौरान की गई सिफ़ारिशों पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

व्यापार और मानव अधिकारों पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन

2.69 आयोग ने व्यवसाय द्वारा मानव अधिकारों के सिद्धांतों के स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग संघों/ संगठनों के साथ कई बैठकों का आयोजन किया। यह अंततः स्व–मूल्यांकन उपकरण के विकास के साथ इसका समापन स्वैच्छिक आधार पर उद्योग द्वारा किया जाना था। स्व–मूल्यांकन उपकरण संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत, व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों से सम्बंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश, और मानव अधिकारों पर कॉर्पोरेट के प्रभाव का आकलन करने के लिए उपलब्ध अन्य मौजूदा दिशानिर्देशों पर आधारित है।

2.70 इसके बाद आयोग ने 17 जनवरी, 2017 को चेन्नई में व्यवसाय और मानव अधिकार पर दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन, 22 फरवरी, 2017 को मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन और तीसरे में पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन, 2 जून, 2017 को कोलकाता में तीन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। सम्मेलनों ने विभिन्न अंशधारकों के अनुभवों/ विचारों को सुनने के अलावा व्यापार और मानव अधिकारों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

2.71 एन.एच.आर.सी. भारत ने 12 जनवरी, 2018 को व्यवसाय और मानव अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन ने व्यापार और मानव अधिकारों पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। सम्मेलनों में व्यवसाय और मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ राज्य सरकारों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, सीईओ और विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों/उद्योगों/महासंघों, सार्वजनिक उपक्रमों और सिविल सोसाइटी संगठनों के अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला

राष्ट्रीय

2.72 वर्ष 2017–18 के दौरान, आयोग ने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 147 संस्थानों के 171 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्वीकृति दी। इनमें से, 90 संस्थानों/ कॉलेजों/ पी.टी.आई./ ए.टी.आई./ एन.जी.ओ. द्वारा 96 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के लिए अनुमोदित 06 संस्थानों के 07 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 2017–18 के दौरान आयोजित किए गए, इस प्रकार 96 संस्थानों द्वारा 103 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आयोजित किए गए कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 9669 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय

2.73 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एन.एच.आर.आई.) जो सामान्यतः पेरिस सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय संस्थानों के स्तर से संबंधित सिद्धांतों के अनुरूप हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के संवर्द्धन एवं मॉनिटरिंग के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, संधि मॉनिटरिंग निकाय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार तंत्र के माध्यम से प्रत्येक राज्य को पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में स्वतंत्र एन.एच.आर.आई. के प्रभावी एवं स्वतंत्र गठन को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ जहां पर भी यह विद्यमान है उन्हें सुदृढ़ किया जाता है। एन.एच.आर.आई. विभिन्न घटकों के साथ समन्वय को प्रोत्साहित करता है जिनमें संयुक्त राष्ट्र खासतौर पर मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय के अलावा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थानों (गनहरी) की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच महत्त्वपूर्ण है।

2.74 समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, जो गनहरी का सदस्य तथा ए.पी.एफ. का संस्थापक सदस्य है, ने आयोग में अनेक बैठकों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा विदेशी प्रतिनिधिमण्डल के साथ विचार–विमर्श किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (गनहरी) के वैश्विक गठबंधन के साथ समन्वय

2.75 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति को गनहरी नाम दिया गया है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के निकाय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य हेतु गठित किया गया है। यह इस भूमिका का निर्वाह संयुक्त गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित कर तथा इन मानव अधिकार संस्थानों के बीच समन्वय करके, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय तथा जहां अपेक्षित हो राष्ट्रीय संस्थानों के गठन हेतु सरकारों को सहायता देने के माध्यम से करता है। यह

राष्ट्रीय संस्थानों के गठन एवं सुदृढ़िकरण हेतु कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि ये पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हैं। कुल मिलाकर इसकी सभी गतिविधियां तथा इसके अधिकार क्षेत्र, समिति, कार्यकारी समूह आदि में गनहरी लिंग समानता सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत गनहरी का 'ए' स्टेटस मान्यता प्राप्त सदस्य है जिसको पूर्व में 1999 में मान्यता दी गई थी तथा 2006, 2011 में और उसके बाद भी मान्यता मिलती रही है।

2.76 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की प्रत्यायन (एस.सी.ए.) पर उप–समिति ने 2017 में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 'ए' दर्जा प्रदान किया, जो कि आयोग द्वारा देश के भीतर मानव अधिकारों के संरक्षण और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किये गए महत्त्वपूर्ण कार्य की स्वीकृति के रूप में है।

गनहरी की वार्षिक बैठक

2.77 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, वर्ष 2003 तथा 2007 से 2011 में गनहरी ब्यूरो का सदस्य था। दिनांक 21.03.2016 से 23.03.2016 तक जिनेवा में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की 29वीं वार्षिक बैठक के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू ने की जिसमें महासचिव एवं संयुक्त सचिव भी उपस्थित थे। महासभा में भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र से गनहरी के एक ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया। इस प्रकार, चार वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत एक बार पुनः गनहरी ब्यूरो का सदस्य बन गया जिसमें वर्ष 2016 में आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू को चुना गया। प्रारम्भिक पूर्ण अधिवेशन में न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 'व्यवसाय एवं मानव अधिकार' विषय पर उद्‌बोधन दिया।

2.78 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के प्रतिनिधिमंडल जिसमें न्यायमूर्ति श्री पी.सी. घोष और श्री अंबुज शर्मा, महासचिव, एन.एच.आर.सी. थे, ने सैन जोस, कोस्टारिका में 1–3 नवंबर, 2017 तक गनहरी ब्यूरो की बैठक में भाग लिया।

2.79 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के प्रतिनिधिमंडल जिसमें न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू, अध्यक्ष, श्री पी. सी. घोष, सदस्य, श्री अंबुज शर्मा, महासचिव, एन.एच.आर.सी. थे, ने 19 से 23 फरवरी, 2018 तक विभिन्न बैठकों अर्थात गनहरी ब्यूरो की बैठक और गनहरी सामान्य सभा की बैठक, ए.पी.एफ. फोरम की काउंसलर बैठक और एन.एच.आर.आई. के राष्ट्रमंडल मंच का वार्षिक बैठक (सी.एफ.एन.एच.आर.आई.) में शामिल हुए।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भागीदारी

2.80 श्री डी.एम. त्रिपाठी, अवर सचिव (सा.अ./स्था.) ने ए.पी.एफ. और यू.एन.डी.पी. के बीच सहयोग से एल. जी.बी.टी.आई. समुदायों के साथ काम करने और उनके मानव अधिकारों के लिए बेहतर समर्थन करने के क्षेत्र में

एन.एच.आर.आई. की क्षमता को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यक्रम में भाग लिया– ए.पी.एफ. द्वारा योगकर्ता सिद्धांत विषय पर एक दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया : 25–26 अप्रैल, 2017 से, बैंकाक, थाईलैंड में ए.पी.एफ. द्वारा "हमने क्या सीखा है और अब कहां है?" आयोजित किया गया।

2.81 श्री बी.एस. नागर, अवर सचिव (समन्वय) ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार तंत्र जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 01.05.2017 से 05.05.2017 तक एन.एच.आर.आई. अवसर के प्रशिक्षण में भाग लिया।

2.82 न्यायमूर्ति श्री एच, एल. दत्तू, अध्यक्ष और डॉ. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (का. एवं प्रशा.) ने न्यूयॉर्क में 05.07.2017 से 07.07.2017 तक आयोजित किये गए बुजुर्ग कार्यकारी समूह के 8 वें सत्र में भाग लिया।

2.83 श्री अंबुज शर्मा, महासचिव ने 29.08.2017 से 30.08.2017 तक मलेशिया के मेलाका में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों नेटवर्क की बैठक में भाग लिया।

2.84 श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशि. एवं अनु.) ने 20.09.2017 से 21.09.2017 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में यू.पी.आर. पर भारत की रिपोर्ट को अपनाने पर मानव अधिकार परिषद के पूर्ण सत्र में भाग लिया।

2.85 डॉ. संजय दुबे, निदेशक (प्रशासन) ने 20.09.2017 से 22.09.2017 तक बैंकाक, थाईलैंड में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी और नवीन मॉडल और रणनीतियों पर क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

2.86 श्री यू. एन. सरकार, सहायक निदेशक (प्रकाशन) ने 21.11.2017 से 23.11.2017 तक बांग्लादेश के ढाका में ए.पी.एफ. संचार नेटवर्क सहयोग कार्यशाला में भाग लिया।

2.87 श्री अंबुज शर्मा, महासचिव ने 29.11.2017 से 30.11.2017 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किये गए 22वीं वार्षिक सामान्य सभा और द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।

2.88 श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य ने 12.12.2017 से 13.12.2017 तक ढाका, बांग्लादेश में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

2.89 श्री दुष्यंत सिंह त्यागी, पुलिस उप अधीक्षक ने 12.12.2017 से 16.12.2017 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में एन.एच.आर.आई. के फैसिलिटेटर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप के ए.पी.एफ. में भाग लिया।

आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

2.90 श्री जे. एस. दत्तन, उप उच्चायुक्त, कनाडा ने 28.04.2017 को एन.एच.आर.सी. के अध्यक्ष के साथ शिष्टाचार बैठक हेतु आयोग का दौरा किया।

2.91 एन.एच.आर.सी., बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल में सुश्री नूरुन नाहर उस्मानी, मानद सदस्य, श्री एम. डी. शोरिफ उद्दीन, निदेशक, श्री मोहम्मद गाजी सलाउद्दीन, डीडी, सुश्री सुष्मिता पाईक, सहायक निदेशक, सुश्री नईमा प्रधान, सहायक निदेशक और श्री मोहम्मद जुम्मन हुसैन सुपर (लेखा) शामिल हैं, ने 28.06.2017 से 30.06.2017 तक एन.एच.आर.सी., भारत में सीखने संबंधी दौरा किया, ताकि अधिकारियों को व्यावहारिक ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं से संपन्न किया जा सके और उनके अनुभव को बातचीत के माध्यम से मजबूत किया जा सके।

2.92 श्री ओबोथ जैकब मार्कसन, कानूनी और संसदीय मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष, युगांडा संसद के साथ पांच अन्य सदस्यों ने आयोग के कामकाज के बारे में एक अध्ययन के लिए 13.09.2017 को आयोग का दौरा किया।

2.93 सुश्री केट गिलमोर, उप उच्चायुक्त, मानव अधिकार उच्चायोग कार्यालय (ओ.एच.सी.एच.आर.), सुश्री क्रिस्टीन चुंग, मानव अधिकार अधिकारी, मानव अधिकार उच्चायोग कार्यालय (ओ.एच.सी.एच.आर.) और रीनेता नाइक, सामाजिक नीति अधिकारी, ओ/ओ संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक ने 31.10.2017 को एन.एच.आर.सी. के अध्यक्ष के साथ बैठक की।

2.94 सुश्री लीव हरनास क्वानविग, परियोजना समन्वयक, एशिया और अफ्रीका, नॉर्वेजियन ह्यूमन राइट्स फंड ने 30.11.2017 को एन.एच.आर.सी. के अध्यक्ष के साथ शिष्टाचार मुलाकात के लिए आयोग का दौरा किया।

2.95 न्यायमूर्ति श्री अनूप राज शर्मा, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी., नेपाल, सुश्री मोहना अंसारी, आयुक्त, एन.एच.आर.सी., नेपाल और श्री बेद प्रसाद बत्तराई, सचिव ने एन.एच.आर.सी., नेपाल के दो अन्य अधिकारियों के साथ 10.1.2018 को "चुनौतियों की पहचान करना, प्रगति का आकलन करना आगे बढ़ानाः दक्षिण एशिया में प्रभाव और वास्तविकता का पता लगाना– अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए काठमांडू, नेपाल के होटल याक स्थान पर 9–11 अप्रैल, 2018 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के लिए आयोग का दौरा किया।

2.96 श्री स्टीफ़न लेंजिंगर, जर्मन के राजनीतिक परामर्शदाता ने आयोग के कार्य को समझने के लिए एन.एच.आर.सी. के महासचिव के साथ शिष्टाचार मुलाकात के लिए 15.01.2018 को आयोग का दौरा किया।

अध्याय 3

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य

3.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 1993 को संसद के एक अधिनियम, नामतः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा हुआ था। इस अधिनियम को अधिनियमित करने का कारण 'मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्द्धन' था। यह एक ऐसा संस्थान है जो न्यायपालिका का अनुपूरक है और देश में लोगों के सांविधिक रूप से निहित मानव अधिकारों की रक्षा एवं संवर्द्धन में लगा हुआ है।

3.2 अधिनियम के अनुसार 'मानव अधिकार' का अर्थ है 'संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति विशेष की गरिमा संबंधी अधिकार'। "अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं" का अर्थ है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं; आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृंतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं; महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय; बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और हर प्रकार के नृजातीय भेदभाव का उन्मूंलन संबंधी अभिसमय। भारत सरकार ने वर्ष 1979 में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा को स्वीकार किया था। भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय, वर्ष 1991 में बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और वर्ष 1968 में हर प्रकार के नृजातीय भेदभाव का उन्मूमलन संबंधी अभिसमय की अभिपुष्टि की। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संविधान उन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखता है जिनका उल्लेख उपरोक्त संविदाओं में किया गया है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृंतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा में उल्लिखित कई अधिकार भारतीय नागरिकों को उसी समय उपलब्ध हो गए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था क्योंकि यह अधिकार प्रमुख रुप से संविधान के भाग III और भाग IV में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे शीर्ष के तहत दिए गए हैं।

3.3 आयोग को 'स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वायत्तता और व्यापक अधिदेश' उपलब्ध कराना निर्विवादित रूप से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की सबसे बड़ी ताकत रही है, जो कि पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के गठन और उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के संबंध में भारत की चिंता का मूर्त रूप है।

3.4 अपने अस्तित्व से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुभव ने यह दर्शाया है कि इसकी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, अन्वेषण संबंधी शक्तियां, कार्यों का व्यापक विस्तार तथा विशेषज्ञ प्रभाग एवं स्टॉफ से संबंधित स्वतंत्रता और मजबूती, सांविधिक अपेक्षताओं द्वारा गारंटीकृत हैं।

संगठन

3.5 आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मनोनीत सदस्य हैं। संविधि में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संगठन

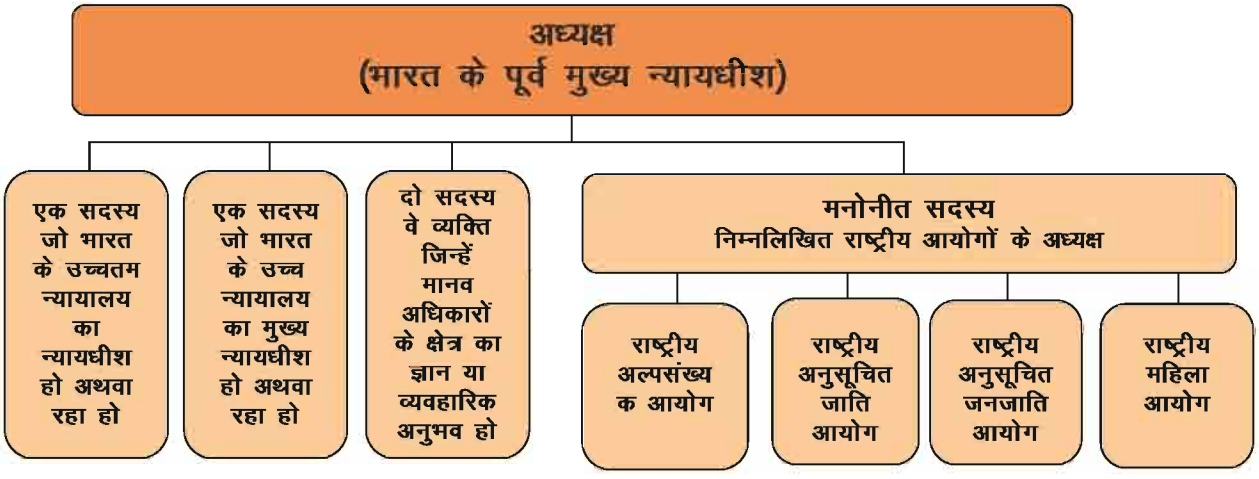

3.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उपसभापति से गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति

3.7 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हताओं से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं के साथ–साथ एक उच्च स्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति द्वारा उनके चयन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को एक उच्च स्तरीय स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

3.8 आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय, महासचिव के सम्पूर्ण दिशानिर्देशों के तहत कार्य करता है।

जांच से संबधित शक्तियां

3.9 आयोग को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अंतर्गत वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल कोर्ट किसी वाद के विचारण के समय अपनाता है, विशेष रूप से गवाहों की उपस्थिति हेतु समन करने तथा हाजिर करने तथा शपथ पर उनकी जांच करने; हलफ़नामे पर साक्ष्य प्राप्त करने; किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मांगने अथवा किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से उनकी प्रति मांगने; तथा निर्धारित किए गए किसी अन्य मामले के संबंध में। उल्लंघन के मामले में आयोग संबद्ध सरकार से उपचारी उपाय करने तथा पीड़ित अथवा मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवज़ा देने के लिए कहता है तथा लोक सेवकों को उनके दायित्व एवं बाध्यताओं की भी याद दिलाता है। मामले के अनुसार यह अभियोजन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करता है अथवा संबद्ध व्यक्ति(यों) के विरुद्ध जो भी उचित कार्यवाही हो करने का निदेश देता है।

3.10 गंभीर मामलों में स्वतः संज्ञान लेना एक ऐसी अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता जिसका यह अधिकतम उपयोग करता है, ऐसा यह समाचार–पत्रों तथा मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर करता है।

कार्यों का वृहत दायरा

3.11 आयोग का अधिदेश बहुत व्यापक हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दिए गए आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:–

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (1) मानव अधिकारों का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या (2) ऐसे अतिक्रमण के रोकने में किसी लोकसेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना। किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में, जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई आरोप शामिल है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।

- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के संवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु और इस संबंध में सरकार को सिफारिश करने हेतु वहां का दौरा करना।

- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्वलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- आतंकवाद के कारनामे सहित ऐसे कारकों की पुनरीक्षा करना जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्द्धन करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना, जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसके द्वारा आवश्यक समझा जाए।

विशेषज्ञ प्रभाग तथा स्टॉफ

3.12 आयोग के पांच प्रभाग हैं, वे हैं– (i) विधि प्रभाग, (ii) अन्वेषण प्रभाग, (iii) नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग, (iv) प्रशिक्षण प्रभाग, तथा (v) प्रशासनिक प्रभाग।

3.13 आयोग का विधि प्रभाग पीड़ित अथवा उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर अथवा हिरासतीय मृत्यु, हिरासत में बलात्कार, पुलिस कार्रवाई में मौत के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज लगभग 1 लाख मामलों का पंजीकरण तथा निपटारा करता है। प्रभाग को पुलिस/न्यायिक हिरासत में मौत, रक्षा/अर्द्ध सैनिक बलों की हिरासत में मौत के संबंध में भी सूचना प्राप्त होती है। वर्ष 2017–18 के दौरान 77589 शिकायतें आयोग में प्राप्त हुईं। आयोग में प्राप्त सभी शिकायतों को एक डायरी सं. दी जाती है तथा उसके बाद शिकायत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सी.एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर, जिसे विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, का प्रयोग करके उनकी छान–बीन की जाती है तथा प्रक्रिया शुरू की जाती है। शिकायत का पंजीकरण करने के पश्चात् उन्हें आयोग के समक्ष उसके निर्देशों के लिए रखा जाता है तथा उसके अनुसार, प्रभाग द्वारा उन मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, जब तक उनका अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता। महत्त्वपूर्ण प्रकृति के मामलों को पूर्ण आयोग द्वारा उठाया जाता है तथा पुलिस हिरासत अथवा पुलिस कार्रवाई में मौत से संबंधित मामलों पर खंड पीठों द्वारा विचार किया जाता है। कुछ मामलों पर खुली अदालती सुनवाई में आयोग की बैठकों में विचार किया जाता है। यह प्रभाग लंबित शिकायतों के निपटान में तेजी लाने तथा मानव अधिकार के मुद्दों पर राज्य प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से राज्य की राजधानियों में

शिविर बैठकों का भी आयोजन करता रहा है। आयोग देश में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के संबंध में खुली सुनवाई भी आयोजित कर रहा है ताकि अनुसूचित जातियों के प्रभावित व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क स्थापित हो सके। आयोग मानव अधिकारों की बेहतर सुरक्षा और संवर्द्धन के लिए उसे संदर्भित विभिन्न विधेयकों/ प्रारूप विधानों पर भी अपनी राय/विचार देता है। विधि प्रभाग ने "एन.एच.आर.सी. एण्ड एचआरडी" 'बढ़ता समन्वय' नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। इस प्रकाशन को समाज के विभिन्न' वर्गों से उत्साहवर्धक फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। मानव अधिकार संरक्षक जो एचआरडी से सम्पंर्क करते हैं, उनके लिए एचआरडी (i) मोबाइल न. 9810298900, (ii) फैक्स न. 24651334 तथा (iii) ई–मेलः hrd-nhrc@nic-in के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं।

3.14 इस प्रभाग का मुख्य अधिकारी रजिस्ट्रार (विधि) है, जिसकी सहायता के लिए प्रजेंटिंग अधिकारी, एक संयुक्त रजिस्ट्रार तथा कई उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालय स्टाफ होते हैं।

3.15 अन्वेषण प्रभाग का मुखिया पुलिस महानिदेशक की श्रेणी का अधिकारी होता है इसमें एक उप–महानिरीक्षक एवं तीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। प्रत्येक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अन्वेषण अधिकारियों (इसमें उप अधीक्षक एवं निरीक्षक शामिल हैं) के समूह का मुखिया है। अन्वेषण अनुभाग के कार्य बहुमुखी हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

(क) **स्थल निरीक्षणः** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से पूरे देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्थल निरीक्षण तथा उचित कार्यवाही की संस्तुति करता है। अन्वेषण अनुभाग द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण से न केवल आयोग के समक्ष सत्य प्रस्तुत होता है बल्कि इससे सभी संबंधितों–शिकायतकर्त्ताओं, लोक सेवकों आदि को एक संदेश भी जाता है। आयोग स्थल निरीक्षण का आदेश विभिन्न लोक प्राधिकारियों को भिन्न–भिन्न मामलों जैसे पुलिस द्वारा अवैध नज़रबन्दी, अतिरिक्त न्यायिक हत्या तथा अस्पतालों में सुविधाओं की कमी जिससे मौतों को रोका जा सकता हो, देता है। स्थल निरीक्षण से आम जनता के बीच विश्वास में बढ़ोतरी होती है तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता है। अन्वेषण अनुभाग मामलों के मॉनिटरिंग के अलावा मामलों में परामर्श/विश्लेषण, जहां भी किया जाए, अपनी टिप्पणी एवं सुझाव भी देता है।

(ख) **अभिरक्षा में मौतः** आयोग द्वारा राज्य प्राधिकारियों के लिए जारी दिशा–निर्देश के अनुसार अभिरक्षा (चाहे वह पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा हो) में हुई मौत के मामले में आयोग को 24 घण्टे के भीतर सूचित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा में मौत के साथ–साथ पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं तथा रिपोर्टों का विश्लेषण करता है। अन्वेषण अनुभाग इस प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करके रिपोर्टों का विश्लेषण मानव अधिकारों के उल्लंघन होने का पता लगाने के लिए करता है। अपने विश्लेषण को अधिक व्यवसायिक एवं उचित बनाने की दिशा में अन्वेषण अनुभाग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के फॉरेंसिक विशेषज्ञों के पैनल की मदद लेता है।

(ग) **तथ्य अन्वेषण मामले:** अन्वेषण अनुभाग विभिन्न प्राधिकारियों से मामले में तथ्य अन्वेषण रिपोर्ट जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित हो, की मांग करता है अन्वेषण अनुभाग आयोग को यह बताने में सहायता करने के लिए कि क्या कोई मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं इन रिपोर्टों का गहनता से विश्लेषण करता है। ऐसे मामले जहां प्राप्त रिपोर्ट भ्रामक अथवा वास्तविक नहीं है, आयोग इन पर भी स्थल निरीक्षण का आदेश देता है।

(घ) **प्रशिक्षण:** अन्वेषण अनुभाग के अधिकारी मानव अधिकार साक्षरता एवं मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जागरुकता फैलाने के लिए जहां भी उन्हें आमंत्रित किया जाता है उन प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य मंचों में व्याख्यान देते हैं।

(ङ) **रैपिड एक्शन सेल:** वर्ष 2007 से अन्वेषण अनुभाग आयोग में रैपिड एक्शन सेल बनाने के लिए प्रयासरत है। आर.ए.सी. मामलों के तहत अन्वेषण अनुभाग उन मामलों पर विचार करता है जो अतितत्काल प्रकृति के हों जैसे अगले ही दिन बाल विवाह होने की संभावना हो; शिकायतकर्त्ता को यह भय हो कि उसके रिश्तेदार अथवा दोस्त को पुलिस द्वारा उठाकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाएगा आदि। समग्र रूप से इस प्रकार के मामले अन्वेषण अनुभाग आयोग द्वारा तत्काल अनुवर्तन हेतु उठाता है। इसमें प्राधिकारियों/ शिकायतकर्त्ताओं से तथ्य प्राप्त करने शिकायतकर्त्ता को विभिन्न प्राधिकारियों का संदर्भ देने तथा त्वरित रूप से उनके जवाब भेजने के लिए कहने के लिए उनसे टेलीफोन पर व्यक्तिगत रूप से बात करना भी शामिल है। 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान अन्वेषण अनुभाग ने ऐसे 515 रैपिड एक्शन मामलों का निपटान किया जहां आयोग द्वारा तत्काल हस्तक्षेप उपलब्ध था जिससे न केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम हो सके बल्कि अनेक मामलों में मानव जीवन एवं स्वतंत्रता को खतरा भी था।

(च) **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों हेतु वाद–विवाद प्रतियोगिता:** मानव अधिकारों की जागरुकता एवं इनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों हेतु अन्वेषण अनुभाग नियमित रूप से वर्ष 1996 से प्रतिवर्ष वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। यही नहीं वर्ष 2004 से, जैसा कि माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया था, पूरे देश में सी.ए.पी.एफ. की बड़ी संख्या में भागीदारी हेतु अंतिम प्रतियोगिता के लिए रनअप के रूप में ज़ोनवार वाद–विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। ज़ोनल प्रतियोगिताओं के दौरान चुनी गई टीम को सेमीफाइनल तथा फाइनल राउण्ड के लिए केन्द्र में आयोजित प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है। प्रतिवर्ष इसमें अभूतपूर्व प्रतिभागिता एवं वाद–विवाद का सर्वोत्तम स्तर देखने को मिलता है।

(छ) **राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों हेतु वाद–विवाद प्रतियोगिता:** पुलिस आज उनके दायित्वों के निर्वहन में मानव अधिकारों के सिद्धांतों को मानने के लिए कर्त्तव्यबाधित है। मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से पुलिस बल में निम्न एवं मध्य स्तर अत्यधिक प्रभावित है क्योंकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय प्रत्यक्ष रूप आम जनता के संपर्क में आते हैं। वर्ष 2004 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण अनुभाग द्वारा पुलिस कार्मिकों के बीच मानव अधिकार जागरुकता के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके

लिए राज्य पुलिस बल कार्मिकों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु राज्य/संघ शासित क्षेत्र को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में आयोग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वाद–विवाद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु ₹ 15000/– की राशि प्रदान करता है।

(ज) नज़रबंदी के स्थानों का दौराः जेलों एवं अन्य संस्थानों जहां लोगों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के उद्देश्य से नज़रबंद अथवा बंद करके रखा जाता है, उनमें जीवन–यापन की दशाओं से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। अन्वेषण अनुभाग के जांच अधिकारी जब भी आयोग द्वारा निर्देश दिया जाता है, विभिन्न राज्यों में जेलों एवं अन्य संस्थानों का दौरा करते हैं तथा विशेष आरोपों के संबंध में तथ्य प्रस्तुत करने के लिए अथवा कैदियों की सामान्य दशाओं अथवा मानव अधिकारों पर आधारित संवासियों की दशाओं जिसपर आयोग द्वारा अनुवर्तन आवश्यक हो, से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

3.16 नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग (पी.आर.पी.एंड.पी.), मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है तथा उनका प्रचार करता है तथा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है। जब कभी भी आयोग, अपनी सुनवाई, कार्रवाईयों या अन्यथा इस निर्णय पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्त्वपूर्ण है, तो उसे पी.आर.पी. एण्ड पी. प्रभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले एक परियोजना/कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रचलित नीतियों, कानूनों, संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की पुनरीक्षा करता है। यह प्रभाग, केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आयोग की सिफारिशों की मॉनीटरिंग में सहायता करता है। यह प्रभाग, मानव अधिकार साक्षरता के विस्तार तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के बारे में जागरुकता का प्रसार करने में भी प्रशिक्षण प्रभाग की सहायता करता है। प्रभाग का कार्य संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) तथा संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन), एक निदेशक/संयुक्त निदेशक, एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान परामर्श, अनुसंधान एसोसिएट, अनुसंधान सहायक तथा अन्य सचिवालय स्टॉफ द्वारा देखा जाता है।

3.17 प्रशिक्षण प्रभाग, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का विस्तार करने के लिए उत्तरदायी है। अतः यह प्रभाग मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों के बारे में राज्य के विभिन्न सरकारी अधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं तथा राज्य की एजेंसियों, गैर सरकारी अधिकारियों, सिविल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है और उन्हें सुग्राही बनाता है। इसके लिए यह प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के साथ सहयोग करता है। इसके अलावा यह प्रभाग, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप प्रोग्राम भी आयोजित करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) होता है जिसकी सहायता के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशि.), एक सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टाफ होता है। प्रशिक्षण प्रभाग के तहत समन्वय अनुभाग, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों सहित सभी अंतरराष्ट्रीय मामलों की देख रेख करता है। इसके अलावा यह विभिन्न राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में शिविर आयोग बैठकों/ जन सुनवाई के साथ समन्वय करता है आयोग के वार्षिक कार्यों अर्थात स्थापना दिवस और

मानव अधिकार दिवस का आयोजन करता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/ वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राओं के आयोजन के साथ–साथ प्रोटोकॉल कर्तव्यों का ध्यान रखने का भी कार्य करता है। समन्वय अनुभाग में एक अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुसंधान परामर्शदाता और अन्य सचिवीय कर्मचारी होते हैं।

3.18 प्रशासनिक प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की स्थापना, प्रशासनिक एवं संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग कार्मिकों, लेखों, पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों तथा स्टाफ के सदस्यों की अन्य जरूरतों को भी पूरा करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन) होता है तथा उसकी सहायता के लिए एक निदेशक/उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होते हैं।

3.19 प्रशासनिक प्रभाग के तहत मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन यूनिट का कार्य प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गतिविधियों से संबंधित जानकारी का प्रचार करना है। यह प्रभाग 'मानव अधिकार' नामक एक द्विभाषीय प्रकाशन करता है।

3.20 प्रकाशन एकक, आयोग की एक और महत्त्वपूर्ण इकाई है, जो आयोग के सभी प्रकाशनों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। वार्षिक रिपोर्ट, एन.एच.आर.सी. अंग्रेजी और हिंदी पत्रिका, "नो योर राइट" सीरीज़ इत्यादि इस प्रभाग द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख प्रकाशन हैं। इसके अलावा, यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों को भी देखता है।

विशेष बिन्दु

3.21 विशेष प्रतिवेदकों की नियुक्ति तथा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों के गठन द्वारा आयोग की पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। आयोग ने अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए पारदर्शी प्रणाली तथा प्रक्रियाएं तैयार की है। आयोग ने विनियम तैयार करते हुए अपने काम–काज के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

अध्याय 4

नागरिक और राजनीतिक अधिकार

क. आतंकवाद और उग्रवाद

4.1 भारत आज आतंकवाद एवं उग्रवाद से लड़ते हुए मानव अधिकारों की रक्षा की भयावह चुनौती का सामना कर रहा है। निर्दोष, निहत्थे एवं अरक्षित लोगों को निशाना बना कर जारी आतंकवाद के भयावह परिदृश्य में मानव अधिकारों की रक्षा का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

4.2 एक शांत समाज न्याय एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधार पर टिका होता है। आतंकवाद जैसे विवादित मुद्दे से निपटते समय न्याय की चिंता अत्यिधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आंतकवाद से जुड़े अधिकांश त्रासदियों में ज्यादा44तर आम लोगों के अधिकारों का हनन होता है।

4.3 आतंकवादियों एवं नक्सलवादियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी से सुरक्षा बलों की भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। साथ ही उन्हें घरेलू अशांति को रोकने, महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जब कभी जरूरत हो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया जाने लगा है।

4.4 आयोग का यह दृढ़ मत है कि मानव अधिकारों का समुचित पालन करने से शांति एवं सुरक्षा बहाल करने में कोई बाधा नहीं आती है, बल्कि, शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा आंतकवाद को पराजित करने की किसी भी सार्थक रणनीति में यह एक आवश्यक घटक है। अतः आतंकवाद विरोधी उपायों का उद्देश्य प्रजातंत्र, विधि का शासन एवं मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए जो हमारे समाज के साथ–साथ संविधान का भी मुख्य मूल्य है।

4.5 आयोग ने समय–समय पर इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो लोगों को भय से मुक्त रहने के अधिकार को नष्ट कर देता है। आतंकवाद का उद्देश्यों लोकतंत्र के ढ़ांचे को ही खत्म करना है। आज के समय में यह मानवता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर सामने आया है। आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक लड़ाई में भारत महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह लगभग 50 वर्षों से आतंकवाद से लड़ता आया है तथा अपनी सफलता एवं असफलता से इसने काफी कुछ सीखा है। आयोग की कोशिश आतंकवाद से लड़ने में सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करना है। साथ ही, आयोग ने इस बात पर हमेशा बल दिया है कि ऐसा करते समय हमारा दृष्टिकोण मानवीय, तार्किक एवं धर्मनिरपेक्ष हो।

ख. हिरासत में हिंसा एव प्रताड़ना

4.6 देश में हिरासतीय हिंसा और प्रताड़ना अनियंत्रित रूप से जारी है। यह उन लोक सेवकों, जिनके ऊपर कानून को लागू करने की जिम्मेवारी है, के द्वारा की जाने वाले ज्यादती के भयावह रूप को प्रस्तुत करता है। आयोग बलात्कार, छेड़–छाड़, यातना, पुलिस हिरासत में फर्जी मुठभेड़ जैसे अपराधों को कमजोर एवं वंचित वर्गों के मानव अधिकारों की रक्षा करने में व्यवस्थाजनिक असफलता का परिचायक मानता है। इसलिए आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस तरह के अवैध व्यवहारों को रोका जाए तथा सभी मामलों में मानव गरिमा का सम्मान हो। पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधी को मुआवजे की सिफारिश के अतिरिक्त आयोग का प्रयास उस माहौल को खत्म करने की दिशा में भी जारी है, जिसमें पुलिसवाले, हिरासत एवं जेल की चारदीवारी के अंदर, जहां पीड़ित असहाय होता है, को "यूनिफार्म" एवं "अधिकार" की आड़ में तले मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

4.7 आयोग ने इस संबध में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसा ही एक दिशानिर्देश यह है कि हिरासत में होने वाली मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर आयोग को देनी होती है। हालांकि हिरासत में होने वाली सभी मौतें अपराध अथवा हिरासत में हिंसा अथवा चिकित्सीय लापरवाही का परिणाम नहीं हो सकती हैं, यह महत्त्वपूर्ण है कि गहन जांच तथा जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्रेरियल जांच रिपोर्ट आदि जैसी रिपोर्टों का विश्लेषण किए बिना कोई धारणा न बनाई जाए। इसलिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन हिरासत में होने वाली मौतों की घटनाओं पर नियंत्रण रखने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहरहाल यह पाया गया कि कुछ मौतों की सूचना काफी विलंब से की जाती है तथा कई मामलों में संबंधित प्राधिकारियों को सशर्त समन जारी करने के बाद ही आयोग को रिपोर्ट भेजी जाती है।

4.8 वर्ष 2017–18 में आयोग के जांच प्रभाग ने कुल 5,371 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें न्यायिक हिरासत में मौत के 2,896 मामले, पुलिस हिरासत में मौत के 250 तथा तथ्य निष्कर्ष मामलों के 2225 मामले शामिल हैं। प्रभाग ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत के 277 मामलों का भी निपटारा किया।

ग. महत्त्वपूर्ण दृष्टांत मामले

क) हिरासत में मौत

1. तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में 12.08.2015 को 28 साल के विचाराधीन कैदी दीपक की हिरासत में मौत

(मामला संख्या 4533/30/9/2015–जेसीडी)

4.9 आयोग को अधीक्षक, तिहाड़ जेल, दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई कि विचाराधीन एक कैदी दीपक (28 वर्ष), की मौत 12 अगस्त 2015 को मृत्यु हो गई। इस सूचना से यह ज्ञात हुआ कि मृतक को 22.03.2013 को जेल में भर्ती कराया गया था। उस पर 11.8.2015 को उक्त जेल के कुछ कथित कैदियों ने धारदार वस्तु से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत डी.डी.यू. अस्पताल, हरि नगर में भर्ती कराया गया जहां उसे ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

4.10 आयोग ने राज्य अधिकारियों से प्राप्त मामले में सभी रिपोर्टों की जांच की और पाया कि मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मृतक की मौत लगातार पिटाई के कारण हुई। यह अप्राकृतिक मृत्यु और समलैंगिकता से सम्बंधित मामला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 18 दृश्य चोटों का उल्लेख किया गया जिससे उसकी मौत हुई।

4.11 आयोग ने इस मामले में लिखित रूप से विचार किया एवं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान दिया और यह पाया कि निःसंदेह कैदी राज्य के संरक्षण और हिरासत में था। कैदी की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना जेल अधिकारियों का परम कर्तव्य था, लेकिन जैसा कि इस मामले में देखा गया कि जेल में आवश्यक सुरक्षा और सुरक्षा की कमी के कारण, उस कैदी पर अपने सह–कैदियों द्वारा घातक हमला किया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जेल के अंदर पूर्ण अराजकता थी। जेल अधिकारियों द्वारा उस कैदी के प्रति बरती गई निष्क्रियता, उदासीनता और लापरवाही उसके मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन की ओर इशारा करती है।

4.12 आयोग ने मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (i) के अंतर्गत मृतक के परिजनों को ₹ 2,00,000/– (केवल दो लाख रुपये) का आर्थिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग ने दिनांक 21.02.2018 को अपनी आगे की कार्यवाही के दौरान कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और दिल्ली के मुख्य सचिव, एनसीटी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो अभी प्रतीक्षित है।

4.13 मामला अभी भी आयोग में विचाराधीन है।

2. जेल स्टाफ की लापरवाही के कारण गोंडा जिला की जेल में 22 वर्षीय अफ़ज़ल, पुत्र अकबर खान, ने फांसी लगाकर आत्महत्या की।

(मामला संख्या 7699/24/33/2015–जेसीडी)

4.14 आयोग को गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश की जेल के पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी हिरासत में एक 24 वर्षीय कैदी, अफजल पुत्र श्री अकबर खान की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त हुई। उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और धारा 21 के तहत अपराध संख्या 376/14 के अन्तर्गत दिनांक 5.8.2014 को जेल में बंद किया गया था।

4.15 आयोग को मृतक की मां से भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जेल अधीक्षक सहित जेल के कुछ अधिकारियों ने उपर्युक्त कैदी पर हमला किया और प्रताड़ित किया और पैसे देने से इंकार करने पर उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। मृतक की मां ने मुआवजे और जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुरोध किया।

4.16 आयोग के निर्देश के अनुसार, अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन के चारों ओर निशान दिखने के अलावा कोई बाहरी चोट नहीं मिली है। मौत की वजह एस्फिक्सिया बताई गई, जो कि लटकने से हुई थी। मजिस्ट्रियल जांच में कहा गया कि मृतक की मृत्यु "एस्फिक्सिया की वजह से हुई, जो कि आत्महत्या के कारण लटकने से हुई थी" और इस घटना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की साजिश नहीं हुई है। मृतक की मां और भाई द्वारा जेल अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी और किसी भी जेल अधिकारी

को कर्तव्य के पूर्ण रूप से निर्वहन न करने के सन्दर्भ में दोषी नहीं पाया गया।

4.17 उपलब्ध रिकॉर्ड की एक सावधानीपूर्वक जाँच के पश्चात आयोग ने यह पाया कि कैदी राज्य के संरक्षण और हिरासत में था। यह जेल अधिकारियों का बाध्य कर्तव्य था कि वे अपनी हिरासत में रखे गए कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी कैदी खुद को या किसी अन्य को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जैसा कि इस मामले में देखा गया है, यह प्रतीत होता है कि जेल प्राधिकरण द्वारा कैदियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने में लापरवाही के कारण मृतक को आत्महत्या करने का मौका मिला। प्राधिकरण की लापरवाही इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट होती है कि विचाराधीन कैदी अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले अर्थात दिनांक 21.1.2015 को जेल के परिसर में स्थित एक पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन उस दिन उसे सुरक्षित बचा लिया गया। तत्पश्चात मृतक को एक अलग कक्ष में रखा गया और दिनांक 26.1.2015 को उसे माफी के बाद ही उसे रिहा किया गया।

4.18 आयोग के अनुसार, उपर्युक्त घटना ने अभियुक्त के मानव अधिकारों के उल्लंघन को परिलक्षित किया और उत्तर प्रदेश राज्य मृतक अफज़ल के परिजन को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार था।

4.19 आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (i) के अंतर्गत मृतक अफजल के परिजनों को ₹ 2,00,000/– (केवल दो लाख रुपये) का आर्थिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4.20 जवाब में, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव ने दिनांक 23.10.2017 को जेल विभाग का उत्तर प्रस्तुत किया। उत्तर बहुत विस्तृत था लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं था कि कैदी दिन के उजाले में जेल के परिसर में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कैसे कर सकता है।

4.21 आयोग ने, कारागार विभाग के जवाब को अस्वीकार कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक अफजल पुत्र अकबर खान को मुआवजे के रूप में ₹ 2,00,000/– (केवल दो लाख रुपये) देने की सिफारिश की और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट के साथ भुगतान प्रमाण–पत्र भेजने का निर्देश दिया, जो कि अभी प्रतीक्षित है।

3. पुलिस थाना बिंदापुर, दिल्ली में मनोज राणा की पुलिस हिरासत में मृत्यु

(मामला संख्या 2929/30/9/2014–ए.डी.)

4.22 आयोग को दिनांक 27.05.2014 को श्री आर. एच. बंसल, मुख्य संपादक, मानवाधिकार पर्यवेक्षक, दिल्ली से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें पुलिस थाना, बिंदापुर, दिल्ली में पुलिस हिरासत के दौरान दिनांक 26.05.2014 को किसी मनोज राणा की मृत्यु का उल्लेख किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस थाना, बिंदापुर, दिल्ली के पांच पुलिसकर्मियों द्वारा पीड़ित को उसके घर से उठा लिया गया और उसे पुलिस पोस्ट, मटियाला ले जाया गया, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार/मारपीट/अत्याचार किया गया, जिसके कारण पीड़ित की स्थिति नाजुक हो गई। उसे इलाज के लिए डी.डी.यू. अस्पताल, नई दिल्ली ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

4.23 आयोग ने दिनांक 03.06.2014 को मामले का संज्ञान लिया और पत्राचार के बाद अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त की। आयोग ने दिनांक 25.01.2017 को रिकॉर्ड का अवलोकन किया और पाया कि पुलिस स्टेशन बिंदापुर, नई दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने मृतक को उसके घर से उठाया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए जहां उसे यातना दी गई और पीटा गया। बाद में उसका शव डी.डी.यू. अस्पताल, नई दिल्ली में मिला, जहाँ चेहरे ढके हुए अज्ञात व्यक्तियों ने उसे छोड़ दिया था। जांच मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस अधिकारियों ने मृतक को पीटा था और मृतक के शरीर पर 20 चोटों के निशान थे। जांच मजिस्ट्रेट ने पाया कि मृतक की मृत्यु अप्राकृतिक और मानवीय हत्या थी। इसके अलावा, अदालत में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किया गया।

4.24 आयोग ने मामलों की चौंकाने वाली स्थिति पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि पुलिस अधिकारी बिना किसी की जानकारी के पीड़ित को पीटने, अत्याचार करने और उसे मारने की आपराधिक कार्रवाई में शामिल थे। कोई भी सभ्य कानून हिरासतीय क्रूरता की अनुमति नहीं देता है। पुलिस अधिकारियों ने सभ्यता की सारी सीमाएं पार कर दीं। उक्त पुलिस अधिकारियों के आचरण से मृतक के मानव अधिकारों विशेषकर पीड़ित के जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ।

4.25 इसलिए आयोग ने दिल्ली के एनसीटी के मुख्य सचिव सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (i) के अंतर्गत मृतक मनोज राणा को उसके मानव अधिकार के उल्लंघन के लिये उसके निकटतम परिजन को ₹ 5,00,000/– (केवल पांच लाख रुपये) का आर्थिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4.26 आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुलिस उपायुक्त, सतर्कता, दिल्ली ने दिनांक 12.5.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पता चला कि आरोपी पुलिस अधिकारी अर्थात् सी.टी. भूप सिंह, सी.टी. राजेश सोलंकी, सी.टी. उत्तम, सी.टी. राजेश, सी.टी. सुधीर और सी.टी. अरविंद पीड़ित को पुलिस थाना, बिंदापुर (पी.पी. पूर्व उत्तम नगर) के पुराने भवन में लेकर गए। मृतक मनोज को फायरिंग की घटना और आग्नेयास्त्र की वसूली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यातना दी गई तथा यातना और पिटाई के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस कर्मी आरोपी सी.टी. अरविंद कुमार के मारुति ऑल्टो कार नंबर एच.आर. 19 एफ 3741 में मनोज को डीडीयू अस्पताल ले गए और मृतक के शव को छोड़ कर चले गए। रिपोर्ट में आगे पता चला कि जांच पूरी होने के बाद, 22.8.2014 को अदालत के समक्ष उपरोक्त आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किया गया था। मामला अदालत के समक्ष लंबित था। रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि उपरोक्त उल्लिखित परिस्थितियों में, उक्त पुलिस अधिकारियों ने, प्रथम दृष्टया, मृतक के मानव अधिकारों विशेष रूप से पीड़ित मनोज राणा के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया है। इसलिए, मृतक मनोज राणा के निकटतम परिजन को मुआवजा प्रदान किया जा सकता है।

4.27 आयोग ने 23.05.2017 को फिर से इस मामले पर विचार किया और मृतक मनोज राणा के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उसके निकटतम परिजन को ₹ 5,00,000/– (केवल पांच लाख रुपये) के आर्थिक मुआवजा प्रदान करने की सिफारिश की।

4.28 आयोग के निर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/ शिकायत (सतर्कता) दिल्ली ने दिनांक 12.01.2018 को रिपोर्ट के साथ मृतक मनोज राणा के परिजन को ₹ 5,00,000/– (केवल पांच लाख रुपए) के भुगतान का

प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया। चूंकि मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजे का भुगतान किया गया है, इसलिए आयोग ने 31.01.2018 को मामला बंद कर दिया।

4. बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ की जेल में सजायाफ्ता कमल सिंह की न्यायिक हिरासत में चिकित्सीय सुविधा के लापरवाही के कारण मृत्यु

(मामला संख्या 614/33/10/2013–जेसीडी)

4.29 आयोग को जिला जेल, बैकुंठपुर, कोरिया, छत्तीसगढ़ के अधीक्षक से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 24.07.2013 को किसी सजायाफ्ता, कमल सिंह की मृत्यु जिला अस्पताल, बैकुंठपुर में चिकित्सा के दौरान हो गई।

4.30 आयोग ने अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त की और उसकी जांच की। आयोग ने अभिलेखों का अवलोकन किया और पाया कि प्रेम, चारकू और सुशील ने सजायाफ्ता कमल सिंह के छोटे भाई को उसके गाँव में पीटा और जब कमल सिंह ने अपने भाई को इन लोगों से बचाने प्रयास किया, तो उसे भी लोहे की छड़ से सिर और पीठ पर हमला किया। कमल सिंह को गिरफ्तार कर उसे दिनांक 20.07.2013 को जेल में बंद किया गया था। दिनांक 21.07.2013 को, सजायाफ्ता कैदी ने बुखार की शिकायत की और जेल अस्पताल में उपचार प्रदान किया गया। जब सजायाफ्ता कैदी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो उसे आगे के उपचार के लिए सी.एच.सी. मनेन्द्रगढ़ रेफर कर दिया गया। इलाज करने वाले डॉक्टर ने सजायाफ्ता कैदी की स्थिति की जांच सावधानीपूर्वक नहीं की। मृतक का स्वास्थ्य ठीक नहीं था क्योंकि उसके सिर पर अंदरूनी चोटें लगी थी। बाद में दिनांक 24.07.2013 को सजायाफ्ता कैदी को जिला अस्पताल, बैकुंठपुर में भेजा गया, जहाँ उसी दिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सीएचसी चिकित्सक ने उपचार चार्ट में सजायाफ्ता कैदी की चोट पर ध्यान देने के बजाय उसे बुखार और मलाशय रक्तस्राव के लिए दवाइयां दी। सीएचसी डॉक्टरों की ओर से सजायाफ्ता कमल सिंह की वास्तविक बीमारी (सिर में चोट) के निदान में चिकित्सकीय लापरवाही परिलक्षित होती है। इसलिए, आयोग ने यह पाया कि मृतक के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और इसके लिए राज्य को इस घटना को दायित्व लेना चाहिए। अंततः आयोग ने, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार को, पीएचआरए 1993 की धारा 18 के तहत एक नोटिस जारी किया और पूछा कि मृतक कैदी कमल सिंह के मानव अधिकार के उल्लंघन के लिए उसके निकटतम परिजन को आर्थिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4.31 मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 (ङ) के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में, राज्य सरकार ने मुआवजे के अनुदान का विरोध इस आधार पर किया कि दिनांक 20.07.2013 को मृतक (कैदी) का स्वास्थ्य सही पाया गया था। दिनांक 21.07.2013 से 24.07.2013 को उसे सीएचसी मनेंद्रगढ़ में भर्ती कराया गया जहाँ तीन चिकित्सकों द्वारा उसकी देखभाल की गई और सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान किया गया। इसके अलावा, उस कैदी के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि सी.एच. सी. महेंद्रगढ़ में सीटी स्कैन और एम. आर.आई. की सुविधा न होने के कारण, कैदी के आंतरिक चोटों का पता नहीं लगाया जा सका। बाद में, उसे जिला अस्पताल, बैकुंठपुर भेज दिया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।

4.32 आयोग ने दिनांक 03.07.2017 को राज्य सरकार की रिपोर्ट पर विचार किया और कहा कि रिपोर्ट अपने आप में विरोधाभासी है। यदि मृतक को दिनांक 20.07.2013 को कोई समस्या नहीं थी, तो उसे दिनांक 21.07.2013 को

सी.एच.सी. मनेंद्रगढ़ में क्यों भर्ती कराया गया और दिनांक 24.7.2013 तक वहां क्यों रखा गया? दूसरी बात, अगर एमओ ने उसके आंतरिक अंगों की समस्या के बारे में सोचा तो उसे सीटी स्कैन और एम.आर.आई. की सुविधा वाले स्थान पर उसकी जांच कराने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? कैदी की आंतरिक चोट का संदेह, इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि मृतक को जेल में यातना गई थी। इसलिए आयोग प्रस्तुत स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं था और उसे खारिज कर दिया।

4.33 आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को मृतक कमल सिंह के निकटतम परिजन को ₹ 2,00,000/– (केवल दो लाख रुपये) आर्थिक मुआवजे के रूप में देने की सिफारिश की। भुगतान के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, आयोग ने 10.11.2017 को मामले को बंद कर दिया है।

ख) गैर कानूनी गिरफ्तारी, नजरबंदी एवं प्रताड़ना

5. महाराष्ट्र पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के भतीजे फुलेश्वर यादव का गैर कानूनी रूप से नजरबंदी और प्रताड़ना

(मामला संख्या 476/13/16/2012)

4.34 आयोग को किसी अंजू रमेश यादव से शिकायत मिली, जिसमें उन्होनें महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उनके भतीजे, फुलेश्वर यादव को दिनांक 2.11.2011 को अवैध रूप से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने खुलासा किया कि पीड़ित गुर्दा रोग से ग्रस्त था और यातना के बाद, पीड़ित को एक कान से सुनना बंद हो गया।

4.35 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, एस. पी., ठाणे से 13.7.2012 को उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें यह स्वीकार किया गया कि पीड़ित को चोरी के एक मामले की जांच के लिए संबंधित अधिकारी ने अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे न तो हिरासत में रखा गया और न ही उसके साथ मारपीट की गई। परन्तु रिपोर्ट उक्त मामले के मुखबिर का नाम और केस नंबर प्रस्तुत करने में विफल रही, जिसके संबंध में पीड़ित को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई जानकारी ठोस और संतोषजनक नहीं थी। इसलिए आयोग ने एक अन्य अधिकारी को इस मामले की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया। इस सम्बन्ध में, दिनांक 16.3.2016 को डीसीपी, जोन–एक्स, मुंबई से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार पीड़ित पर आईपीसी की धारा 454/457/380 के तहत अपराध संख्या 448/2011 दर्ज की गई थी, लेकिन सत्यापन पर यह पाया गया कि उक्त मामला एक अलग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 के तहत किसी अपराध से संबंधित था, जिसमें पहले ही मुकदमा समाप्त हो गया था और अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया था। पीड़ित का उक्त मामले से कोई लेना–देना नहीं था क्योंकि वह किसी भी तरह से उपर्युक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से जुड़ा नहीं था। दोनों रिपोर्टों में, पुलिस का यह मानना था कि शिकायतकर्ता के पति और भतीजे दोनों का आपराधिक पूर्ववृत्त और सांठगांठ थी। रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को उसकी टिप्पणियों के लिए प्रेषित की गई थी।

4.36 अपनी टिप्पणियों में, शिकायतकर्ता ने पुलिस पर अपने किसी नामी अधिकारी को बचाने के लिए सच्चाई को छुपाने का गंभीर आरोप लगाया, जिसने उपर्युक्त मामले में स्पष्ट रूप से कदाचार किया। शिकायतकर्ता ने यह दावा

करते हुए कि उसके परिवार के सदस्यों में से किसी का भी आपराधिक पूर्ववृत्त और सांठगाठ नहीं थी, ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए मुंबई पुलिस प्राधिकरण को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी भी अपराध में उनकी संलिप्तता के सम्बन्ध में एक भी सबूत नहीं दिया जा सकता है।

4.37 आयोग ने सावधानीपूर्वक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री की जांच की। पुलिस कुछ कथित अपराध सांठ–गाठ के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए शिकायतकर्ता के भतीजे को अपने हिरासत में लेना चाहती थी। हालांकि, पुलिस ने कहा कि पीड़ित को न तो हिरासत में लिया गया और न ही उस पर अत्याचार किया गया, लेकिन यह बताने में पूर्ण रूप से विफल रही कि उसे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में बिना किसी प्रविष्टि के हिरासत में क्यों लिया गया। इसके अलावा, वे हिरासत में पूछताछ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफल रहे और किसी भी अपराध में उनकी भागीदारी से सम्बंधित एक साक्ष्य भी प्रदान नहीं कर सके। इसलिए, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट था कि पीड़ित को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में अवैध पुलिस कार्रवाई की गई थी जिसके लिए राज्य को सख्ती से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

4.38 इन परिस्थितियों में, आयोग ने दिनांक 28.07.2017 को अपनी कार्यवाही के दौरान महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को यह कारण बताने का निर्देश दिया कि पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (i) के तहत पीड़ित को ₹10,000/– (केवल दस हजार रुपए) का मुआवजा देने की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए। दिनांक 02.05.2018 को अपनी आगे की कार्यवाही के दौरान, आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सिफारिश की, जो अभी प्रतीक्षित है।

4.39 आयोग के अंतर्गत मामला विचाराधीन है

ग) पुलिस की मनमानी

6. पुलिस की उदासीनता के कारण एक परिवार द्वारा आत्महत्या

(मामला संख्या 2981/7/6/2013)

4.40 यह मामला एक पूरे परिवार की मृत्यु (मात्र एक जीवित व्यक्ति को छोड़कर) की दुखदायी घटना से संबंधित है जो दोषियों द्वारा पीड़िता के यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप उपजे तिरस्कार, कलंक और अपमान के कारण उसके पिता महेंद्र द्वारा समस्त परिवार के साथ जहर के सेवन के कारण हुई। विडंबना यह है कि, मुकदमे के समय पीड़ित लड़की को अदालत में पेश करने के लिए अभियोजन पक्ष की अक्षमता के कारण, दोषियों को मुकदमे से बरी कर दिया गया था, जबकि इसके लिए अभियोजन पक्ष को कई अवसर दिए गए थे।

4.41 आयोग ने दिनांक 04.02.2016 को अपनी कार्यवाही के माध्यम से डीजीपी, हरियाणा को अपनी व्यक्तिगत देखरेख में सी.बी./ सी.आई.डी. द्वारा इस मामले की जांच करवाने और दोषी पाए गए पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, निदेशक (अभियोजन), हरियाणा को भी बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की संभावना की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया।

4.42 उपर्युक्त निर्देशों के जवाब में, दिनांक 09.06.2016 को डी.जी.पी., हरियाणा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि इस मामले में सी.बी./ सी.आई.डी. द्वारा पूछताछ की गई थी और डी.एस.पी., बरवाला को पीड़ित लड़की को पूरी ईमानदारी के साथ बचाने के लिए आई.पी.सी. की धारा 346/363 के तहत दर्ज अपराध संख्या 2212/2013 में आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। यह सूचित किया गया कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 25.05.2016 को निदेशक (अभियोजन), हरियाणा से एक रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी, जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा इस मामले की गहनता से पुनः जांच की गई थी और बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने के लिए कोई अतिरिक्त आधार नहीं मिला।

4.43 आयोग ने इस मामले पर पुनः विचार किया और यह पाया कि दिनांक 23.05.2012 को सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद वह अपने घर से लापता हो गई। आयोग ने पाया कि बलात्कार का मामला दर्ज होने के तुरंत बाद पीड़िता की गुमशुदगी बहुत गंभीर विषय था, जिसे पुलिस द्वारा अत्यधिक सावधानी के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए था। पुलिस ने केवल डी.डी. की प्रविष्टि की और उसे पुलिस थाना, उकलाना, हिसार को अंतरित कर दिया गया। पीड़िता को बचाने के लिए पुलिस ने अपनी तरफ से कोई ईमानदार पूर्ण कोशिश नहीं की। अंत में पुलिस ने 22.02.2013 को डी.डी. एंट्री को एफ.आई.आर. में परिवर्तित कर आई.पी.सी. की धारा 346 के तहत पुलिस थाना, उकलाना, हिसार में एफ.आई.आर. नंबर 54/2013 दर्ज किया, लेकिन तब तक बहुत समय बीत चुका था और पीड़िता कहां थी यह एक रहस्य बना हुआ था, जिसके कारण मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष पीड़िता को प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस अवधि के दौरान, किसी के भी कुछ समझ में नहीं आने के कारण पीड़िता के माता–पिता अत्यधिक क्रोधित हो गए। इसी दौरान बेचारे महेंद्र के पूरे परिवार ने लापता बेटी को छोड़कर आत्महत्या करने का दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा लिया। यद्यपि इस घटना के लिए पुलिस अधिकारियों के लापरवाही को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन विशिष्ट अधिकारियों की लापरवाही ने उस व्यक्ति को व्यवस्था के प्रति हतोत्साहित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिसके कारण उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। इसलिए आयोग का विचार था कि पुलिस की लापरवाही के कारण महेन्द्र के परिवार की आत्महत्या के कारण उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इन परिस्थितियों में, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (i) के तहत निर्देश देते हुए कारण बताने के लिए कहा गया कि पीड़ित को ₹ 1,00,000/– के मुआवजे के भुगतान सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4.44 दिनांक 14.03.2018 को अपनी आगे की कार्यवाही के दौरान, आयोग ने हरियाणा सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह मामला आयोग के अंतर्गत विचाराधीन है।

7. राम नगर, त्रिपुरा में बी.एस.एफ. की फायरिंग के दौरान एक ग्रामीण, इस्माइल मिया की मृत्यु

(मामला संख्या 19/23/4/2015–पीएफ)

4.45 मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री दुर्योधन रेड्डी, ने दिनांक 08.06.2014 को "द हिंदू" में प्रकाशित एक अखबार की रिपोर्ट की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें दिनांक 07.06.2014 को त्रिपुरा के रामनगर में बी.एस.एफ. की फायरिंग में एक ग्रामीण, इस्माइल मिया की मौत का उल्लेख किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि मृतक

के परिवार को अभी तक कोई अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया।

4.46 आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक, पश्चिम त्रिपुरा ने शिकायत की जांच की थी। दिनांक 06.06.2014 को कुछ ग्रामीण नाका बिंदु के पास खुली हवा में अपना समय गुजार रहे थे। रात करीब 8:30 बजे कॉन्स्टेबल संदीप कुमार अचानक आए और ग्रामीणों से बहस करने लगे। जब श्री कानू मिया ने जवान के व्यवहार का विरोध किया, तो उक्त बी.एस.एफ. जवान ने उसकी पिटाई की और वहां से चला गया। जब इस संबंध में एक अलार्म बजाया गया तो कई ग्रामीण तुरंत मौके पर इकट्ठे हो गए। इस समय कॉन्स्टेबल संदीप कुमार, अचानक नाका प्वाइंट से ग्रामीणों की ओर आगे बढ़े और अपने सर्विस हथियार से ग्रामीणों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध गोलीबारी के कारण पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई और 12 से अधिक नागरिकों को चोटें आईं। वहां बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठे हो गए और इस परिदृश्य को देखते हुए उक्त बी.एस.एफ. कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल से आत्महत्या कर ली। बी.एस.एफ. जवान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 302/307/326 और 28 के तहत मामला दर्ज किया गया जिसने आत्महत्या कर ली थी। एस.डी.एम., सदर द्वारा 10 घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए दवा की लागत के लिए ₹ 1,20,000/– की राशि मंजूर की गई और मृतक पीड़ित की पत्नी को ₹ 15,000/– (केवल पंद्रह हजार) का भुगतान किया गया।

4.47 दिनांक 22.05.2017 को आयोग ने इस मामले पर विचार किया और यह पाया कि यह पूर्ण रूप से स्थापित सत्य है कि दिनांक 6 जून 2014 को बी.एस.एफ. के जवान द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में पीड़ितों की मौत हुई थी। एस.डी.एम., सदर द्वारा प्रदान किये गए ₹ 15,000/– अत्यधिक अपर्याप्त है। इसलिए, आयोग ने त्रिपुरा सरकार को पीड़ित के परिवार को ₹ 3,00,000/– का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

4.48 अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

8. मध्य प्रदेश के सतना पुलिस ने 20 साल के मयूर सिंह को हिरासत में लिया और प्रताड़ित किया।

(मामला संख्या 1701/12/38/2013)

4.49 आयोग को श्री अमरजीत सिंह की पत्नी महिमा सिंह से दिनांक 14.8.2013 की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि उनके बेटे 20 वर्षीय मयूर सिंह, को दिनांक 6.08.2013 की रात पुलिस उनके घर से पीएस कलगावा, जिला सतना, मध्य प्रदेश में सिविल ड्रेस में उठा ले गई और उसके साथ उनके पति की लाइसेंसी बंदूक भी ले गई। उसे पुलिस हिरासत में यातना दी गई और दिनांक 07.08.2013 को उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसे जिले के जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया और चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर उसे जिला अस्पताल, सतना में रेफर किया गया।

4.50 आयोग ने दिनांक 26.08.2014 को अपनी कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक, सतना द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें हिरासत में यातना के आरोप से इनकार किया गया था।

4.51 आयोग ने श्री मयूर सिंह के उपचार रिकॉर्ड के साथ स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इसे आयोग के पैनल के चिकित्सा विशेषज्ञ के माध्यम से इसकी जांच की गई। यह उल्लेख किया गया कि श्री मयूर सिंह को

प्रोक्टाइटिस (गुदा की सूजन और मलाशय की लाइनिंग) की बिमारी थी। गुदा परीक्षण के दौरान यह ध्यान दिया गया कि उसकी गुदा कोमल और सूजी हुई थी। चिकित्सा विशेषज्ञ की राय में, श्री मयूर सिंह के स्पेक्ट्रम के चिकित्सीय परिणाम का कारण पेट्रोल इनटू एनल ओरिफाईस का इंजेक्शन हो सकता है।

4.52 आयोग ने दिनांक 30.11.2015 को अपनी कार्यवाही के दौरान मध्यप्रदेश सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 18 (i) (ए) के अंतर्गत एक नोटिस जारी कर उनसे 6 सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए कहा कि पीड़ित को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए ₹ 50,000/– का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4.53 हालांकि काफी विलंब के बाद, आयोग को भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 21.01.2018 को मामला बंद कर दिया गया।

9. दिल्ली पुलिस, पुलिस स्टेशन, नेब सराय द्वारा किसी उदय सिंह को जिन्दा जलाया गया

(मामला संख्या 6565/30/8/2013)

4.53 आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि शिकायत में नामित दो पुलिस अधिकारियों ने 09.11.2013 को पीड़ित उदय सिंह को पीटा, जो 95 प्रतिशत जल गए थे और नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अपनी जिन्दगी और मौत से जूझ रहे थे। यह उल्लेख किया गया कि पुलिसकर्मियों ने एक ऑटो चालक, नवीन से रिश्वत के रूप में ₹ 20,000/– जबरन लेने का प्रयास किया। और जब उसने रकम देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसके पिता उदय सिंह पर हमला कर दिया।

4.54 आयोग के निर्देशानुसार, आयोग के जांच प्रभाग ने घटनास्थल पर पूछताछ की। यह उल्लेख किया गया कि इस संबंध में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नेब सराय थाना में अपराध संख्या 536/13 दर्ज की गई। जांच के दौरान पीड़ित उदय सिंह की मृत्यु हो गई और मृतक के अंतिम बयान के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।

4.55 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग ने मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को मृतक उदय सिंह के निकटतम परिजन को ₹ 2,00,000/– (केवल दो लाख रुपये) एवं घायल नवीन को ₹ 50,000/– (रुपये केवल पचास हजार) की आर्थिक राहत देने का निर्देश दिए।

4.56 पुलिस आयुक्त, सतर्कता, दिल्ली ने दिनांक 04.08.17 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मृतक और घायल लोगों के परिजन को अनुशंसित राशि का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान का प्रमाण संलग्न किया गया है। दिनांक 21.11.2017 को मामला बंद कर दिया गया है।

10. सब इंस्पेक्टर, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र द्वारा एक नाबालिग लड़की का बलात्कार

(मामला संख्या 1803/13/21/2016 डब्ल्यूसी)

4.57 आयोग को एक मानव अधिकार कार्यकर्ता, श्री त्रिवेणी बंसल की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होनें आरोप

लगाया गया कि दिनांक 05.08.2016 को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में महाराष्ट्र पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर द्वारा एक नाबालिग लड़की (16 वर्षीय) का बलात्कार किया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पीड़िता द्वारा आनंद नगर पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई और मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई। शिकायतकर्ता ने उच्च स्तरीय जांच, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई और पीड़िता को मुआवजा देने का अनुरोध किया।

4.58 आयोग के निर्देशानुसार, एडिशनल एसपी, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें दिनांक 06.08.2016 को 376 की धारा 101/2016, 376 (i) (ए), 376 (2) (I), 376 (2) (एन), 376 (2) (के), 354, 354 ए (II) (III), 506 आईपीसी एवं पोस्को की धारा 67 बी(बी) आई टी एक्ट, 2000 की धारा 3(ए), 4, 5(4) 6, 8, 10, 11 (3), 12 के अंतर्गत उपरोक्त घटना के सन्दर्भ में आनंद नगर पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज की गई। मामले की जांच के बाद, दिनांक 21.10.2016 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उस्मानाबाद की अदालत में आरोप–पत्र संख्या 31/2016 दायर किया गया और मुकदमा लंबित था।

4.59 उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग ने उल्लेख किया कि लोक सेवक ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया और आयोग ने यह माना कि पीडिता को उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। आयोग ने दिनांक 20.04.2017 को अपनी कार्यवाही के दौरान महाराष्ट्र सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत नोटिस जारी किया और यह पूछा गया कि क्यों सब इंस्पेक्टर पुलिस द्वारा बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की को तीन लाख रुपये के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.60 आयोग के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, पुलिस अधीक्षक, उस्मानाबाद ने दिनांक 17.09.2017 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि पीड़ित लड़की को महाराष्ट्र राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना के तहत₹ 3,0,000/– (केवल तीन लाख रुपये) का भुगतान किया गया।

4.61 अपनी सिफारिश के अनुपालन के मद्देनजर, आयोग ने दिनांक 05.10.2017 को अपनी कार्यवाही के दौरान उपर्युक्त मामले को बंद कर दिया।

घ) पुलिस फायरिंग और मुठभेड़

11. असम के बक्सा, मुशालपुर में सेना के साथ मुठभेड़ में 28 वर्षीय लखन बोरो की मौत।

(मामला संख्या 380/3/0/2012–एएफ)

4.62 आयोग को दिनांक 11.02.12 को पुलिस अधीक्षक, बक्सा, मुशालपुर, असम में सेना के साथ एक मुठभेड़ में 28 वर्ष की आयु के लाखन बोरो की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। श्री तेजंग चकमा की ओर उसी घटना के सम्बन्ध में से एक शिकायत भी प्राप्त हुई जो कि मामला संख्या 161/3/0/2013–ए.एफ के रूप में दर्ज की गई थी और इसे तत्काल मामले के साथ जोड़ा गया।

4.63 आयोग ने इस घटना के सम्बन्ध में प्राप्त रिकॉर्ड, विशेष रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पूछताछ रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन किया। जांच रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कई गोली

लगने के निशान थे जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नौ से अधिक चोटों के संकेत दिए गए थे। पीड़ित की मौत का कारण फायरिंग के जख्म के रक्तस्राव और सदमा था।

4.64 एस.डी.एम., तामुलपुर द्वारा उपर्युक्त घटना की मजिस्ट्रियल जांच की गई। जांच मजिस्ट्रेट ने मुठभेड़ में शामिल सेना के जवानों, पुलिस कर्मियों और मृतक की पत्नी के बयान दर्ज किए, जो मुठभेड़ के समय घटनास्थल पर मौजूद थे, और संबंधित रिकॉर्ड की जांच भी की। मृतक की पत्नी की शिकायत पर, पीएस गोरेश्वर में आईपीसी की धारा 379/302 के तहत एफ.आई.आर. नंबर 101/12 मामला भी दर्ज किया गया। जांच मजिस्ट्रेट ने सेना के जवानों के बयानों में कुछ विरोधाभास पाया और कहा कि हमले के डर से गोलीबारी को बढ़ावा दिया गया था। मृतक की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई जब वह भागने की कोशिश कर रहा था।

4.65 रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, आयोग ने दिनांक 13.04.2017 को अपनी कार्यवाही में विचार किया कि मुठभेड़ वास्तविक नहीं थी और यह पाया कि राज्य सरकार को मृत व्यक्ति के परिजनों को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव, असम सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत एक नोटिस जारी कर यह पूछा कि मृतक लखन बोरो के निकटतम परिजन को रुपये पांच लाख के मुआवजे के भुगतान के लिए सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

4.67 आयोग के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, असम सरकार, गृह और राजनीतिक विभाग के संयुक्त सचिव ने दिनांक 19.07.2017 को अपने पत्र के माध्यम से यह उल्लेख किया कि आयोग रिपोर्ट में उल्लेखित प्रस्तुतिकरणों पर विचार कर सकता है और यदि उचित हो तो आवश्यक आदेशों को पारित कर सकता है।

4.68 आयोग द्वारा दिनांक 13.4.2017 की अपनी कार्यवाही में उल्लेखित तर्क के मद्देनजर, आयोग ने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और असम सरकार के मुख्य सचिव को मृतक लखन बोरो के परिजनों को 5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की। इस विषय में अनुपालन रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

4.68 मामला आयोग में विचाराधीन है।

(ङ) जेल में अत्याचार

12. मुजफ्फरनगर, उ.प्र की जिला जेल में श्री बाबू राजपूत के पुत्र चंद्रहास की मृत्यु।

(मामला नंबर 26132/24/57/2016–जेसीडी)

4.69 यह मामला दिनांक 24.06.2016 को मुजफ्फरनगर, यू.पी. की जिला जेल के एक सजायाफ्ता कैदी चंद्रहास, पुत्र श्री बाबू राजपूत (उम्र 38 वर्ष) की हिरासत में मौत से संबंधित है।

4.70 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, मुजफ्फरनगर की जिला जेल के अधीक्षक ने दिनांक 14.07.2016 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि जेल प्रहरियों, श्री सुभाष कुमार, श्री संजय सिंह और श्री उल्फत सिंह को उनकी ओर से प्रथम दृष्टया लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

4.71 आयोग ने जारी किये गए अपने निर्देशानुसार, रिकॉर्ड, विशेष रूप से चिकित्सा उपचार रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। यह पाया गया कि 30 वर्षीय व्यक्ति को जेल के अंदर उसके सह–कैदियों ने पीटा था और मृतक की मौत लड़ाई के दौरान हुई चोटों के कारण हुई थी। वह एनी–मॉर्टम चोटों के परिणामस्वरूप कोमा में चला गया। पूछताछ मजिस्ट्रेट ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कैदी चंद्रहास की मृत्यु अन्य सह–कैदियों द्वारा घायल होने के कारण हुई।

4.72 आयोग ने यह विचार किया कि जेल अधिकारियों द्वारा कैदी चंद्रहास के जीवन की रक्षा नहीं की। जेल में कैदियों के जीवन की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य था और इस मामले में जेल अधिकारी ऐसा करने में विफल रहे थे। इसलिए, राज्य कैदी चंद्रहास के मानव अधिकार के उल्लंघन एवं उसके मौत के लिए उत्तरदायी था। अतः आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी कर यह पूछा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अंतर्गत मृतक चंद्रहास के मानव अधिकार के उल्लंघन के कारण उसके निकटतम परिजन को रुपये तीन लाख (₹ 3,00,000/–) के मुआवजे के भुगतान के लिए सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

4.73 आयोग ने दिनांक 01.12.2017 को जेल अधिकारियों, यूपी सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया पर विचार किया और पाया कि चंद्रहास को, कानून के नियमानुसार संबंधित अदालत के समक्ष पेश करने के लिए जेल प्रशासन को सौंप दिया गया था। यह जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वह उसे सुरक्षित, स्वस्थ और ठीक रखें ताकि सक्षम अदालत के समक्ष मुकदमे की कार्यवाही की जा सके। जेल अधिकारी, मृतक चंद्रहास की मौत के लिए अपने उस दायित्व से बच नहीं सकते जिसके अंतर्गत मृतक को सह–कैदियों द्वारा मारा गया था। तथ्य दर्शाते हैं कि जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों की गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण की कमी थी। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कैदियों के पास साथी कैदी को घायल करने के लिए हथियार थे। हथियार द्वारा घायल करने के इन साधनों को जेल में जेल कर्मचारियों की मिलीभगत या लापरवाही के बिना संभव नहीं हो सकता था। तत्कालीन जेल स्टाफ अपनी कर्तव्य के निर्वहन में बहुत लापरवाही की जिसके परिणामस्वरूप यह घटना घटित हुई। यदि जेल अधिकारियों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की होती, तो मृतक चंद्रहास की जान बचाई जा सकती थी।

4.74 इसलिए आयोग ने राज्य के तर्क को अस्वीकार कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को मुजफ्फरनगर के जेल अधिकारियों द्वारा मृतक कैदी चंद्रहास के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उसके निकटतम परिजन को ₹ 3,00,000/– (केवल तीन लाख रुपये) के आर्थिक मुआवजे की सिफारिश की। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को जेल के शेष अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट और विभागीय कार्रवाई की स्थिति का इंतजार है।

13. जिला जेल, शेखपुरा, बिहार में जेल कर्मचारियों द्वारा महिला कैदी का बलात्कार किया गया

(मामला संख्या 1856/4/34/2013)

4.75 आयोग को दिनांक 19.05.2013 को श्री आर. एच. बंसल, महासचिव, अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद, दिल्ली से एक शिकायत मिली जिसमें यह उल्लेख किया गया कि शेखपुरा, बिहार की जिला जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ देवेंद्र राम ने बलात्कार किया।

4.76 इस घटना पर आयोग ने 22.5.2013 को संज्ञान लिया और जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा, बिहार से 30.5.2013 को एक रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें उल्लेख किया गया कि दिनांक 15.5.2013 को उपर्युक्त घटना के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 17.5.2013 को आईपीसी की धारा 376 (2)(सी)/34 के अंतर्गत अपराध संख्या 150/13 में एक मामला दर्ज किया गया। मामला की जांच चल रही थी। पीड़िता को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया और लिए गए नमूनों को जांच के लिए एफएसएल, पटना भेजा गया। अपराध दंड संहिता 164 की धारा के अंतर्गत अभिलेखित किये गए अभियोजन पक्ष/पीड़िता के बयान में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से अदालत के सामने कहा कि दिनांक 5.4.2013 को जेल स्टाफ देवेंद्र ने उसके साथ महिला वार्ड में बलात्कार किया।

4.77 आयोग द्वारा 10.07.2014 को रिपोर्ट पर विचार किया गया और हिरासत में महिला के मानव अधिकारों के उल्लंघन का यह एक स्पष्ट मामला होने के कारण, मुख्य सचिव, बिहार सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए)(1) के अंतर्गत नोटिस जारी कर यह पूछा पीड़ित को आर्थिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4.78 आयोग द्वारा 22.11.2017 को राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर विचार किया गया। आयोग ने यह पाया कि अधिकारियों द्वारा इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने जेल अधिकारी पर जेल के परिसर के अंदर बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए थे। यह उस व्यक्ति के शरीर के खिलाफ किया गया अपराध है जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने गहन जांच के बाद, प्रथम दृष्टया इस आरोप को सही पाया और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सक्षम अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इन परिस्थितियों में, आयोग बिहार राज्य द्वारा प्रस्तुत उत्तर से संतोष नहीं था। तदनुसार, आयोग ने बिहार सरकार को पीड़ित को उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए ₹ 3,00,000/– (केवल तीन लाख रुपए) का भुगतान करने की सिफारिश की। अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

14. पुलिस प्रहरी उपलब्ध न होने के कारण कैदी को सुनवाई के लिए अदालत नहीं ले जाया गया

(मामला संख्या 27705/24/1/2016)

4.79 आयोग को दिनांक 12.07.16 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें शिकायतकर्ता, शंभू, आगरा के सेंट्रल जेल के एक कैदी ने आरोप लगाया कि पुलिस गार्डों की उपलब्धता नहीं होने के कारण उसके मामले की सुनवाई की तारीखों पर उसे कोर्ट में नहीं ले जाया गया, जिसके कारण न्यायालय द्वारा उनके मामले के न्याय निर्णय में देरी हुई।

4.80 आयोग के निर्देशों के उत्तर में, दिनांक 31.12.16 को डी.एम., आगरा, उत्तर प्रदेश से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता, विभिन्न न्यायालयों में लंबित एक मामले में दोषी होने के साथ–साथ दो अन्य मामलों में भी दोषी था। जेल प्रशासन ने एसएसपी, आगरा और इंस्पेक्टर, पुलिस लाइंस, आगरा ने अलग–अलग अदालतों में जेल के कैदियों को ले जाने के लिए गार्ड की मांग रखी। जब पुलिस गार्ड मुहैया कराए जायेंगें तभी जेल के कैदियों को न्यायालयों के सामने पेश किया जा सकता है। इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई है। न्यायालयों द्वारा सुनवाई की तारीखों और उन तारीखों पर गार्डों की उपलब्धता / गैर–उपलब्धता की जानकारी प्रदान की गई।

4.81 आयोग ने दिनांक 14.06.2017 को रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर विचार किया और पाया कि 23 में से 9 मामलों की सुनवाई के दौरान पुलिस गार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। सुनवाई की तारीखों पर जेल से कैदियों को न्यायालयों में ले जाने एवं वापस जेल में लाने के लिए गार्ड उपलब्ध कराना, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। पुलिस गार्डों की अनुपलब्धता के विवरण से यह स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन साधारण तरीके से कार्य कर रहा है और कोर्ट की सुनवाई के समय पुलिस गार्ड उपलब्ध कराने संबंधी विषय पर गंभीरता का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप मामलों की सुनवाई में देरी होती है। इन परिस्थितियों में, आयोग ने डीजीपी, उत्तर प्रदेश को संबंधित एसएसपी को निर्देश जारी करने के आदेश दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों की सुनवाई के लिए जेल के कैदियों को अदालत में ले जाने और उन्हें वापस लाने के लिए जेल प्रशासन को अवश्यमेव की जाए ताकि मामले की सुनवाई में देरी से बचा जा सके।

4.82 उपर्युक्त घटना के सन्दर्भ में दिनांक 2.9.2017 को एसपी (एचआर), डीजीपी, उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट से प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जनवरी से जुलाई 2017 के दौरान दस अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें से पांच अनुरोधों में शिकायतकर्ता को जिला आगरा से जिला अमरोहा तक पुलिस गार्ड उपलब्ध कराया गया था। शेष पांच अनुरोधों में वीवीआईपी कार्यों, उप–चुनावों और पुलिस अधिकारियों के उचित कर्तव्य निर्वहन के कारण सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। जेल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए पुलिस लाइन आगरा को निर्देश जारी किए गए हैं।

4.83 आयोग ने 26.12.2017 को इस मामले पर आगे विचार किया और देखा कि समय–समय पर दोषी कैदियों को चिकित्सा उपचार के लिए या अदालत की सुनवाई की तारीखों में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षा गार्डों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। अखिल भारत के आधार पर ये शिकायतें प्राप्त होती हैं और इस तरह के मामलों की बहुलता से बचने के लिए इसे अखिल भारतीय आधार पर सामान्य दिशानिर्देश जारी करने हेतु उपर्युक्त मामले को पूर्ण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

4.84 मामला पूर्ण आयोग में विचाराधीन है।

15. तिहाड़ जेल की रसोई में काम करते हुए कैदी चंदर की लगी चोट के कारण दिव्यांगता

(मामला संख्या 3595/30/9/2015)

4.85 नई दिल्ली में तिहाड़ सेंट्रल जेल–5 में बंद शिकायतकर्ता चंदर ने जेल की रसोई की आटा गूंथने वाली मशीन में हाथ के कुचले जाने के सन्दर्भ में पर्याप्त मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया है।

4.86 आयोग के निर्देशों के अनुसार, महानिदेशक (कारागार), मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली ने बताया कि शिकायतकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और उसे अन्य कैदियों के साथ भोजन तैयार करने के लिए लंगर में काम सौंपा गया था। दिनांक 03.04.2015 को, यह पाया गया कि दोषी का दाहिना हाथ गलती से अट्टा गुथने वाली मशीन में फंस गया। जेल अधिकारियों ने तुरंत अन्य कैदियों की मदद से उसका हाथ मशीन से बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार देने के बाद, कैदी को आगे के इलाज के लिए डीडीयू अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और उन्हें

आईसीयू में रखा गया। श्री चंदर सिंह की पत्नी श्रीमती कविता को ₹ 50,000/– दिए गए। उक्त कैदी को कृत्रिम हाथ प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही थी।

4.87 आयोग ने दिनांक 21.11.2016 को इस मामले पर विचार किया और महानिदेशक (कारागार), तिहाड़, नई दिल्ली को निर्देश दिया कि चोट की वजह से पीड़ित को होने वाली दिव्यांगता के प्रतिशत का स्तर और उसे कृत्रिम हाथ प्रदान करने की स्थिति के विषय में एक रिपोर्ट भेजें।

4.88 दिल्ली पुलिस मुख्यालय (कारागारें) के अधीक्षक ने बताया कि जेल चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, चोट के कारण पीड़ित को होने वाली दिव्यांगता की प्रकृति स्थायी है और डीडीयू अस्पताल के अनुसार, पीड़ित की दिव्यांगता 69 प्रतिशत है। एम्स में एक कृत्रिम हाथ तैयार किया गया था, लेकिन कैदी ने एम्स के पीएमआर विभाग द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम हाथ को लेने से इनकार कर दिया। कैदी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसने ऐसे यांत्रिक हाथ प्रदान करने का अनुरोध किया जिसके द्वारा वह अपने दिन–प्रतिदिन का काम कर सकता है एवं यह मामला आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में विचाराधीन था।

4.89 आयोग ने 11.10.2017 को इस मामले पर विचार किया और माना कि प्रथम दृष्टया कैदी के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया एवं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इसके मुख्य सचिव के माध्यम से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और पूछा कि आयोग को पीड़ित को मुआवजे के रूप में पर्याप्त राशि की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। साथ ही महानिदेशक (जेल), तिहाड़, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कैदी को प्रशासन द्वारा नवीनतम कृत्रिम हाथ प्रदान किया जाए और इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजें।

4.90 आयोग ने जेल विभाग के इस जवाब को खारिज कर दिया कि दुर्घटना पीड़ित की लापरवाही का नतीजा था और उनकी पत्नी श्रीमती कविता को पहले से ही भुगतान किए गए ₹ 50,000/– के अलावा कैदी चंदर को ₹ 1,00,000/– का मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही महानिदेशक (कारागार), मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली को एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया कि क्या दोषी को प्रशासन द्वारा नवीनतम कृत्रिम हाथ प्रदान किया गया है या नहीं।

4.91 उपर्युक्त मामला आयोग के अंतर्गत विचाराधीन है।

(च) बिजली से करंट लगने के मामले

16. एक 15 साल के लड़के शोएब की मौत करंट लगने की वजह से हुई जबकि उसके भाई को चोटें आईं

(मामला संख्या 17753/24/19/2014)

4.92 आयोग को दिनांक 20.05.2014 को एक गैर सरकारी संगठन के उपाध्यक्ष, श्री इम्तियाज खान से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें शिकायतकर्ता ने "भारत एकता टाइम्स" में प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति संलग्न की थी। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, 15 साल के शोएब की मृत्यु बिजली का करंट लगने के कारण हुई और पांच अन्य

ग्रामीणों को उनके घरों में करंट के उच्च वोल्टेज के प्रवाह के कारण गंभीर चोटें आईं। उपर्युक्त घटना बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण घटित हुई।

4.93 दिनांक 06.06.2014 को आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और प्रमुख सचिव, बिजली विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की। आयोग ने दिनांक 04.02.2016 को इस मामले पर विचार किया और पाया कि यह घटना एलटी लाइन में विद्युत प्रवाह के बहुत अधिक वोल्टेज के कारण हुई, जिससे गाँवों में बिजली पहुँचती है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत धारा का उच्च वोल्टेज पेडस्टल फैन से गुजरा, जिसके परिणामस्वरूप शोएब अहमद की मृत्यु हो गई और उसके भाइयों और शकुंतला देवी को चोटें आईं। अतः बिजली विभाग की ओर से की गई लापरवाही के कारण मौत हुई। दूसरी बात यह है कि बिजली विभाग का यह कर्तव्य था कि वह अवैध विद्युत कनेक्शन के उपयोग को प्रतिबंधित करें किन्तु वे इस कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। इसलिए राज्य सरकार शोएब अहमद की मृत्यु और अन्य लोगों को आई चोटों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इस संबंध में आयोग ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ (एआईआर 1987 एससी 965) और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड बनाम शैल कुमारी और अन्य (एससीसी (2002) 2, 162)के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा।

4.94 आयोग ने यह विचार किया कि विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार की लापरवाही के कारण मृतक के साथ–साथ जो लोग घायल हुए हैं, उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत एक नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि वे छह सप्ताह के भीतर कारण बताएं कि मृतक श्री शोएब अहमद के अलावा 03 अन्य घायल व्यक्तियों, सुहैल अहमद, गुलफाम अहमद और श्रीमती शकुन्तला देवी के निकटतम परिजनों को मुआवजे के रूप में भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4.95 आयोग ने दिनांक 23.11.2017 को इस मामले पर फिर से विचार किया और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर, यह माना कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार आयोग ने मृतक शोएब अहमद के परिजनों को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए₹ 2,00,000/– (केवल दो लाख रुपये) की राशि के आर्थिक मुआवजे के भुगतान की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आठ सप्ताह के भीतर घायल सुहैल अहमद और गुलफाम अहमद, जो करंट लगने के कारण घायल हो गए थे, के विषय में प्रत्येक को ₹ 15,000/– और श्रीमती शंकुतला देवी, पत्नी श्री कल्लू राम, को उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए ₹ 40,000/ आर्थिक मुआवजे की सिफारिश की गई।

4.96 उत्तर प्रदेश सरकार से भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

17. 11 केवी की बिजली का तार नीचे होने के कारण, ग्राम बदरुपा, जिला बदरक, ओडिशा में 60 वर्षीय ब्रज किशोर साहू की मृत्यु

(मामला संख्या 5685/18/18/2016)

4.97 एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, श्री राधाकांत त्रिपाठी ने शिकायत की कि दिनांक 16.09.2016 को ब्रज किशोर साहू, जो कि ग्राम बदरुपा, जिला भद्रक, ओडिशा के निवासी थे एवं जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष थी, अपने धान के

खेतों में काम करने जा रहे थे एवं वहां नीचें लटके हुए 11 केवी की इलेक्ट्रिक लाइन के संपर्क में आने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

4.98 आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक, भद्रक ने बताया कि आईपीसी की धारा 304 ए/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच जारी थी। ओडिशा सरकार के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त सचिव ने बताया कि कार्यकारी अभियंता–सह–उप–विद्युत निरीक्षक, भद्रक ने पूछताछ के दौरान पाया कि पोल के झुकाव के कारण, एक वर्ष से अधिक समय से कंडक्टर लगभग 2 मीटर की कम ऊंचाई पर लटका हुआ था, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने नेस्को के अधिकारियों को दी थी। लेकिन नेस्को के अधिकारियों ने नीचे लटके हुए कंडक्टर को उचित स्थिति में लाने के सन्दर्भ में समय पर कार्रवाई नहीं की। चूंकि दुर्घटनास्थल सब–स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए दुर्घटना के समय लाइन को अलग करने के लिए सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग तंत्र पर्याप्त नहीं था। इसलिए, नेस्को के अधिकारी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं।

4.99 आयोग ने रिपोर्टों पर विचार किया और पाया कि चूंकि अधिशासी अभियंता–सह–उप–विद्युत निरीक्षक, भद्रक ने नेस्को अधिकारियों को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाया है, इसलिए ओडिशा सरकार, किसान ब्रज किशोर साहू की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है एवं सरकार को उसके निकट परिजनों को क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार करना चाहिए। आयोग ने ओडिशा सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से यह निर्देश दिया कि वे कारण बताएं कि आयोग को मृतक ब्रज किशोर साहू के परिजनों को मुआवजे के रूप में ₹ 2,00,000/– के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।।

4.100 उपर्युक्त निर्देश के प्रत्युत्तर में, भद्रक नॉर्थ इलेक्ट्रिकल डिवीजन, नेस्को यूटिलिटी के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि उस दिन, कंडक्टर नीचे नहीं गिरा और सुरक्षित था। बिजली चमकने के कारण हादसा हुआ होगा।

4.101 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और पाया कि नेस्को द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कार्यकारी अभियंता–सह–उप–विद्युत निरीक्षक, भद्रक के दिनांक 30.05.2017 की जाँच रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं है, जिसमें दुर्घटना के लिए नेस्को को पूर्ण रूप से जिम्मेदार पाया गया है। इसलिए आयोग ने ओडिशा सरकार को मृतक ब्रज किशोर साहू के परिजनों को मुआवजे के रूप में ₹ 2,00,000/– का भुगतान करने की सिफारिश की। अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

दृ प्रदूषण और पर्यावरण मामले

18. पलक्कड़ की रेलवे कॉलोनी में सेप्टिक टैंक होने के कारण आस–पास के पानी निकायों के दूषित होने से पर्यावरणीय खतरा।

(मामला संख्या 295/11/10/2017)

4.102 शिकायतकर्ता के. मीनाक्षी अम्मा एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जो केरल के शोरनूर नगर पालिका के गणेशगिरि में रेलवे परिसर के पास रहती हैं। उनकी शिकायत यह थी कि रेलवे ने रेलवे कॉलोनी के निवासियों के शौचालय सह अपशिष्ट जल को साफ करने के उद्देश्य से रेलवे कॉलोनी परिसर में एक सेप्टिक टैंक का निर्माण किया है। चूंकि निर्माण सही नहीं किया गया था, वहां से गन्दा पानी निकल रहा है, जिससे उसके कुएं और आसपास के क्षेत्रों का

पानी दूषित हो रहा है। इस मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपरोक्त कारण के फलस्वरूप, उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। रेलवे क्वार्टर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी गर्मी के मौसम में उनके कुएं के पानी पर निर्भर रहते हैं।

4.103 इस मामले में आयोग ने दिनांक 11.05.17 को संज्ञान लिया और मंडल रेलवे प्रबंधक, पलक्कड़ डिवीजन, केरल से रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देशों के जवाब में, डिवीजनल रेलवे मैनेजर (वर्क्स), ने दिनांक 08.06.17 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मिट्टी के टूटे हुए पाइपों, भरे हुए सीवरेज और लगातार टॉयलेट ब्लॉक होने के बारे में शिकायतें मिली थीं। मामले की जांच की गई और तदनुसार, निविदा की मांग की गई और काम किया गया। आगे स्थानीय जनता के अत्यधिक रोष के कारण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने उस स्थान का निरीक्षण किया और पाया कि सेप्टिक टैंक संरचनात्मक रूप से ठीक था, जिसमें कोई रिसाव नहीं हो रहा था, लेकिन लीच पिट को कुएं से आगे दूर स्थानांतरित करने की सलाह दी गई। लेकिन स्थानीय निवासी नए सेप्टिक टैंक के लिए सीवेज को मोड़ने पर सहमत नहीं हुए। जनता को संतुष्ट करने के लिए, पूरे सीवेज को पुराने सेप्टिक टैंक में ले जाया जा रहा है और यह काम पूर्ण होने वाला है।

4.104 शिकायतकर्ता से एक और पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने आयोग को हस्तक्षेप और समस्या का समाधान करने के लिए धन्यवाद दिया है। आयोग ने दिनांक 03.05.2018 को संभागीय रेल प्रबंधक (वर्क्स) दक्षिणी रेलवे, पालघाट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और शिकायतकर्ता की टिप्पणियों पर भी विचार किया है। चूंकि शिकायत का समाधान हो गया है और शिकायतकर्ता संतुष्ट है, इसलिए आयोग में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मामला बंद हो गया।

अन्य महत्वपूर्ण मामले

19. दिल्ली के जामिया नगर में आवारा कुत्तों के हमले के कारण सात साल के लड़के की मौत (मामला संख्या 4375/30/8/2015)

4.105 यह मामला दिनांक 05.08.2015 को प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली में "जामिया नगर में 7 साल के लड़के पर पांच आवारा कुत्तों का हमला" शीर्षक के तहत प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट से संबंधित है। पांच आवारा कुत्तों के हमले और काटने से लड़के की मौत हो गई।

4.106 दक्षिण दिल्ली नगर निगम और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव की रिपोर्ट पर विचार करते हुए आयोग 01.01.2018 को अपनी कार्यवाही के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम पीड़ित बच्चे, जो कुत्ते के काटने से घायल हो गया, के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहा। यह घटना उस बच्चे के मानव अधिकारों (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन था, जिसके लिए एनसीटी दिल्ली सरकार, मृतक बच्चे के निकटतम परिजनों को क्षतिपूर्ति के प्रति उत्तरदायी थी।

4.107 इसलिए, आयोग ने 01.01.2018 को अपनी कार्यवाही के दौरान, एनसीटी दिल्ली सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (i) के तहत उनके मुख्य सचिव के माध्यम से एक नोटिस जारी किया और

कारण बताने के लिए कहा कि आयोग को मृत बच्चे के निकटतम परिजन को ₹ 1,00,000/– के भुगतान के लिए सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

4.108 जवाब में, अतिरिक्त निदेशक (वीएस) –II, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली ने दिनांक 28.02.2018 को अपना जवाब भेजा, जिसमें एन.सी.टी. की दिल्ली सरकार के चार पशु अस्पतालों में आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम को आवारा कुत्तों की आबादी को समयबद्ध तरीके से नियंत्रित करने के लिए कुछ कुत्ते नसबंदी केंद्रों की स्थापना करनी थी। जवाब में यह दावा किया गया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम में ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

4.109 आयोग ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली के जवाब पर विचार किया, और पाया कि आवारा कुत्तों के खतरे से बच्चों की सुरक्षा करना दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कर्तव्य है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम पीड़ित बच्चे के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहनमें विफल रहा जिसके फलस्वरूप उस बच्चे के मानव अधिकारों (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन हुआ एवं जिसके लिए एनसीटी की दिल्ली सरकार को मृतक बच्चे के निकतम परिजनों को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माना।

4.110 इसलिए आयोग ने 23 मार्च, 2018 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से एनसीटी की दिल्ली सरकार को सात साल के मृतक बच्चे के निकटतम परिजन को मुआवजे के रूप में ₹ 1,00,000/– (केवल एक लाख रुपये) देने की सिफारिश की और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भुगतान प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर प्रेषित करने का निर्देश दिया।

4.111 उपर्युक्त मामला विचाराधीन है।

20. असम जिले के कोकराझार और बक्सा जिलों के गांवों में अज्ञात बदमाशों के एक समूह, जिस पर एनडीएफबी (एस) के प्रतिबंधित संगठन के सदस्य होने का संदेह था, द्वारा किए गए हमले में 39 ग्रामीणों की मौत।

(मामला संख्या 215/3/11/2014)

4.112 यह मामला दो घटनाओं से संबंधित है जिसमें अज्ञात बदमाशों के एक समूह, जिस पर एनडीएफबी (एस) के प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने का संदेह था, ने घातक हथियारों से लैस होकर बालापारा और नोनहा खगबारी गाँव, असम के ग्रामीणों पर पहले 1.5.2014 और फिर 2.5.2014 को हमला किया था। इस घटना में 39 ग्रामीणों की मौत हो गई थी और चार लोगों को गोली लगी थी। इस घटना में सुरक्षित बचे कुछ लोगों ने एक विशिष्ट शिकायत की कि जब ग्रामीण खगराबादी में वन कार्यालय पहुंचे, तो वन कर्मियों ने मदद करने की बजाय, उन पर गोलीबारी की और कुछ घरों में आग लगा दी।

4.113 आयोग द्वारा शुरू की गई जांच के दौरान, यह सूचित गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा विचाराधीन दो घटनाओं की जांच की गई थी। अदालत के समक्ष दोनों मामलों में आरोप पत्र भी दायर किये गए थे। यह भी उल्लेख किया गया कि इस घटना में वन अधिकारियों की मिलीभगत से एनडीएफबी के कथित कैडरों द्वारा

36 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी और इसमें चार वन अधिकारियों की संलिप्तता की भी पुष्टि की गई थी।

4.114 आयोग ने दिनांक 06.01.2017 को एनआईए की रिपोर्ट पर विचार करते हुए कहा कि चूंकि वन अधिकारियों ने एनडीएफबी कैडरों के साथ मिलकर नोनके खगराबारी और बालापारा के 36 ग्रामीणों का नरसंहार किया था, इसलिए असम राज्य मासूम ग्रामीणों की मौत के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (i) के तहत एनसीटी के दिल्ली सरकार को, उसके मुख्य सचिव के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया और कारण बताने के लिए कहा गया कि प्रत्येक मृतक व्यक्तियों के निकटतम परिजन को आर्थिक राहत के रूप में पांच लाख और प्रत्येक चार घायल व्यक्तियों को ₹ 1,00,000/– (एक लाख) का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों नहीं की जाती है।

4.115 राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार के सचिव ने दिनांक 21.08.2017 को अपने पत्र के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि घटना में घायल हुए चारों व्यक्तियों में से प्रत्येक को एक लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। घटना में मारे गए सभी 39 मृतक व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को पांच लाख रुपये एवं चारों घायल व्यक्तियों को एक लाख रुपये का भुगतान किए जाने के प्रमाण संलग्न किए गए थे।

4.116 चूंकि न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा आयोग द्वारा अनुशंसित आर्थिक क्षतिपूर्ति का भुगतान मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के साथ ही घायल व्यक्तियों को भी किया गया है, इसलिए आयोग ने दिनांक 06.11.2017 को अपनी कार्यवाही के दौरान मामला बंद कर दिया।

21. रक्षा मंत्रालय द्वारा पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकन की स्वीकृति में विलम्ब।

(मामला संख्या 156/11/1/2016)

4.117 शिकायतकर्ता, श्री एस. नटराजन, निवासी, हरिपद, जिला अलाप्पुझा, केरल, ने दिनांक 08.03.2016 की अपनी शिकायत में कहा है कि वे दिनांक 31.01.2001 को ओएफसी कार्यालय, रक्षा मंत्रालय की ए.एफ.एच.क्यू. नागरिक सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के समय, उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित किया। दिसंबर 2014 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, शिकायतकर्ता चाहते हैं कि उनके दिव्यांग बेटे, प्रशांत नटराजन, जो हेमिपारसिस (आर) के साथ सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है, को पेंशनभोगी/शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन मिले। शिकायतकर्ता ने पहले ही इस आशय के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर चुके हैं। संशोधित मेडिकल प्रमाण पत्र भेजने के बावजूद, पीसीडीए(पी), इलाहाबाद इस मामले को स्वीकार नहीं कर रहा है।

4.118 आयोग के निर्देशों के अनुसार, संयुक्त सचिव (टीआरजी) और सीएओ, रक्षा मंत्रालय, केरल सरकार ने दिनांक 25.05.2016 की अपनी रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता के पीपीओ में दिव्यांग बेटे का नाम शामिल करने के मामले को पुनः पीसीडीए (मुख्या.), नई दिल्ली के माध्यम से दिनांक 26.04.2016 को पीसीडीए को प्रेषित कर दिया गया।

4.119 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग ने दिनांक 09.08.2016 को स्पीड–पोस्ट के माध्यम से रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को उसकी टिप्पणियां, यदि कोई हो तो, के लिए प्रेषित की। शिकायतकर्ता ने दिनांक 18.08.2016

की अपनी टिप्पणियों के विषय में पत्र के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि उनके पीपीओ में उनके दिव्यांग बेटे प्रशांत नटराजन का नाम स्थायी रूप से जोड़ा गया। इस प्रकार, इस मामले में उनकी शिकायत का समाधान किया गया।

4.120 चूंकि शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान किया गया था अतः आयोग द्वारा किसी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, और 12 फरवरी 2018 को यह मामला बंद कर दिया गया था।

22. श्री सुनहेरा सिंह, जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ से एकाउंटेंट के रूप में सेवानिवृत्त हुए, को टर्मिनल लाभ प्रदान करने में विलम्ब।

(मामला संख्या 19804/24/57/2016)

4.121 आयोग को दिनांक 13.05.16 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2013 में बिजली विभाग, उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं हुई है।

4.122 आयोग के निर्देशों के अनुसार दिनांक 22.09.2016 को प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विदुत विज्ञान निगम लिमिटेड, से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार सभी टर्मिनल लाभ जैसे कि अनंतिम पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि जैसे लाभ को निगम द्वारा श्री सुनहेरा सिंह, लेखाकार (सेवानिवृत्त) को दिए गए एवं इसकी सूचना पत्र सं. 5159 /उप प्रबंधक (लेखा) / पेंशन / 13305 / 13–14 दिनांक 19.09.2016 के माध्यम से प्रदान की गयी थी। स्वीकृति पत्र की एक प्रति रिपोर्ट में संलग्न की गई थी।

4.123 आयोग ने 01.06.2017 को रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर विचार किया। प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता को पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि के लिए स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति आदेश की प्रति भी संलग्न की गई थी। इन परिस्थितियों में, आयोग द्वारा कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं किया गया और मामले को बंद कर दिया गया।

23. पश्चिम बंगाल के वैग्रेंट होम्स में रहने वालों की दयनीय स्थिति।

(मामला संख्या 694/25/13/2013)

4.124 इस मामले में, शिकायतकर्ता तपस कुमार रे, संस्थापक सचिव, एसईवीएसी ने पश्चिम बंगाल में बंगाल वैगरेन्सी एक्ट, 1943 के तहत स्थापित सात वैग्रेंट होम्स के निवासियों की स्थिति पर आयोग का ध्यान आकर्षित किया। शिकायतकर्ता ने आनंद बाजार पत्रिका में दिनांक 02.06.2013 को प्रकाशित एक प्रेस कतरन को संलग्न करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, जिले में 5 महीने के भीतर 21 पुरुषों और 11 महिलाओं सहित 32 निवासियों की मौत कुपोषण और चिकित्सा सहायता की कमी से हुई।

4.125 आयोग ने दिनांक 06.06.2013 को अपने आदेश के माध्यम से स्वयं के जांच प्रभाग के माध्यम से घटनास्थल की जांच की, जिसमें घरों की दयनीय अवस्था के साथ वेग्रांट के बुनियादी ढांचे, पहचान, स्क्रीनिंग और वर्गीकरण, स्टाफ की आवश्यकताओं, चिकित्सा सुविधाओं, पुनर्वास के उपाय आदि के संबंध में कई प्रतिकूल स्थितियां पाई गईं। उपरोक्त मुद्दों को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया और इसका समाधान करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें की

गईं।

4.126 आयोग ने दिनांक 28.11.2016 को आगे की कार्यवाही करते हुए मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल, कोलकाता सरकार से पश्चिम बंगाल में वैग्रेंट होम्स में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के प्रगति के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी।

4.127 उपर्युक्त विषय के जवाब में, आयोग ने महिला और बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव से दिनांक 06.09.17 की एक रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में वैग्रेंट होम्स के संबंध में कई कदम उठाए गए थे।

4.128 पांच घरों अर्थात् कैजुअल वैग्रेंट्स होम, अंदुल लेप्रोसी वैग्रांट होम बेलियाघाटा, टी.सी.पी.सी. टैंटीगरिया, पश्चिम मिदनापुर, न्यू वैग्रेंट होम ढाकुरिया और ल्युनेटिक वैग्रांट (फेमल विंग्स) महालंडी, मुर्शिदाबाद के लिए 3 मंजिला इमारत का निर्माण कर बुनियादी ढांचे में अतिरिक्त क्षमता और सुधार किया गया है। एक नए तीन मंजिला भवन को स्वीकृत किया गया है और इस सम्बन्ध में फीमेल वेग्रांट होम, उत्तरपारा स्थान में निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 2016–17 के दौरान आवंटित किये गए ₹ 2,39,44,235/– का उपयोग किया गया था। सभी घरों में एक्वा–गार्ड/ वाटर फिल्टर लगाया गया है। कुक/ रसोइया और गुणवत्तापूर्ण भोजन को सुनिश्चित किया गया है। स्वीपिंग एजेंसियों/ वाशिंग एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। इनमें रहने वाले लोगों को गर्मियों और सर्दियों के कपड़ों की नियमित रूप से आपूर्ति की जाती है। वैग्रांट होम के लिए मेडिकल ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। वेग्रांट में गैर वेग्रांट के प्रवेश को रोकने के लिए भिखारियों/ घुम्मकड़ों का वर्गीकरण किया गया है और जिला प्राधिकरण और न्यायिक विभाग से अनुरोध किया गया है, ताकि केवल बंगाल वेगरेंसी अधिनियम, 1943 में परिभाषित वैग्रांट को ही वैग्रांट होम प्रवेश दिया जाए। वैग्रेंट होम्स में अतिरिक्त श्रमशक्ति को नियुक्त किया गया है। वैग्रेंट को आत्म निर्भर बनाने के लिए अलग–अलग व्यापारों में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बंगाल वेगरेंसी अधिनियम, 1943 की समीक्षा की जा रही है और समीक्षा समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

4.129 आयोग ने 06.11.2017 को रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर विचार किया और पश्चिम बंगाल आयोग के विशेष प्रतिवेदक को मुशिर्दाबाद, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर 24 परगना और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिलों में वैग्रेंट होम्स के निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

24. रानपुर, जिला नयागढ़, ओडिशा में सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे को खुला छोड़ देने के कारण दो बच्चों की डूबने से मौत।

(मामला संख्या 1209/18/31/2016)

4.130 यह मामला दिनांक 10.01.2016 की प्राप्त एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खनन माफिया स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नयागढ़ जिले के रानपुर क्षेत्र में पत्थर की खदानों के अवैध खनन में लिप्त है। दिनांक 09.01.2016 को एक खुले खदान,जिसमें बारिश का पानी भर गया था, में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई।

4.131 नोटिस के जवाब में, एसपी, नयागढ़, ओडिशा ने दिनांक 10.5.2016 के अपने पत्र के माध्यम से सूचना दी कि इस संबंध में दिनांक 09.01.2016 को रानपुर पुलिस स्टेशन में यूडी मामला सं.1 और 2 पंजीकृत किया गया और पूछताछ की गई। वर्ष 2014–15 के दौरान मोरम का उपयोग करने के लिए सड़क के निर्माण हेतु गड्ढा खोदा गया था। उक्त गड्ढे में बारिश का पानी एकत्र हो गया और दिनांक 9.1.2016 को, सिपुन परिदा (3 वर्ष) और शुभम परिदा (10 वर्ष) नाम के दो बच्चे इस गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। एक अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था और प्रत्येक मृतक बच्चो के परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में ₹ 10,000/– की राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि दोनों बच्चों की मौत के पीछे किसी भी तरह की साजिश का पता नहीं चला। उन बच्चो की मौत डूबने से श्वासावरोध के कारण हुई।

4.132 आयोग द्वारा दिनांक 12.09.2017 को अपनी कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर विचार किया गया और ओडिशा सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से प्रत्येक मृतक सिपुन परिदा और शुभम परिदा के निकटतम परिजनों को ₹ 1,00,000/– (रुपए एक लाख) का भुगतान करने की सिफारिश के साथ छह सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

25. श्री माता वैष्णो देवी पवित्र तीर्थ स्थल, कटरा, जम्मू में खच्चर वालों, पालकी वालों पिट्ठूवालों और ऐसे अन्य श्रमिकों का–गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार

(मामला संख्या 135/9/5/2014)

4.133 आयोग को डॉ. योगेश दुबे से माता वैष्णो देवी, तीर्थस्थल में खच्चर वालों, पालकी वालों पिट्ठूवालों और अन्य ऐसे श्रमिकों की दुर्दशा की शिकायत मिली, जो जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा कोई सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान नहीं किये जाने के कारण दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अत्यधिक गरीबी के कारण, 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के अपने और अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम में लगे हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें शिक्षा और इस तरह के अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ा। इस प्रकार शिकायतकर्ता ने इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की।

4.134 आयोग के निर्देशों के जवाब में गृह विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार के उप सचिव, ने उल्लेख किया कि नगर समिति, कटरा ने 2013 से इन श्रमिकों के कल्याण का दायित्व लिया था और इन मजदूरों की समस्याओं को संतोषजनक रूप से अवलोकन किया गया। यह बताया गया कि जम्मू–कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कारण, नगरपालिका समिति की गतिविधियों पर रोक लगी हुई थी और यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन था। रिपोर्ट के अनुसार, इस आदेश के परिणामस्वरूप, उक्त मजदूरों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ा। लेकिन बाद में, माता वैष्णो देवी तीर्थ बोर्ड प्रबंधन द्वारा माता वैष्णो देवी जाने का मार्ग प्रबंधन उन्हें संभालने के साथ साथ, इन मजदूरों के कल्याण पर ध्यान देना था।

4.135 आयोग के अग्रिम निर्देशों के अनुसार, यह सूचित किया गया कि गरीब खच्चरवालों, पालकीवालों और पिट्ठूवालों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। मजदूरों के इन वंचित वर्गों को पंजीकृत किया गया, पहचान पत्र जारी किए गए, उन्हें दो लाख रुपये के कवरेज के साथ अनिवार्य बीमा की सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा, मंदिर में कार्यरत इन मजदूरों के पक्ष में अलग–अलग जनधन खाते खोले गए। उनके परिवार के

सदस्यों की चिकित्सीय जांच और ऐसी अन्य सुविधाओं का प्रावधान का आरम्भ विधिवत रूप से किया गया। इसके अलावा उन्हें अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी अन्य केंद्रीय कल्याण योजनाओं के लिए सूचीबद्ध किया गया। उनके पशुओं के ग्रंथी रोगों के विषय में, सरकार ने उनके प्रतिस्थापन के लिए₹ 25,000/– का नकद मुआवजा प्रदान किया। इसके अलावा, रिपोर्ट में कई अन्य महत्वपूर्ण उपाय शामिल थे, जो विशेष रूप इन मजदूरों के कौशल विकास, उनके पारंपरिक पालकी के डिजाइन में सुधार, सब्सिडी वाले भोजन की आपूर्ति के प्रावधान और सरकार द्वारा कल्याण के लिए अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों से संबंधित थे।

4.136 आयोग ने सावधानीपूर्वक रिपोर्ट की सामग्री पर विचार किया और उपरोक्त गरीब मजदूरों के कल्याण के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का अवलोकन किया। सरकार द्वारा उठाये गए इन उपायों की एक प्रति शिकायतकर्ता को उसकी सूचना और टिप्पणियों,यदि कोई हो, के लिए प्रेषित की गई। प्रत्युत्तर में, शिकायतकर्ता ने अपनी विस्तृत टिप्पणियाँ प्रस्तुत की और बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक मुद्दों को उठाया, जिसके सम्बन्ध में जम्मू–कश्मीर के राज्य अधिकारियों द्वारा जांच करने की आवश्यकता थी। उपर्युक्त टिप्पणियों की एक प्रति जम्मू–कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव को उनके परीक्षण और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है।

4.137 उपर्युक्त मामला आयोग के अधीन विचाराधीन है।

घ. जेल में स्थितियां

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार, आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकारों के नियंत्रण में जेलों और अन्य सुधारात्मक संस्थानों का दौरा करना है, जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए हिरासत में लिया जाता है या उन्हें बंधक बनाया जाता है, ताकि यहाँ की परिस्थितियों का आकलन कर सरकार को सिफारिशें की जा सके (अधिनियम का एस/सी –12 (सी))।

अ) दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2018 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त विशेष प्रतिवेदकों द्वारा निम्नलिखित यात्राएँ की गईं:

क्र.सं.	विशेष प्रतिवेदक का नाम	यात्रा की तिथि	यात्रा स्थान
1.	डॉ. अशोक साहू	9–19 अप्रैल, 2017	मुम्बई, रायगढ़ और थाने, महाराष्ट्र (बाल/बंधुआ मजदूर)
2.	डॉ. विनोद अग्रवाल	26 अप्रैल, 2017	लोक नायक जय प्रकाश नारायण कारागार, हजारीबाग
3.	श्री जैकब पुन्नूस	29 अप्रैल, 20171	अर्नाकुलम जिला कारागार
4.	श्रीमती एस. जलजा	5–21 मई, 2017	नागपुर, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली एवं भण्डारा, महाराष्ट्र में केन्द्रीय/जिला कारागार
5.	श्रीमती एस. जलजा	15–20 मई, 2017	महाराष्ट्र (नागपुर, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, भण्डारा एवं गोंडिया)
6.	माननीय सदस्य श्री एस. सी. सिन्हा	25–26 मई, 2017	केन्द्रीय कारागार, मुम्बई की निरीक्षण यात्रा

7.	डॉ. विनोद अग्रवाल	7–8 जून, 2017	बेउर केन्द्रीय कारागार, पटना
8.	डॉ. अशोक साहू	18–24 जून, 2017	लखनऊ, बाराबंकी एवं सीतापुर, उत्तर प्रदेश (बाल/बंधुआ मजदूर)
9.	डॉ. विनोद अग्रवाल	22 जून, 2017	बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार, होटवार एवं महिला परिवीक्षा गृह, नमकून, रांश
10.	श्री सुनील कृष्णा	23–25 जून, 2017	नैनी केन्द्रीय कारागार, इलाहाबाद एवं बच्चों के लिए 04 सरकारी घर
11.	श्री अनिल प्रधान	26–30 जून, 2017	जिला डिब्रूगढ़, असम में फ्लैगशिप कार्यक्रम
12.	श्री जैकब पुन्नूस	28–29 जून, 2017	त्रिवेन्द्रम, केरल (आदिवासी क्षेत्र)
13.	डॉ. अशोक साहू	11–16 सितम्बर, 2017	केरल (तिरुवनन्तपुरम, अर्नाकुलम एवं थ्रिसुर)
14.	डॉ. विनोद अग्रवाल	12 सितम्बर, 2017	केन्द्रीय कारागार, गढ़ीदीह, जमशेदपुर
15.	डॉ. विनोद अग्रवाल	14 सितम्बर, 2017	अलीपुर केन्द्रीय कारागार, कोलकाता
16.	श्रीमती एस. जलजा	9–12 अक्तूबर, 2017	सब जेल, दीव एवं न्यू मॉडर्न केन्द्रीय कारागार, कॉलवाले, उत्तरी गोवा
17.	श्रीमती एस. जलजा	9–12 अक्तूबर, 2017	केन्द्र शासित प्रदेश दीव (मानव संसाधन की स्थिति)
18.	डॉ. अशोक साहू	9–13 अक्तूबर, 2017	असम (दिसपुर, गोलपारा एवं कामरूप)
19.	श्रीमती एस. जलजा	10–12 अक्तूबर, 2017	गोवा (मानव संसाधन की स्थिति)
20.	डॉ. विनोद अग्रवाल	12 अक्तूबर, 2017	बक्सर केन्द्रीय कारागार एवं बक्सर ओपन जेल
21.	डॉ. अशोक साहू	6–11 नवम्बर, 2017	राजस्थान (जयपुर, जैसलमेर एवं जोधपुर)
22.	श्रीमती एस. जलजा	26 नवम्बर–1 दिसम्बर, 2017	सतारा, रतनगिरी, सिन्धुदुर्ग में जिला कारागार एवं केन्द्रीय कारागार, काल्हापुर, महाराष्ट्र
23.	श्री सुधीर कुमार	26–30 दिसम्बर, 2017	सजीवा केन्द्रीय कारागार, मणिपुर
24.	डॉ. विनोद अग्रवाल	28–30 दिसम्बर, 2017	सांगानेर ओपन जेल, जयपुर एवं सवाईमाधोपुर सब जेल, राजस्थान
25.	डॉ. विनोद अग्रवाल	10–12 जनवरी, 2018	मॉडल जेल लखनऊ एवं जिला जेल, दसना
26.	डॉ. अशोक साहू	15–20 जनवरी, 2018	तेलंगाना (हैदराबाद, रंगारेड्डी एवं मेडक)
27.	श्रीमती एस. जलजा	21–26 जनवरी, 2018	तमिलनाडु में ओखी चक्रवात
28.	श्रीमती एस. जलजा	21–26 जनवरी, 2018	केन्द्रीय जेल पलयामकोट्टी, महिलाओं के लिए विशेष जेल, काकिराकुलम, तिरुनेलवेली, जिला जेल रामनाथपुरम, टूथुकुड़ी एवं कन्याकुमारी, तमिलनाडु
29.	माननीय सदस्य श्री पी.सी.घोष	23–27 एवं 29–30 जनवरी, 2018	(i) प्रेसीडेन्सी करेक्शनल होम, अलीपुर ;पपद्ध अलीपुर वीमेन्स करेक्शनल होम ;पपपद्ध अलीपुर सेन्ट्रल करेक्शनल होम
30.	डॉ. विनोद अग्रवाल	25–29 जनवरी, 2018	तिहाड़ केन्द्रीय कारागार, दिल्ली
31.	डॉ. विनोद अग्रवाल	31 जनवरी, 2018	केन्द्रीय कारागार, इंदौर
32.	डॉ. विनोद अग्रवाल	1 फरवरी, 2018	जिला जेल, इंदौर
33.	डॉ. विनोद अग्रवाल	10 फरवरी, 2018	बेउर केन्द्रीय कारागार, पटना की पुनः यात्रा
34.	डॉ. अशोक साहू	11–17 फरवरी, 2018	पंजाब (चण्डीगढ़, जालन्धर एवं अमृतसर)
35.	डॉ. विनोद अग्रवाल	19 फरवरी, 2018	जिला जेल, फरीदाबाद
36.	डॉ. विनोद अग्रवाल	20 फरवरी, 2018	जिला जेल, रोहतक

37.	श्रीमती एस. जलजा	21–26 फरवरी, 2018	जिला जेल, नालकोंडा एवं महबूबनगर एवं सब जेल, नगरकुनूलो, तेलंगाना
38.	डॉ. विनोद अग्रवाल	22 फरवरी, 2018	बॉयज़ ऑब्जर्वेशन होम, अम्बाला
39.	माननीय सदस्य श्री पी.सी.घोष	28 फरवरी–1 मार्च, 2018	दम दम केन्द्रीय सुधार गृह, कोलकाता
40.	माननीय सदस्य श्री पी.सी.घोष	5–6 मार्च, 2018	बैरकपुर उप सुधार गृह, कोलकाता
41.	डॉ. अशोक साहू	5–9 मार्च, 2018	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
42.	डॉ. विनोद अग्रवाल	6 मार्च, 2018	केन्द्रीय कारागार, जोधपुर, राजस्थान
43.	डॉ. विनोद अग्रवाल	12–14 मार्च, 2018	केन्द्रीय एवं जिला कारागार, आगरा एवं जिला कारागार, मथुरा
44.	डॉ. विनोद अग्रवाल	19–20 मार्च, 2018	केन्द्रीय कारागार, अमृतसर, पंजाब
45.	श्रीमती एस. जलजा	19–23 मार्च, 2018	उप–कारागार नवसारी एवं धरमपुर, गुजरात
46.	श्रीमती एस. जलजा	21–23 मार्च, 2018	उप–कारागार दमन, दादर एवं नगर हवेली
47.	श्री सुधीर कुमार	22–27 मार्च, 2018	जिला कारागार, लखनऊ एवं कानपुर
48.	डॉ. विनोद अग्रवाल	26–27 मार्च, 2018	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, केन्द्रीय कारागार, जलालपुर, म.प्र.

सदस्यों, विशेष प्रतिवेदक और अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्ण आयोग के समक्ष रखा जाता हैं और दिए गए निर्देशों को संबंधित राज्य सरकार को अनुपालन के लिए भेज दिया जाता है।

अध्याय 5

विस्तार क्षेत्र

5.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा समय के साथ–साथ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से सम्बन्धित मामलों पर नजर रखने के लिए एक कड़े निगरानी तन्त्र विकसित किए गए हैं। हालांकि इनमें से कुछेक तन्त्र, आयोग को पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 द्वारा दिए गए अधिदेश के आधार पर विकसित किए गए हैं जबकि कुछ अन्य का विकास मानव अधिकारों के संरक्षण, निगरानी और संवर्द्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत समझौतों एवं विशेष प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है। आयोग द्वारा तैयार किए गए मुख्यं तन्त्रों में अनेक प्रकार के मानव अधिकार मुद्दों पर पूर्ण आायोग एवं सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकें, कैम्प बैठकों और खुली सुनवाई, विशेष संवाददाताओं की मदद लेना और कोर एवं विशेषज्ञ समूह की स्थापना करना शामिल है।

क. आयोग की बैठकें

5.2 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण आयोग द्वारा अपनी 32 बैठकों में मानव अधिकार उल्लंघन के 361 मामलों पर विचार–विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, दो संभागीय पीठों ने 71 बैठकों में 863 मामलों पर विचार किया। आयोग की जनसुनवाई की 05 बैठकों में कश्मीरी विस्थापितों के 22 मामलों की सुनवाई आयोग के खुले न्यायालय में की गई।

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शिविर बैठकें

5.3 लम्बित शिकायतों के शीघ्र निपटान और संवेदनशील मानव अधिकार मुद्दों पर राज्य पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए, आयोग द्वारा राज्यों की राजधानियों में शिविर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने कोहिमा, नागालैंड (24 अप्रैल, 2017), असम और मेघालय (17–18 मई, 2017), उत्तराखंड (13–14 जुलाई, 2017), उत्तर प्रदेश (9–11 अगस्त, 2017) और राजस्थान (18–19 जनवरी, 2018) में शिविर बैठकें आयोजित की। आयोग ने पूर्ण आयोग की अपनी बैठकों में 77 मामलों और इन शिविरों की बैठकों में डिवीजन बेंचों में 98 मामलों पर विचार किया।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की खुली जन सुनवाई

5.4 प्रतिवेदन अवधि के दौरान, आयोग ने कोहिमा, नागालैंड (24 अप्रैल, 2017– 8 मामले), उत्तराखंड (13 जुलाई, 2017– 27 मामले), उत्तर प्रदेश (9 अगस्त, 2017– 171 मामले) और राजस्थान (18 जनवरी, 2018– 169 मामले) में आयोजित खुली जन सुनवाई के दौरान 375 मामलों पर विचार विमर्श किया।

वर्ष 2017–18 के दौरान शिविर बैठकों/जन सुनवाइयों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	तिथि	मामलों का संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	संस्तुत की गई मुआवज़े की राशि
1	नागालैंड	24 अप्रैल, 2017	8	शून्य	शून्य
2	असम एवं मेघालय	17–18 मई, 2017	43	20	शून्य
3	उत्तराखण्ड	13–14 जुलाई, 2017	27	15	₹3,00,000/–
4	उत्तर प्रदेश	9–11 अगस्त, 2017	254	67	₹21,00,000/–
5	राजस्थान	18–19 जनवरी 2018	183	62	₹13,90,000/–

घ. सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक

5.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा समाज के अत्यंत संवेदनशील वर्गों के विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पी.एच.आर. अधिनियम की धारा 3 (3) में यह उल्लेख किया गया है कि पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में विनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यवत्त माना जाएगा :

क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष;

ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष;

ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष;

घ) राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष;

5.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ मिलकर उपर्युक्त सभी द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सांविधिक पूर्ण आयोग का गठन करते हैं, जो नियमित रूप से बैठक करते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) के अध्यक्ष को अपनी सभी सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकों में 'विशेष रूप से आमंत्रित' किया जाता है क्योंकि एन.सी.पी.सी.आर. पर बच्चों के अधिकारों से संबंधित सभी मुद्दों की अत्यधिक जिम्मेदारी है।

ड. विशेष प्रतिवेदक

5.7 आयोग के विशेष प्रतिवेदक मानव अधिकार विशेषज्ञ हैं जिन्हें विशेष रूप से एक विषयगत या राज्य–विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से सम्बंधित मानव अधिकारों के चिंताजनक विषयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सलाह देने लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष प्रतिवेदक प्रणाली राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक केंद्रीय भाग है और इसमें सभी नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा, वे बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, विकलांगता विषय जैसे संवेदनशील मुद्दों इत्यादि को सम्मिलित करते हैं; राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से उनके या अन्यों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले के निवारण से सम्बंधित विचारधारा के अंतर्गत पीएचआरए में निहित प्रावधानों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता का प्रचार–प्रसार करते हैं। विशेष प्रतिवेदक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व भारत सरकार में सचिव या पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किये हों या मानव अधिकार से

संबंधित क्षेत्र में अनुकरणीय सेवा प्रदान किये हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वेबसाइट *http://www.nhrc.nic.in/Documents/Scheme_And_Guidelines_for_Engagement_of_Special_Rapporteurs_05_01_2016.pdf.* पर पोस्ट की गई है।

5.8 रिपोर्टाधीन अवधि के अंतर्गत विशेष प्रतिवेदक की स्थिति नीचे सूचीबद्ध की गई है।

5.9 आंचलिक विशेष प्रतिवेदक

अगस्त, 2018 तक (आंचलिक एवं विषयगत) की स्थिति

आंचलिक विशेष प्रतिवेदक

क्र. सं.	नई योजना के अनुसार अंचल/ क्षेत्र शामिल हैं	विशेष प्रतिवेदक का नाम	कार्यकाल	अभ्युक्ति
1.	**उत्तरी क्षेत्र** पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।	श्री सुधीर कुमार, पूर्व सदस्य– कैट	30.03.2017 से 29.03.2019	
2.	**पश्चिमी क्षेत्र** महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव।	**डॉ. सी. के. मैथ्यू, दक्षिणी क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक को महाराष्ट्र और गोवा का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया। डॉ. विनोद अग्रवाल, मध्य क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक को गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया।**		
3.	**केंद्रीय क्षेत्र** मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड।	डॉ. विनोद अग्रवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त) (झारखंड कैडर)	30.03.2017 से 29.03.2019	ऊपर कॉलम 2 में उल्लिखित अतिरिक्त प्रभार

क्र. सं.	नई योजना के अनुसार अंचल/क्षेत्र शामिल हैं	विशेष प्रतिवेदक का नाम	कार्यकाल	अभ्युक्ति
4.	**पूर्वी क्षेत्र** पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। **उत्तर पूर्व क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार** नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश	बी.बी. मिश्रा आईपीएस (सेवानिवृत्त) (असम–मेघालय कैडर)	12.03.2018 से 11.03.2019	
5.	**दक्षिणी क्षेत्र** तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक	डॉ. सी. के. मैथ्यू आईएएस (सेवानिवृत्त) (राजस्थान कैडर)	01.04.2018 से 31.03.2019	ऊपर कॉलम 2 में उल्लिखित अतिरिक्त प्रभार। 15/11/18 को त्यागपत्र दिया। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत

विषयगत विशेष प्रतिवेदक

1.	**दिव्यांगता**	**श्री पी. के. पींचा**	**01.12.2015 से 30.11.2018**	
2.	**बंधुआ मजदूरी/ बाल श्रम/ प्रवासी श्रमिक**	**डॉ. अशोक साहू, आईईएस (सेवानिवृत्त)**	**01.07.2016 से 31.12.2018**	

च. कोर एवं विशेषज्ञ समूह

5.10 कोर एवं विशेषज्ञ समूह में प्रख्यात व्यक्ति अथवा विषय के विशेषज्ञ अथवा आयोग द्वारा अपेक्षित क्षेत्र चाहे वह स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, दिव्यांगता हो, बंधुआ मजदूरी इत्यादि के क्षेत्र में कार्य कर चुके सरकार अथवा तकनीकी संस्थानों अथवा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये समूह अपनी विशेषज्ञता के अनुसार आयोग को विशिष्ट परामर्श देते हैं। वर्ष 2016–2017 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यरत कुछेक महत्त्वपूर्ण कोर एवं विशेषज्ञ समूहों का विवरण नीचे दिया गया है:

- स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह
- दिव्यांगता और वृद्ध व्यक्तियों पर कोर समूह
- गैर सरकारी संगठनों एवं मानव अधिकारों के प्रतिरक्षक के संबंध में कोर समूह
- भोजन के अधिकार के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- व्यापार, पर्यावरण एवं मानव अधिकार के संबंध में एन.एच.आर.सी. कोर समूह का गठन
- बंधुआ मजदूरी के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- महिलाओं के संबंध में कोर समूह
- बच्चों के संबंध में कोर समूह
- एल जी बी टी क्यू के संबंध में कोर समूह

5.11 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर आवधिक रूप से नियमित अंतरालों पर आयोग में बुलाई जाती है। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान कोर एवं विशेषज्ञ समूह की आयोग में आयोजित कुछेक बैठकों, जिनमें इन मुद्दों का उठाया गया, का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट के अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

गैर सरकारी संगठनों एवं मानव अधिकार प्रतिरक्षकों के कोर समूह की बैठक

5.12 मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (i) के अनुसरण में आयोग द्वारा अपने गठन से ही गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता रहा है। आयोग द्वारा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों, परियोजनाओं इत्यादि में प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों को सहयोजित किया जाता है और भागीदार बनाया जाता है। चूंकि मानव अधिकार जागरुकता मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में एक महत्त्वपूर्ण घटक है अतः गैर सरकारी संगठनों के साथ चर्चा को बढ़ाने के लिए हमेशा अत्यधिक संभावनाएं रहती हैं।

5.13 गैर–सरकारी संगठनों और सभ्य समाज के संगठनों से विचार–विमर्श करने के लिए आयोग ने 17 जुलाई, 2001 को गैर सरकारी संगठनों के एक कोर ग्रुप का गठन किया। पिछली बार इस समूह का गठन 16 सितम्बर, 2011 में किया गया और इसमें 11 सदस्यों को शामिल किया गया। गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह को पुनः स्थापित करने का मामला आयोग के दोबारा विचाराधीन है ताकि देशभर से मानव अधिकारों के विभिन्न क्षेत्रों से विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों से व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

अध्याय 6

स्वास्थ्य का अधिकार

6.1 भारत ने पिछले दशकों में महत्त्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि हासिल की है लेकिन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रगति आर्थिक वृद्धि के अनुपात में नहीं है। जैसा कि अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक "एन अनसर्टेन ग्लोरी– इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन" में भारत में स्वास्थ्य देखभाल के समक्ष दो प्रमुख अंतरसंबंधित समस्याएं उद्धृत किया है, जिसमें: पहला, इसकी व्यापक अपर्याप्तता और दूसरा, इस अपर्याप्तता की सार्वजनिक चर्चा का न होना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के राज्य–स्तरीय रोग भार पहल रिपोर्ट (2016) के अनुसार, भारत में महिलाओं के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वर्ष 1990 के 59.7 प्रतिशत से वर्ष 2016 में 70.3 प्रतिशत और पुरुषों के सम्बन्ध में 58.3 वर्ष से 66.9 वर्ष तक का सुधार हुआ है। 1990 में संचारी, मातृत्व, नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों (साधारण रूप से संक्रामक और इससे जुड़ी बीमारियों) के कारण भारत में कुल रोग भार 61 प्रतिशत था, जो 2016 में घटकर 33 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत, हृदय रोग, मधुमेह, क्रोनिक श्वसन बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजिकल विकारों, कैंसर, अस्थि मासपेशी विकारों और क्रोनिक किडनी रोग के कारण पूरे भारत में गैर–संचारी रोग के समूहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

6.2 इस संदर्भ में, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के लिए स्वास्थ्य सेवा का विषय सबसे महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी जिम्मेदारियों में से एक है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारतीय संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि, भारत के संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में प्रावधान हैं। राज्य को समुचित स्वास्थ्य के लिए जन्मजात स्थितियों के निर्माण और स्थिति को बनाए रखने के लिए संविधान के भाग–IV के अनुच्छेद 38, 39 (ई) (एफ), 42, 47 और 48 ए में शामिल विषयों के सन्दर्भ में दायित्व सौपां गया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को अनुच्छेद 21 (जीवन का मौलिक अधिकार) और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 47 में व्याख्या की गई है, जिसमें सरकार के कर्तव्यों के अंतर्गत नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना प्रमुख है।

6.3 अक्टूबर 1993 से, एन.एच.आर.सी. के अस्तित्व में आने के बाद से, आयोग निरंतर स्वास्थ्य के अधिकार के विषय पर इस उद्देश्य के साथ मॉनीटरिंग कर रहा है कि देशभर के लोगों को सुगम, सरल एवं किफायती तथा बिना किसी भेदभाव के उत्तम गुणवत्ता की सभी स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, विशेष तौर पर, उन लोगों

के लिए जो गरीब एवं कमज़ोर हैं। इस अध्याय में आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान स्वास्थ्य के अधिकार पर किए गए कार्यों का उल्लेख करता है।

क. सिलिकोसिस

6.4 सिलिकोसिस एक फ़ाइब्रोटिक फेफड़े का विकार है, जो खनन, पत्थर को तोड़ने और उत्खनन गतिविधियों के दौरान साँस लेने, प्रतिधारण और फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के समय क्रिस्टलीय सिलिका के संपर्क में आने के कारण होता है। आयोग ने सिलिकोसिस के विषय को क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, सम्मेलनों, अनुशंसाओं की श्रृंखला के माध्यम के साथ साथ संसद में सिलिकोसिस पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर उपर्युक्त विषय को आगे बढ़ा रहा है। आयोग ने सिलिकोसिस के विषय से निपटने के लिए दोतरफा दृष्टिकोण अपनाया। एक तरफ, इसने प्राप्त की गई व्यक्तिगत शिकायत पर मुआवजा देने की सिफारिशें की हैं और दूसरी तरफ, इस व्यावसायिक खतरे से निपटने के लिए विभिन्न विधानों, नीति और निगरानी तंत्रों की सिफारिश और समीक्षा भी की है। आयोग ने सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिक और उनके परिवार के सदस्यों की समस्या को कम करने के लिए निवारक, उपचारात्मक, प्रतिपूरक और पुनर्वास उपायों के संबंध में ठोस सुझाव प्रस्तुत करने के लिए सिलिकोसिस पर विशेषज्ञों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया, जो 23 जनवरी, 7 फरवरी और 6 अप्रैल 2017 को आयोजित किए गए। बाद में सुझावों को सिफारिशों के रूप में मसौदा तैयार किया गया।

6.5 आयोग ने 2006 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 110 (पीपुल्स राइट्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें सिलिकोसिस के निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास और मुआवजा पहलुओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई है।

6.6 इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें जिसमें सिलिकोसिस पर सर्वेक्षण से संबंधित हैं एवं जिसमें सिलिकोसिस की समस्या के विस्तार/ आयाम का आकलन करने के लिए कारखानों/ खानों/ उद्योगों/ स्थापना का मानचित्रण शामिल है; सिलिका धूल की अनुमेय सीमा के लिए समान मानकों का निर्धारण; सिलिका प्रवण उद्योगों में अपना रोजगार शुरू करने से पहले श्रमिकों की चिकित्सीय जांच; सिलिकोसिस पीड़ितों और उनके परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने सहित पुनर्वास उपाय; वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर मृतक पीड़ित के विधवा को मासिक पेंशन; सिलिकोसिस के कारण होने वाली मौतों के मामलों में 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की अंतरिम राहत; स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियम, अर्थात द माइन्स एक्ट, 1952, फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (सेवा का नियमन और शर्तें) अधिनियम, 1996 के तहत सभी खनन, उत्खनन और पत्थर तोड़ने की इकाइयों को सम्मिलित करते हुए कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप विधायी रुपरेखा को मजबूत करना आदि विषय सम्मिलित है।

इस रिपोर्ट के अध्याय–19 में सम्पूर्ण सिफरिशों का अवलोकन किया जा सकता है।

ख. रोगी के अधिकारों पर चार्टर

6.7 एन.एच.आर.सी. के स्वास्थ्य पर कोर सलाहकार समूह ने रोगी के अधिकारों का चार्टर तैयार किया है। रोगी के अधिकारों का चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय चार्टरों से प्रेरित और राष्ट्रीय स्तर के प्रावधानों द्वारा निर्देशित सभी प्रासंगिक

प्रावधानों को एक ही दस्तावेज में समेकित करता है, जिससे उसे सार्वजनिक रूप से सुसंगत तरीके से जाना जा सकता है। चार्टर की भूमिका व्यापक जन जागरूकता पैदा करना है और नागरिकों को इस बारे में शिक्षित करना है कि उन्हें अपने सरकारों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में रोगियों के रूप में उपचार के तरीके के बारे में क्या उम्मीद करनी चाहिए। चार्टर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। रोगी के अधिकारों का चार्टर एक अग्रणी दस्तावेज है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों, पूरे भारत में स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने वाले सामान्य रोगी और नागरिक जिसमें लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन को सुनिश्चित करता है– जिसमें सूचना का अधिकार, रिकॉर्ड और रिपोर्ट का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार, सूचित सहमति का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, मानवीय गरिमा और गोपनीयता, दूसरी राय का अधिकार, दरों में पारदर्शिता का अधिकार, और निर्धारित दरों के अनुसार देखभाल जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, गैर–भेदभाव का अधिकार, मानकों के अनुसार सुरक्षा और गुणवत्ता देखभाल, यदि उपलब्ध हो तो वैकल्पिक उपचार के विकल्प चुनने का अधिकार, दवाओं या परीक्षणों को प्राप्त करने के लिए स्रोत का चयन करने का अधिकार, उचित रेफरल और हस्तांतरण का अधिकार, जो विकृत व्यावसायिक प्रभावों से मुक्त है, नैदानिक परीक्षण में शामिल रोगियों के लिए सुरक्षा का अधिकार, बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान में शामिल प्रतिभागियों के संरक्षण का अधिकार, अस्पताल से रोगी की छुट्टी या मृतक का शरीर प्राप्त करने का अधिकार, रोगी शिक्षा का अधिकार और अंत में, सुने जाने और निवारण का अधिकार आदि सम्मिलित है।

ग. स्वास्थ्य प्रणाली वितरण की स्थिति का आकलन करने और जनजातीय समुदायों के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का निर्धारण करने वाले कारक पर शोध अध्ययन

6.8 "स्वास्थ्य प्रणाली वितरण की स्थिति का आकलन करने और जनजातीय समुदायों के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का निर्धारण करने वाले कारक" पर एन.एच.आर.सी. द्वारा एस.ए.एम.ए.– महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए संसाधन समूह, नई दिल्ली के सहयोग से शोध अध्ययन किया जाता है। उपर्युक्त अध्ययन झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में आदिवासी आबादी क्षेत्र में प्रचलित स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थिति को इसकी उपलब्धता और उपयोग के संदर्भ में समझने में सहायक होगा। इस अध्ययन का उद्देश्य हैं– अध्ययन क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग की वर्तमान स्थिति को समझना और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में आने वाली बाधाओं को ज्ञात करना एवं जनजातीय समुदायों और अन्य आबादी के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर संबंधी पहुंच का पता लगाना। उक्त अध्ययन 12 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

6.9 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 'एस.ए.एम.ए.' ने आयोग के समक्ष एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और कार्रवाई योग्य बिंदु/ उपाय सुझाने की सलाह दी गई, जिससे दूरस्थ एवं पृथक क्षेत्र के आदिवासी के लाभ के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एन.एच.आर.सी. और सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप हो सके।

घ. विशेष प्रतिवेदक का दौरा

6.10 एन.एच.आर.सी., मध्य क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची, जिला

अस्पताल खूंटी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी.) तोरपा, कलामती हेल्थ सब–सेंटर (एच.एस.सी.) और रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज (आर.आई.एन.पी.एस.) संस्थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए का झारखंड दौरा किया। विशेष प्रतिवेदक के अवलोकन/ सुझाव राज्य सरकार को भेजे गए। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आर.आई.एम.एस.) रांची, झारखंड में, प्रत्येक विभाग और व्यक्तिगत चिकित्सा अधिकारी (एम.ओ.) के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक सर्जरी के लिए सर्जरी और बेड टर्नओवर अनुपात की संख्या निर्धारित की जाए और उसी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। जिला अस्पताल खूंटी में, राज्य सरकार को जिला अस्पताल में विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए क्योंकि जब तक विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किए जाते तब तक 60 बेड वाले जिला अस्पताल को चलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो–साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज (आर.आई.एन.पी.एस.) में कम से कम 5 पीजी की सीटें होनी चाहिए और झारखंड राज्य में मनोरोग से पीड़ित लोगों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।

6.11 एन.एच.आर.सी., पश्चिम क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक ने मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तुरुनेलवेली जिलों का दौरा किया। कन्याकुमारी जिले में प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक बहुत अच्छा हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लक्ष्य पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं। आयोग ने राज्य सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वालों डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को कम करने और बेहतर प्रोत्साहन के लिए कदम उठाने की सिफारिश की है। पी.एच.सी. में अंतरंग उपचार शुरू करना, प्रसव के लिए बेहतर बुनियादी सुविधा प्रदान करना, आशा की समुचित निगरानी, डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए मकानों का रखरखाव, इमारतों की बेहतर डिज़ाइन, स्वास्थ्य सुविधाओं में सौर प्रकाश व्यवस्था/ ताप/ जल संचयन की शुरूआत इत्यादि सुधार से सम्बंधित कुछ सुझाव है।

6.12 एन.एच.आर.सी., पश्चिम क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक ने केंद्र शासित प्रदेश में मानव अधिकारों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गोवा का दौरा किया। केंद्र शासित प्रदेश में एक बहुप्रशंसित स्वास्थ्य प्रणाली उपलब्ध है। यह ज्ञात हुआ है कि रोगी कल्याण समिति (आर.के.एस.) का गठन अब तक नहीं किया गया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग करने में पी.एच.सी. असमर्थ है। यह सिफारिश की गई है कि रोगी कल्याण समिति को बिना किसी देरी के सभी नए पी.एच.सी. में गठित किया जाना चाहिए।

6.13 एन.एच.आर.सी., उत्तरी क्षेत्र, के विशेष प्रतिवेदक ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों की अपनी यात्रा के दौरान, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों सहित कई संस्थानों का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवारका में, जिसमें 30 बिस्तरों वाले इनडोर–हॉस्पिटलाइज़ेशन की सुविधा है, उस केंद्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं और विशेषज्ञों की भारी कमी है और एक समुचित आवास व्यवस्था अनुपयोगी पड़ा हुआ है। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त चिकित्सा कर्मियों को तैनात करने और केंद्र में 30–बेड वाले इनडोर अस्पताल सुविधाओं का उपयोग आरम्भ करने के लिए एक उचित दिशा–निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

6.14 एन.एच.आर.सी., उत्तरी क्षेत्र, के विशेष प्रतिवेदक ने राज्य के स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति का निरीक्षण करने

के लिए नागालैंड का दौरा किया। नागालैंड राज्य सरकार ने 2/4/6 अग्रिम वेतन वृद्धि के आर्थिक लाभों को वापस ले लिया है, जो पहले डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया था, इसका शुद्ध परिणाम यह होगा कि भविष्य में जब सभी शीर्ष उपाधि विभागीय डॉक्टर सेवानिवृत्त होंगे तो विभाग में उच्चतम स्तर पर भी पीजी डिप्लोमा/ डिग्री योग्यता रखने वाले योग्य नागा डॉक्टर नहीं होंगे। आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार से उचित उपाय करने की सिफारिश की है।

6.15 एन.एच.आर.सी., मध्य क्षेत्र, के विशेष प्रतिवेदक ने संस्था के कामकाज का आकलन करने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पी.एम.सी.एच.) पटना, बिहार का दौरा किया। आवश्यक उपकरणों के प्रतिस्थापन और क्रय संबंधी विषय को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। पी.एम.सी.एच. को धन की कमी के स्थान पर योजना और क्रय के विषय से सम्बंधित समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ रहा है। मासिक लक्ष्यों को निर्धारित करने और नियमित रूप से उनकी समीक्षा करने के लिए एक प्रबंधन समिति जिसमें कुछ स्थानीय और बाहरी विशेषज्ञों, रोगियों के निकायों और राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल हो, के साथ–साथ स्वास्थ्य विभाग बनाने की आवश्यकता है।

ङ. एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत मामले

1. पश्चिम बंगाल में सिलिकोसिस के कारण श्रमिकों की मौत

(मामला संख्या 1209/25/15/2014)

6.16 आयोग को श्री समित कुमार कार, महासचिव, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संगठन, झारखंड से दिनांक 23.7.2014 को शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल में सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों के मृत्यु के विषय में आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया। उनके अनुसार, बर्दवान के आसनसोल में काम करने के लिए गए 189 श्रमिकों में से 12 श्रमिकों की फेफड़ों की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने सैफुद्दीन मोल्ला, नासिर मोल्ला, अबुल पाइक, मुजफ्फर मोल्ला और बाबूसोना के मृत्यु प्रमाण पत्रों को संलग्न किया।

6.17 आयोग में भी इसी तरह की शिकायत नगरिक मंच, कोलकाता के श्री नाबा दत्ता से भी प्राप्त हुई थी, जिसमें 2010–2013 के दौरान विभिन्न खानों और पत्थर कारखानों में काम करने के लिए सुंदरबन, दक्षिण 24 परगना से बर्दवान जिले में बड़ी संख्या में श्रमिकों के प्रवास का आरोप लगाया गया। यह आरोप लगाया गया कि इनमें से 13 श्रमिकों की मृत्यु हो गई क्योंकि वे सिलिकोसिस से ग्रसित थे और कई श्रमिक मृत्यु की कगार पर हैं। यह अनुरोध किया गया था कि सिलिकोसिस से ग्रसित श्रमिकों को उचित उपचार प्रदान किया जाए और जिन लोगों की सिलिकोसिस से मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को मुआवजे और पुनर्वास की सहायता प्रदान किया जाए।

6.18 आयोग के निर्देशों के अनुसार, पश्चिम बंगाल श्रम विभाग, कोलकाता सरकार के संयुक्त सचिव ने दिनांक 11.8.2015 को अपने पत्र के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि विभिन्न समयावधि के लिए (2–5 वर्ष) 13 श्रमिकों में से 8 मजदूरों की मृत्यु सिलिका के धूलकण के संपर्क में आने से हो गई हैं।

6.19 आयोग ने दिनांक 06.06.2016 को इस मामले पर विचार किया और यह अवलोकन किया कि पश्चिम बंगाल राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही के कारण उपरोक्त पांच श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जिन्होंने कारखाना प्रबंधन

द्वारा सिलिका धूल से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण को सुनिश्चित नहीं किया गया था। यदि पश्चिम बंगाल राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों ने सतर्कता बरती होती और यह सुनिश्चित किया होता कि कारखाना प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते, तो उक्त श्रमिकों की जान बचाई जा सकती थी।परिणामस्वरुप, रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि पश्चिम बंगाल राज्य पांच सिलिकोसिस प्रभावित श्रमिकों के जीवन की रक्षा करने में विफल रहा। इस प्रकार, यह प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला है और मृतक के परिजन आर्थिक क्षतिपूर्ति के हकदार हैं।

6.20 तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें छह सप्ताह के भीतर कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया एवं यह उल्लेख किया गया कि क्यों पांच मृतक के पीड़ितों परिजनों (i) स्वर्गीय बाबूसोना/ मनीरुल मोल्ला (ii) स्वर्गीय मुजफ्फर मोल्ला, (iii) स्वर्गीय भीसवा/ विशो मंडल, (iv) स्वर्गीय अबुल पाइक और (v) स्वर्गीय बिस्वजीत मंडल को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18(ए)(i) के अंतर्गत चार लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे की सिफारिश नहीं की जाए जिसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को ₹ 4,00,000 में से ₹ 2,00,000 नकद के रूप में देने का प्रस्ताव है और शेष ₹ 2,00,000 की राशि उनके सावधि जमा खाते में रखी जाएगी, जो मृतक के परिजनों को मासिक ब्याज के रूप में उपलब्ध हो।

6.21 आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग के संयुक्त सचिव को निर्देश दिया कि स्वर्गीय हुसैन मोल्ला, स्वर्गीय अज़गर अली और स्वर्गीय अलामीन मोल्ला के एक्स–रे प्लेटों की जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि यह ज्ञात हो सके कि क्या वे सिलिकोसिस से पीड़ित थे या नहीं और इसके साथ–साथ आयोग को पीड़ित हसनुर मोल्ला और नूर हुसैन को प्रदान किए गए उपचार के बारे में सूचित करें।

6.22 आयोग ने दिनांक 04.05.2017 को इस मामले पर आगे विचार किया और पाया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने राज्य में प्रचलित कुछ श्रम कानूनों या योजनाओं के प्रावधानों के संदर्भ में मुआवजे की राशि का विश्लेषण किया है, जबकि आयोग मृतक श्रमिकों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे की सिफारिश पर विचार कर रहा है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पी.एच.आर.ए.), 1993 के प्रावधानों के तहत दिए जाने वाले मुआवजे को अन्य कानून और अनुग्रह के तहत भुगतान किए जाने वाले मुआवजे से अधिक है। आयोग ने दोहराया कि इससे पहले के अभिलेखों से यह स्पष्ट था कि उपर्युक्त पांच श्रमिकों की मृत्यु पश्चिम बंगाल राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही के कारण हुई थी, जिन्होंने सिलिका धूल से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कारखाना प्रबंधन द्वारा प्रदान आवश्यक सुरक्षा उपकरणों को सुनिश्चित नहीं किया था। यहां यह बताना भी महत्त्वपूर्ण है कि सिलिकोसिस को रोका जा सकता है लेकिन यह एक लाइलाज बीमारी है। एक व्यक्ति जो सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है तो, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए, राज्य इन मौतों के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, आयोग ने यह स्पष्ट किया कि वह हमेशा सिलिकोसिस के कारण मृत्यु के मामलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रूपए के मुआवजे की अनुशंसा करता और तो और, 2012 से 2013 के दौरान इन श्रमिकों की मृत्यु हुई थी और काफी समय बीत चुका है। सिलिकोसिस के कारण मरने वाले प्रत्येक श्रमिक के निकटतम परिजनों को ₹ 4,00,000/– का भुगतान मुआवज़े के रूप में अन्य राज्य सरकारों जैसे झारखंड आदि द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

6.23 आयोग ने, इसलिए, पांचों मृतक के पीड़ित परिजनों (i) स्वर्गीय बाबूसोना/ मनीरुल मोल्ला (ii) स्वर्गीय

मुजफ्फर मोल्ला, (iii) स्वर्गीय भीसवा / विशो मंडल, (iv) स्वर्गीय अबुल पाइक और (v) स्वर्गीय बिस्वजीत मंडल को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18(ए)(i) के अंतर्गत चार लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे की सिफारिश की। मृतक 5 श्रमिकों के निकटतम परिजनों को इस ₹ 4,00,000 / – की राशि में से ₹ 2,00,000 / – के विषय में पहले ही राज्य सरकार द्वारा भुगतान करने पर विचार किया जा रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को ₹ 4,00,000 / – में से ₹ 2,00,000 / – नकद देने का प्रस्ताव है और शेष ₹ 2,00,000 / – की राशि उनके सावधि जमा खाते में रखी जाएगी, जो मृतक के परिजनों को मासिक ब्याज के रूप में नियमित रूप से उपलब्ध हो। मुख्य सचिव, सरकार, पश्चिम बंगाल द्वारा भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

2. मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का खनन बनाम सिलिकोसिस के शिकार हुए श्रमिक (मामला संख्या 430 / 12 / 32 / 2012)

6.24 आयोग को श्री मोहित गुप्ता, एन्विरोनिक्स ट्रस्ट से दिनांक 31.01.2012 की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उल्लेख किया गया कि पन्ना, मध्य प्रदेश का एक शहर है जो अपने हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कई पत्थर खदानों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। जिले में पत्थर की खदानें गैर–कृषि रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत बन गईं क्योंकि निरंतर सूखे और अन्य स्थितियों के कारण कृषि जोखिम भरा व्यवसाय बना गया। नतीजतन, खदान व्यवसाय समृद्ध हो रहा है लेकिन श्रमिकों के लिए यह एक कड़वी सच्चाई है। इन खदानों में कार्य अत्यधिक खतरनाक परिस्थितियों में किया जाता है। आगे यह उल्लेख किया गया है कि श्रमिकों को उनके काम के दौरान कोई रोजगार प्रमाण या कोई सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान नहीं किया गया है। श्रमिक ज्यादातर अनपढ़ हैं और सिलिका धूल से होने वाले जोखिमों के बारे में नहीं जानते हैं।

6.25 अगस्त, 2011 में एन्विरोनिक्स ट्रस्ट द्वारा पन्ना में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध डॉ. वी. मुरलीधर ने शिविर का आयोजन किया, जिसमें 40 पत्थर खदान कर्मचारी चेक–अप के लिए आए। इनमें से 36 श्रमिक सिलिकोसिस से पीड़ित पाए गए जिनमे से एक की मृत्यु सिलिकोसिस के कारण पहले ही हो चुकी है। उन्होंने 35 व्यक्तियों की सूची बनाई है जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं और उन व्यक्तियों की भी सूची बनाई गई है जो सिलिकोसिस के कारण मर गए। उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने और पीड़ितों को तत्काल और व्यापक चिकित्सा उपचार प्रदान करने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ आयोग के हस्तक्षेप की मांग की।

6.26 दिनांक 21.2.2012 को आयोग ने मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रशासन को अनुलग्नक की सूची के साथ रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी, जिसमें सिलिकोसिस से बचाव के उपायों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सिलिकोसिस के पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज दिए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है।

6.27 आयोग ने 11.09.2014 को राज्य सरकार की रिपोर्टों पर विचार किया और पाया कि राज्य सरकार खानों, इनके नियमितीकरण और इसके कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अधीन मानती हैं, क्योंकि खान अधिनियम के तहत नियुक्त मुख्य निरीक्षक को विभिन्न खानों और उसकी गतिविधियों को देखना होता है। राज्य सरकार के अधिकारियों पर यह जोर दिया गया कि संविधान की राज्य सूची (7) में स्वास्थ्य शामिल है और राज्य सरकार को बीमारी, दिव्यांगता के मामले में अपने कर्मचारियों को सहायता प्रदान करना है और उनकी देखभाल करना है एवं अपने श्रमिकों को मुआवजा या किसी अन्य लाभ का भुगतान करना होगा।

6.28 उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को चार मृतक श्रमिकों अर्थात शहाबुद्दीन, आशाराम गौंड, बालकिशन दुर्गा और रमजान के परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में प्रत्येक को ₹ 3,00,000/– की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश, सरकार आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6.29 यह सूचित किया गया कि राजस्थान राज्य में खदान श्रमिकों के लाभ के लिए एक अलग योजना तैयार की गई है जो इस तरह की आकस्मिकता को पूरा करने के लिए राहत प्रदान करती है। जीएडी के प्रधान सचिव, श्री के. सुरेश ने आयोग को आश्वासन दिया है कि वे राजस्थान में मौजूद योजना का अध्ययन करने के लिए एक टीम राजस्थान राज्य में भेजेंगे और यदि यह योजना उनके कर्मचारियों को लाभान्वित करती है तो उस योजना का अनुकरण और कार्यान्वयन करने का प्रयास करेंगें। आयोग ने प्रमुख सचिव जीएडी का बयान अभिलेखित किया और इस संबंध में आठ सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

6.30 राज्य सरकार को खदान श्रमिकों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने और मजदूरों के कल्याण के लिए नीति तैयार करने और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

6.31 शिकायतकर्ता, श्री मोहित गुप्ता ने दिनांक 12.04.2016 को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि क्रम संख्या 11 में उल्लेखित तीन श्रमिकों, मस्त राम भगोना, पुत्र श्री भगौना गौंड, क्रम संख्या 19 में श्यामू, पुत्र श्री जुगल और क्रम संख्या 22 में कामता/ किंटू, पुत्र श्री बलदेव का उल्लेख मूल सूची में प्रदर्शित हो रहा था एवं उनकी मृत्यु क्रमशः 16.2.2012, 8.2.2015 और 16.2.2012 को हुई और क्रम संख्या 1 में उल्लेखित चार व्यक्तियों में से राम मिलन, पुत्र श्री अमीरा की भी मृत्यु 28.11.2015 को हो गई थी। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इन मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा प्रदान करने के बारे में आयोग को सूचित नहीं किया है। उन्होंने शेष 46 श्रमिकों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है जो सिलिकोसिस (12.4.2016 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार) से पीड़ित थे।

6.32 आयोग ने 05.07.2017 को रिकॉर्ड का अवलोकन किया और पाया कि मध्य प्रदेश राज्य ने मृतक श्रमिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाने के बजाय यह उल्लेख किया है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत कर्मचारियों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य और खनन सुरक्षा विषय महानिदेशक के अधीन है, इसलिए, मुआवजे का भुगतान डीजीएमएस द्वारा किया जाना चाहिए। आयोग का विचार है कि खानों का पट्टा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, वे खानों के पट्टे से राजस्व अर्जित करते हैं। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण विषय राज्य सरकार का विषय है और इसलिए, मृतक श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत मानव अधिकारों के उल्लंघन के मुआवजे पर विचार किया जाता है। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि चारों मृतक व्यक्तियों अर्थात मस्त राम भगोना, पुत्र श्री भगौना गौंड, श्यामू, पुत्र श्री जुगल और कामता/ किंटू, पुत्र श्री बलदेव के निकटतम परिजनों को ₹ 1,00,000/– (रुपए केवल एक लाख) नकद और ₹ 2,00,000/– (केवल दो लाख रुपये) को उनके परिजनों के सावधि खाता में जमाकर भुगतान किया जाए। भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है और यह मामला आयोग के अंतर्गत विचाराधीन है।

3. जिला आनंद, गुजरात में सिलिकोसिस के शिकारः गाँव खंबात में "अगेट" श्रमिक (मामला संख्या 351/6/3/2010)

6.33 आयोग को, श्री जगदीश पटेल, निदेशक, पीपुल्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, वडोदरा, गुजरात से दिनांक 15.04.2010 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि अगेट क्राफ्ट के लिए खंभात जिला आनंद, गुजरात सबसे पुराने केंद्रों में से एक है। यहाँ अगेट, क्वार्टज़ और अन्य पत्थरों से सैकड़ों शोकेस और ज्वैलरी वस्तुएं निर्मित होती हैं। एमरी व्हील्स पर पत्थरों को आकार देते समय, बहुत सारी धूल उत्पन्न होती है। इन पत्थरों में स्वछन्द सिलिका की उच्च मात्रा होती है।

6.34 शिकायतकर्ता के अनुसार, खंभात में अगेट श्रमिक स्व–नियोजित श्रमिक नहीं हैं, लेकिन उन्हें आपूर्ति श्रृंखला श्रमिक कहा जा सकता है क्योंकि न वे कच्चा माल खरीदते हैं और न ही वे तैयार माल बेचते हैं। अगेट प्रक्रिया के अंतर्गत 5 से 6 अलग–अलग प्रक्रियाएं हैं जैसे कि पत्थरों को तोड़ना, पत्थरों को पीसना, मोतियों को पीसना और पत्थरों को चमकाना आदि। इस प्रक्रिया के दौरान, श्रमिक सिलिका धूलकण के संपर्क में आने का जोखिम उठाते हैं। श्रमिक अपने अनुसार पत्थरों को आकार देने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु वे व्यापारियों के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। उन्होंने सिलिकोसिस से मरने वाले श्रमिकों की एक सूची भी संलग्न की और श्री कृष्ण अस्पताल और पी.एस. मेडिकल कॉलेज, करमसद, जिला आनंद के विशेषज्ञ डॉक्टरों के प्रमाण पत्र संलग्न किए हैं।

6.35 दिनांक 21.04.2010 को आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और मुख्य सचिव, गुजरात सरकार को, सिलिकोसिस के कारण मरने वाले 45 लोगों की सूची और संबंधित दस्तावेजों के साथ शिकायत की एक प्रति भेज दी एवं रिपोर्ट में सिलिकोसिस से मरने वाले व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया गया है या नहीं, के विषय के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट, आनंद, गुजरात को संबंधित दस्तावेजों के साथ शिकायत की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए भी प्रेषित किया गया।

6.36 आयोग ने दिनांक 06.05.2015 को इस मामले पर विचार किया और जांच प्रभाग के महानिदेशक प्रभारी को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच करे और दिनांक 15.10.2015 के आयोग के निर्देशानुसार, रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य सचिव, गुजरात सरकार के अनुच्छेद के क्रमानुसार टिप्पणी हेतु भेजी गई।

6.37 आयोग ने दिनांक 21.12.2017 को रिकॉर्ड का अवलोकन किया और कहा कि गुजरात सरकार ने स्वीकार किया है कि खंभात क्षेत्र में सिलिकोसिस की महामारी का खतरा है और उन्होंने अब तक सिलिकोसिस से मरने वाले 61 व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को ₹ 1,00,000/– की वित्तीय सहायता का भुगतान किया है और शिकायतकर्ता ने 415 व्यक्तियों की सूची प्रदान की है, जो या तो सिलिकोसिस से पीड़ित थे या सिलिकोसिस से मर गए थे। 415 में से 157 व्यक्ति सिलिकोसिस से मर चुके हैं। सिलिकोसिस के खतरे का 1961 में पता लगाया गया था और वर्ष 1980, 2002 और 2010 में एनआईओएच आदि जैसे विशेष संगठन ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया है कि गुजरात के भरूच जिले के जंबुसर तालुका में अक्सर सिलिकोसिस का खतरा रहता है। लेकिन राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में न तो कोई सर्वेक्षण किया है और न ही इस खतरे पर कोई कार्रवाई की है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सिलिकोसिस से पीड़ित एवं सिलकोसिस से मरने वाले व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए कोई पुनर्वास योजना नहीं बनाई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय राहत भी बहुत कम है।

6.38 राज्य सरकार, कारखाना अधिनियम के तहत रजिस्टर करने योग्य इकाइयों को पंजीकृत करने में भी विफल रही है और एन.एच.आर.सी. टीम की सिफारिश के अनुसार अगेट इकाइयों के कामकाज को विनियमित करने लिए एक व्यापक नीति; सामान्य रूप से अगेट श्रमिकों के समस्याओं का समाधान करने एवं पी.एम.पटेल एंड संस बनाम भारत संघ और ओआरएस (1986–(001)–एलएलजे–0088–सुप्रीम कोर्ट और 1986– (001)–एससीसी–0032–एससी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ में कोई कदम नहीं उठाया है।

6.39 उपर्युक्त मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के बजाय राज्य सरकार ने यह तर्क दिया है कि वे अगेट उद्योगों में पी.एफ. लागू/ कार्यान्वयन नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में, इस मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि "पहले से तय की गई शर्तों और परिस्थितियों के संदर्भ में, जिसमें किसी एकल निर्माता के घरेलू कामगार अपने काम यथा कच्ची सामग्री प्राप्त करने, घर पर बीड़ी को रोल करने एवं निर्माता को पहुंचाने के बारे में जाने, जिसमें निर्माता और गृह कर्मचारी के बीच मालिक और नौकर के संबंध स्थापित करने के लिए नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अपेक्षित पर्याप्त प्रमाण हैं। यह याद रखना चाहिए कि बीड़ी रोल करने का काम परिष्कृत प्रकृति का नहीं है, जब यह कार्य किया जाता है तो उस समय नियंत्रण और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। यह एक सरल प्रक्रिया है, जैसा कि अभ्यास ने प्रदर्शित किया है, जिसके अंतर्गत हजारों अनपढ़ श्रमिकों द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन किया गया है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं समान सुविधा के साथ कर सकते हैं और इसके लिए किसी उच्च कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। इन परिस्थितियों में, अस्वीकृति का अधिकार अपने आप में पर्यवेक्षण और नियंत्रण का एक प्रभावी स्तर का गठन कर सकता है। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि: "हमारी राय में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के खण्ड (च) 2 में उल्लेखित परिभाषा के अंतर्गत घरेलू कामगार "कर्मचारी" हैं। इसके अलावा, शाइनिंग टेलर्स बनाम औद्योगिक ट्रिब्यूनल ली, यूपी (ए.आई.आर. 1984 एससी 23) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला सुरक्षित रखा गया कि:

> *"ट्रिब्यूनल ने विधि में सुस्थापित परीक्षण को नजरअंदाज किया और स्वयं पूरी तरह से गुमराह हुआ कि नग की दर अपने आप में अलग–अलग उद्योगों में विभिन्न व्यवसायों में भुगतान के तरीकों में ज्ञान की कमी का खुलासा करते हुए अभिलेख पर स्वतंत्र ठेकेदार और प्रत्यक्ष त्रुटि के संबंध को इंगित करती है। काम से इनकार करने के अधिकार के साथ युग्मित अस्वीकृति का अधिकार निश्चित रूप से मालिक– सेवक संबंध स्थापित करेगा और इस मामले के तथ्यों में ये दोनों परीक्षण अत्यंत संतोषजनक हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतिवादी, नियोक्ता के कर्मचारी थे और इसलिए प्रारंभिक आपत्ति के रूप में अपीलीय–नियोक्ता की ओर से उठाए गए आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था और एतद्वारा हम इसे अस्वीकार करते हैं।"*

6.40 इसलिए उपर्युक्त मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इन अगेट श्रमिकों को समान रखा गया है, और वे 'आपूर्तिकर्ता' के श्रमिक हैं तथा उनके प्रतिष्ठान आपूर्तिकर्ताओं की स्थापना के लिए संवैधानिक विस्तार हैं, इसलिए ये इकाइयाँ 29.11.2008 को राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत कारखाना हैं एवं इसका विस्तार फैक्ट्रियों में फैक्ट्री एक्ट की धारा (85) के तहत अगेट इकाइयों तक है।

6.41 इसलिए, अगेट श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं के अधीन कर्मचारी हैं और उनके प्रतिष्ठान (कारखाना) आपूर्तिकर्ताओं के परिसर के काल्पनिक विस्तार के कारण कारखाना है और इसलिए सभी श्रम कानून उन पर लागू होंगे।

6.42 कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बोनस अधिनियम, ई.एस.आई. अधिनियम आदि की प्रयोज्यता अगेट श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर; कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पारिश्रमिक के समय का विनियमन, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभ; पुरुष श्रमिकों के बराबर मजदूरी का भुगतान; ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी; भुगतान अधिनियम के तहत बोनस इत्यादि का हकदार बनाएगी। वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए श्रम कानून तंत्र का सहारा लेने के हकदार होंगे और अंततः वे सिलिकोसिस जैसी बीमारियों के कारण नहीं मरेंगे। आयोग का यह विचार है कि कारखाना अधिनियम के प्रावधान इन गरीब मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखेगा।

6.43 इसके अलावा, आयोग ने गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को निम्नलिखित बिंदुओं को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के सम्बन्ध में निर्देश दिए :–

I. मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्लेट इंडस्ट्री के क्षेत्र के पूरी तरह से रिहायशी इलाकों में, अगेट कटिंग और पॉलिशिंग आदि का काम बंद कर दें।

ii. मंदसौर में स्लेट उद्योग के लिए, मध्यप्रदेश राज्य सरकार की तर्ज पर अगेट का उत्पादन, बिक्री और निर्यात पर उपकर लगाने एवं अगेट श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है।

iii. वाणिज्यिक उद्देश्यों विशेष रूप से अगेट पॉलिशिंग आदि के दौरान आवासीय क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन पर प्रतिबंध।

iv. कोई भी अगेट कटिंग यूनिट जो औद्योगिक या अन्यथा क्षेत्र में स्थापित है, उसे काम शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी मिलनी चाहिए। विनिर्माण शुरू करने के बाद, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित आधार पर ऐसी सभी इकाइयों की निगरानी की जानी चाहिए।

v. राज्य द्वारा अगेट श्रमिकों के लिए नगों की दरों का निर्धारण जो वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत व्यापारियों द्वारा समय/ व्यापार अध्ययन के बाद मनमाने ढंग से तय किया जाता है।

6.44 इसलिए आयोग ने मुख्य सचिव, गुजरात सरकार को उपरोक्त मुद्दों पर आवश्यक कदम उठाने के लिए और छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (i), के अंतर्गत सिलिकोसिस (सूची संलग्न) से मरने वाले प्रत्येक 61 व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को अतिरिक्त राशि ₹ 3,00,000/– की सिफारिश की जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,00,000/– वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया एवं ₹ 3,00,000/– में से ₹ 1,00,000/– नकद और शेष ₹ 2,00,000/– को मृत व्यक्ति के निकटतम परिजनों के नाम पर सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा ताकि इस राशि से प्राप्त ब्याज द्वारा वे गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके।

6.45 आयोग ने गुजरात राज्य सरकार को सिलिकोसिस पीड़ित के लिए वर्तमान योजना में विलंब को रोकने संबंधी प्रावधान करने का भी निर्देश दिया। राज्य को अपनी योजनाओं को असंगठित क्षेत्र के अगेट श्रमिकों के आर्थिक राहत के लिए संशोधित करना चाहिए, जिससे यह अधिक मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो सके। यह

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उपयोग कर सकता है। आयोग को विधिवत संशोधित योजना अवलोकन के लिए भेजा जाए। संशोधित योजना को व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि पीड़ित व्यक्ति योजना का लाभ उठा सके।

6.46 राज्य सरकार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंदसौर में स्लेट श्रमिकों के लिए बनाई गई कल्याण निधि के अनुरूप अगेट श्रमिकों के कल्याण के लिए एक कोष बनाना चाहिए। राज्य सरकार को उस योजना के लिए एक बार योगदान प्रदान करना चाहिए और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत लगाए गए उपकर के अनुसार उपकर लगाया जा सकता है। उस निधि से प्राप्त राशि का उपयोग अगेट उद्योग में सिलिकोसिस रोगियों के रोग के रोकथाम, निदान, मुआवजे का भुगतान एवं पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।

6.47 मुख्य सचिव, गुजरात सरकार को आठ सप्ताह के भीतर ऊपर दी गई विभिन्न स्थितियों पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। उन्हें सिलिकोसिस के मृतक पीड़ितों को आठ सप्ताह के भीतर आर्थिक मुआवजे के भुगतान के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए भी कहा गया। भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

4. अनुसूचित जाति की कुष्ठ रोग से पीड़ित महिला तुनी नाइक को ओडिशा के सीएचसी, बंटाला में चिकित्सा अधिकारी द्वारा टीबी प्रतिरोधक दवाइयां दी गईं

(मामला संख्या 1042/18/16/2015)

6.48 श्री रणजीत सुतार, मानव अधिकार सिविल सोसाइटी फोरम, भुवनेश्वर, ओडिशा ने आरोप लगाया है कि सुश्री तनु नाइक, जो अनुसूचित जाति से सम्बंधित थीं, को गलत दवा दिए जाने के बाद चिकित्सीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित थी लेकिन उन्हें टीबी की दवा दी गई थी। वह अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही स्वस्थ हुई। उपर्युक्त मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप एवं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित के लिए मुआवजे का अनुरोध किया।

6.49 आयोग के निर्देशानुसार, ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने उल्लेख किया कि इस मामले में एक संयुक्त जांच की गई और यह पता चला कि हालांकि, पीड़िता कुष्ठ रोग से पीड़ित थी, किन्तु उन्हें सीएचसी, बंथला के संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रसन्न गडनायक की लापरवाही के कारण टीबी प्रतिरोधक ड्रॉप दिया गया था। इसलिए, डॉ. गडनायक को सीएचसी, बंथला से संविदात्मक नियुक्ति को स्थगित कर दिया गया।

6.50 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और माना कि पीड़ित तुनी नाइक को गलत दवाओं की खुराक दी गई थी। कार्यस्थल पर उपस्थित डॉक्टर द्वारा उनके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। आगे, संविदा चिकित्सक का विस्थापन इस मामले को मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला बनाता है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर कार्य कर रहा था और इसलिए राज्य पीड़ित के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह कारण बताए कि आयोग को पीड़ित को ₹ 25,000/– के मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए जिनके स्वास्थ्य के अधिकार का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उल्लंघन किया गया है, जहां उन्हें गलत दवाइयां दी गई थीं।

6.51 ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त–सह–सचिव ने बताया कि यह सच है कि तूनी नाइक, कुष्ठ रोग से पीड़ित, को गलत तरीके से टीबी–प्रतिरोधक दवा दी गई। इन कमियों के कारण, संविदा चिकित्सा अधिकारी को कार्य से हटा दिया गया है। हालांकि, यह घटना इलाज करने वाले चिकित्सक की अज्ञानता के कारण हुई, जो जानबूझकर नहीं थी और रोगी को इसके कारण किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने इलाज करने वाले चिकित्सक को आरोपों से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की है।

6.52 आयोग ने इस रिपोर्ट पर विचार किया और माना कि जांच में पता चला है कि पीड़ित के स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसलिए, आयोग ने अपने पहले के रुख को दोहराया और ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को पीड़ित तुनी नायकम को ₹ 25,000/– मुआवजे के भुगतान के लिए सिफारिश की एवं भुगतान का प्रमाण भेजने के लिए निर्देश दिए गए, जो अभी प्रतीक्षित है।

5. वार्ड बॉय ने जिला अस्पताल, वाराणसी में डॉक्टर के रूप में कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप नौ साल के लड़के का पैर काटना पड़ा।

(मामला संख्या 46982/24/72/2015)

6.53 शिकायतकर्ता डॉ. लेनिन रघुवंशी, महासचिव, मानव अधिकार जन निगरानी समिति, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वाराणसी के जिला अस्पताल के वार्ड बॉय की लापरवाही के कारण एक नौ साल के लड़के का पैर काटना पड़ा। वार्ड ब्वॉय ने खुद को डॉक्टर बताया और पीड़ित लड़के की सर्जरी की।

6.54 उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। वार्ड ब्वाय को प्रथम दृष्टया, इस घटना के लिए जिम्मेदार पाया गया और उसे निलंबित कर दिया गया।

6.55 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और पाया कि अस्पताल के वार्ड बॉय की लापरवाही के कारण 9 वर्षीय लड़का स्थायी रूप से अक्षम हो गया है। वार्ड बॉय का निलंबन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वह इस घटना के लिए जिम्मेदार था। पीड़ित लड़के के स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन किया गया है और आयोग ने इसे मुआवजे के लिए एक उचित मामला माना। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 ए (i) के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया एवं निर्देश दिया कि आयोग द्वारा नौ साल के पीड़ित लड़के, जिसके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, को ₹ 2,00,000/– के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

6.56 आयोग के निर्देशों के जवाब में, उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव ने बताया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत पीड़ित यश चौधरी उर्फ आकाश चौधरी को यदि कोई मुआवजा हो तो उसे देने के विषय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

6.57 आयोग ने दिनांक 04.08.2017 को मामले पर विचार किया और उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से उत्तरप्रदेश सरकार को पीड़ित लड़के, जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, को ₹ 2,00,000/– का मुआवजा देने की सिफारिश की और चार सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जो अभी प्रतीक्षित है।

6. लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ में एक एचआईवी मरीज को उसकी एचआईवी स्थिति उजागर कर उसकी गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन।

(मामला संख्या 25825/24/54/2015)

6.58 26 जून, 2012 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" समाचार पत्र में "अमानवीय उपचारः उत्तरप्रदेश के अस्पताल में एड्स के मरीज की एचआईवी पॉजिटिव स्थिति का प्रदर्शन" की रिपोर्ट छपी थी। यह बताया गया कि दिनांक 19.6.2015 को 30 साल की महिला मरीज को प्रसव के लिए लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ में भर्ती कराया गया था। कथित तौर पर, डॉक्टरों ने न केवल उसके बिस्तर पर कागज का एक बड़ा टुकड़ा चिपकाया, जिस पर एड्स के लाल रिबन से पूरी तरह से 'बायो हैज़र्ड पअम' का उल्लेख किया गया था, अपितु मरीज को अपना मेडिकल कचरा साफ करने के लिए भी कहा गया और एक वरिष्ठ डॉक्टर द्वारा उसे दुनिया में एक और रोगग्रस्त बच्चे को लाने के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया।

6.59 आयोग ने समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया और सचिव (स्वास्थ्य), उत्तर प्रदेश सरकार के साथ–साथ एस.एस.पी., मेरठ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

6.60 उत्तरप्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव ने एक मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित किया जिसमें पता चला कि 19/20.06.2015 को एक मरीज (पीड़ित) जो एचआईवी पॉजिटिव थी, को स्त्री रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज, मेरठ में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 23.06.2015 को शाम को वार्ड में राउंड पर उपस्थित डॉक्टर (डॉ. संपदा) ने मरीज को देखा और उन्होनें मरीज की दवाई की ट्रॉली में एक संकेत छोड़ा, जिससे पता चला कि पीड़ित एक एचआईवी रोगी थी। लेकिन कार्यवाही के पीछे यह उल्लेख करने का उदेश्य था कि संबंधित चिकित्सक ने दिशानिर्देशों के अनुसार केवल जैव–चिकित्सा निपटान के लिए ऐसा किया। दिनांक 24.06.2015 को, जब रोगी के रिश्तेदार/ परिचारक पहुंचे, तो उन्होंने उसी पर ध्यान दिया और उन्होनें मौखिक रूप से उक्त डॉक्टर से शिकायत की कि उपर्युक्त संकेत ने अनावश्यक रूप से रोगी की चिकित्सीय पहचान को सार्वजनिक कर दिया है। जब यह मामला डॉ. अभिलाषा के संज्ञान में आया, तो उन्होनें उक्त प्रतीक को हटा दिया और रोगी से बात की और उसे आश्वासन दिया कि यह सिर्फ एक गलती थी। इसके बाद, मरीज के परिचारकों को कोई शिकायत नहीं थी और उन्होंने लिखित में यह उल्लेख किया कि वे अस्पताल के कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग से संतुष्ट हैं। उसी दिन, शाम को यह मामला 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' अखबार में प्रकाशित हुआ। इसके तुरंत बाद, जब मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. सुभाष सिंह ने कई पत्रकारों की मौजूदगी में स्त्री रोग वार्ड का दौरा किया, तो मरीज ने कहा कि उसे इस घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। हालांकि, अधिकारियों ने तुरंत संबंधित जूनियर डॉक्टर को उनकी ड्यूटी से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद दिनांक 29.06.2015 को मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

6.61 राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, आयोग ने उल्लेख किया कि यद्यपि राज्य अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार की है और आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए हैं और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों/ संगठनों को निर्देश जारी किए हैं, किन्तु तथ्य और परिस्थितियाँ यह प्रदर्शित करते हैं कि अस्पताल द्वारा पीड़ित के प्रति किया गया कृत्य उसकी गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन था। इसलिए, आयोग ने दिनांक 28.08.2017 को अपनी कार्यवाही के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तरप्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी कर यह उल्लेख किया कि पीड़ित को अस्पताल के अधिकारियों द्वारा अपमानित करने के कारण पीड़ित को ₹ 25,000/– के भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

6.62 अनुस्मारक के पश्चात भी कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण, आयोग ने दिनांक 08.01.2018 को अपनी कार्यवाही के माध्यम से कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित को आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 25,000/– की राशि के भुगतान की सिफारिश की।

6.63 आयोग की सिफारिश के अनुपालन को देखते हुए, उपर्युक्त मामला को दिनांक 18.01.2018 को बंद कर दिया गया।

7. केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापडी इलाके में कुपोषण के कारण 39 आदिवासी बच्चों की मौत।

(मामला संख्या 437/11/10/2013)

6.64 आयोग को एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के तेजंग चकमा की शिकायत मिली, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापडी इलाके में कुपोषण के कारण 27 आदिवासी बच्चों की मौत हो गई। यह भी आरोप लगाया गया कि जनवरी, 2012 से अप्रैल, 2013 के बीच कुपोषण के ऐसे 500 और एनीमिया के 412 मामले पाए गए।

6.65 दिनांक 15.07.2013 को मुख्य सचिव, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, केरल सरकार ने नोटिस का जवाब देते हुए यह सूचित किया गया कि 38 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और मरने वाले शिशुओं में से अधिकांश पूर्व–परिपक्व या कम वजन के थे, जिन्हें सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के पोषण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। रिपोर्ट में गरीब मातृ स्वास्थ्य की समस्या और गर्भवती माताओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए की गई कार्रवाई को शामिल किया गया।

6.66 दिनांक 25.07.2013 को आयोग को गर्टर्ड कैसल, महासचिव, जर्मन कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, बॉन से एक और शिकायत प्राप्त हुई, जो इसी तरह के विषय से संबंधित था।

6.67 इसके बाद अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, डीईवी (ई) विभाग के संयुक्त सचिव, केरल सरकार ने दिनांक 04.01.2014 को पत्र प्रेषित किया, जिसमें की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अट्टापडी क्षेत्र में पोषण और चिकित्सा सहायता सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए थे। नियमित उपचार के लिए 849 रोगियों की पहचान की गई और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से उनका इलाज किया गया। एनआरएचएम ने प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा उपकरणों का वितरण भी आरम्भ किया। मरीजों को दूध, अंडे, फल, खाद्यान्न का वितरण शुरू किया गया। आदिवासी अतिविशिष्ट अस्पताल, कोटा द्वारा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार आरम्भ किया गया। मनरेगा के मजदूरी से सम्बंधित ₹ 25 लाख बकाया धनराशि का वितरण किया गया।

6.68 आयोग ने उपरोक्त रिपोर्ट दोनों शिकायतकर्ताओं तेजंग चकमा और गर्ट्रूड मामला को उनकी टिप्पणी के लिए प्रेषित किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

6.69 दिनांक 17.07.2014 को आयोग ने इस मामले पर विचार करते हुए यह पाया कि:

"राज्य सरकार की ओर से नवजात बच्चों के जीवन की सुरक्षा और कल्याणकारी योजना का समय पर संचालन करने के विषय में निष्क्रियता प्रदर्शित की गई थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि राज्य

सरकार उपर्युक्त घटना और विशेष रूप से आयोग द्वारा मामले का संज्ञान लेने के पश्चात बाद सतर्क हुई। यदि राज्य प्रशासन पहले ही सजग होता, तो 38 आदिवासी बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता था। नियमित चिकित्सा के लिए 849 रोगियों के सम्बन्ध में मापचित्रण यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते है कि राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। बच्चों की मृत्यु और महिलाओं में कुपोषण के बाद मनरेगा के तहत बकाया मजदूरी का भुगतान, राज्य सरकार के द्वारा उनके भोजन और आजीविका के मौलिक अधिकारों के प्रति कठोर रवैये को इंगित करता है। राज्य प्रशासन नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा के सन्दर्भ में अपने कार्यों का निर्वहन करने में सम्पूर्ण रूप से असफल रहा है।

आयोग ने केरल राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शित की गई निष्क्रियता पर एक गंभीर टिप्पणी की और सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी कर कारण बताने का उल्लेख किया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक 38 मृतक आदिवासी बच्चों/ पीड़ितों के परिवारों को अंतरिम राहत के रूप में ₹ 1,00,000/– क्यों नहीं प्रदान किए जाएं। इसके अलावा, केरल सरकार के मुख्य सचिव को भविष्य में केरल के अट्टापडी और पलक्कड़ जिले के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में कुपोषण से होने वाली ऐसी मौतों को रोकने और गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधाएँ के सम्बन्ध में कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया।"

6.70 उपर्युक्त मामले में बार–बार अनुस्मारक प्रेषित करने के पश्चात, जिला कलेक्टर, पलक्कड़, केरल ने दिनांक 30.11.2017 को अपने पत्र के माध्यम से यह सूचित किया कि केरल सरकार ने मृतक 38 नवजात बच्चों के प्रत्येक निकटतम परिजनों को ₹ 1,00,000/– की आर्थिक राहत आवंटित की है। मृतक नवजात बच्चो की माताओं को ट्रेजरी सेविंग्स बैंक चेक (चेक नंबर 0431922 से 0431948 और 0431950 से 0431960) के माध्यम से राशि जारी की गई थी। उन्होंने आगे सूचित किया कि केरल सरकार ने पुनः ₹ 34 लाख का आवंटन किया है जिसके तहत अट्टापडी के शेष सभी 34 मृतक नवजात बच्चों के परिजनों को ₹ 1 लाख देने का आदेश जारी किया। ऑनलाइन आवंटन प्राप्त होने पर लाभार्थियों को राशि जारी की जाएगी।

6.71 दिनांक 11.12.2017 को आयोग की सिफारिश के अनुपालन पर मामला बंद कर दिया गया।

8. राजस्थान के जिला बांसवाड़ा में एक सरकारी अस्पताल में 80 से अधिक नवजात शिशुओं/बच्चों की मौत।

(मामला संख्या 2064/20/3/2017)

6.72 आयोग को दिनांक 05.09.2017 के हिंदी दैनिक, नई दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में यह पता लगा कि राजस्थान के जिला बांसवाड़ा के एक सरकारी अस्पताल में पिछले दो महीनों के दौरान 80 से अधिक नवजात शिशुओं/ बच्चों की मौत हुई है। मीडिया द्वारा मौतों की सूचना प्रकाशित किये जाने के बाद, राज्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और कई कमियों को पाया। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, 6 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 6 अन्य को उनकी सेवा से हटा दिया गया है।

6.73 राज्य चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कथित तौर पर पाया कि अस्पताल के 'लेबर रूम' का रख–रखाव समुचित रूप से नहीं किया गया था और यहां तक कि इस्तेमाल किए जा रहे तौलिए भी साफ़ नहीं पाए गए थे। लेबर रूम में उचित साफ–सफाई की व्यवस्था नहीं थी। रिकॉर्ड के अनुसार, गर्भवती महिलाओं का वजन कम पाया गया था और अस्पताल द्वारा उन्हें उचित आहार प्रदान नहीं किया जा रहा था। कमजोरी के कारण, गर्भवती महिलाओं द्वारा पूर्व–परिपक्व अवस्था में शिशुओं जन्म दिया गया और वायरल संक्रमण के कारण नवजात शिशुओं को फेफड़ों की बीमारियाँ हुईं।

6.74 आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के बारे में स्वतः संज्ञान लिया और दिनांक 05.09.2017 की अपनी कार्यवाही के अनुसार निम्नलिखित निर्देश दिए :

"आयोग ने समाचार रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच की है। समाचार पत्र में प्रकाशित विषय घृणास्पद हैं। विशेष रूप से सरकारी अस्पताल की स्थिति जीर्ण है जिसके परिणामस्वरूप इतनी बड़ी संख्या में शिशुओं और बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल अधिकारियों की ओर से लापरवाही के कारण गरीब पीड़ितों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से कई ऐसे मामले आयोग के संज्ञान में आए हैं, जहाँ सरकारी अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं में कमी एवं डॉक्टरों/अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है।

"आयोग ने समाचार रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच की है। समाचार पत्र में प्रकाशित विषय घृणास्पद हैं। विशेष रूप से सरकारी अस्पताल की स्थिति जीर्ण है जिसके परिणामस्वरूप इतनी बड़ी संख्या में शिशुओं और बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल अधिकारियों की ओर से लापरवाही के कारण गरीब पीड़ितों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से कई ऐसे मामले आयोग के संज्ञान में आए हैं, जहाँ सरकारी अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं में कमी एवं डॉक्टरों/ अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है।

आयोग ने समाचार रिपोर्ट के बारे में स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने और अस्पताल में स्थितियों को सुधारने के लिए प्रस्तावित कदम उठाने के सम्बन्ध में नोटिस जारी कर निर्देश दिया। आयोग द्वारा मुख्य सचिव से यह सूचित करने की भी अपेक्षा है कि क्या हाल के दिनों में राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों और अन्य चिकित्सा देखभाल संस्थानों को किसी भी मानवीय त्रुटियों के कारण इस तरह की दुखद मौतों को रोकने के लिए चौकस और सावधान रहने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं।"

6.75 आयोग के निर्देशानुसार, दिनांक 27.9.2017 की उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर, दोषी डॉक्टर और नर्सों को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।

6.76 आयोग द्वारा यह मामला दिनांक 19.1.2018 को जयपुर में शिविर बैठक के दौरान उठाया गया जब राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और सुश्री वीनू गुप्ता, एसीएस चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने चर्चा के दौरान माना कि मृतक बच्चों के परिवार आर्थिक राहत के हकदार थे। तदनुसार, राज्य सरकार ने यह माना कि आयोग द्वारा 80 बच्चों के निकटतम परिजनों को ₹ 10,000/– की आर्थिक राहत के सन्दर्भ में की गई सिफारिश के विषय में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6.77 राज्य सरकार की स्वीकारोक्ति के पश्चात, आयोग ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को प्रत्येक 80 मृतक बच्चों के परिवार को ₹ 10,000/– का भुगतान करने की सिफारिश की। अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

अध्याय 7

भोजन का अधिकार

7.1 नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक "गरीबी और अकाल" में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों के अधिकारों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने वास्तविक आर्थिक विकास के लिए अकेले मानव विकास की वकालत की है। तेजी से आर्थिक विकास और अपने गरीबी दर को कम करने के बावजूद, भारत दुनिया में भूख और कुपोषण के उच्चतम स्तर से ग्रस्त है। पिछले दो दशकों से भारत न केवल भूख और कुपोषण के उच्च स्तर से ग्रस्त हैं, अपितु इसने केवल भूख को मामूली स्तर तक ही कम किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (2015–16), इस समस्या को प्रदर्शित करते हुए यह उल्लेख करता है कि देश में 15–49 वर्ष की आयु की आधी से अधिक महिलाएं (53 प्रतिशत) अल्परक्तता से ग्रस्त हैं और 22 प्रतिशत महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई)) सामान्य से नीचे है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, 35.7 प्रतिशत बच्चों का वजन उनके उम्र के अनुसार और 21 प्रतिशत बच्चों का वजन उनकी लम्बाई के अनुसार बहुत कम है।

7.2 भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सक्रिय सदस्य है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के लिए एक राज्य पार्टी है। भारत सरकार द्वारा 2030 तक दुनिया को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को भी समर्थन दिया गया है। ये 17 लक्ष्य, अधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण और स्थायी दुनिया का विजन प्रदान करते हैं जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहेगा। वे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों 2000 का निर्माण करना चाहते हैं। यह सभी अधिकांशतः भारत के प्रत्येक नागरिक के भोजन के अधिकार का सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति करने के लिए सरकार के दायित्व पर ज़ोर देता है। भारत सरकार कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना, मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू कर रही है ताकि उन्हें बुनियादी जरूरतों, विशेष रूप से भोजन तक पहुंच सफल हो सके।

7.3 भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करके एक बड़े स्तर पर भोजन और सुरक्षा कार्यक्रम को सुनिश्चित किया है जो लोगों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 लक्षित लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का हर संभव प्रयास करता है। यह पहले से उपस्थित एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) और मिड–डे मील (एमडीएम) जैसे खाद्य–आधारित

कल्याणकारी योजनाओं और सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना जैसे मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम (तत्कालीन इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना, (आईजीएमएसवाई)) के क्षेत्र को जोड़ता है और विस्तारित करता है।

7.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के साथ साथ अन्य प्रमुख योजनाओं अर्थात् समेकित बाल विकास सेवा या आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन योजना के समुचित कार्यान्वयन पर जोर दे रही है। राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून के साथ–साथ इन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के लिए आयोग ने अपने विशेष प्रतिवेदकों से भी अनुरोध किया है। 6 जून, 2017 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के श्री एस. सी. सिन्हा की अध्यक्षता में भोजन के अधिकार विषय पर आयोग के कोर सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए, 2013) के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों में (i) आधार को पीडीएस से सम्बद्ध कर लाभार्थियों को शामिल करना (ii) जब खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब लाभार्थी को नकद प्रदान करना (iii) लाभार्थियों की पहचान के लिए एसईसीसी डेटा का उपयोग (iv) प्रवासी श्रमिकों, संयोजकता और पारदर्शिता इत्यादि शामिल थे। उक्त बैठक में भाग लेने वाले कोर ग्रुप के सदस्य डॉ किरीत एस. पारिख, पूर्व सदस्य–योजना आयोग, अध्यक्ष, एकीकृत अनुसंधान और विकास कार्य, नई दिल्ली; डॉ. एस. एम. झारवाल, चांसलर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, द्वारका, सुश्री सुमन, उपाध्यक्ष, फियान, नई दिल्ली; और श्री प्रदीप कुमार प्रधान, राज्य संयोजक, भोजन अधिकार अभियान, ओडिशा शामिल थे।

क. 27 अक्टूबर, 2017 को बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन।

7.5 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में ज्यादातर लोग अभी भी गरीबी, भुखमरी और कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं, एन.एच.आर.सी. ने 27 अक्टूबर, 2017 को बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन का एक राज्यवार मूल्यांकन करना था, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता का प्रावधान किया गया था। सम्मेलन ने अपने पूर्ण सत्रों में दो प्रमुख विषयों पर विचार–विमर्श किया:

सत्र I : राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन– 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना– उठाए गए कदम, संरचनात्मक समस्याएं, परिचालन मुद्दे और समस्याएं

सत्र II : गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को 6 साल तक के लिए राज्यों के पोषण संबंधी समर्थन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन– उठाए गए कदम, परिचालन संबंधी मुद्दे और समस्याएं

सम्मेलन में गठित दो कार्य समूहों ने (i) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 साल तक के बच्चों एवं (ii) मिड–डे मील योजनाओं के पोषण संबंधी मुद्दों पर सिफारिशें कीं। तत्पश्चात, सिफारिशों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को प्रेषित की गईं।

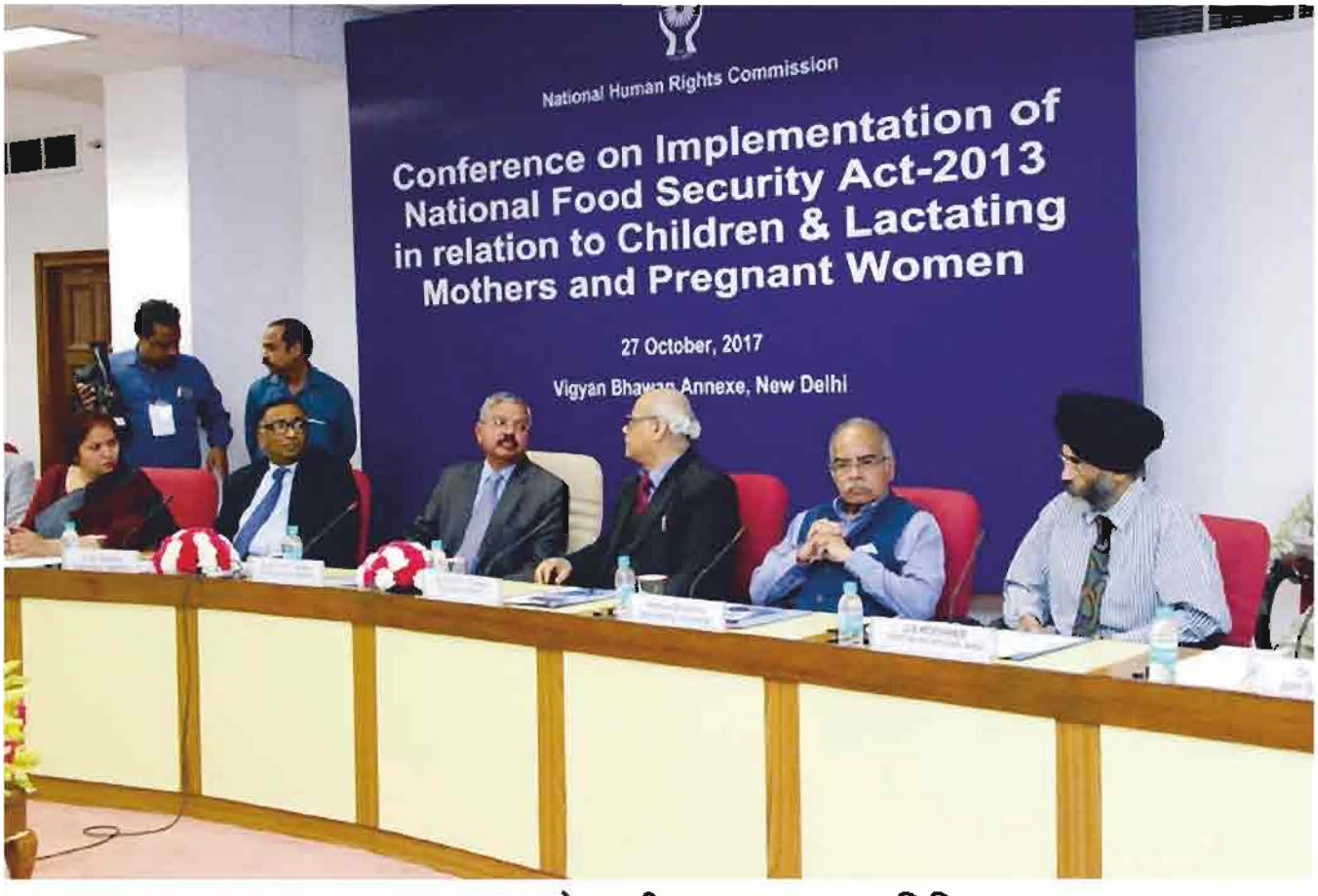

27 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन

ख. कृषिकरण संकट और किसानों की आत्महत्या पर अनुसंधान परियोजना– राज्य विशेष के मुद्दों और चिंताओं पर एक प्रयोगसिद्ध अध्ययन

7.6 राष्ट्रीय कृषि विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन.आई.आर.डी. एंड पी.आर.), हैदराबाद के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा "कृषिकरण संकट और किसानों की आत्महत्या पर अनुसंधान परियोजना– राज्य विशेष के मुद्दों और चिंताओं पर एक प्रयोगसिद्ध अध्ययन" नामक शोध अध्ययन किया गया है। अध्ययन में किसानों की आत्महत्या, आत्महत्या के पश्चात घरों की स्थिति, पुनर्वास के उपाय, सफल हस्तक्षेप और संभावित नीतिगत हस्तक्षेपों के विश्लेषण का प्रयास किया जाएगा ताकि इसके द्वारा न केवल आत्महत्या को रोका जा सके अपितु परिवार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी कम किया जा सके। अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्ययन के प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों का उपयोग किया जाएगा जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और पंजाब राज्यों में क्रियान्वित किए जाएंगे। इस अध्ययन की अवधि 10 माह की है।

7.7 अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से सरकार को किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रभावित परिवारों को न्यूनतम नौकरशाही समस्याओं के साथ आदर्श पुनर्वास लाभ प्राप्त हो।

ग. विशेष प्रतिवेदक का दौरा

7.8 उत्तरी क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की अपनी यात्रा के दौरान जिले के सात आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) का निरीक्षण किया। आंगनवाडी केन्द्रों पर रखरखाव किये जा रहे रजिस्टरों और दस्तावेजों की संख्या केंद्रों में काम करने वाले कम कर्मचारियों के लिए बहुत अधिक है। सरकार ने 'ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस' पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के वितरण की निगरानी हेतु एक 'मेगा कॉल सेंटर' के निर्माण का आदेश दिया। आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि आंगनवाडी केन्द्रों पर रखरखाव किये जा रहे रजिस्टरों और दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किए जाएं जिससे रजिस्टरों की संख्या कम करते हो।

7.9 आयोग के मध्य क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गाजियाबाद जिलों में 10 से 11 जनवरी, 2018 को उचित मूल्य की दुकानों का दौरा किया। गाजियाबाद जिले में, यह देखा गया कि कुछ उचित मूल्य की दुकानों में, इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा अच्छी तरह से न होने के कारण लाभार्थियों को पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों द्वारा अपने फिंगर प्रिंट और बायोमेट्रिक्स सत्यापित करवाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम को राशन कार्ड के साथ जोड़ने की प्रकिया को छह माह की अवधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया। यह देखा गया कि राशन कार्डों का सत्यापन एवं साथ ही साथ उन्हें आधार कार्ड के साथ जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस कमी को देखते हुए आयोग ने राज्य सरकार से निम्नलिखित सिफारिशें की है:

I. ई– मशीनों के समुचित कार्यान्वयन और लाभार्थियों को समय पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट सेवा में अत्यधिक सुधार करने की आवश्यकता है।

II. आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली को राशन कार्ड के साथ जोड़ने की प्रकिया को समय पर पूर्ण करने और आधार आधारित आनाज वितरण के प्रतिशत में सुधार के लिए मुख्य सचिव स्तर पर एक समीक्षा की आवश्यकता है।

III. जिला मजिस्ट्रेट और राज्य आपूर्ति विभाग द्वारा मासिक समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि जिला इकाइयाँ फर्जी / बेकार कार्ड (राशन कार्ड) पर नज़र नहीं रख रही हैं।

7.10 आयोग के पश्चिम क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक ने मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तुरुनेलवेली जिलों का दौरा किया। कन्याकुमारी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) 588 पूर्णकालिक और 179 अंशकालिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चलाई जा रही है, जबकि तिरुनेलवेली जिलों में यह 1006 पूर्णकालिक और 444 अंशकालिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। कन्याकुमारी जिले में 1401 आंगनवाड़ी और 34 सूक्ष्म आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से आईसीडीएस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि तिरुनेलवेली जिले में 2562 आंगनवाड़ी और 258 छोटे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से यह सेवा प्रदान की जा रही हैं। खाद्य सुरक्षा और कुपोषण से संबंधित मुद्दे पर आयोग ने राज्य सरकार से कुपोषित बच्चों के परिवारों की खोज करने और उनके आय स्तर और उपभोग पद्धति की सावधानीपूर्वक निगरानी सुनिश्चित करने और यदि आवश्यक हो तो इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य सृजित रोजगार के साथ जोड़ने की सिफारिश की ताकि यह प्रकिया कुपोषण से निपटने में समग्र और प्रभावी रूप से मदद कर सके।

7.11 भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक ने सिक्किम के उत्तर जिले का दौरा किया। विशेष प्रतिवेदक ने सिक्किम के लाचुंग और लाचेन जिलों के आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया। यह देखा गया कि आंगनवाडी केन्द्रों में नियमित रूप से अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के मदों की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, इन खाद्य पदार्थों के परिकी आपूर्ति हेतु ईंधन और और अन्य परिवहन प्रभार के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं किया जा रही है। इसके अलावा, आंगनवाडी केंद्र के कर्मचारियों को वेतन के रूप में कम भुगतान किया जाता है। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार को कुछ आकस्मिक धनराशि का निर्माण करना चाहिए जो कि आंगनवाडी केंद्र के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराया जा सके और आंगनवाडी केंद्र के कर्मचारियों के वेतन को संशोधित किया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज पर वर्तमान स्थिति ज्ञात करने हेतु, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक ने 13 से 15 सितंबर, 2017 तक मेघालय, असम–ग्रेटर गुवाहाटी क्षेत्र और असम–नागांव शहर के 12 आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया। यह देखा गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रदान किए गए मौजूदा फंड बच्चों की जरूरतों जैसे बिजली, खाना पकाने के ईंधन, पीने के पानी, आंगनवाडी केन्द्रों के भवनों के बेहतर बुनियादी ढांचे की देखभाल हेतु पर्याप्त नहीं हैं। आयोग ने राज्य सरकार से आंगनवाड़ी केंद्रों को पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सिफारिश की है ताकि बच्चों की इन उपर्युक्त जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।

7.12 आयोग के पश्चिम क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक नें 15 से 20 मई, 2017 तक महाराष्ट्र के पांच जिलों नामतः भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और घौंडिया के मानव अधिकारों की स्थिति के आकलन हेतु इन जिलों का दौरा किया। डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की कमी, रहने वाले क्वार्टरों की खराब स्थिति, बच्चों और चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण जिलों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बाधित है। केंद्र शासित प्रदेश में मानव अधिकारों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोग के विशेष प्रतिवेदक ने गोवा का भी दौरा किया। आईसीडीएस सेवाओं के संदर्भ में, यह सामन्यतः देखा जाता है कि 03–06 वर्ष की आयु के बच्चों की वास्तविक उपस्थिति नामांकित स्थिति की तुलना में कम है। बच्चों और महिलाओं के नामांकन को भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।

7.13 आयोग के दक्षिण क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुडी और विरुधनगर जिलों में उचित मूल्य की दुकानों का दौरा किया,। आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि प्रदान किये जाने वाले अनाज के प्रकार (कच्चे चावल, उबले हुए अंडे आदि) आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए और स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियां एवं कार्ड धारक को अनाजों के प्रकार पर वर्गीकरण के आधार पर पाबंदी के बजाय उन्हें समग्र राशन सीमा के भीतर पूर्ण या आंशिक रूप से स्वतंत्र रूप में चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में जवाब दिया है कि वर्तमान में, अनाज के प्रकार, जैसे कच्चे चावल और उबले हुए चावल पर किसी भी वर्गीकरण पाबंदी नहीं है और कार्ड धारक को समग्र रूप से अपनी पसंद का खाद्यान्न चुनने की स्वतंत्रता है। आयोग ने आधार नंबर और मोबाइल फोन नंबर को जोड़ने का कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण करने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने अपने एटीआर ने उल्लेख किया है कि 100 प्रतिशत आधार का कार्य पूर्ण हो चुका है और 96.95 प्रतिशत मोबाइल फोन नंबर जोड़े जा चुके हैं।

घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा भोजन के अधिकार पर दृष्टांत मामले

1. मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मध्याह्न भोजन के बाद अड़सठ छात्र बीमार पड़े

(मामला संख्या 1746/12/5/2013)

7.14 उपर्युक्त मामला एक ऐसी घटना से संबंधित है जिसमें माध्यमिक विद्यालय, मलाजपुर गांव, चिचोली ब्लॉक, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश के 68 छात्र मध्याह्न भोजन का सेवन करने के बाद बीमार हो गए। इस संबंध में पीएस चिचोली में दिनांक 15.08.2013 को भोजन तैयार करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 336/34 के तहत एफ. आई.आर. 171/13 दर्ज किया गई थी। जांच पूर्ण होने के पश्चात, 11.12.2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया।

7.15 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के राज्य समन्वयक के रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, आयोग ने 13.08.2014 अपनी कार्यवाही के तहत निम्न निर्देश दिए :

"मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के राज्य समन्वयक को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निर्देश दिया जाता है:

(i) क्या शिक्षक श्री सुलभ आर्य और श्री आर. बी. गंगरे, जिनका कर्तव्य छात्रों को भोजन प्रदान करने से पूर्व उसे चखना था, के खिलाफ अपने कर्तव्य के उचित रूप से निर्वहन ना करने पर कोई विभागीय कार्रवाई की गई है?

(ii) क्या इस मामले में दायर आरोप पत्र में मध्याह्न भोजन के प्रभारी और नर्मदा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव भी दोषी हैं?

(iii) यदि मध्याह्न भोजन के प्रभारी शिक्षक श्री सुलभ आर्य और श्री आर.बी. गंगारे के अलावा कोई व्यक्ति हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की गई है?

(iv) प्रभावित 68 छात्र कितने समय तक अस्पताल में भर्ती रहे?"

7.16 संयुक्त आयुक्त, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम बोर्ड, भोपाल, मध्य प्रदेश ने दिनांक 18.12.2017 के पत्र द्वारा आयोग द्वारा उठाये गए उपर्युक्त प्रश्नों के प्रत्युत्तर प्रेषित किये। उत्तर के अनुसार, सर्प्रथम 14.08.2013 को, अर्थात घटना के दिन, दोनों शिक्षक, श्री सुलभ आर्य और श्री आर. बी. गंगवार ने मध्याह्न भोजन को बच्चों को परोसे जाने से पूर्व खाया था और वे भी बीमार पड़ गए थे। इसलिए इन दोनों शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरे, मध्याह्न भोजन प्रभारी, श्री आर.के. वंशकर, और, नर्मदा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष को मध्यान्ह भोजन के कार्य से हटा दिया गया। तीसरे, मध्यान्ह भोजन के प्रभारी शिक्षक श्री आर. के. वंशकर को निलंबित कर दिया गया और अंत में, यह सूचित किया गया कि दूषित मध्याह्न भोजन के सेवन के कारण, 68 प्रभावित बच्चे 14.08.2013 से 15.08.2015 तक अस्पताल में भर्ती रहे।

7.17 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने मामले में कार्रवाई की थी, इसलिए आयोग द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, और मामला बंद कर दिया गया।

2. नयागढ़ जिला, ओडिशा में अभिभावकों की मृत्यु के कारण पांच नाबालिग बच्चे भुखमरी के शिकार हुए।

(मामला संख्या 2525/18/31/2013)

7.18 शिकायतकर्ता कार्यकर्ता, श्री राधाकांत त्रिपाठी ने दिनांक 05.11.13 को अपनी शिकायत के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि दिनांक 01.11.13 को ओडिशा के नयागढ़ जिले में चिकित्सीय लापरवाही के कारण हीता धारुआ की असहाय विधवा महिला कुंती धारुआ की मृत्यु हो गई। मृतक की मृत्यु के पश्चात उसके पांच नाबालिग बच्चे जिनमें से ज्यादातर लड़कियां थी, वे अनाथ हो गई। शिकायतकर्ता ने उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए बताया कि वे अपनी मृतक माँ का अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं हो सकीं। पहली दो बच्चियां,जो किशोरावस्था में थीं, ने परेशानी के कारण अपने परिवार के आजीविका हेतु अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बाल मजदूरी करने लगी। शिकायतकर्ता ने उनकी जीवन की इस स्थिति को भूख से पीड़ित परिवार के रूप में बताया। इसलिए उन्होंने राज्य द्वारा उनके मूल मानव अधिकारों की बहाली के लिए आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की।

7.19 आयोग के निर्देश के अनुसार, 11.07.2014 को ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित परिवार की दयनीय स्थिति को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। यह खुलासा किया गया कि उस परिवार को ₹ 3,000/– की वित्तीय सहायता के अलावा उन्हें लाभार्थियों की बीपीएल सूची में शामिल किया गया था और एक रुपये प्रति किलों के दर से 25 किलो चावल दिए गए थे और मुख्यमंत्री राहत कोष से इसी तरह की समान राशि नुआपाड़ा के कलेक्टर से सिफारिश की गई थी।

7.20 ओडिशा सरकार के विशेष सचिव ने मृतक कुंती धारुआ की व्यथा का उल्लेख करते हुए बताया कि वह एक टीबी की मरीज थीं और उनका इलाज डी.एच.एच. नुआपाड़ा और वीएसएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुर्ला में किया गया था। यह बताया गया कि मृतक कुंती धारुआ की मृत्यु उनके पति और बेटी की मौत के सदमे के कारण हुई। रिपोर्ट में अनाथ बच्चों की भोजन, शिक्षा और आश्रय और सुरक्षा संबंधी समस्याओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम और नकद सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया है।

7.21 आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को अनाथों के आश्रय के सवाल पर वर्तमान स्थिति से सम्बंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। नुआपाड़ा, ओडिशा के कलेक्टर, ने बताया कि ग्राम सिहिनमुंडा, पीएस कोमना, जिला नुआपाड़ा की शकुंतला धारुआ, माँ– स्वर्गीय कुंती धारुआ और पिता– स्वर्गीय हीता धारुआ की बड़ी बेटी को बीजू पक्का घर योजना 2013–2014 के तहत पक्का घर आवंटित किया गया एवं सभी 14 किस्त भी जारी की गईं।

7.22 आयोग ने इस तथ्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत को जिला कलेक्टर नुआपाड़ा, ओडिशा द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किया गया और राज्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन का ध्यान रखा गया। मृतक शकुंतला धारुआ की बेटियां अब जिला प्रशासन के संरक्षण में थीं। आयोग ने उम्मीद और आशा की कि मुसीबत में पड़े अनाथों के लिए विस्तारित सुरक्षा, कानून के अनुसार जारी रहेगी।

7.23 उपर्युक्त परिस्थितियों के सन्दर्भ में, 15.05.2017 को आयोग द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान यह पाया गया कि इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, तदनुसार यह मामला बंद कर दिया।

अध्याय 8

शिक्षा का अधिकार

8.1 शिक्षा सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है और इसे किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में कौशल, मूल्यों और विश्वासों को समावेशित कर हासिल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क होगी। वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्माताओं ने इस विचारधारा को प्रसारित किया है कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा भी उत्तरोत्तर निःशुल्क बनाया जाना चाहिए। सभी के लिए निः शुल्क प्राथमिक शिक्षा शिक्षा तक पहुंच की मौलिक प्रत्याभूति है। हालांकि, कई विकासशील देशों में, परिवार प्रायः अपने बच्चों को स्कूल भेजने से सम्बंधित खर्च का वहन नहीं कर सकते है एवं जिसके परिणामस्वरूप स्कूल–उम्र के लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाध्याताओं के बावजूद, कुछ राज्य प्राथमिक शिक्षा पर शुल्क लगाते रहते हैं। इसके अलावा, अक्सर शिक्षा से अप्रत्यक्ष लागतें सम्बंधित होती हैं, जैसेकि स्कूल की किताबें, यूनिफ़ॉर्म या यात्रा, जिससे कम आय वाले परिवारों के बच्चे विद्यालय तक पहुँच नहीं पाते।

8.2 भारत में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) संविधान का एक अधिनियम है जिसे दिनांक 4 अगस्त, 2009 को पारित किया गया एवं जिसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्त्व के पद्धतियों के बारे में बताया गया है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (क) के तहत भारत में 6 एवं 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्त्व के साधन का वर्णन करता है। दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को इस अधिनियम के लागू होने पर भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन गया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों की शिक्षा को एक मौलिक अधिकार तथा प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदण्डों को विनिर्दिष्ट करता है। इसके अन्तर्गत सभी निजी विद्यालयों को 25ः सीट बच्चों के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता (सार्वजनिक–निजी साझेदारी योजना के तहत राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति की जाए) है। बच्चों को आर्थिक स्थिति या जाति आधारित आरक्षण द्वारा निजी विद्यालयों में प्रवेश कराया जाता है। यह सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चंदे या केपेसिटी शुल्क की प्रथा या प्रावधानों एवं प्रवेश के समय बच्चों या माता–पिता के साक्षात्कार से रोकता है। यह अधिनियम यह भी प्रदान करता है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक एक कक्षा में दो बार रखना, निष्काषित करना तथा बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को समान उम्र वाले विद्यार्थियों के समतुल्य बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण का भी प्रावधान है।

8.3 शिक्षा का अधिकार (आरटीई) की आधारशिला मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, हालांकि इसका उद्देश्य माध्यमिक, तकनीकी और उच्च स्तरों पर शिक्षा के अवसरों के पहुंच को भी बढ़ाना है। यह परिकल्पना की गई थी कि आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाएँ तनाव–मुक्त होंगी। बाल हितैषी शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार से सम्बंधित एक कार्यक्रम भी परिकल्पित किया गया, जो प्रासंगिक और सशक्त है। इस संबंध में, भारत सरकार ने भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा 2001 और 2011 में प्रदान किए गए आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि भारत की साक्षरता दर में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 2011 के वर्ष के लिए, साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी जबकि 2001 में यह मात्र 64.84 प्रतिशत थी।

8.4 इसके अलावा, कई मूल्यांकन रिपोर्टों में उद्धृत किया गया है कि आरटीई अधिनियम अभी भी भारत में कई स्थानों पर एक मृगतृष्णा है। भारत में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के विषय में प्रमुख क्षेत्रीय असमानताएं हैं। बच्चों के नामांकन के संबंध में, नामांकन दर में सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षण के परिणामों में बहुत प्रगति नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों के कुल नामांकन का प्रतिशत 48 प्रतिशत से बढ़कर 2013–14 के वित्तीय वर्ष में 49 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, लिंग समता सूचकांक (दिए गए एक स्तर में नामांकित पुरुषों की संख्या द्वारा महिलाओं की संख्या का विभाजन) वित्तीय वर्ष 2009–10 में 0.93 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 0.95 हो गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए नामांकन संख्या वित्तीय वर्ष (2009–10) में लगभग दोगुनी हो गई है और वार्षिक ड्रॉपआउट दर वित्तीय वर्ष (2009–10) में 9 प्रतिशत से गिरकर वित्तीय वर्ष 2013–14 में 5 प्रतिशत से नीचे हो गई है। प्राथमिक शिक्षा में निवल नामांकन दर (एनईआर) वित्तीय वर्ष (2005–06) में 84.5 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष (2013–14) में 88.08 प्रतिशत हो गई।

8.5 गुणवत्ता संकेतक दर्शाते हैं कि अधिकांश राज्यों ने आरटीई अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम अधिदेश को अंगीकृत किया है। सरकारी विद्यालयों में, 80 प्रतिशत शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए विहित वृतिका अर्हता है। हालांकि, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की औसत उपस्थिति अभी भी एक चिंता का विषय है। शिक्षक संकेतक सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या में वृद्धि को दर्शाते है है। उन विद्यालयों की संख्या में कमी आई है जो अधिनियम द्वारा निर्धारित छात्र–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर) को पूरा नहीं करते हैं। आरटीई अधिनियम में वर्णित पीटीआर अनुपात, यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय छोटी कक्षाओं का रख–रखाव करेगा जिससे शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान रखा जा सकेगा एवं यह सतत और व्यापक मूल्यांकन नीति के आधार आधार को पूरा करेगा। जब हम वित्तीय वर्ष (2013–14) के सामाजिक अवसंरचना संकेतकों की तुलना वित्तीय वर्ष (2009–10) से करते हैं, तो हम यह देखते है कि विद्यालयों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। कई विद्यालयों में अभी भी खेल का मैदान, बाउंड्री वॉल और किचन शेड विकसित नहीं किए गए हैं। छात्राओं के लिए शौचालय से युक्त विद्यालयों की संख्या में वित्तीय वर्ष (2009–10) में 59 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष (2013–14) में 85 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इस सम्बन्ध में पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने के लिए अभी भी अत्यधिक कार्य करना है।

8.6 जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, साक्षरता दर और स्कूली शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण सफलता के बावजूद, राज्यों द्वारा आरटीई के कार्यान्वयन विशेष रूप से बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं जैसे कि समुचित

कक्षाओं, स्कूलों के शौचालय के लिए रेत की चारदीवारी, पीने के पानी की उपलब्धता, विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक रखने, शिक्षकों के खाली पदों को भरने और छात्र–शिक्षक अनुपात के संबंध में अभी भी प्रमुख कमियाँ हैं। अभी भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहाँ तीन किलोमीटर के भीतर विद्यालय नहीं है। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों और संघर्षरत क्षेत्रों के कई बच्चों के लिए आरटीई एक स्वप्न है। इसके अलावा, सभी राज्यों के पास आर.टी.ई. के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु आवश्यक बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग का गठन नहीं किया गया हैं। निजी विद्यालयों में वंचित समूहों के बच्चों के लिए सीटों के 25 प्रतिशत आरक्षण पर ही आर.टी.ई. का लक्ष्य केन्द्रित रहता है।

8.7 इसे समझने की आवश्यकता है कि भारत में एक बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी विद्यालय या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा अध्ययन करते हैं, अतः आधारभूत संरचना, शिक्षण गुणवत्ता तथा समाज के वंचित वर्गों के बच्चों के शिक्षण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर.टी.ई. के कार्यान्वयन में सुधार की आव यकता है ताकि समाज में सभी वर्गों को शिक्षा अध्ययन का समान अवसर मिल सके। आज भी ज्यादातर बच्चे पांच वर्श की प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते हैं। बच्चों का विद्यालय छोड़ देना एक समता स्थापित करने के संबंध में एक कठिन प्रश्न उजागर करता है जैसे कि भाहरी एवं ग्रामीण शिक्षा तथा गरीबों एवं अमीर द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा में काफी अंतर है। अतः, एक वि ाल वित्तीय एवं मानव संसाधनों के प्रयोग के अलावा, इन अधिकारों को सही अर्थ में तथा पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने हेतु जमीनी स्तर तक बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।

क. केरल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित मानव अधिकार के मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन

8.8 उपरोक्त अध्ययन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा थेवर, कोचीन, केरल में सेक्रेड हार्ट कॉलेज (एस.एच. सी) के सहयोग से किया गया था। अध्ययन द्वारा उल्लेख किये जाने वाले विषय हैं: (i) स्कूलों में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के नामांकन का स्तर; (ii) विद्यालयों में प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई छोड़ने की दर; (iii) उच्च शिक्षा में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के नामांकन का स्तर; (iv) प्रवासी मजदूरों की रहने की स्थिति; (v) प्रवासी मजदूरों के आर्थिक स्थिति का विश्लेषण; और (vi) प्रवासी मजदूरों के बच्चों के समक्ष सांस्कृतिक दुविधा।

अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अध्ययन में कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्य की रणनीति में मुख्य बाधाओं में से एक उनके बारे में प्रामाणिक आंकड़ों का अभाव है। केरल में घरेलू प्रवासी मजदूर (डीएमएल) की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल को इकट्ठा करना एक कठिन कार्य है क्योंकि प्रवासी मजदूर स्थायी आबादी नही होते हैं; वे केरल आ सकते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ रह सकते हैं और अपने गृह राज्य में वापस जा सकते हैं या अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि प्रवासी मजदूरों को अपने मूल स्थानों की तुलना में केरल में बहुत अधिक मजदूरी मिलती है। लेकिन वे लंबे समय तक काम करते हैं और भोजन, आश्रय और परिवहन पर की लागत उच्च होती है। अधिकांश घरेलू प्रवासी मजदूर के परिवार उचित बुनियादी सुविधाओं के बिना विषम परिस्थितियों में एक कमरे में रहते हैं। केरल में प्रवासी मजदूरों के जीवन की पहलुओं में से सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू उनका स्थानीय आबादी से अलगाव है।

8.9 अध्ययन में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

I. केरल में डीएमएल बच्चों के स्कूल नामांकन में सुधार के लिए, सरकार को केरल में सभी एसएसए की गतिविधियों की गंभीरता से निगरानी करनी चाहिए। एर्नाकुलम एसएसए एक अच्छा मॉडल है।

ii. डीएमएल बस्तियों के पास स्थित स्कूलों में उत्तर भारतीय भाषाओं में प्रवीणता वाले अधिक शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं।

iii. केरल में डीएमएल के बच्चों के लिए विशेष छात्रावास निः शुल्क मॉडल पर आधारित आदिवासी छात्र छात्रावास शुरू किया जा सकता है, ताकि माता–पिता के कार्यस्थल के परिवर्तन से बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो।

iv. सरकार को केरल में सभी डीएमएल को पंजीकृत करने के लिए कदम उठाने चाहिए और डीएमएल छात्रों की सूची रखने के लिए शिक्षा विभाग से आग्रह करना चाहिए। यह कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। वर्तमान में शिक्षा विभाग के पास ऐसी कोई सूची नहीं है।

v. डीएमएल बच्चों के लिए एसएसए कार्यक्रमों में वास्तविक एन.जी.ओ. की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

ख. एन.एच.आर.सी. द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित दृष्टांत मामले

1. त्रिपुरा में एनईईटी परीक्षा में खुमुलवंग के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के पंद्रह छात्रों को उपस्थित होने से वंचित किया गया

(मामला संख्या 21/23/4/2017)

8.10 आयोग को त्रिपुरा के धलाई जिला के निवासी, श्री संजीत देबबर्मा से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होनें यह आरोप लगाया कि जनजातीय कल्याण विभाग मंत्रालय, त्रिपुरा सरकार की लापरवाही के कारण खुमुलवंग के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय झिरनिया, त्रिपुरा के 15 अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्र एनईईटी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि वे परीक्षा शुल्क देने में सक्षम नहीं थे, जो कि सरकार द्वारा दिया जाना था।

8.11 त्रिपुरा सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि ईएमआरएएस, खुमुलवंगग के प्रधानाचार्य ने छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का काम पूरा कर लिया, लेकिन निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित शुल्क भेजने में विफल रहे। एक शिक्षक को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी, जो यह कार्य पूरा नहीं कर सका। यह मामला जनजातीय कल्याण विभाग के संज्ञान में आते ही, इस मामले को अध्यक्ष, सीबीएसई, नई दिल्ली के समक्ष उठाया गया। सीबीएसई द्वारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सीबीएसई द्वारा सफल उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पहले ही भेज दिए गए थे। लापरवाह प्रधानाचार्य और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। जो 15 छात्र इससे प्रभावित हुए हैं, उन्हें वर्ष 2018 की एनईईटी परीक्षा के लिए जनजातीय कल्याण विभाग, त्रिपुरा सरकार द्वारा मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। इन छात्रों को एनईईटी परीक्षा, 2017 में उपस्थित होने के लिए मुफ्त कोचिंग भी प्रदान की गई।

8.12 त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रधानाचार्य और शिक्षक की ओर से की गई लापरवाही को स्वीकार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा त्रिपुरा ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस) के माध्यम से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) चलाया जाता है। ईएमआरएस, खमुलवंग के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षक द्वारा लापरवाही के कारण, अनुसूचित जाति से संबंधित 15 निर्दोष छात्र, पूरे वर्ष भर तैयारी के बावजूद एनईईटी परीक्षा, 2017 में उपस्थित नहीं हो सके। परीक्षा शुल्क का भुगतान स्कूल प्रशासन के माध्यम से सरकार द्वारा किया जाना था। इस विषय में छात्रों का कोई दोष नहीं है। 15 छात्रों के शिक्षा के अधिकार और समान अवसर के अधिकार का घोर उल्लंघन किया गया था और उन्होनें अपने शैक्षणिक करियर का पूरा एक मूल्यवान वर्ष गंवा दिया। इसलिए 30.08.2017 को आयोग ने त्रिपुरा सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, और उसमें यह प्रश्न किया गया कि राज्य सरकार द्वारा सभी 15 छात्रों को उपयुक्त मुआवजा क्यों नहीं दिया गया।

8.13 आयोग के निर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग, त्रिपुरा सरकार ने दिनांक 24.10.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें यह कहा गया है कि प्राधिकारी के समक्ष उपर्युक्त मामला आने पर प्रधानाचार्य और शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में जिम्मेदार प्रधानाचार्य और शिक्षक के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किया गया है, और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई है। उन्हें क्रमशः उनुकुटी जिले में कुमार्घट के ईएमआरएस और खोवाई जिले के राजनगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे यह उल्लेख किया गया है कि 15 छात्रों में से 5 छात्र एआईएसएससीई में पास हुए हैं, 5 छात्र कंपार्टमेंटल और 5 छात्र फेल हुए हैं। जो 10 छात्र एआईएसएससीई परीक्षा पास नहीं कर पाए उन्हें एआईएसएससीई परीक्षा 2018 में उपस्थित होने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है इसके अलावा, जनजातीय कल्याण विभाग, त्रिपुरा सरकार ने सभी छात्रों के लिए एनईईटी– 2018 में उपस्थित होने के लिए संयुक्त प्रवेश कोचिंग की व्यवस्था की है।

8.14 आयोग का मत है कि संबंधित छात्रों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला बनता है और उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए 27.11.2017 को, आयोग ने त्रिपुरा के मुख्य सचिव को सभी 15 पीड़ित छात्रों को ₹ 2,00,000/– का मुआवजा देने की सिफारिश की। त्रिपुरा सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग से 19.01.2018 को एक सुचना प्राप्त हुई जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने 17.01.2018 को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, खुमुलवंग, जिरानिया के 15 छात्रों को ₹ 2,00,000/– का मुआवजा दिया है। भुगतान का प्रमाण रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया था।

नतीजतन, मामला 16.02.2018 को बंद कर दिया गया।

2. राजस्थान के बारां जिले में एक आदिवासी लड़कियों के लिए सरकारी आवासीय विद्यालय में अपर्याप्त भोजन के कारण नौ छात्राएं बेहोश हो गईं।

(मामला संख्या 339/20/33/2014)

8.15 आयोग को श्री पी.एल. मिमरोत, एडवोकेट और मुख्य संरक्षक, दलित अधिकार केंद्र द्वारा एक घटना के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें 04.02.2014 को एक सरकारी आदिवासी बालिका आवासीय विद्यालय, शाहाबाद, जिला बारां, राजस्थान में अपर्याप्त भोजन के कारण 9 छात्राओं के बेहोश होने का उल्लेख किय गया। आगे यह

आरोप लगाया गया कि छात्रावास के उचित प्रबंधन के कारण, छात्राओं को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया और जब छात्रों ने आवाज उठाई, तो उन्हें अपशब्द कहा गया और कुछ भी नहीं बोलने की धमकी दी गई। अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

8.16 आयोग को संयुक्त सचिव, अनु. जाति/अनु. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान से दिनांक 10.06.2016 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार महिला शिक्षक, श्रीमती शमीम बानो के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि, जांच के सम्बन्ध में लापरवाह महिला शिक्षक और छात्रावास के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

8.17 दिनांक 19.01.2018 को आयोग ने जयपुर में अपने शिविर बैठक के दौरान इस मामले को उठाया। इस तथ्य के संबंध में कि शिक्षिका शमीम बानो द्वारा प्रथम दृष्टया अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की गई और उसके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, आयोग ने राजस्थान सरकार को, जिन नौ बच्चों को मानसिक पीड़ा के साथ–साथ शारीरिक पीड़ा भी हुई, उन्हें ₹ 10,000/– का भुगतान करने की सिफारिश की। राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

अध्याय 9

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर समूहों के अधिकार

9.1 अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आधिकारिक तौर पर समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग के रूप में माना गया है। इन कमजोर वर्गों को शोषण से पुनर्जीवित करने के लिए, भारत के संविधान द्वारा उनके उत्थान और समाज में उन्हें प्रगतिशील रूप से सम्मिलित करने के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। संविधान ने देश भर में एससी और एसटी की स्थिति में सुधार के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था को आगे बढ़ाया।

9.2 अपनी स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सक्रिय रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के प्रति सकारात्मक कार्रवाई में सक्रिय रहा है। सतत् जारी असमानताओं को खत्म करने के लिए, इसने भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ दंडकारी उपायों की दृढ़ता से सिफारिश की है। इसके अलावा, आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षों से मूल्यवान एवं उपयोगी परामर्श मिलते हैं, जो आयोग के पदेन सदस्य हैं।

9.3 वर्षों से आयोग ने प्रचलित अस्पृश्यता से लेकर एससी/एसटी के व्यवस्थित बहिष्कार से सम्बंधित विभिन्न मामलों में विचार किया। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली शिकायतों में मुख्य रूप से भेदभाव, शोषण और पुलिस का उदासीन या कपटपूर्ण रवैया के मुद्दे शामिल हैं।

9.4 आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम पर एक व्यापक अध्ययन किया है। यह अध्ययन एससी/एसटी के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को कम करने के लिए उनकी पहचान करने, अत्याचार को रोकने और बाद में कार्य योजना तैयार करने के लिए किया गया था। इस अध्ययन से लगभग 150 सिफारिशें प्राप्त हुए, जिसे संबंधित प्राधिकारियों के पास के भेजकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करन का अनुरोध किया गया है। आयोग ने एससी/एसटी या समाज के किसी भी अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भी स्वतः संज्ञान लिया है और व्यक्तिगत शिकायतों का निवारण किया गया है।

9.5 इसके अलावा, आयोग ने नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन नागरिक, 2006 की दिशा में राज्यों के अनुपालन की निगरानी में सक्रिय रहा आयोग के अन्वेषण प्रभाग को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत हर्जाने के संबंध में मामलों में पुलिस की भूमिका और भेदभाव के शिकार लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न

नियमों और अधिसूचनाओं का विश्लेषण नियमित रूप से आयोग द्वारा किया जाता है। एससी/एसटी/ ओबीसी के उत्पीड़न के संदर्भ में आयोग ने 01.04.2017 से 31.03.2018 तक 2679 मामले दर्ज किए हैं।

क. बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन

9.6 रिट याचिका (सिविल संख्या 3922/1985) में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 का निरीक्षण कर रहा है। शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 की रिट याचिका पर अपना निर्णय देते हुए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बंधुआ मजदूरी के सर्वेक्षण एवं जांच करने का निदेश दिया।

(क) बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पर क्षेत्रीय कार्यशाला

क्र.सं.	जिला/ राज्य	कार्यशाला की तिथि
1.	असम (गुवाहाटी) भाग लेने वाले राज्यों के साथ मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड।	19.05.2017
2.	पटना (बिहार)	21.07.2017
3.	पुणे (महाराष्ट्र)	06.10.2017
4.	गोवा	27.10.2017
5.	कोच्चि, केरल	12.01.2018
6.	अहमदाबाद, गुजरात	23.02.2018

27 अक्टूबर, 2018 को बंधुआ श्रम प्रणाली के उन्मूलन पर आयोजित की गई कार्यशाला

9.7 इन कार्यशालाओं का उद्देश्य वैचारिक और निश्चित स्पष्टता स्थापित करने के साथ–साथ, बंधुआ मजदूरों की पहचान, विमुक्ति और पुनर्वास की रणनीति और कार्यप्रणाली के बारे में मदद करेगा। यह कार्यशाला प्रतिभागियों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान में मदद करेगी।

(ख) बंधुआ मजदूरी पर छमाही रिपोर्ट

9.8 रिट याचिका (सिविल संख्या 3922/1985) में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 का निरीक्षण कर रहा है। शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 की रिट याचिका पर अपना निर्णय देते हुए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बंधुआ मजदूरी के सर्वेक्षण एवं जांच करने का अग्रिम निदेश दिया।

9.9 दिनांक 5 मई, 2014 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को विहित प्रपत्र में बंधुआ मजदूरों की पहचान, विमुक्ति और पुनर्वास पर अर्द्धवार्षिक सुचना प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदनुसार आयोग ने 9 नवंबर, 2011 के अपने पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

9.10 दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार, दादरा एवं नगर है और दमन और दीव ने आयोग को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की है। शेष राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों से अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

ख. अनुसंधान परियोजना

9.11 आयोग ने 16.11.2012 को हुई अपनी बैठक में केरल के तिरुवनंतपुरम विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर, डॉ. जोमन मैथ्यू, 'केरल में प्रवासी निर्माण श्रमिकों के मानव अधिकार मुद्दों' शीर्षक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुसंधान परियोजना ₹ 3,00,000/– की वित्तीय सहायता के साथ 12 महीने की अवधि की थी।

9.12 डॉ. मैथ्यू द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट पर आयोग द्वारा विचार किया गया और इस रिपोर्ट को केरल राज्य सरकार के अवलोकन और अनुशंसा के सारांश सम्बन्धी प्रतिक्रिया हेतु प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। अध्ययन का सारांश, निष्कर्ष और सिफारिशें एन.एच.आर.सी. की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं।

ग. एन.एच.आर.सी. द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर समूहों से संबंधित दृष्टांत मामले

1. ओडिशा के पुरी जिले, में एससी/एसटी विकास के अंतर्गत संचालित एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा 18 छात्रों का कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न

(मामला संख्या 1799/18/30/2014–डब्ल्यूसी)

9.13 डॉ. सुभाष महापात्रा, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशंस, ओडिशा, पुरी ज़िला के कार्यकारी निदेशक ने एक शिकायत प्रस्तुत की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कुकुरीमुंडी सेवाश्रम, नुआपाड़ा की 18 छात्राओं के साथ

एससी/एसटी विकास विभाग के तहत संचालित एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया।

9.14 संबंधित अधिकारियों के रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीड़ित सखिया माझी (अनुसूचित जनजाति) के मानव अधिकारों का लोक सेवक द्वारा उल्लंघन किया गया और इसलिए, उसे प्राधिकरण द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए, आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह उल्लेख किया कि आयोग पीड़ितों को उचित मुआवजे के भुगतान की सिफारिश क्यों न करे।

9.15 नोटिस के जवाब में, ओडिशा सरकार के उप सचिव, एससी/ एसटी विकास विभाग ने सरकार को आयुक्त–सह–सचिव की दिनांक 27.01.2016 की एक कार्रवाई रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट के अनुसार, कुकुरीमुंडी सेवाश्रम, नुआपाड़ा स्कूल के प्रधानाध्यापक ने पीड़ित लड़की को बुलाया और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वह लड़की उसके चंगुल से बच गई। बाद में पुनः उसने पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। पीड़ित लड़की ने इसका खुलासा अपने कक्षा की सहपाठियों से किया। इस संबंध में, एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3 (i) (xi) के अधीन आईपीसी आर/डब्ल्यू एवं यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण सम्बंधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 354/506 धारा के अधीन एफ.आई.आर. दर्ज की गई और संबंधित प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच अधिकारी ने मामले की जांच की और आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया और सरकार द्वारा पीड़ित के पक्ष में अनुग्रह के रूप में ₹ 30,000/– मंजूर किया गया। ओडिशा सरकार ने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और रिपोर्ट में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।

9.16 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और यह देखा कि सरकार की प्रतिक्रिया ममें उल्लेख है कि आरोपी प्रधानाध्यापक को जेल भेज दिया गया है, और जांच अधिकारी द्वारा आरोप–पत्र दाखिल किया गया है। अनुग्रह के रूप में ₹ 30,000/– पीड़ित लड़की को दिए गए हैं। यह राशि ₹ 30,000/– पीड़ित लड़की के मानव अधिकारों के उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। इसलिए, आयोग ने ओडिशा सरकार पीड़ित लड़की को ₹ 30,000/– के अनुग्रह के साथ ₹ 70,000/– का मुआवजा देने की सिफारिश की। ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को दोनों राशियों के भुगतान के प्रमाण भेजने का भी निर्देश दिया गया, जो कि प्रतीक्षित है।

9.17 आयोग ने हालांकि यह देखा कि रिपोर्ट में की गई शिकायत में कथित रूप से अन्य छात्राओं के यौन शोषण के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। एस.पी., नौपाड़ा को इस संबंध में एक विस्तृत जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है, जो कि प्रतीक्षित है।

बंधुआ मजदूर

2. पंजाब के होशियारपुर जिले में बथुला गांव के पास एसबीआई ईंट–भट्ठा स्थान से अनु जॉर्ज, कार्यकर्ता द्वारा 33 व्यक्तियों (28 बंधुआ मजदूर सहित 7 बच्चों की पहचान की गई) को बचाया/विमुक्त किया गया।

(मामला संख्या 42/19/7/2014–बीएल)

9.18 आयोग को पंजाब के होशियारपुर जिले के बथुला गाँव के निकट एसबीआई ईंट–भट्ठे पर 33 व्यक्तियों (28 बंधुआ मजदूर सहित 7 बच्चों की पहचान की गई) के बचाव/ रिहाई एवं छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों में उनके पुनर्वास के संबंध में एक गैर सरकारी संगठन की कार्यकर्ता अनु जॉर्ज से शिकायत मिली।

9.19 आयोग के निर्देशानुसार, दिनांक 09.05.2014 को होशियारपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 28.04.2014 को एसडीएम, होशियारपुर के पत्र के साथ प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

9.20 आयोग के आगे निर्देशानुसार, जांजगीर चंपा के जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 31.08.2017 को विवेचना के साथ रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि सभी 24 रिहा किए गए मजदूरों को राज्य–केंद्र सरकार अंशदान के आधार पर ₹ 40,000/– का भुगतान किया गया है। केंद्र सरकार का शेयर उपलब्ध नहीं है जिसके कारण भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें सामाजिक कल्याण योजना का लाभ प्रदान करने के विवरण के साथ भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया गया था।

9.21 रायगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 25.09.2017 को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जिसमें यह उल्लेख किया गया कि रिहाई किये गए चार मजदूरों का पुनर्वास किया गया और प्रत्येक मजदूर को ₹ 40,000/– का भुगतान किया गया था।

9.22 होशियारपुर के जिला मजिस्ट्रेट, ने दिनांक 06.10.2017 को संलग्नक के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे यह उल्लेख किया गया है कि सुरेश ब्रिक्स उद्योग, गाँव बथुला के मालिक के खिलाफ बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16, 17 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

9.23 रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, आयोग ने जांजगीर चाम्पा और रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के जिला मजिस्ट्रेट, को रिहाई किए गए मजदूरों के लिए केंद्रीय सरकार की पुनर्वास राशि के भुगतान हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। होशियारपुर के जिला मजिस्ट्रेट को भी सुरेश ब्रिक्स उद्योग, गाँव बथुला के मालिक के खिलाफ बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत मामला दर्ज करने और तदनुसार आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया गया। आयोग ने इन टिप्पणियों के साथ मामला बंद कर दिया।

3. डॉ. के. कृष्णन, कार्यकर्ता ने मुक्त करवाई गई पांच बंधुआ मजदूरों (महिला) को बचाया और पुनर्वास किया।

(मामला संख्या 84/22/44/2014–बीएल)

9.24 आयोग को पांच बंधुआ मजदूरों (महिला) के पुनर्वास के संबंध में एक कार्यकर्ता डॉ. के. कृष्णन की शिकायत मिली। आयोग ने कोंडागांव और कांकेर के डीएम को रिहा की गई पांच मजदूरों की आवासीय स्थिति का सत्यापन करने और उनके पुनर्वास के संबंध में एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो तमिलनाडु के नमक्कल जिले से वर्ष 2013–14 में रिहा हुई थीं।

9.25 उसी के जवाब में, दिनांक 23.04.2016 को कोंडागांव, छत्तीसगढ़ के डीएम से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह सूचित किया गया कि उक्त कोंडागांव जिले की चार रिहा महिला मजदूरों को बंधक श्रमिक पुर्नवास योजना के तहत ₹ 40,000/– के अलावा उन्हें छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा ₹ 4000/– की सहायता

भी दी गई। यह उल्लेख किया गया कि यह राशि उन्हें अकाउंट पेयी (अदाता) चेक के माध्यम से प्रदान की गई थी। इसके अलावा, यह सूचित किया गया कि रिहा किए गए मजदूरों को राशन कार्ड भी वितरित किए गए और उन्हें सरकार की इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत एक घर के आवंटन के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

9.26 दिनांक 02.05.2017 को डीएम, कांकेर, छत्तीसगढ़ से एक अन्य रिपोर्ट भी प्राप्त किया गया, जिन्होंने सूचित किया कि रिहा की गई मजदूर कुमारी राजेश्वरी सलाम को पुनर्वास सहायता के रूप में बंधक श्रमिक पुर्नवास योजना के तहत ₹ 40,000/– का भुगतान किया गया। इसके अलावा, उसे एक परिवार राशन कार्ड, रोज़गार गारंटी कार्ड दिया गया और उसे इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत एक घर के आवंटन के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

9.27 आयोग ने ध्यान से उक्त रिपोर्टों की जांच की। कोंडागांव और कांकेर के डीएम को रिहा किये गए मजदूरों के सम्बन्ध में उक्त सहायता के भुगतान का प्रमाण छह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, कांकेर के डीएम को यह सूचित करने के लिए कहा गया कि क्यों राजेश्वरी सलाम को छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभ के लिए शामिल नहीं किया गया था।

9.28 दिनांक 15.06.2017 को उपर्युक्त प्रश्न के जवाब में कांकेर, छत्तीसगढ़ के कलेक्टर और डीएम से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह सूचित किया गया कि कुमारी राजेश्वरी सलाम एक कृषि फार्म में कार्य कर रही थी और वहां वह अचार निर्माण का कार्य कर रही थी, जिसके कारण उन्हें छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के तहत शामिल नहीं किया जा सकता था।

9.29 आयोग ने देखा कि रिहा किए गए मजदूरों को उनकी पुनर्वास सहायता प्रदान की गई थी और उन्हें सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत अन्य लाभ प्रदान किए गए थे। ऐसी परिस्थिति में, आगे इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और तदनुसार मामला बंद कर दिया गया।

अध्याय 10

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

10.1 एन.एच.आर.सी.–भारत महिलाओं और बच्चों के अतिसंवेदनशील होने के कारण उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए आयोग सभी विषयगत क्षेत्रों के अपने कार्य में इसे महत्त्व देता है। दूसरे दे ाों की तरह, भारत में महिलाओं एवं बच्चों को उनके मानव अधिकार उल्लंघन का ि ाकार होना पड़ता है तथा उनके साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय संविधान उनके उत्तर जीविता, विकास संरक्षण, भागीदारी एवं स ाक्तिकरण हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का भी पक्षकार है जो महिलाओं और बच्चों के मानव अधिकारों के मुद्दों को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है। सम्मेलनों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों में समानता को सुनि ि चत करने हेतु बनाया गया था।

10.2 महिलाओं के मानव अधिकारों पर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन (सीईडीएडब्ल्यू) पर 1979 कन्वेंशन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के 185 सदस्य राज्यों द्वारा अंगीकार किया गया है। सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू के अंतर्गत महिलाओं के मानव अधिकारों को समझने के लिए आव यक चुनौतियों पर सहमति प्रदान प्रदान करता है। इसी प्रकार, बच्चों के अधिकारों पर परिसंवाद, 1989 (सी.आर.सी.) सी.ई.डी.ए. डब्ल्यू को भारत सरकार द्वारा वर्श 1993 में अंगीकार किया गया जबकि सी.आर.सी. को 1992 में अंगीकार किया गया। सी.आर. सी. एवं सी.ई.डी.ए. डब्ल्यू के अंगीकार के पश्चात, इसके प्रावधान भारत सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए क्रियान्वित की जा रही कई नीतियों, कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों में परिलक्षित होते हैं।

10.3 हालांकि, लड़कियों और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कई अभावों और हिंसा का अंतरजनपदीय चक्र 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रतिकूल बाल लिंगानुपात के कारण पूर्णतः स्पष्ट है। अतः इस दिशा में कार्य करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है ताकि सामाजिक एवं धार्मिक समुदायों से वंचित महिलाओं एवं बच्चों को संरक्षात्मक एवं सुरक्षित माहौल मिल सके।

10.4 नीचे दिए गए पैराग्राफ में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर नीति अनुसंधान, परियोजनाओं और कार्यक्रम प्रभाग, संक्षेप में, एन.एच.आर.सी. के अनुसंधान प्रभाग द्वारा आरम्भ किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैः

क. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पर दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन

10.5 आयोग ने 5–6 सितंबर, 2017 को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 विषय पर दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का स्थान तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी था।

10.6 यह सम्मेलन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 जैसे महत्त्वपूर्ण विधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों में बाल अधिकारों के संरक्षण और पंजीकृत विधानों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे की समीक्षा करना था। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे।

10.7 राज्य सरकार ने अपने राज्यों से एक दल को नामित किया था जिसमें (i) महिला और बाल विकास से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, (ii) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, (iii) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, (iv) प्रोबेशन अधिकारी, (v) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी (vi) विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी (vii) अवलोकन गृह के अधीक्षक (viii) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्य, (ix) बाल कल्याण अधिकारी (x) बाल गृह के अधीक्षक (xi) जिला बाल सुरक्षा इकाई से एक अधिकारी (xii) विशेष लोक अभियोजक शामिल थे। राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गैर सरकारी संगठन भी उपस्थित थे।

10.8 दो–दिवसीय सम्मेलन में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सकारात्मक चर्चा और भागीदारी देखी गई और इस सम्मलेन से कई सिफारिशें भी प्रस्तुत किये गए, जिसे सम्मलेन के दूसरे दिन के अंत में प्रतिभागियों के साथ विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन से सृजित सिफारिश को अंतिम रूप देने के साथ–साथ इसे जेजेए, 2015 और पीओसीएसओ, 2012 के राष्ट्रीय सम्मेलनों की योजना में शामिल किया जाएगा और यह राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद एन.एच.आर.सी. की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

ख. वन स्टॉप सेंटर पर एक दिवसीय बैठक

10.9 दिनांक 26 सितंबर, 2017 को आयोग के मानव अधिकार भवन में 'वन स्टॉप सेंटर्स'पर एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। एन.एच.आर.सी. की सदस्य श्रीमती ज्योतिका कालरा द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक का उद्देश्य वन स्टॉप सेंटर योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना, मौजूदा आधारभूत स्थिति का आकलन करना, सभी हितधारकों से इनपुट और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था। इस बैठक में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएएलएसए, दिल्ली पुलिस, एन.जी.ओ. और सिविल सोसाइटी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

इस रिपोर्ट के अध्याय–19 में उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सिफारिशों का अवलोकन किया जा

सकता है।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण

10.10 एन.एच.आर.सी. के सहयोग से एशिया पैसिफिक फोरम ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत (एन.एच.आर.सी.आई) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण का आयोजन किया था।

प्रशिक्षण के उद्देश्य थे:

i. 'महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना: राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के लिए एक मैनुअल के प्रकाशन को व्यवहार में लाना।

ii. महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा और लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए एन.एच.आर.सी.आई का समर्थन करने के लिए कौशल और ज्ञान प्रदान करना।

iii. महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए अपने काम के भीतर लिंग विश्लेषण को एकीकृत करने और विशेष परियोजनाएं शुरू करने के लिए एन.एच.आर.सी.आई कर्मचारियों के कौशल और दक्षताओं का विस्तार करें।

10.11 प्रशिक्षण दो बैचों में आयोजित किया गया था। 30–31 अक्टूबर, 2017 को कनिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए बैच 1 और 2 नवंबर, 2017 को वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए बैच II आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य योजना भी बनाया। जिन कार्य योजना का उल्लेख किया गया है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- क्रेच का प्रावधान
- महिलाओं के लिए विशेष रूप से आराम / चेंजिंग रूम
- प्रत्येक तल पर महिलाओं का वॉशरूम
- मेडिकल जांच कक्ष
- आवश्यकता के आधार पर महिलाओं और स्त्रीरोगों के डॉक्टर
- स्वास्थ्य, माता–पिता और वैवाहिक मुद्दों पर परामर्श
- आत्मरक्षा के लिए शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण
- आपातकालीन परिवहन
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के व्यायाम के लिए मिनी जिम
- लचीले काम के घंटे
- घर से काम करने की क्षमता

- सभी कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के मासिक धर्म, मातृत्व और शिशु देखभाल की छुट्टी दी जाए, जिसमें संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं
- रिजर्व छोड़ना
- तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण
- योग और ध्यान के प्रावधान
- कार्यालय की स्वच्छता और सफाई को बेहतर बनाना
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और छोटे बच्चों की माताओं की जरूरतों का संवेदीकरण

घ. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन

10.12 आयोग ने 10–11 नवंबर, 2017 को इम्फाल में जेजे अधिनियम, 2015 और पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपना दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का आयोजन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जैसे महत्त्वपूर्ण विधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किया गया था। इस क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य बाल अधिकारों की सुरक्षा और संबंधित कानून के कार्यान्वयन के लिए राज्यों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे की समीक्षा करना था। असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे।

ङ. बाल विवाह को समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन

10.13 आयोग ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 4–5 जनवरी, 2018 को बाल विवाह पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य बाल विवाह के समस्या के विषय में जागरूकता फैलाना था, जो न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि यह बच्चों के मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है। सम्मेलन में सभी हितधारकों ने बाल विवाह को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण चिंताओं, चुनौतियों और उपायों के क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया।

10.14 इस क्षेत्रीय सम्मेलन में असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्यों से राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग/ समाज कल्याण विभाग, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों, महिला राज्य आयोग, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों/ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने सकरात्मक चर्चा हुई और कार्य समूहों ने चार क्षेत्रों पर सिफारिशें तैयार कीं: (क) बाल विवाहः वर्तमान स्थिति, मुद्दों और चुनौतियों की वास्तविकता की जाँच (ख) नीति की रूपरेखाः बाल विवाह के कार्यक्रम और कानूनी पहलू (ग) बाल विवाह के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले गतिशील कारकः निवारक उपाय (घ) मानव तस्करी और बाल विवाहः मुद्दे चुनौतियां और भविष्य योजना।

इस रिपोर्ट के अध्याय–19 में सिफारिशें देखी जा सकती हैं।

च. दूसरे तरीकों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की पूछताछ करना: अपराधियों की दुनिया में एक खोजपूर्ण अध्ययन

10.15 एन.एच.आर.सी. द्वारा सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट (सीडब्ल्यूडीएस) नई दिल्ली के सहयोग से 'दूसरे तरीकों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की पूछताछ करना: अपराधियों की दुनिया में एक खोजपूर्ण अध्ययन' शुरू किया गया था। अनुसंधान का औचित्य शहरी क्षेत्र में एक विशेष ध्यान के साथ लिंग, हिंसा, अपराध और सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुचने के लिए दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों के आरोपी पुरुष अपराधियों की धारणाओं के अंतर्दृष्टि को ज्ञात करना है।

10.16 तिहाड़ जेल की महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 25 वयस्क अपराधियों का साक्षात्कार सम्बन्धी प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह कर अध्यन पूर्ण हुआ। अंतिम रिपोर्ट अभी एन.एच.आर.सी. को प्रस्तुत किया जाना है।

छ. तीसरे जेंडर के रूप में ट्रांसजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन

10.17 'तीसरे जेंडर के रूप में ट्रांसजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन' नामक अनुसन्धान की जिम्मेदारी एन.एच.आर.सी. द्वारा केरल डेवलपमेंट सोसाइटी (केडीएस), नई दिल्ली को सौंपा गया है। शोध परियोजना का मुख्य उद्देश्य तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर के सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन करना था। इसके अलावा, अध्ययन में ट्रांसजेंडर द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मानव अधिकार मुद्दों का उल्लंघन और भेदभावों की जांच करना और शिक्षा और रोजगार से संबंधित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में समस्याओं और उनके बहिष्कार के कारणों का मूल्यांकन करना था। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रमों/ योजनाओं और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रांसजेंडर के समग्र विकास के लिए उठाये गए कदम का गहन विश्लेषण के करना था। आयोग के समक्ष केरल विकास सोसाइटी के प्रधान अन्वेषक के साथ बैठकें हुईं। विषय की अंतिम रिपोर्ट आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों से आवश्यक कार्रवाई करने और 3 महीने की समयावधि के भीतर आयोग को सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

ज. यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्याण के संदर्भ में मानव अधिकारों पर देशीय आकलन/ राष्ट्रीय जांच

10.18 'यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्याण के संदर्भ में मानव अधिकारों पर देशीय आकलन/राष्ट्रीय जांच' परियोजना की अंतिम रिपोर्ट एन.एच.आर.सी. को प्रस्तुत किया गया है और इसे आयोग की मंजूरी के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय जांच के उद्देश्य के लिए, अनुसंधान अध्ययन को दिल्ली स्थित दो संगठनों नामतः 'पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट '(पीएलडी) और एसएएमए– 'महिला और स्वास्थ्य के लिए संसाधन समूह' को नियुक्त किया गया है। अनुसंधान अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं– घरेलू/राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के वर्तमान अंतरालों को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सम्मिलित करना। इसके अलावा, यह यौन अधिकारों और प्रजनन अधिकारों के अतिव्यापी अवयवों की जांच करेगा। अनुसंधान कार्य दो चरणों में किया जाएगा– उत्तर से

दक्षिण और पश्चिम से पूर्व क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख विशेषज्ञों के साथ डेस्क कार्य और वार्तालाप।

झ. मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों पर कोर ग्रुप

10.19 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नवंबर, 2016 में तस्करी, महिलाओं और बच्चों पर एक कोर समूह का गठन किया था। कोर समूह के सदस्यों में केंद्र सरकार, पुलिस, अनुसंधान संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं। कोर ग्रुप ने भारत में व्यक्तियों की तस्करी से लड़ने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशानिर्देश तैयार किए। आयोग द्वारा दिसंबर, 2017 में भारत में व्यक्तियों की तस्करी से लड़ने के लिए एसओपी को जारी किया गया था।

ञ. एन.एच.आर.सी. द्वारा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले

1. झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में सी.आर.पी.एफ. के दो कांस्टेबल बर्खास्त हो गए

(मामला संख्या 1310/34/6/2012–डब्ल्यूसी)

10.20 दिनांक 26.09.2012 को पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में 193 बटालियन के सी.आर.पी.एफ. जवानों द्वारा कथित रूप से, सत्रह साल की लड़की के साथ छेड़–छाड़ की गई थी।

10.21 दिनांक 14.02.2013 को अपनी कार्यवाही करते हुए आयोग ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार से रिपोर्ट पर विचार किया कि भारत के दोनों सी.आर.पी.एफ. कर्मियों को निलंबन के तहत रखा गया है और विभागीय जांच को अंतिम रूप देने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की के बयान पर दिनांक 26.09.2012 को आईपीसी की धारा 341/342/384/354/34 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 50/12 दर्ज की गई थी।

10.22 एस.एस.पी., पूर्वी सिंहभूम, झारखंड ने दिनांक 23.02.2013 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि 26.09.2012 को आईपीसी की धारा 341/342/384/354/34 के तहत दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 50/12 के सम्बन्ध में दोनों आरोपी सी.आर.पी.एफ. कर्मियों को 26.09.2012 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आयोग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव से दिनांक 08.04.2013 की एक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें 04.04.2013 को डीआईजी (ऑपरेशंस–II) डीटीई, महानिदेशालय, सी.आर.पी.एफ., लोधी रोड, नई दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट भी संलग्न हैं एवं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दोनों आरोपी सी.आर.पी.एफ. कर्मियों यानी सी. आर.पी.एफ. के 193 बटालियन के कांस्टेबल/ ड्राइवर संदीप कुमार और कांस्टेबल/ड्राइवर संदीप कुमार रंगा को 28.02.2013 (पूर्वाह्न) सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा, चूंकि दोनों आरोपी कांस्टेबल/ ड्राइवर सी. आर.पी.एफ. के अब सदस्य नहीं हैं, इसलिए पुलिस और मजिस्ट्रेट मामले का पूरी जिम्मेदारी उन पर है और जहां तक सी.आर.पी.एफ. का संबंध है, इस मामले को कृपया बंद किया हुआ समझा जा सकता है।

10.23 आयोग ने 21.06.2013 को रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर विचार किया और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि क्यों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की

धारा 18 के अंतर्गत पीड़ित को भुगतान के रूप में आर्थिक राहत प्रदान करने की अनुशंसा नहीं की गई। जवाब में, गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने सी.आर.पी.एफ. द्वारा उठाए गए रुख को दोहराया कि चूंकि इसमें शामिल दो कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए राहत के आदेश उन्हें भेजे जाने चाहिए।

10.24 दिनांक 29.10.2013 को आयोग द्वारा की गई कार्यवाही के रुख को पुनः दोहराया और गृह मंत्रालय के सचिव को पीड़ित को ₹ 3,00,000/– का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

10.25 अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मामला दिनांक 08.05.2017 को बंद कर दिया गया।

2. छत्तीसगढ़ के कांकेर में केन्द्रीय विद्यालय के एक चपरासी द्वारा सात साल के बच्चे का यौन शोषण

(मामला संख्या 671/33/8/2015)

10.26 आयोग ने नई दिल्ली के हिंदी अखबार, नई दुनिया में दिनांक 22.08.2015 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट "केंद्रीय विद्यालय विद्यालय के बच्चे से चपरासी ने किया अप्राकृतिक कृत्य" का स्वतः संज्ञान लिया। समाचार पत्र रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय, कांकेर, छतीसगढ़ में एक 7 वर्षीय बच्चे के साथ उस विद्यालय के चपरासी द्वारा निरंतर अप्राकृतिक यौन शोषण किया गया। समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के माता–पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की किन्तु उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को स्कूल से गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। माता–पिता के अनुसार, बच्चे को कई दिनों तक आरोपी द्वारा शोषण का शिकार होना पड़ा और वह स्कूल जाने से मना करने लगा।

10.27 आयोग ने आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली और पुलिस अधीक्षक, कांकेर, छत्तीसगढ़ से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।

10.28 आयोग के निर्देशानुसार, एस.पी., उत्तर बस्तर, कांकेर ने यह उल्लेख किया कि पीड़ित की माँ की शिकायत पर आईपीसी की धारा 377/511/506 और पी.ओ.सी.एस.ओ. अधिनियम, 2012 की धारा 4,6 21 (2) के अंतर्गत इसे अपराध संख्या 289/2015 के तहत कांकेर, पुलिस स्टेशन में पंजीकृत किया गया। यह उल्लेख किया गया कि मामले की जांच के दौरान, केन्द्रीय विद्यालय में चपरासी के रूप में काम करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए गए और स्कूल के प्रधानाचार्य श्री के. पी. पटादे को भी साक्ष्य छुपाने के अपराध में दोषी पाया गया। दोनों आरोपियों को अपराध करने के कारण गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया कि श्री के. पी. पटादे, प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय को भी स्कूल की इस घटना से निपटने में उनके प्रशासनिक विफलता के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया।

10.29 आयोग ने उपरोक्त विषय पर विचार करने पर यह पाया कि स्कूल की प्रशासनिक विफलता और छात्र के मानव अधिकार के गंभीर उल्लंघन के लिए प्रधानाचार्य की इसमें भागीदारी के कारण स्कूल में एक छात्र के विरुद्ध सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा अपराध का यह एक स्पष्ट मामला है। इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को एक नोटिस जारी किया और यह भी पूछा गया कि आयोग को अपराध के पीड़ित को आर्थिक राहत के रूप में ₹ 300,000/– की राशि की सिफारिश क्यों न की जाए।

10.30 उप सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 20.09.2016 को जारी किये गए अपने पत्र के माध्यम से आयोग के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि केवीएस ने स्पष्ट किया था कि विद्यालय के प्रशासनिक प्रमुख, श्री के.पी.पटादे को विद्यालय परिसर में उपर्युक्त दुर्व्यवहार की जाँच करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत आरोप–पत्र दायर किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा पीओसीएसओ अधिनियम/ आईपीसी के तहत उनके अभियोजन की सिफारिश की गई। यह भी उल्लेख किया गया कि केवीएस आरोपी के खिलाफ विभागीय रूप से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वह केवीएस कर्मचारी नहीं था और राज्य सरकार द्वारा उस पर पीओसीएसओ अधिनियम/ आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था। यह भी बताया गया कि पीड़ित बच्चा नियमित रूप से विद्यालय आ रहा था और स्कूल के कर्मचारियों द्वारा उसकी देखभाल भी की जा रही थी।

10.31 केवीएस द्वारा की गई कार्रवाई के मद्देनजर, पीड़ित को प्रस्तावित आर्थिक राहत के भुगतान से संगठन को छूट देने का अनुरोध किया गया था।

10.32 उपर्युक्त उत्तर पर विचार करने पर, आयोग दिनांक 07.10.2016 को अपनी कार्यवाही के दौरान इसका निरीक्षण किया और निम्नानुसार निर्देश दिए :

> "आयोग ने उपरोक्त रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। केवीएस द्वारा नियुक्त चपरासी द्वारा उस बच्चे को जो मानसिक एवं शारीरिक तकलीफ पहुचाई गई थी तथा जिन कारणों से पीड़ित को आर्थिक राहत की सिफारिश की गई, इस विषय में केवीएस को पहले ही सूचना प्रदान कर दी गई है। वे आयोग द्वारा पहले ही कारण बताओ नोटिस के कारण पीड़ित बच्चे को आर्थिक राहत देने के लिए उत्तरदायी हैं। केवीएस, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसलिए आयोग अपनी कार्यवाही दिनांक 2 जून, 2016 के माध्यम से सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार को पीड़ित मोहम्मद वारिश को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर आर्थिक रहत के रूप में ₹ 3,00,000/– की राशि के भुगतान के लिए की गई सिफारिश को पुनः दोहराता है। सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।"

10.33 आयोग के निर्देश के अधीन, भारत सरकार के अवर सचिव ने दिनांक 09.02.2017 को जारी अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मृतक मोहम्मद वारिश के पिता को ₹ 3,00,000/– का चेक सौंप दिया गया है एवं इस पत्र के साथ भुगतान का प्रमाण भी संलग्न किया गया।

10.34 आयोग की सिफारिश के अनुपालन के मद्देनजर, 24.04.2017 को मामला बंद कर दिया गया।

अध्याय 11

वृद्धजनों के अधिकार

11.1 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 104 मिलियन बुजुर्ग (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के) हैं; जिनमें 53 मिलियन महिलाएं और 51 मिलियन पुरुष हैं। दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के कारण, बुजुर्ग आबादी का हिस्सा और आकार दोनों समय के साथ बढ़ रहे हैं। वर्ष 1961 में 5.6% से यह अनुपात 2011 में बढ़कर 8.6% हो गया है। अनुमानों में 2021 में 14.3 करोड़ की वृद्धि का संकेत है। पुरुषों के लिए यह मामूली रूप से 8.2% कम था, जबकि महिलाओं के लिए यह 9.0% था जहां बुजुर्गों की आबादी का 71% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 29% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

11.2 संयुक्त राष्ट्र एक देश को "एजिंग" या "ग्रेइंग नेशन" के रूप में तब परिभाषित करता है, जब एक देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुपात कुल जनसंख्या के 7% तक पहुंच जाता है। 2011 तक भारत उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह अनुपात 8.0% से अधिक हो गया है और 2025 में 12.6% तक पहुंचने की उम्मीद है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1960 में भारत की जीवन प्रत्याशा 41.17 वर्ष थी, जबकि 2015 में यह 68.35 वर्ष है।

11.3 बुजुर्ग व्यक्ति एक समरूप समूह नहीं हैं, और उनके मानव अधिकारों के संरक्षण या आनंद में जो चुनौतियां हैं, वे बहुत भिन्न हैं। जबकि कुछ बुजुर्ग व्यक्ति अपने समग्र व्यक्तित्व, परिवार और समुदाय के हिस्से के रूप में सक्रिय जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं कई बुजुर्गों को बेघर होने, पर्याप्त देखभाल और अलगाव की कमी का सामना करना पड़ता है। वास्तव में, उनमें से अधिकांश कई भेदभाव के शिकार हैं, जिनमें से प्रमुख हैं– गरीबी, हिंसा, दुर्व्यवहार, असुरक्षा, खराब स्वास्थ्य और कल्याण, निम्न आय स्त्रोत की क्षमता, वृद्धावस्था पेंशन की सीमित उपलब्धता, भय और संपत्ति पर सीमित नियंत्रण और निजी एवं सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया में असमान भागीदारी।

11.4 अन्य विकासशील देशों की तुलना में, भारत को एक युवा राष्ट्र माना जाता है। हालांकि, अपेक्षाकृत युवा आबादी से सम्बंधित होने वाले कुछ लाभ को प्रतिकारी शक्ति रोक सकती है, और यह पैमाने के अंत शीर्ष पर शीघ्रता से बढती आयु है। यह एक अत्यधिक चिंता का कारण है क्योंकि भारत पहले से ही बुजुर्गों की संख्या के सम्बन्ध में की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। एकल परिवारों की बढती प्रवृत्ति के साथ बदलते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के कारण बुजुर्गों के जीवन में और बदलाव आ रहे हैं और आने वाले वर्षों में उनके और कमजोर होने की संभावना है। उनके सुरक्षित, स्वस्थ और आरामदायक जीवन व्यतीत सम्बन्धी विषय को सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

11.5 बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि के साथ, विशेष रूप से उनके खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्तर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा, बहुसंख्यक बुजुर्ग व्यक्ति निरक्षर होने के कारण अपने मानव अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, बुजुर्गों में अधिनियम में उल्लिखित अपने अधिकारों और हकदारी के प्रति जागरूकता की कमी है।

11.6 भारत के संविधान (41) के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों का कल्याण अनिवार्य है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "राज्य, बुजुर्ग व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके सार्वजनिक सहायता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान लागू करेगा"। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी हैं, जो राज्य को अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश देते हैं। संविधान द्वारा समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्याभूत किया गया है। ये प्रावधान बुजुर्ग व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

क. बुजुर्ग व्यक्तियों के संरक्षण और कल्याण पर कोर ग्रुप की बैठक

11.7 दिनांक 7 फरवरी, 2018 को बुजुर्ग व्यक्तियों के सुरक्षा और कल्याण के लिए, एन.एच.आर.सी. के सदस्य, श्री एस. सी. सिन्हा की अध्यक्षता में एन.एच.आर.सी. कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गहन विचार–विमर्श के पश्चात, कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गईं, जिन्हें अगर उचित रूप से लागू किया जाए तो बुजुर्गों के अधिकारों के बेहतर संरक्षण में सहायता मिल सकती है।

11.8 बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों और बुजुर्ग से सम्बंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया।

11.9 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

I. गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार के सलाहकार के अनुसार, देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों के समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन होना चाहिए। राज्य सरकारों को भारत सरकार के सलाहकार के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उक्त समितियां सभी पुलिस स्टेशन के प्रत्येक स्तर पर वास्तव में कार्य कर रही हैं।

II. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को बुजुर्गों (एनपीएचसीई) के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक नवीन नीति की आवश्यकता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने के अलावा समय–समय पर दवा प्रदान की जा सके और वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध भी कराया जा सके।

III. गुजरात मॉडल पर आधारित संलग्न अस्पताल/ क्लिनिक और आवासीय विद्यालय के साथ–साथ 1000–1500 लोगों की क्षमता वाले बड़े वृद्धाआश्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। यह बुजुर्ग व्यक्तियों को युवा पीढ़ी के साथ संवाद स्थापित करने और उनकी मदद करने का अवसर प्रदान करेगा।

IV. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा (20) के पैरा (IV), में प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा अत्यधिक पुरानी बीमारियों और बढती आयु के लिए अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार किया जाना है। इसलिए, इस विषय पर विचार करते हुए, अनुसंधान को वरिष्ठ नागरिकों से सम्बंधित निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि वे वृद्धाश्रम में स्थानांतरित किए बिना अपने मूल निवास स्थान पर जीवन व्यतीत कर सकें।

V. अधिनियम की धारा 19 (1) में वृद्धाश्रम की स्थापना के लिए प्रावधान है, लेकिन इसमें उल्लेख है कि 'राज्य सरकार' वृद्धाश्रम की ऐसी संख्या को चरणबद्ध तरीके से "स्थापित" कर सकती है और बनाए रख सकती है, जो कि आवश्यक हो, एवं प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम की स्थापना करें जिसमें 150 वरिष्ठ नागरिकों को समायोजित किया जा सके। यह भी अनुशंसा की जाती है कि अधिनियम, 2007 में "हो सकता है" शब्द के स्थान पर "होना चाहिए" प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि शब्द "हो सकता है" राज्य सरकारों को यह कहने के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि उनके पास वृद्धाश्रम बनाने के लिए धनराशि नहीं है।

VI. इसके अलावा, हर जिले में 150 लोगों की क्षमता वाले वृद्धाश्रम का निर्माण करने के बजाय, वृद्धा आश्रम में लोगों की संख्या को लगभग 50–60 तक सीमित कर प्रत्येक जिले में इसका निर्माण किया जा सकता है।

VII. सरकार द्वारा वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए बड़े स्तर पर खर्च की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इस संबंध में सरकार के प्रयास के विकल्प के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

VIII. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के अलावा एक अलग संस्थान की आवश्यकता है जहां बढती उम्र के अन्य पहलुओं अर्थात वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर ध्यान दिया जा सकता है। इस प्रकार के संस्थान को 'स्कूल / इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोन्टोलॉजी' कहा जा सकता है।

11.10 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग द्वारा कोर ग्रुप की उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

ख. वृद्धजनों के मानव अधिकारः कानून, नीतियां और कार्यान्वयन– केरल के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

11.12 उपरोक्त अध्ययन को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, कोच्चि में फरवरी, 2016 में आयोजित किया गया। शोध अध्ययन के उद्देश्य हैं– बुजुर्ग व्यक्तियों की श्रेणियों का विश्लेषण करना; उनकी समस्याओं की जांच; सामाजिक वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने के औचित्य की जांच; बुजुर्ग व्यक्तियों को दिए गए संरक्षण की संभावना का निरीक्षण करना; उनके लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियों और कार्यक्रमों की पहुंच की जांच करना; उनके लिए लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का विश्लेषण; माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना तथा आसपास के दक्षिणी राज्यों सहित केरल में अन्य संबंधित कानूनों का आकलन करना; और उनके सुधार के लिए प्रभावी सुधारों के लिए सिफारिशें

11.13 नुअल्स ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और परियोजना टीम द्वारा तैयार किए गए निष्कर्षों में कुछ प्रमुख क्षेत्रों यथा स्वास्थ्य, रोजगार, पेंशन, संपत्ति, कानूनी जागरूकता, वृद्धाश्रम एवं स्वयं सहायता समूह की पहचान की गई है, जिन्हें बुजुर्गों के मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। आयोग द्वारा अंतिम रिपोर्ट का निरीक्षण किया जा रहा है।

ग. विशेष प्रतिवेदक का दौरा

11.14 एन.एच.आर.सी. के विशेष प्रतिवेदक ने वृद्धाश्रम के कामकाज का आकलन करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और राजनादगांव जिलों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि घर का भंडार कक्ष, जहां खाद्य पदार्थों को संग्रहीत किया जाता है, वह साफ़–सफाई नहीं हैं। आश्रम में रहने वाले लोगों के समक्ष सबसे प्रमुख कठिनाई शौचालय और स्नानघर की अनुपलब्धता है। वृद्धाश्रम की इस कमी को देखते हुए, आयोग ने राज्य सरकार से निम्नलिखित सिफारिश की है:

I. कुलदीप निगम स्मृति वृद्धाश्रम, रायपुर– सामाजिक कल्याण विभाग को निवास स्थान में सुधार हेतु प्रदान की जाने वाली समर्थन का विस्तार करना चाहिए। खाद्य पदार्थ की दुकान पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है एवं इस स्थान पर उचित स्वच्छता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रबंधन को संलग्न शौचालय/स्नानघर बनाने के उपाय खोजने की आवश्यकता है। वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य की चिंता प्राथमिक होनी चाहिए।

II. रेड क्रॉस सोसाइटी वृद्धाश्रम, दुर्ग– प्रत्येक स्थान पर अलग से एक विशेष चिकित्सा इकाई होनी चाहिए। वृद्धाआश्रम के प्रत्येक निवासी का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही, सेवाओं के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। प्रबंधन कुछ रोचक व्यवसाय विकसित कर सकता है।

III. भगवान महावीर समता वृद्धाश्रम, राजनंदगांव– परिवार इकाई और संपूर्ण खाद्य प्रक्रिया के लिए विशेष व्यवस्था को पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है। स्थानों और सुविधाओं से सम्बंधित व्यापक मानदंडों पर कार्य किया जाना चाहिए। आवधिक यात्राओं का संचालन करने की आवश्यकता है। यह जांच का विषय है कि क्या व्यक्तिगत पेंशन की अवधारण अनुमन्य है या नहीं।

सामान्य सिफारिशें– वृद्धाश्रमों के कामकाज पर एक वार्षिक वस्तु–स्थिति रिपोर्ट होनी चाहिए। नोडल विभाग को भी समर्पित कर्मचारी रखने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों से बुजुर्गों की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मीडिया के सभी माध्यमों को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए।

11.15 राज्य में वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर्स के कामकाज का आकलन करने के लिए एन.एच.आर.सी. के विशेष प्रतिवेदक ने 5 मई से 11 मई 2017 तक राजस्थान के जयपुर, अजमेर, सिरोही और उदयपुर जिलों का दौरा किया। विशेष प्रतिवेदक ने नारी चेतना समिति वृद्धाश्रम, जयपुर, राजकीय वृद्धाश्रम (गवर्नमेंट ओल्ड एज होम), पुष्कर, अजमेर जिले, आनंद वृद्धाश्रम, उदयपुर, शिवमणि होम, अबू रोड, सिरोही, रोशानी डे केयर सेंटर, सुभाष चौक, जयपुर और डे केयर सेंटर, झालाना, जयपुर का दौरा किया।

11.16 यात्रा के दौरान, विशेष प्रतिवेदक ने उल्लेख किया कि वृद्धाश्रम का परिवेश स्वास्थ्यकर नहीं था। वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वृद्धाश्रम का वातावरण उनके स्वास्थ्य और जीवन यापन के अनुरूप नहीं था। शौचालय को साफ नहीं रखा जाता है। रसोई में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कोई पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। प्रत्येक विभाग में, आनंद वृद्धाश्रम बेहतर व्यवस्थित रूप में साबित हुआ। 'ब्रह्म समाज' द्वारा शिवमणि होम का प्रबंधन किया जाता है और उन्हें कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11.17 वृद्ध महिलाओं और पुरुषों के लिए डे केयर सेंटर हैं। डे केयर सेंटर के लाभार्थी जलपान के लिए प्रति दिन ₹ 5/– के हकदार हैं। वे स्वास्थ्य से सम्बंधित संबंधी किसी भी रिकॉर्ड को नहीं रखते हैं। कोई फर्नीचर नहीं है। पहले, वे सप्ताह में एक बार केंद्र के लिए एक डॉक्टर की व्यवस्था करते थे। हालांकि, उन्होंने इस व्यवस्था को बंद कर दिया है। विशेष प्रतिवेदक ने राज्य सरकार द्वारा वृद्धा आश्रमों और डे केयर सेंटरों के समुचित कार्यप्रणाली के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं।

11.18 राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया कि वृद्धाश्रमों की समीक्षा करते समय घटकों की सूची में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी घटक प्राथमिक होने चाहिए। वृद्धा आश्रम का संचालन करने वाले एन.जी.ओ. को एक उपयुक्त और सुरक्षित आवास संरचना या आवास की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। रसोई को साफ करने और सभी वस्तुओं को एक संगठित तरीके से रखने की तत्काल आवश्यकता है। चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था की जानी चाहिए। बुजुर्ग आबादी की विस्तृत जानकारी अभिलेखित की जानी चाहिए। हिंसा और अपराध से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को डे केयर सेंटर्स में प्राप्त निधि और व्यय की जांच करनी चाहिए। डे केयर सेंटर्स में लाभार्थियों के निवास स्थान को स्वच्छ और साफ रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनके कमरों में कुछ कुर्सियों की व्यवस्था करनी चाहिए और नियमित चिकित्सा जांच की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। नोडल विभाग को नियमित बैठकें और औचक निरीक्षण करना चाहिए। संबंधित सरकारों के मुख्य सचिव को सुझाव और अवलोकन प्रेषित किये गए। संबंधित सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

घ. एन.एच.आर.सी. द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए मामले

1. कलेक्टर, जिला अजमेर, राजस्थान द्वारा वरिष्ठ नागरिक, सत्य नारायण गर्ग का उत्पीड़न और दुर्व्यवहार।

मामला संख्या 2806/20/1/2015)

11.19 आयोग को एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वरिष्ठ नागरिक सत्य नारायण गर्ग से शिकायत मिली, जिसमें उन्होनें यह आरोप लगाया कि जब वे दिनांक 23.10.2015 को स्थानीय नागरिक एजेंसी में भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में जिला कलेक्टर, अजमेर को सूचना दी तब उन्हें उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा।

11.20 आयोग के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, राजस्थान सरकार के गृह सचिव ने, 22.7.2017 को अपने पत्र के माध्यम से यह उल्लेख किया कि तत्कालीन कलेक्टर, अजमेर ने याचिकाकर्ता के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था और आयोग को याचिकाकर्ता को ₹ 10,000/– की राहत के सम्बन्ध में जारी स्वयं के अंतरिम आदेश की समीक्षा करने के लिए प्रार्थना की।

11.21 आयोग ने दिनांक 12.9.17 को इस मामले पर विचार कर इसका अवलोकन किया और निम्नानुसार निर्देश दिए गए :–

> "यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक है और अपने जीवन के गोधूलि क्षेत्र में है। याचिकाकर्ता ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान के दौरान उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिसके तहत वह जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने दोहराया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें कक्ष से बाहर निकलने के लिए कहा गया। इस पूर्वोक्त बैठक के लिए उन्हें काफी समय तक इंतजार करना पड़ा और जब वे बाहर आए; वे बेहोश हो गए और उसके साथ उपस्थित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उन्हें उनके निवास पर ले गया। उन्होंने उक्त जिला कलेक्टर के खिलाफ दिनांक 26.10.2015 को मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार को शिकायत भी की। याचिकाकर्ता ने 3.1.2017 को आयोग में प्राप्त अपनी याचिका के पश्चात भी, उन्होनें पुनः आयोग से जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है।

11.22 फाइल में रखे गए कागजात/ सामग्री के अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ता से दुर्व्यवहार किया गया अन्यथा उनके पास कोई कारण नहीं था कि वह आयोग सहित विभिन्न प्राधिकरणों को नामित अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में उत्तर मेरिट सूची पर आधारित नहीं है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत के रूप में ₹ 10,000/– की राशि भुगतान करने की सिफारिश की जाती है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को 8 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को किए गए भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया। वह इस अवधि के भीतर उक्त अधिकारी के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई का विवरण भी प्रस्तुत करेंगें। याचिकाकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए।"

11.23 उपर्युक्त विषय के प्रतिउत्तर में, जिला कलेक्टर, अजमेर ने दिनांक 27.11.2017 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि याचिकाकर्ता को, आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 10,000/– की आर्थिक राहत का भुगतान किया गया है।

11.24 इस बीच, याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.02.2018 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 10,000/– की राशि उन्हें प्राप्त हुई है। दिनांक 28.11.2017 को उन्होंने उक्त राशि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर वापस कर दिया है, क्योंकि उन्हें जो राशि मिली थी, वह करदाताओं का पैसा था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि निर्देशों के बावजूद, राज्य सरकार ने मामले में दोषी पाए गए जिला कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बजाय, उक्त अधिकारी को पदोन्नत कर उच्च पद का लाभ दिया गया है। उन्होंने उक्त जिला कलेक्टर के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले का विवरण भी प्रस्तुत किया है।

11.25 आयोग ने दिनांक 15.03.2018 को पुनः इस मामले पर विचार किया और देखा कि आयोग द्वारा अनुशंसित अंतरिम राहत की राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को कर दिया गया है। 12.9.2017 की कार्यवाही में, राज्य सरकार को पहले ही दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि नामित अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। दिनांक 26.2.2018 को याचिकाकर्ता से प्राप्त पत्र की एक प्रति सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए। राजस्थान के अधिकारी ने अंत में उपर्युक्त

अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आह्वान किया। इन निर्देशों के साथ, आयोग ने राज्य अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों को अभिलेखित किया है और मामले को बंद करते वक़्त याचिकाकर्ता को यह सूचित किया है कि अगर वह अभी भी व्यथित महसूस करते है, तो वह अपने पास उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है।

2. डाक विभाग द्वारा मृतक कर्मचारी की पत्नी को बीमा दावा के भुगतान में उदासीनता और विलम्ब।

(मामला संख्या 15966/24/48/2016)

11.26 आयोग को उत्तरप्रदेश के सीतापुर निवासी, शांति देवी की शिकायत मिली, जिसमें उन्होनें यह उल्लेख किया है कि उनके पति, मनोहर लाल, जो डाक विभाग में पोस्टमैन थे, उनकी मृत्यु 29.12.2001 को हो गई थी, लेकिन बहुत प्रयास के पश्चात भी डाक विभाग द्वारा बीमा दावा का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में आयोग द्वारा हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना की गई है।

11.27 नोटिस के जवाब में, सहायक निदेशक (कानूनी प्रकोष्ठ), सीपीएमजी, उत्तर प्रदेश सर्कल, लखनऊ के कार्यालय ने उत्तर प्रस्तुत किया कि दिनांक 3.8.2016 को याचिकाकर्ता को सी.जी.ई. जी.आई.एस. का भुगतान किया गया है। आगे, जब आयोग ने यह देखा कि रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को संवितरण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारीगण के खिलाफ की गई कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं हैं तब आयोग ने इस मामले पर दिनांक 7.3.2017 को विचार किया। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश सर्किल, लखनऊ को भी नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्होंने दोषी अधिकारियों और कर्मचारीगण के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

उपर्युक्त विषय के प्रतिउत्तर में, सहायक निदेशक, कानूनी प्रकोष्ठ, सीपीएमजी कार्यालय, उत्तर प्रदेश सर्कल, लखनऊ, ने दिनांक 05.05.2017 को अपने पत्र के माध्यम से यह सूचित किया कि मृत पोस्टमैन की पत्नी को टर्मिनल लाभ के भुगतान संबंध में विलम्ब हुई है और डाक विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। रिपोर्ट में एस/श्री विवेक, राम पाल, उप मंडल निरीक्षकों, सीतापुर, सचेंदर सिंह, लेखाकार, सीतापुर एच.ओ. और जे.पी. यादव, सहायक पोस्टमास्टर, सीतापुर एच.ओ.को दोषी पाया गया है। उपर्युक्त में से दो आरोपियों अर्थात राम पाल और जे. पी. यादव को विभागीय रूप दण्डित किया गया है, जबकि शेष दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

11.28 आयोग ने इस मामले पर पुनः विचार किया जब डाक विभाग द्वारा अपने दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को देय राशि के भुगतान में डाक अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता और असमान विलम्बकिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लोक सेवक द्वारा याचिकाकर्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया। इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश सर्कल, लखनऊ को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों याचिकाकर्ता को आर्थिक राहत के रूप में ₹ 25,000/– की राशि के भुगतान करने की सिफारिश नहीं की जा सकती है। डाक महानिदेशालय, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक (एसआर और कानूनी) को भी नोटिस भेजा गया एवं उनसे शेष दो दोषी डाक विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

11.29 अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है और यह मामला आयोग के अंतर्गत विचाराधीन है।

अध्याय 12

दिव्यांगों के अधिकार

12.1 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग हैं, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। इनमें से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इन दिव्यांग व्यक्तियों में लोकोमोटर दिव्यांगता, दृश्य हानि, श्रवण हानि, भाषण और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों, रक्त विकार, भिन्न दिव्यांगता और किसी अन्य श्रेणी के कारण दिव्यांगता के व्यक्ति शामिल हैं। जनगणना के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 69.50 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।

12.2 भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य को दिव्यांग व्यक्तियों के पक्ष में सकारात्मक हस्तक्षेप के उपायों को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले चार प्रमुख अधिनियमों निम्नलिखित है; (i) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (iii) ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट और विभिन्न दिव्यांग अधिनियम, 1999। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति, 2006 है।

12.3 दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को दिसंबर, 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के रूप में पुनर्विकसित किया गया ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (यूएनसीआरपीडी) 2006 के अनुरूप बनाया जा सके। दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 को भारत सरकार द्वारा यूएनसीआरपीडी को अंगीकृत किया गया। पुनर्संरचित अधिनियम, पैराग्राफ 12.1 में ऊपर उल्लिखित व्यापक शीर्षों के तहत दिव्यांगों की एक श्रेणी को ध्यान में रखता है, जबकि 1995 अधिनियम सीमित दिव्यांगता तक सीमित था। इसके अलावा, दिव्यान्गों के लिए आरक्षण, सरकारी संगठन में जारी रिक्तियों की कुल संख्या को तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा, पुनर्संरचित दिव्यांगता कानून के भाग के रूप में लिंग–विशिष्ट खंड हैं।

12.4 वर्ष 2017 में दिव्यांगों के अधिकारों के नियमों, 2017 की अधिसूचना देखी गई, जिसका उद्देश्य भारतीय कानून को, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (यूएनसीआरपीडी) के अनुरूप करना है। दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, भारत के सभी राज्यों द्वारा इन नियमों को धीरे–धीरे अपनाया जा रहा है।

12.5 आयोग, जिसने यूएनसीआरपीडी के प्रारूपण में प्रमुख भूमिका निभाई है, अशक्तता के मुद्दे को मानव अधिकारों के नजरिए से देख रहा है ताकि दिव्यांगजन को दान के पात्र नहीं बल्कि अधिकार धारक समझा जाए। वर्ष 2017–18 के दौरान, आयोग ने दिव्यांगजनों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लिया:

क. दिव्यांगता पर एन.एच.आर.सी. के कोर ग्रुप की बैठक

12.6 15 फरवरी, 2018 को श्री एस.सी. सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में कुष्ठ रोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। गहन विचार–विमर्श के बाद, कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें प्राप्त हुए, जिन्हें यदि ठीक से लागू किया जाए तो दिव्यांग व्यक्तियों और कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के बेहतर संरक्षण में सहायता मिल सकती है।

12.7 बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत के पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम और नागरिक समाज के दिव्यांगता और कुष्ठ रोग के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया।

12.8 दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विचार किये गए प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

I. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम, 2016 की धारा 3 (3) में उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि अधिरोपित अधिनियम चूक वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है। चूंकि उपर्युक्त अधिनियम 'वैध उद्देश्य' शब्द के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह अधिकारियों को दिव्यांगता विषय के सम्बन्ध में भेदभाव करने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करेगा। यह सुझाव दिया गया कि सरकार द्वारा नियमों का निर्धारण करते समय इस विषय का ध्यान रखा जाए।

II. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (1) राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जाति और जन्म के स्थान पर नागरिकों के साथ होने वाले भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है जबकि अनुच्छेद 15 के खंड (3) में यह प्रावधान है कि इस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान लागू करने के लिए राज्य को स्वंत्रता प्रदान करता है। यह अनुशंसा की जाती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (1) और (3) में दिव्यांगता को जोड़ा जाना चाहिए।

III. आरपीडी अधिनियम की धारा 74 के तहत मुख्य आयुक्त के कार्यालय की संरचना के सम्बन्ध में यह प्रावधान करता है कि उपर्युक्त कार्यालय के लिए तीन व्यक्तियों (1 मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त) में से केवल एक दिव्यांग व्यक्ति होगा। यह सुझाव दिया गया है कि अधिनियम की धारा 74 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दो व्यक्तियों अर्थात या तो एक मुख्य आयुक्त और एक आयुक्त या 'दो आयुक्तों' के लिए प्रावधान होना चाहिए। तदनुसार, सरकार आरपीडी अधिनियम की धारा 98 के तहत के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है।

IV. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की {1996 की 1} धारा 32 के प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में, दिव्यांग व्यक्तियों के पदों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यह सिफारिश की जाती है कि केंद्रीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदों की पहचान हेतु समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और यदि कोई राज्य सरकार इस कार्य को स्वतंत्र रूप करने की इच्छा रखती है, तो उसे अपनी समिति का गठन करना चाहिए। समिति को हर तीन महीने में पदों के वितरण की समीक्षा भी करनी चाहिए।

V. भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 (2000 में यथासंशोधित) और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है।

VI. कुष्ठ रोगियों, विशेष रूप से स्थानिक जिलों के लिए अस्पताल में बिस्तर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्थानिक जिलों में कुष्ठ रोगियों के लिए भी अस्पताल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

12.9 केंद्रीय मंत्रालयों ने इन सिफारिशों की जांच करने और इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।

ख. दिव्यांगता पर विशेष प्रतिवेदक

12.10 आयोग ने दिव्यांगों के लिए मौजूदा विशेष कार्यक्रमों और नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए मौजूदा कार्यक्रम और नीतियां वांछित प्रभाव प्रदर्शित कर रही हैं और कार्यान्वयन में अंतराल की पहचान हेतु, यदि कोई हो, और उनसे निपटने के लिए उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव देने के लिए एक विशेष प्रतिवेदक को नियुक्त किया है।

12.11 वर्ष 2017–2018 के दौरान दिव्यांगता पर विशेष प्रतिवेदक ने निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया

(i) पटना, बिहार

(ii) रांची, झारखंड

(iii) लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(iv) मुंबई, महाराष्ट्र

(v) चेन्नई, तमिलनाडु

यात्राओं के दौरान, विशेष प्रतिवेदक ने दिव्यांगता गुणात्मक के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा की और संबंधित सरकार के संबंधित अधिकारियों/कार्यप्रणाली अधिकारियों और अन्य हितधारकों सहित दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और राज्य मानव अधिकार आयोगों के कर्मचारीगण को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया।

12.12 इस यात्रा के दौरान, उन्होंने देखा कि बिहार, झारखंड, यूपी और महाराष्ट्र में अधिनियम का कार्यान्वयन निराशाजनक है। तमिलनाडु इस अधिनियम को लागू करने की दिशा में ठोस कार्रवाई शुरू करने के मामले में अधिकांश राज्यों से आगे है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाएं उपस्थित हैं जो राज्य में सफलतापूर्वक चल रही हैं एवं इसके माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के लाभ यथा दिव्यांग व्यक्ति छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांग योजना प्रदान किया जाता है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आरपीडी अधिनियम, 2016 की कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्रवाई के कुछ बिंदुओं पर विचार करने का सुझाव दिया है, जो निम्नानुसार हैं:

I. आरपीडी अधिनियम की धारा 101 के तहत नियमों को अंतिम रूप प्रदान करना :

सरकार निम्नलिखित कार्य का निष्पादन कर सकती है :

1. उक्त नियमों को प्रारूपित करने के लिए एक समिति गठित करें। उक्त समिति में सरकारी अधिकारी और दिव्यांगव्यक्तियों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।
2. केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित राज्यों के लिए मसौदा मॉडल नियम, महाराष्ट्र राज्य के लिए उक्त नियमों को विकसित करने का आधार बन सकते हैं।
3. उक्त नियमों को अंतिम समय सीमा के भीतर अंतिम रूप प्रदान किया जाए और इसे अधिसूचित किया जाना चाहिए।

II. आरपीडी अधिनियम में परिकल्पित निगरानी, विनियामक और प्रवर्तन तंत्र/प्राधिकरण

इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित की सिफारिश की गई है:

1. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की संस्था को नियमित करना ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसे लाया जा सके। इसके अलावा, राज्य आयुक्त की सहायता के लिए अधिनियम में दिए गए पांच सदस्यीय समिति का गठन करें।
2. अधिनियम की धारा 66 में निर्धारित की गई दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड को स्थापित करें।
3. अधिनियम के निर्धारण के अनुसार जिला स्तरीय समितियों का गठन करना।
4. अधिनियम में वर्णित नियमानुसार दिव्यांगता अनुसंधान पर राज्य समिति का गठन।
5. दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों के प्रयासों के सन्दर्भ में विशेष अदालतों और सरकारी अभियोजकों को नामित करें।
6. अधिनियम के अध्याय–15 में दिए गए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि बनाएं।
7. पदों की पहचान के लिए अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार समिति गठित करें, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो सकती है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के संगठनों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है।
8. अधिनियम में दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक सरकार में शीघ्र शिकायत निवारण अधिकारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

9. निर्दिष्ट दिव्यांगता के प्रमाणीकरण के लिए चिकित्सा अधिकारियों को नामित और सूचित करें।

10. अत्यधिक समर्थन आवश्यकताओं वाले दिव्यांग व्यक्तियों को प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नामित करें।

11. अधिनियम में उल्लिखित किसी अन्य तंत्र/प्राधिकरण का उल्लेख किया जा सकता है।

III. सरकारी आदेश/ कार्यालय ज्ञापन जारी करना:

यह आवश्यक है कि सरकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित विषयों के संबंध में यथा, जैसे कि: प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से पदों का आरक्षण; सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण; उपयुक्त वातावरण में 18 वर्ष की आयु तक की मुफ्त शिक्षा; गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण, भूमि का अधिमान्य आवंटन, निजी नियोक्ताओं को प्रोत्साहन, पहुँच और उचित आवास आदि योजनाओं को अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन आदि के तहत तैयार किया जाने एवं आगे इसे लागू करने के सम्बन्ध में आदेश/ कार्यालय ज्ञापन/ निर्देश आदि जारी करते करती है।

IV. हितधारकों के बीच सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना:

महाराष्ट्र सरकार को सार्वजनिक शिक्षा, संवेदीकरण और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता है जिसे एक सतत गतिविधि के रूप में होना चाहिए। अन्य विषयों के साथ, निम्नलिखित बिन्दुओं को भी शामिल करना चाहिए:

1. विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का संवेदीकरण

2. नौकरशाही का संवेदीकरण

3. मीडिया व्यक्तियों के बीच जागरूकता बढ़ाना

4. कानूनी और न्यायिक क्षेत्रों के बीच जागरूकता बढ़ाना

5. दिव्यांग व्यक्तियों के बीच जागरूकता बढ़ाना जो स्वयं प्राथमिक हितधारक हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम में निर्धारित किये गए निर्देशानुसार, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

12.13 संबंधित राज्य सरकारों को सुझाव और टिप्पणियों भेजे गए। समबन्धित सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

ग. मानसिक स्वास्थ्य पर एन.एच.आर.सी. कोर ग्रुप की बैठक

12.14 इस वर्ष मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 को अधिनियमित किया गया, जो पुराने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 1987 की पुनर्स्थापित करता है। इस अधिनियम को दिनांक 7 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई और यह अधिनियम दिनांक 7 जुलाई, 2018 को लागू होगा। यह अधिनियम मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति देखने, व्यवहार, व्यवहार और पुनर्वास के तरीकों में कुछ मौलिक और महत्त्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करता है।

12.15 आयोग में दिनांक 1 सितंबर, 2017 को मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एन.एच.आर.सी. के सदस्य श्री एस. सी. सिन्हा ने की। इस बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निम्हांस, आईबीएचएएस, शिक्षाविदों और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया।

12.16 उपरोक्त कोर ग्रुप की बैठक से निर्गत प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

i. आशा कार्यकर्ताओं कीकी सहायता से, मानसिक स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना और शिक्षित करना।

ii. मौजूदा पीएचसी प्रणालियों को समुदाय को आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए और इस प्रकार दूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इसकी पहुँच सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

iii. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत नियमों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति में आयुष को शामिल करना।

iv. बीमा और नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा सामान्य स्वास्थ्य बीमा के तहत मानसिक बीमारी को शामिल करके बीमा सुविधा की पहुंच का विस्तार करना।

12.17 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए, आयोग ने 20 जुलाई 2017 को डॉ उपेंद्र बख्शी नाम यूपी राज्य एंड ओआरएस एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार के सम्बन्ध में आयोग ने डब्ल्यूपी (सीआरएल) सं..1900 में 1981 के संख्या 2013 के सीआरएल.एमपी.सं. 8032 में निर्देश के लिए एक आवेदन दायर किया ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त दिशा–निर्देश प्राप्त हो सके:

I. एमबीबीएस पाठ्यक्रम में मनोचिकित्सा को अनिवार्य और योग्यता विषय बनाया जाना चाहिए।

II. प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बंधित सभी एमबीबीएस डॉक्टर को लगभग 4 सप्ताह की अवधि के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल / मनोरोग में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

III. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट दस्तावेज़ में अलग–अलग शीर्ष में मानसिक स्वास्थ्य निधि आवंटित किए जाने चाहिए। संघ और राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित धन को वास्तविक रूप से वर्ष 2024–25 तक चौगुना किया जाना चाहिए।

IV. मनोचिकित्सा में एमडी और डीएनबी कार्यक्रम में सीटों को 2019–20 तक दुगुनी स्तर तक की वृद्धि की जा सकती है।

V. प्रत्येक राज्य को सहायता प्राप्तकर्ता को प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन की स्थापना करनी चाहिए।

VI. सभी राज्यों को अपने नियंत्रण में सभी मानसिक अस्पताल में बाल चिकित्सा और वृद्धाचर्या वार्ड /

ओपीडी के सम्बन्ध में पर्याप्त संख्या में समुचित बिस्तर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

VII. अलग–अलग समर्पित वार्ड और प्रशिक्षित श्रमशक्ति के साथ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में अलग–अलग नशामुक्ति क्लीनिक और केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

VIII. सरकार को अगले 3 वर्षों में देश के सभी 640 से अधिक जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विस्तार के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

IX. अगले पांच वर्षों के भीतर देश के अन्य हिस्सों अर्थात केंद्रीय क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में भी निम्हांस के स्तर के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को स्थापित करने का आदेश दिया जा सकता है।

घ. एन.एच.आर.सी. द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए मामले

1. समाज कल्याण योजनाओं के तहत पीड़ित को वित्तीय/ चिकित्सा राहत की गैर–उपलब्धता

(मामला संख्या 151/4/4/2017)

12.18 दिनांक 27.12.17 को शिकायतकर्ता सुखदेव शर्मा, गाँव और पोस्ट ऑफिस, चंधानी, मंचोल बेगूसराय, उत्तरप्रदेश ने अपनी शिकायत के माध्यम से यह उल्लेख किया कि वह बीपीएल श्रेणी से संबंधित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है। एक दुर्घटना के कारण वह शारीरिक रूप से अक्षम हो गया था जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और उसे अपने परिवार की देखभाल भी करना है। उन्होंने बीडीओ, डीएम और लोक शिकायत प्रकोष्ठ में कई आवेदन भेजें। एसडीओ, मंझौल द्वारा भी एक जांच की गई। हालांकि, उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इसलिए उन्होंने आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ताकि उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ राहत मिल सके।

12.19 दिनांक 25.01.17 को आयोग ने अपनी कार्यवाही के माध्यम से डीएम, बेगूसराय, बिहार से रिपोर्ट माँगने के लिए दिनांक 08.09.17 को एक अनुस्मारक भेजा गया। 14.11.17 को आयोग ने अपनी कार्यवाही के माध्यम से डीएम, बेगूसराय, बिहार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पीड़ित को वित्तीय/ चिकित्सा राहत या रोजगार प्रदान करने के लिए की गई कार्रवाई पर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। दिनांक 26.03.2018 को डी.एम., बेगूसराय ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है कि अंत्योदय योजना के तहत श्री सुखदेव शर्मा को 21 किलो चावल और 14 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत, उसे पेंशन प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, उन्हें प्रावधानों के अनुसार व्हील चेयर भी प्रदान की गई है।

12.20 इसके पश्चात, आयोग ने डी.एम., बेगूसराय को सरकार से पीड़ित को सरकारी अस्पताल बेगूसराय, बिहार से सहायता के रूप में दवाइयां प्रदान करने का निर्देश दिया। यह मामला अभी आयोग के अंतर्गत विचाराधीन है।

अध्याय 13

मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता

13.1 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास अधिदेश है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (एच), आयोग को यह दायित्व सौंपता है कि "समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रसार करे तथा प्रकाशन, संगोष्ठी तथा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों की जागरुकता का संवर्द्धन करें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विद्यार्थी, एन.जी.ओ. एवं आम जनमानस के अलावा सरकारी तंत्रों खासकर पुलिस में मानव अधिकार जागरुकता फैलाने के लिए काफी सक्रिय रहा है।"

13.2 राश्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रशिक्षण विभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्था, पुलिस प्रशिक्षण संस्था, राज्य मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के साथ–साथ विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इन सबके अलावा, राश्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देश के विभिन्न राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अपने भवन में वर्श में दो बार अर्थात् ग्रीश्म एवं भीतकालीन एक माह चलने वाली अन्तःशिक्षु कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। राश्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पूरे वर्श भर मई–जून एवं दिसम्बर–जनवरी के अलावा मानव अधिकारों के क्षेत्र में रूची रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अल्पावधि अंतःशिक्षुता कार्यक्रम का आयोजन करता है।

13.3 वर्ष 2017–18 के दौरान अपने अधिदेश के तहत, आयोग ने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 147 संस्थानों के 171 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी। इनमें से 96 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 90 संस्थानों विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों/ पीटीआई/ एटीआई/ गैर सरकारी संगठनों द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित/ संचालित किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के लिए अनुमोदित 06 संस्थानों के 07 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 2017–18 के दौरान आयोजित भी किए गए। इस प्रकार 96 संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए 103 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 9,669 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम

13.4 इसके अलावा, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 97 (49 इंटर्न + 48 इंटर्न) इंटर्न ने अपने ग्रीष्म एवं शीतकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम–2017 को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 136 छात्रों

को एन.एच.आर.सी. के साथ अल्पावधि प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय/ कॉलेजों के छात्रों के कई प्रतिनिधिमंडल और संस्थाओं के प्रतिनिधियों/ अधिकारियों को मिलाकर कुल 797 व्यक्तियों ने एन.एच.आर.सी. का दौरा किया और उन्हें आयोग के कार्य और मानव अधिकार विषयों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई। एन. एच.आर.सी. द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता– 2018 का आयोजन भी सिक्किम लॉ कॉलेज, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक, सिक्किम में किया गया।

ख. मानव अधिकार पर ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम

13.5 आयोग ने मानव अधिकारों पर निम्नलिखित ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरम्भ किया है:

1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्वयं पोर्टल के माध्यम से मानव अधिकारों पर व्यापक ओपन राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी), एवं

2) इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा पुलिस कार्मिकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मानव अधिकार के विषय के सम्बन्ध में प्रशिक्षण से सम्बंधित पाठ्यक्रम सामग्री/ जागरूकता सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

ग. मानव अधिकारों पर हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन

13.6 जनता के बीच मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने की दिशा के अपने प्रयासों में, आयोग देश के विभिन्न हिस्सों में मानव अधिकार से संबंधित विषयों पर हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करता रहा है। इस श्रृंखला की निरंतरता में (i) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के सहयोग से 1–2 फरवरी, 2018 को "वैश्वीकरण, पर्यावरण और मानव अधिकारों" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि श्री एस.सी सिन्हा, माननीय सदस्य, एन.एच.आर.सी. थे और डॉ. राजेंद्र सिंह, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, जिसे "भारत का वाटरमैन" भी कहा जाता है, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे (ii) 9 मार्च, 2018 को मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक के सहयोग से "गरीबी, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इन संगोष्ठियों में माननीय सदस्यों, महासचिव और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा, इन संगोष्ठियों में दिल्ली, नागालैंड, छत्तीसगढ़, राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधियों के साथ– साथ विभिन्न एन.जी.ओ. और मीडिया ने भी इसमें भाग लिया।

(ii) मानव अधिकारों पर महात्मा गांधी द्विवार्षिक हिंदी लेखन पुरस्कार योजना

13.7 इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के विभिन्न विषयों पर हिंदी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार योजना 2014–15 के लिए, इस योजना के विजेताओं के निर्णय से सम्बन्धित फाइल प्रक्रियाधीन है। विज्ञापन डीएवीपी के माध्यम से प्रकाशित किया गया है तथा वर्ष 2016–17 के लिए योजना का विवरण आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

(iii) पुरस्कृत पुस्तकों का अनुवाद

13.8 आयोग ने इस योजना के तहत पुरस्कृत पुस्तकों/ पांडुलिपियों को प्रकाशित करने और संबंधित क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को इसका लाभ उठाने के लिए उपर्युक्त पुस्तकों/ पांडुलिपियों को पहले चरण में बंगाली, मराठी,

मलयालम, तमिल और तेलुगु में अनुवादित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने एन.एच.आर.सी. के इस कार्य में सहयोग के लिए उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में एनबीटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iv) वार्षिक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन

13.9 चूंकि हमारे देश में हिंदी भाषा में मानव अधिकार साहित्य का आयाम बहुत सीमित है, इसलिए एन.एच.आर.सी. ने रचनात्मक लेखन के माध्यम से मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2004 में हिंदी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। एन.एच.आर.सी. ने अपना 14 वाँ खंड प्रकाशित किया और इसे मानव अधिकार दिवस अर्थात 10 दिसंबर, 2017 को जारी किया। इस वर्ष एन.एच.आर.सी. अपना 15 वाँ खंड (रजत जयंती संस्करण) प्रकाशित करेगा और इसे एन.एच.आर.सी. के स्थापना दिवस अर्थात 12 अक्टूबर, 2018 को जारी करेगा।

(v) एन.एच.आर.सी. में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन

13.10 14 से 28 सितंबर, 2017 तक दिन–प्रतिदिन के कामकाज में आधिकारिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एन.एच.आर.सी. का वार्षिक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, अनुवाद प्रतियोगिता और हिंदी निबंध, टंकण और सुलेख प्रतियोगिता आदि आयोजित की गईं।

घ. विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर पुस्तिकाओं का सृजन

13.11 एन.एच.आर.सी. ने कमजोर एवं हाशिए के लोगों के अधिकारों एवं विधि का ज्ञान एवं अधिकारों की प्राप्ति हेतु अधिकारों एवं कौशलता के सम्मान के बारे में कानूनी जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर मल्टीपल स्वशन रिसर्च ग्रुप, नई दिल्ली (मार्ग) के सहयोग से पुस्तिकाओं के सृजन के परियोजना की शुरुआत की। समग्र रुप से मार्ग 11 विषयों पर 27 पुस्तिकाओं का सृजन करना। मूल साहित्यिक ज्ञान रखने वाले लोग भी इन पुस्तिकाओं का उपयोग आसानी से कर सकेंगे। प्रत्येक पुस्तकों में उपभोगता पाठकों को बेहतर समझने के उद्देश्य से सचित्र उदाहरण दिए जाएंगे। शुरुआत में, इन पुस्तिकाओं को अंग्रेजी में लिखा जाएगा तथा बाद में उनका हिन्दी में अनुवाद एवं मुद्रण करवाया जाएगा। मार्ग ने कुछ पुस्तिकाएं प्रस्तुत की है जिनकी आयोग द्वारा समीक्षा की जा रही है।

ङ. भारत के नागरिकों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता

13.12 जनता के बीच मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के अपने प्रयासों में, आयोग ने भारत के नागरिकों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस योजना का विवरण आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।

13.13 वर्ष 2017 में, निबंध प्रतियोगिता का विषय "आतंकवाद और देश का वर्तमान परिदृश्य" था। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2017 थी। इस प्रतियोगिता के चार विजेताओं को 12.10.2017 को आयोग के स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया गया।

च. अखिल भारतीय अन्तरकेन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता, 2017

13.14 जैसा कि वर्ष 2017–18 के पैरा 3.1 (एफ) में संदर्भित है, एस.एस.बी. द्वारा सी.आर.पी.एफ. के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और अंतिम राउंड का आयोजन किया गया। वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन 14 सितंबर, 2017 को एन.एच.आर.सी. के तत्वावधान में एस.एस.बी. द्वारा शौर्य, सी.आर.पी.एफ. अधिकारी संस्थान, वसंत कुंज, नई दिल्ली में किया गया।

वर्ष 2017–18 के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों के लिए अंग्रेजी और हिंदी/ क्षेत्रीय भाषा में मानव अधिकार जागरूकता पर वाद–विवाद प्रतियोगिता

13.15 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों (सीआईएसएफ) द्वारा वाद–विवाद प्रतियोगिता 2017 जीती गई और उन्हें रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्मिकों (व्यक्तिगत) के लिए आयोजित किये गए वाद–विवाद प्रतियोगिता अंग्रेजी में श्री कनिष्क चौधरी, एसी, एस.एस.बी. और हिंदी में श्री आर. पी. त्रिपाठी, ए.एस.आई., बी.एस.एफ. द्वारा जीती गई।

13.16 वित्तीय वर्ष 2017–18 में पैरा 3.1 (जी) में उद्धृत है, कुल 12 राज्यों ने उक्त वाद–विवाद प्रतियोगिता के संचालन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों प्राप्त होने के पश्चात्, इस प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को ₹ 15,000/– का भुगतान किया गया।

राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता:

13.17 पुलिस आज अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मानव अधिकारों के सिद्धांतों के अनुरूप बाध्य है। मानव अधिकार के दृष्टिकोण से निम्न और मध्य स्तर के पुलिस बल अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से आम जनता के संपर्क में आते हैं। वर्ष 2004 के बाद से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मेविषय प्रभाग द्वारा पुलिस अधिकारियों के बीच मानव अधिकार जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों को राज्य पुलिस बल के कार्मिकों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में, आयोग राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए ₹ 15,000/– प्रदान कर रहा है।

अध्याय 14

मानव अधिकार समर्थक

14.1 स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था: *"यह जीवन छोटा है, दुनिया का अभिमान क्षणिक हैं, लेकिन वे अकेले रहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सभी जीवित की तुलना में अधिक मृत हैं।"*

14.2 उपरोक्त उद्धरण मानव अधिकारों के समर्थकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रासंगिकता को प्रस्तुत करता है। वे ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ, मानव अधिकारों को बढ़ावा देने या उनकी रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं। मानव अधिकारों के समर्थकों के लिए सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता (जिसे आमतौर पर मानव अधिकार अधिकारों की घोषणा के रूप में जाना जाता है) के प्रचार एवं सुरक्षा हेतु समाज के विभिन्न भागों, व्यक्तिगत, समूहों के अधिकार एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा मुख्य अंतर्राष्ट्रीय साधन माना जाता है। इसे 14 साल की बातचीत के पश्चात, दिसंबर, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया।

14.3 अतीत का अनुभव बताता है कि मानव अधिकार रक्षकों ने विभिन्न मानव अधिकार विषयों जैसे मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी, भेदभाव, बलपूर्वक निष्कासन, स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच आदि को संबोधित करने में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। इनका उद्देश्य जीवन के मौलिक अधिकारों जैसे भोजन और पानी, स्वास्थ्य, पर्याप्त आवास, विचरण और गैर–भेदभाव इत्यादि मौलिक मानव अधिकारों की रक्षा करना है। वे महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों एवं राष्ट्रीय, भाषाई या यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संबोधित करते हैं।

14.4 दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना न केवल एक कठिन बल्कि बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। केवल मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए, एक व्यक्ति कुछ परस्पर विरोधी व्यक्तिगत और निहित स्वार्थों के दलदल में कूद जाता है। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें राज्य और गैर–राज्य दोनों अत्याचार को सहना पड़ता है। एक तरफ, कई अवसरों पर, उन्हें पुलिस अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है तो दूसरी तरफ वे गैर–राज्य व्यक्तियों के निशाने पर होते हैं जिनके व्यक्तिगत और आर्थिक हितों को मानव अधिकार के रक्षकों की गतिविधियों से खतरा होता है। मानव अधिकार रक्षकों को डराने, शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न के कई उदाहरण हैं।

14.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(1) के तहत, मानव

अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों के उत्साहवर्द्धन हेतु प्रतिबद्ध है। अतः अपनी स्थापना काल से ही, आयोग कई सरकारी व गैर सरकारी संगठनों एवं व्यक्तियों के साथ देश में मानव अधिकार स्थिति में सुधार के साथ–साथ मानव अधिकार समर्थकों को सहायता व रक्षा प्रदान करने हेतु गंभीरता से कार्यरत है। इसने मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का अनुपालन करते हुए देश भर में मानव अधिकार समर्थकों के लिए सुरक्षा तंत्र के विकास के संवर्द्धन हेतु निरन्तर प्रयास किया है। अपनी रणनीती के एक हिस्से के तौर पर, मानव अधिकार समर्थकों एवं उनके द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु इसने गैर सरकारी एवं सिविल सोसायटी संगठनों, राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों के साथ–साथ राज्य मानव अधिकारों एवं अन्य मुख्य संभार तंत्रों के साथ कार्यरत है।

एन.एच.आर.सी. में मानव अधिकार रक्षकों के लिए मुख्य बिंदु

14.6 नई दिल्ली में 12 अक्टूबर, 2009 को आयोग द्वारा मानव अधिकार समर्थकों पर आयोजित कार्यशाला की एक संस्तुति पर कर्यवाही करते हुए, लोक प्राधिकारियों से या उनके द्वारा मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एन.एच.आर.सी. में मानव अधिकार समर्थकों के लिए एक मुख्य बिंदु की स्थापना की जिसके लिए श्री श्रीनिवास कामथ, उप रजिस्ट्रार (विधि) को नामित किया गया हैं। मानव अधिकार समर्थकों के लिए मुख्य बिंदु से रात–दिन (i) मोबाईल संख्या 9810298900 (ii) फैक्स संख्या 24651334 एवं (iii) ई–मेल : hrd-nhrcaliasnic.in पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्य बिंदु यह सुनिश्चित करता है कि मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न के प्रत्येक मामले में आयोग के निर्देशों का प्राथमिकता से अनुपालन हो सके तथा संबंधित मानव अधिकार समर्थक को इसकी जानकारी प्रदान की जा सके।

14.7 जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण की स्थिति को समझने के लिए, मानव अधिकार एवं इसके मुख्य बिंदु गैर सरकारी संगठनों / मानव संसाधन / राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संवाद / चर्चा में संलग्न हैं।

क. मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य

14.8 आयोग ने हमेशा मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए अपना समर्थन दिया है और इस कार्य में संलग्न व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिशोध, उत्पीड़न आदि के कृत्यों की निंदा की है। वास्तव में, नागरिक सुरक्षा के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक पहलू, जो आयोग द्वारा आरम्भ किया गया है, वह है मानव अधिकार समर्थकों (एचआरडी) के अधिकारों का प्रचार और संरक्षण करना।

मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमः

- मानव अधिकार पीड़ितों को प्रताड़ित नहीं करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्यों को काफी सख्त संदेश भेजा गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर मानव अधिकार समर्थकों के क्रियाकलापों हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने को कहा।

- एन.एच.आर.सी. ने एचआरडी की रक्षा करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें गलत लोकसेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने और पीड़ित को मुआवजा देने आदि की सिफारिश की गई है।
- मानव अधिकार समर्थकों के अध्याय को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करना भी जागरूकता फैलाने की दिशा में एक अहम कदम है।
- अपने शिविर बैठक एवं जन सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गैर सरकारी संगठनों एवं मानव अधिकार समर्थकों के साथ विचार–विमर्श किया। उनको हो रही समस्याएँ एवं गतिरोध के संबंध में दी गई सुझावों पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मानव अधिकार समर्थकों के मामलों को उच्च प्राथमिकता देकर, गुणवत्ता के आधार पर आवश्यक राहत प्रदान की जा रही है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष दिसम्बर को एक संदेश जारी करता है। यह वही दिन है जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अंगीकृत किया। मानव अधिकार समर्थकों को समर्थन प्रदान करने के संबंध में आयोग दिनांक 9 दिसम्बर, 2017 को एक संदेश जारी करता है। यह संदेश अनुलग्नक "ए" के रूप में संलग्न है।

ख. अंतर्राष्ट्रीय विकास

14.9 जब मानव अधिकार समर्थकों के मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण की बात आती है तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गए है। 1998 में मानव अधिकार समर्थकों पर घोषणा के बाद से, इस संबंध में कई और प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इस अध्याय में संक्षिप्तता के लिए सभी का उल्लेख नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहले वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। हालाँकि, इस संबंध में हाल ही में पारित दो प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण हैं।

14.10 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने अपने 31 वें और 32 वें सत्रों में, (अ) दिनांक 21.3.2016 को मानव अधिकार समर्थकों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (ए/एचआरसी/31/एल.28) को संबोधित करते हुए मानव अधिकारों की रक्षा करने (ब) दिनांक 27.06.2016 को सिविल सोसाइटी स्पेस पर (ए/एचआरसी/32/एल.29)पर दो प्रस्तावों को अपनाया। पूर्व प्रस्ताव, मानव अधिकारों के समर्थकों के खिलाफ हमलों एवं हिंसा की कड़ी निंदा करता है और राज्य एवं गैर–राज्य के लोगों द्वारा मानव अधिकारों के समर्थकों के खिलाफ होने वाले सभी खतरों एवं हमलों की जांच की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का आदेश देता है। इसके साथ ही सिविल सोसाइटी स्पेस के बाद का संकल्प राज्यों से कानून और सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाने का आग्रह करता है जिसमें समाज का नागरिक स्वतंत्र रूप से बिना बाधा और असुरक्षा के साथ अपना कार्य कर सकता है। दो प्रस्तावों की प्रतियां क्रमशः अनुलग्नक 'बी' और अनुलग्नक 'सी' के रूप में संलग्न की गई हैं।

ग. मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुने गए मामले।

14.11 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आयोग को मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न के संबंध में 73

शिकायतें प्राप्त हुई। वर्ष 2017–18 के दौरान मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित 98 मामलों का अंत में आयोग द्वारा निपटाया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण मामले इस प्रकार हैं:–

1. राजस्थान के जयपुर में पुलिस अधिकारियों द्वारा मानव अधिकार कार्यकर्ता कैलाश चिड़ीवाल का कथित उत्पीड़न।

(मामला संख्या 158/20/1/2017)

14.12 दिनांक 05.01.2017 को आयोग को पी. एल. मिम्रोथ, जयपुर निवासी, राजस्थान से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें मिम्रोथ ने यह आरोप लगाया कि पीड़ित कैलाश चिड़ीवाल, जो मानव अधिकार रक्षक के रूप में कार्य करता है, उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार, पीड़ित के घर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। आगे यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के बजाय, क्रिमिनल पीनल कोड की धारा 107, 151 के अधीन कार्रवाई की गई। पुलिस ने पीड़ितों को न केवल कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, अपितु विश्लेषण के लिए उनके खून से लिप्त कपड़ों को भी कब्जे में लेने से इनकार कर दिया। अतः इस संबंध में शिकायतकर्ता आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग करता है।

14.13 आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, 10.03.2017 को डीएम, अजमेर, राजस्थान द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वर्ष 2011 में आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित और उसकी पत्नी पर हमला किया था। उक्त घटना के लिए पीड़ित और उसकी पत्नी ने एक एफ.आई.आर. दर्ज कराया था जिसमें आरोपी व्यक्तियों को अदालत के सामने पेश किया गया था और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। तब से आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित और उसकी पत्नी के प्रति शत्रुता निभा रहे हैं। इसके बाद, 2017 में फिर से, आरोपी व्यक्ति जबरन पीड़ित के घर में घुस गए और न केवल पीड़ित को बल्कि उसकी पत्नी को भी बेरहमी से घायल कर दिया। इस प्रकार, यह अपराध आईपीसी के अधीन 341, 323, 427, 325, 452, 34 एवं एससी/ एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) (एस), 3 (2) (वा) के अनुरूप पाया गया। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 25/2017 को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

2. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं पर हमला

(मामला संख्या 27778/24/46/2017)

14.14 इस मामले में, कुछ बदमाशों ने श्याम किशोर और अन्य 10 आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया और एक कार्यकर्ता के बाएं कान पर जूतों से बेरहमी से हमला किया, जिससे उसके कान से खून बहने लगा और वह बहरा हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पीड़ितों को पकड लिया और जेल में डाल दिया। बाद में, आरोपियों ने फेसबुक पर पीड़ितों का मजाक उड़ाया। डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण रक्तस्राव पीड़ित को इसानगर से धोराहरा और वहां से लखीमपुर भेजा गया। अपराधियों के खिलाफ टैक्सी स्टैंड पर लड़कियों को परेशान करने, लोगों से पैसे छीनने और गैरकानूनी तरीके से पैसे की मांग करने जैसे बहुत सारे मामले थे।

14.15 मामले का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है और रिपोर्ट की मांग की है।

3. युवा एकता फाउंडेशन के निदेशक पर हमला

(मामला संख्या 51/7/5/2018)

14.16 एक 17 वर्षीय लड़के की हत्या करने के बाद, उसके शरीर और सामान को वापस नहीं किया गया। युवा एकता फाउंडेशन उस स्थान पर पंहुचा जहां एस.एच.ओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन से पुलिस बल को बुलाया और पीड़ितों पर लाठीसे हमला करवाया। एन.जी.ओ. के निदेशक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इस मामले से दूर रहने की धमकी दी गई। एक रात, एन.जी.ओ. के निदेशक और उनके परिवार पर हमला किया गया और उन्हें बुरी तरह से पीटते हुए घसीटा गया, न जाने उन्हें कहाँ ले जाया गया। बाद में, उन्हें सोशल मीडिया से पता चला कि उन्हें रिमांड पर लिया गया है और उन्हें किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ सकता है।

आयोग ने इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

4. राशन में भ्रष्टाचार के एक मामले की रिपोर्टिंग के लिए पुलिस द्वारा एक रिपोर्टर और उसके परिवार का उत्पीड़न

(मामला संख्या नंबर 32073/24/7/2017–डब्ल्यू.सी.)

14.17 इस मामले में, पीड़ित, जो एक रिपोर्टर था, ने सरकारी राशन को निजी बिक्री के लिए हस्तांतरण करते हुए देखा था। दो पुलिस अधिकारियों ने बिना किसी वारंट के पीड़ित के घर पर आधी रात को अत्याचार किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस का विरोध करने पर, घर की महिला सदस्यों को बुरी तरह से अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। जब रिपोर्टर ने विरोध किया, तो उसके कपड़े छीन लिए गए और लकड़ी के तख्तों से उसे बेरहमी से पीटा गया। जब उन्होंने किसी राहत की मांग की, तो पुलिस अधिकारियों में से एक अधिकारी ने ₹ 1,00,000/– की मांग की और उन्हें धमकी दी कि उसके पास उपरोक्त कई अधिकारियों के समर्थन हैं और पीड़ित उनके खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पायेगा। पीड़ित को हत्या के झूठे मामले और बंदूक की नोंक पर चोरी में जेल ले जाया गया।

14.18 आयोग ने याचिकाओं को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करने और की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

14.19 एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो आयोग द्वारा विचाराधीन है।

5. मणिपुर में "ह्यूमन राइट्स अलर्ट" नामक एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने वाले एक शोधकर्ता को कथित धमकी और उत्पीड़न

(मामला संख्या 9/14/0/2018/एनएच)

14.20 इस मामले में पुलिस और सेना के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा ह्यूमन राइट्स अलर्ट (एच.आर.ए.) की एक शोधकर्ता सुश्री राजिता सदोकपम का उत्पीड़न शामिल है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पुलिस एवं सेना की संयुक्त टीम द्वारा उनके दरवाजे पर दस्तक दी गई और मणिपुर में उनके घर की तलाशी लेने का प्रयास किया गया। वे "सोमेंद्रो" नामक एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। सुश्री राजिता ने सेना के अधिकारी से बात की और अपने परिवार के सभी सदस्यों की पहचान का विवरण प्रदान करने में उनका सहयोग किया, लेकिन उनके भाई को जबरदस्ती घर से बाहर ले जाया गया और उनसे पूछताछ की गई क्योंकि पुलिस एवं सेना द्वारा उनके सोमेंद्रो होने का संदेह था। सेना के अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसे उन्हें पढ़ने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

14.21 आयोग ने उपर्युक्त मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

6. एक मानव अधिकार कार्यकर्ता की हत्या

(मामला संख्या 1167/22/5/2017)

14.22 श्री एच. फारूक, एक कार्यकर्ता, ने अपने धर्म के खिलाफ व्हाट्सएप और फेसबुक पर हस्तलिखित स्लोगन "कदवुल इलाई, कदवुल इलाई, कदवुल इलई (नो गॉड, नो गॉड, नो गॉड)" को फोटो के साथ पोस्ट किया। उन्होंने कहा, "मैं ईश्वर, जाति, धर्म और सभी अंधविश्वासों का शत्रु हूं। लेकिन मैं उन मनुष्यों का शत्रु नहीं हूं, जो मानवता में विश्वास करते हैं। उनकी हत्या कर दी गई और श्री एम. अंसराध ने इस हत्या के अपराध को स्वीकार करते हुए एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पुलिस का मानना है कि यह चार व्यक्तियों के गिरोह द्वारा किया गया।

14.23 आयोग ने शिकायत की एक प्रति संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करने और की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

7. सेना के कार्मिकों द्वारा मानव अधिकार कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों का कथित उत्पीड़न

(मामला संख्या 12/3/0/2017–एएफ)

14.24 श्री प्रणब हजारिका मानव आदर्श संग्राम समिति के सदस्य हैं। सोनारी बानफेरा बेस आर्मी कैंप के सेना के जवान श्री प्रणब के आवास पर आए और शोर करते हुए दरवाजा खोलने का आदेश दिया। वह उपस्थित नहीं थे, इसलिए अपराधियों ने उनके बड़े बेटे को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया लेकिन प्रणब की पत्नी के अनुरोध पर वे उसे नहीं ले गए, लेकिन उन्होंने सुश्री ललिता को उनके पति, श्री प्रणब को शिविर में अगली सुबह उपस्थित होने का आदेश दिया। सेना के जवानों ने प्रणब की तलाश में प्रणब के छोटे भाई के घर भी गए और उन्हें परेशान किया तथा उनके भाई को उनके पेट पर मारा भी गया। अगले दिन, उन्होंने प्रणब की पत्नी सुश्री ललिता को धमकी दी कि अगर उन्होंने प्रणब को पकड़ लिया, तो वे उसके पैर तोड़ देंगे और उसे फेंक देंगे।

14.25 महानिदेशक (अन्वेषण) से अनुरोध किया गया है कि वे तथ्य और अपेक्षित रिपोर्ट एकत्र करें।

8. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला मानव अधिकार समर्थक को धमकी

(मामला संख्या 60/3/7/2017)

14.26 असम के मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 के तहत एक मुस्लिम समुदाय से संबंधित नाबालिग सहित तीन लोगों को गोमांस रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त अधिनियम गोमांस के रखने या उपभोग को अपराध की श्रेणी में नहीं मानता है। इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए, महिला मानव अधिकार समर्थक, सुश्री बोंदिता आचार्य ने फेसबुक पर कुछ बयान दिया था जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। उन्हें मौत और बलात्कार की धमकी, अश्लील, यौन और अपमानजनक संदेश मिल रहे थे और एसिड हमले की धमकी भी मिल रही थी। अगर वह सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती है तो उन्हें आपराधिक शिकायत की भी धमकी दी गई।

14.27 आयोग द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और एस.पी. से नोटिस के सम्बन्ध में एक अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपराध संख्या 7575/17 दर्ज किया गया है और शिकायत, पीड़ित और कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।

14.28 आयोग ने जांच के अंतिम परिणाम आयोग को प्रेषित करने का निर्देश दिया है।

9. मणिपुर और मेघालय में सामाजिक विकास केंद्र के सदस्य और कर्मचारियों की कथित सैन्य निगरानी

(मामला संख्या 10/14/4/2018)

14.29 यह मामला सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट के सदस्यों और कर्मचारियों से संबंधित है, जो मणिपुर और मेघालय में कथित सैन्य निगरानी पर थे और सी.एस.डी. के सचिव, श्री उरीखिंबम नोबोकिशोर को विशेष रूप से लक्षित किया गया। प्रत्येक आंदोलन को देखा जा रहा है, तब भी जब कार्यकर्ता व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं। श्री नोबोकिशोर का पीछा किया जा रहा है, जब वे व्यक्तिगत मामलों के लिए यात्रा कर रहे हैं और उनके आसपास के लोगों से उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ की जाती है। बाद में, 11.8.2017 को, छह सशस्त्र व्यक्तियों ने सीएसडी कार्यालय का दौरा किया जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों के सदस्यों के मन में बहुत भय पैदा हुआ और एक कर्मचारी पर हमला किया गया। पुलिस ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार कर दिया। दिनांक 4.10.2017 को, नोबोकिशोर पर एक अभियोग संगठन द्वारा हमला किया गया था और इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

14.30 महानिदेशक (अन्वेषण) से अनुरोध किया गया है कि वे तथ्य और अपेक्षित रिपोर्ट एकत्र करें।

अध्याय 15

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

15.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एन.एच.आर.आई.), राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थिति से संबंधित सिद्धांतों का पालन करता है जिसे साधारणतया पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं संवर्द्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस भूमिका की अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा तेजी से सराहना की जा रही है। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, संधि अनुवीक्षण निकायों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संभार तंत्र द्वारा पेरिस सिद्धांतो का पालन करने वाले प्रत्येक राज्य को एक प्रभावी, स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के गठन तथा जहां यह कार्यरत है, उसे और मजबूती प्रदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। एन.एच.आर.आई. कई तंत्रों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है जिनमें से संयुक्त राष्ट्र एवं खासकर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओ.एच.सी.एच.आर.) के अलावा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति/आई.सी.सी., जिसे गनहरी के नाम से जाना जाता है) एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का एशिया पेसिफिक फोरम (ए.पी.एफ.), इनमें से महत्त्वपूर्ण हैं।

15.2 समीक्षा अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत जो गनहरी का एक सदस्य तथा ए.पी.एफ. का संस्थापक सदस्य है, ने आयोग में कई बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार–विमर्श में शामिल हुआ।

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फोरम के साथ सहयोग

15.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का एशिया पेसिफिक फोरम (ए.पी.एफ) एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुख्य क्षेत्रीय मानव अधिकार संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई। यह एक सदस्य आधारित संगठन है जो इस क्षेत्र में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना एवं संवर्द्धन में सहायक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना है। इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखते वक्त ई.पी.एफ. में कुल 15 पूर्ण सदस्य एवं सात सहयोगी सदस्य शामिल थे, ये सदस्यगण इस क्षेत्र के विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इन संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र से कोई भी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान, ए.पी.एफ. का सदस्य बनने हेतु आवेदन कर सकता है। इनकी सदस्यता के बारे में निर्णय ए.पी.एफ. की गवर्निंग बॉडी, मंच परिषद द्वारा ली जाती हैं।

15.4 एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए, एक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान को पेरिस सिद्धांतों में स्थापित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अवश्य पालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, यह मंच ई.पी.एफ. सदस्यता की स्थिति निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के प्रत्यायन निर्णय को अंगीकृत करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान जो पूरी तरह पेरिस सिद्धांतों का पालन करता है उन्हें 'दर्जा क' के रूप में प्रत्यायित किया जाता है जबकि आंशिक सिद्धांत का पालन करने वाले संस्थाओं को 'दर्जा ख' के रूप में प्रत्यायित किया जाता है। 'दर्जा क' से प्रत्यायित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद एवं इसके सहायक निकायों के कार्य एवं चर्चाओं में शामिल होने की इजाजत दी जाती है।

ख. एन.एच.आर.सी. द्वारा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और कार्यक्रमों में भागीदारी

15.5 दिनांक 25.4.2017 से 26.4.2017 तक बैंकॉक, थाईलैंड में ए.पी.एफ. द्वारा एलजीबीटीआई समुदायों के साथ काम करने और उनके मानव अधिकारों के लिए बेहतर समर्थन के क्षेत्र में एन.एच.आर.आई. की क्षमता को मजबूत करने के लिए, एपीबी और यूएनडीपी के बीच सहयोग से चल रहे कार्यक्रम–एक दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन, 'द योग्यकर्ता प्रिंसिपल्सः हमने क्या सीखा है और अब कहां है?' आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम में श्री डी.एम. त्रिपाठी, अवर सचिव (सा.प्रशा./स्था.) ने भाग लिया।

15.6 श्री बी. एस. नागर, अवर सचिव (समन्वय) ने 01.05.2017 से 05.05.2017 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार तंत्र पर एन.एच.आर.आई. अवसर के प्रशिक्षण में भाग लिया।

15.7 दिनांक 05.07.2017 से 07.07.2017 तक न्यूयार्क में आयोजित किये गए एजिंग पर वर्किंग ग्रुप के 8 वें सत्र में न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष और डॉ. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (का. एवं प्रशा.) ने भाग लिया।

15.8 श्री अंबुज शर्मा, महासचिव ने 29.08.2017 से 30.08.2017 तक मलेशिया के मेलाका में आयोजित किये गए वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों (एसईओ) के नेटवर्क बैठक में भाग लिया।

15.9 श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशि. एवं अनु.) ने 20.09.2017 से 21.09.2017 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किये गए यूपीआर पर भारत की रिपोर्ट को अपनाने पर मानव अधिकार परिषद के पूर्ण सत्र में भाग लिया।

15.10 डॉ. संजय दुबे, निदेशक (प्रशा.) ने 20.09.2017 से 22.09.2017 तक बैंकाक, थाईलैंड में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी और नवीन मॉडल और रणनीतियों पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

15.11 श्री यू.एन.सरकार, सहायक निदेशक (प्रकाशन) ने 21.11.2017 से 23.11.2017 तक बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किये गए ए.पी.एफ. संचार नेटवर्क सहयोग कार्यशाला में भाग लिया।

15.12 श्री अम्बुज शर्मा, महासचिव ने 29.11.2017 से 30.11.2017 तक बैंकाक, थाईलैंड में आयोजित किये गए ए. पी.एफ. की 22 वीं वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।

15.13 श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य ने 12.12.2017 से 13.12.2017 तक ढाका, बांग्लादेश में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और मानव अधिकारों पर आयोजित किये गए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

15.14 श्री दुष्यंत सिंह त्यागी, उप पुलिस अधीक्षक ने 12.12.2017 से 16.12.2017 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किये गए एन.एच.आर.आई. फैसिलिटेटर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप के ए.पी.एफ. में भाग लिया।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के वैश्विक संगठन (गनहरी) के साथ सहयोग

15.15 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (आई.सी.सी.) का नया नाम गनहरी रखा गया है। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की एक प्रतिनिधि निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के निर्माण एवं समर्थन के उद्देश्य से किया गया तथा यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। यह अपनी भूमिका इन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के संयुक्त क्रियाकलापों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उत्साहवर्धन एवं सहयोग, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना के लिए सरकार की मदद द्वारा निभाता है। राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन तथा उनके संवर्द्धन के लिए कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि ये संस्थाएं पेरिस सिद्धांतों का पालन करें। अपने सभी क्रियाकलापों एवं अपने कार्याधीन क्षेत्रों, समितियों, कार्यकारी समूह इत्यादि में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करता है एन.एच.आर.सी., भारत स्थिति 'क' के साथ गनहरी का प्रतिनिधित्व सदस्य है जिसे पूर्व में वर्ष 1999 में प्रत्यायित एवं 2006 तथा 2011 में पुनःप्रत्यायित किया गया।

15.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) की उप–समिति (एस.सी.ए.) ने 2017 में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 'ए' का दर्जा दिया, जो देश के भीतर मानव अधिकारों के संरक्षण और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य की स्वीकृति के रूप में आयोग ने किया है।

15.17 अक्टूबर, 2015 में अंगीकृत मेरीदा घोषणा के विचार–विमर्श सत्र में न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, एन. एच.आर.सी. की अगुवाई में एन.एच.आर.सी. भारत के प्रतिनिधिमण्डल ने मेरीदा घोषणा के अनुपालन में सतत विकास के लक्ष्य के कार्यान्वयन में एन.एच.आर.आई. की भूमिका पर एक बयान दिया।

15.18 इस तीन दिवसीय सम्मेलन के आखिरी तिथि को गनहरी द्वारा सभी सदस्य देशों के लिए आयोजित ज्ञान मेला में भारत ने सक्रीय रुप से हिस्सा लिया। इस मेले का उद्देश्य आपसी विचार–विमर्श एवं फेस–टू–फेस नेटवर्किंग हेतु एक अवसर के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर सूचना एवं अनुभव को साझा करना था। एन.एच.आर.सी., भारत ने एक स्टॉल भी लाया जिसमें वर्ष 1993 से 2015 तक मानव अधिकार मामलों के रुझान पर सूचना प्रदर्शित की गई थी। पोस्टर प्रस्तुतिकरण के रुप में यह वर्णित किया गया कि वर्ष 1993 में, 30 मामले पंजीकृत किए गए जबकि वर्ष 2015 में 1.20 लाख मामले पंजीकृत किए गए जिससे एन.एच.आर.सी. भारत पर आम जनता के भरोसा को दर्शाता है। एन.एच.आर.सी. भारत ने अपनी प्रकाशनों तथा विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का प्रदर्शन भी किया गया। इसके अतिरिक्त एन.एच.आर.सी. भारत द्वारा वर्ष 2015 में आयोजित लघु चलचित्र प्रतियोगिता के पोस्टरों को भी प्रदर्शित किया गया।

15.19 भारत को सर्वसम्मति से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गनहरी के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत पूरे क्षेत्र में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन में प्रभावी योगदान प्रदान कर सकता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में भारत का योगदान न केवल पारंपरिक और ऐतिहासिक है, बल्कि भारतीय संविधान में मानव गरिमा, लिंग, शासन, सुरक्षा और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित है।

15.20 सियोल, दक्षिण कोरिया में भी सुंग–हो–ली, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दक्षिण कोरिया के आमंत्रण पर न्यामूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. एवं संयुक्त सचिव (का एवं प्रशा.) एन.एच.आर.सी. वाले प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 14 जून, 2016 को बुजुर्गों के मानव अधिकारों पर गनहरी विशेष सत्र एवं 15–16 जून, 2016 को वृद्धजनों के मानव अधिकारों पर असेम विशेषज्ञ मंच पर हिस्सा लिया। दिनांक 14 जून, 2016 को सम्मेलन की शुरुआत सुंग–हो–ली, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कोरिया के स्वागत भाषण से हुई एवं सुश्री क्लोडिया मेहलर, वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता, जर्मनी मानव अधिकार संस्थान, गनहरी अध्यक्ष प्रतिनिधि थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फॉरम द्वारा उप–प्रायोजित बुजुर्गों के मानव अधिकारों पर गनहरी विशेष सत्र में बुजुर्गों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर अनुभव साझा करने एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के योगदानों के तरीकों का मंथन किया गया। बुजुर्गों के मानव अधिकारों पर असेम विशेषज्ञ मंच के रुप में, सभी प्रतिभागियों के हित के लिए असेम सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्यों सहित यू.एन. एवं एन.जी.ओ. के मध्य स्वास्थ्य के अधिकारों एवं गरीबी उन्मूलन पर चर्चा की गई।

15.21 न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. ने अन्य प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श के दौरान बुजुर्गों की देख–रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जो भारतीय संविधान एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे माता–पिता का भरण–पोषण एवं कल्याण तथा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत अधिदेशित है। माननीय अध्यक्ष ने आयोग की कार्यवाही एवं मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बुजुर्गों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के सर्वोत्तम प्रथा पर ध्यान केन्द्रित किया।

15.22 न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू ने बुजुर्गों के अधिकारों के संबंध में एन.एच.आर.सी. भारत द्वारा की गई पहल पर प्रस्तुतिकरण दिया। शुरुआत में उन्होंने भारत में बुजुर्गों की आबादी के संदर्भ में भौगोलिक विशेषता एवं विभिन्न अधिनियम, नीति एवं कार्यात्मक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में परिचय दिया। इस प्रस्तुतिकरण के दो मुख्य विषय थे अर्थात एन.एच.आर.सी. भारत द्वारा की गई पहल एवं बुजुर्गों के अधिकारों हेतु एन.एच.आर.सी. भारत की सर्वोत्म प्रथाएं। एन.एच.आर.सी. की कार्यवाहियों में वृद्धजनों के संरक्षण एवं कल्याण पर कोर ग्रुप का गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति पर सरकार को प्रदत्त सुझाव, अनुसंधान का संवर्द्धन, प्रशिक्षण, संगोष्ठी के माध्यम से जागरुकता फैलाना एवं वृद्धजनों के अधिकारों पर सूचना के व्यापक प्रसार हेतु प्रकशनों का मुद्रण पर सविस्तार से चर्चा की गई। सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में भारत ने एक मजबूत एवं व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली नियमित रुप से जन सुनवाई एवं शिविर बैठकों का आयोजन, आर्थिक राहत का भुगतान, मानव अधिकार समर्थकों के लिए प्रकार्यात्मक फोकल प्वाइंट, स्वतः संज्ञान लेना एवं वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु निदेश जारी करना एवं अपीलीय प्राधिकरण आयुर्विज्ञान कॉलेजों में जेरोनेटोलॉजी में एम.डी. कोर्सों की शुरुआत, विशेष संपर्ककर्ताओं की नियुक्ति तथा आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकारों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग पर चर्चा की गई।

15.23 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें न्यायमूर्ति श्री पी.सी. घोष और श्री अंबुज शर्मा, महासचिव, एन.एच.आर.सी., शामिल थे, ने सैन जोस, कोस्टा रिका में 1–3 नवंबर, 2017 तक गनहरी ब्यूरो की बैठक में भाग लिए।

15.24 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष; श्री पी.

सी. घोष, सदस्य; श्री अम्बुज शर्मा, महासचिव शामिल हैं, ने दिनांक 19 से 23 फरवरी, 2018 तक विभिन्न बैठकों अर्थात गनहरी ब्यूरो मीटिंग और गनहरी जनरल मीटिंग, ए.पी.एफ. फोरम काउंसलर मीटिंग, और एन.एच.आर.आई. के राष्ट्रमंडल फोरम की वार्षिक बैठक (सी.एफ.एन.एच.आर.आई.) में शामिल हुए।

15.25 एन.एच.आर.सी., भारत ने "भारत में बुजुर्गों के अधिकारों" पर एक लघु चलचित्र भी प्रदर्शित की। इस चलचित्र में एक वृद्ध महिला की दुर्दशा को दर्शाया गया कि जो इतनी अकेली थी कि एक चोर को देखकर भयभीत होने की बजाय अपने सदमे से मुस्कुरा रही थी। इस चलचित्र में दिखाने की कोशिश की गई कि बुजुर्गों को केवल वित्तीय आवश्यकता ही नहीं उन्हें प्रेम करने एवं परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी देख–रेख करने की आवश्यकता है जो यदा–कदा ही उनसे मिलते हैं।

घ. व्यवसाय और मानव अधिकार

15.26 एन.एच.आर.सी., भारत का यह मत है कि एन.एच.आर.आई., कॉर्पोरेट क्षेत्र के भीतर मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण में योगदान प्रदान करने के साथ–साथ वह व्यापार क्षेत्र में मानव अधिकारों के हनन पर निगरानी और रिपोर्टिंग, कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की सुविधा प्रदान करने और सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता निर्माण करने ताकि वे क्रमशः मानव अधिकारों की रक्षा और सम्मान कर सकें आदि क्षेत्रों में भी सहयोग कर सकता है।

15.27 संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के संदर्भ में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में संबद्ध पहलों के रुप में संयोजक के रुप में कार्य करने हेतु अडिग है। चूंकि, आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु भारत की प्रतिबद्धता का एक संकेत है, इसलिए यह व्यवसाय और मानव अधिकारों के क्षेत्र में प्रभावी रूप से संलग्न होने में सक्षम होगा।

ङ. व्यावसाय और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

15.28 आयोग ने व्यापार द्वारा मानव अधिकारों के सिद्धांतों के स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग संघों/ संगठनों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। अंत में स्व–मूल्यांकन उपकरण के विकास के साथ इसका समापन किया गया, जिसका उपयोग स्वैच्छिक आधार पर उद्योग द्वारा किया जाना था। स्व–मूल्यांकन उपकरण, संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत, व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश, और मानव अधिकारों पर कॉर्पोरेट के प्रभाव का आकलन करने के लिए उपलब्ध अन्य मौजूदा दिशानिर्देशों पर आधारित है।

15.29 आयोग ने इसके बाद तीन क्षेत्रीय सम्मेलन अर्थात् 17 जनवरी, 2017 को चेन्नई में व्यवसाय और मानव अधिकार पर दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन, 22 फरवरी, 2017 को मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन और इस श्रृंखला में तीसरा, 2 जून, 2017 कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन सम्मेलनों ने विभिन्न हितधारकों के अनुभवों/ विचारों को सुनने के अलावा व्यापार और मानव अधिकारों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

15.30 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत ने 12 जनवरी, 2018 को व्यवसाय और मानव अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन ने व्यापार और मानव अधिकारों पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों, राज्य मानव अधिकार आयोगों के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों / उद्योगों / महासंघों, सार्वजनिक उपक्रमों और व्यवसाय और मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों के अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

च. व्यवसाय और मानव अधिकार विषय पर आयोग द्वारा प्रदत्त शोध अध्ययन

15.31 आयोग ने हाल ही में आई.आई.टी. बॉम्बे, मुंबई को "भारतीय संदर्भ में मानव अधिकारों के सम्मान के लिए और कॉरपोरेट ड्यूटी– भारत में रग्गी फ्रेमवर्क पर मानव अधिकार प्रथा आधारित स्थिति पर एक "प्रयोग सिद्ध अध्ययन" नाम से एक अनुसंधान अध्ययन सौपा है। यह अध्ययन रग्गी के व्यवसाय एवं मानव अधिकार "रक्षा, सम्मान और उपाय" जो इस डोमेन का प्रमुख आधार है, के फ्रेमवर्क के आधार पर भारत में व्यापार और मानव अधिकारों के अलग–अलग मालिकों के साथ व्यावसायिक फर्मों के मानव अधिकारों के व्यवहार की स्थिति का अनुभव करने की कोशिश करेगा। यह अध्ययन व्यावसायिक उद्यमों द्वारा मानव अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी को पूरा करने में वर्तमान प्रथाओं की स्थिति प्रदान करेगा। आयोग ने 'व्यापार और मानव अधिकार' विषय पर एक शोध परियोजना का भी आह्वान किया है।

15.32 एन.एच.आर.सी., भारत का यह मत है कि एन.एच.आर.आई., कॉर्पोरेट क्षेत्र के भीतर मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण में योगदान प्रदान करने के साथ–साथ वह व्यापार क्षेत्र में मानव अधिकारों के हनन पर निगरानी और रिपोर्टिंग, कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की सुविधा प्रदान करने और सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता निर्माण करने ताकि वे क्रमशः मानव अधिकारों की रक्षा और सम्मान कर सकें आदि क्षेत्रों में भी सहयोग कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के संदर्भ में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में संबद्ध पहलों के रुप में संयोजक के रुप में कार्य करने हेतु अडिग है। चूंकि, आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु भारत की प्रतिबद्धता का एक संकेत है, इसलिए यह व्यवसाय और मानव अधिकारों के क्षेत्र में प्रभावी रूप से संलग्न होने में सक्षम होगा।

छ एन.एच.आर.सी. के विदेशी प्रतिनिधि के साथ विचार–विमर्श

15.33 श्री जे.एस. दत्तन, उप उच्चायुक्त, कनाडा ने 28.04.2017 को अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. के साथ शिष्टाचार बैठक के लिए आयोग का दौरा किया।

15.34 एन.एच.आर.सी. बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल जिसमें सुश्री नूरुन नाहर उस्मानी, मानद सदस्य, श्री मोहम्मद शोरिफ उद्दीन, निदेशक, श्री मोहम्मद गाजी सलाउद्दीन, डीडी, सुश्री सुष्मिता पारीक, सहायक निदेशक, सुश्री नईमा प्रधान, सहायक निदेशक और श्री मोहम्मद जुम्मन हुसैन सुपर (लेखा), एन.एच.आर.सी.बी शामिल हैं, ने अधिकारियों को व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव से मजबूत करने एवं एन.एच.आर.सी., भारत के सर्वोत्तम प्रथाओं के उद्देश्य एन.एच.आर.सी. इंडिया के साथ बातचीत के लिए 28.06.2017 से 30.06.2017 तक आयोग का दौरा किया

15.35 श्री ओबोट जैकब मार्कसन, कानूनी और संसदीय मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष, युगांडा संसद, के साथ–साथ पांच अन्य सदस्यों ने आयोग के कामकाज के बारे में एक अध्ययन यात्रा के लिए 13.09.2017 को आयोग का दौरा किया।

15.36 सुश्री केट गिलमोर, उप उच्चायुक्त, मानव अधिकार उच्चायोग कार्यालय (ओएचसीएचआर), सुश्री क्रिस्टीन चुंग, मानव अधिकार अधिकारी, ओसीएचसीआर और रीनेता नाइक, सामाजिक नीति अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक कार्यालय ने दिनांक 31.10.2017 को आयोग के अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. के साथ बैठक की।

15.37 सुश्री लिव. हरनेस क्वानविग, परियोजना समन्वयक, एशिया और अफ्रीका, द नॉरवेयेज़ ह्यूमन राइट्स फंड ने 30.11.2017 को अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. के साथ बैठक के लिए आयोग का दौरा किया।

15.38 न्यायमूर्ति श्री अनूप राज शर्मा, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. नेपाल, सुश्री मोहना अंसारी, कमिश्नर, एन.एच.आर.सी. नेपाल और श्री बेद प्रसाद बत्तराई, सचिव, एन.एच.आर.सी. नेपाल एवं एन.एच.आर.सी. नेपाल के दो अन्य अधिकारियों ने 9–11 अप्रैल, 2018 को होटल याक और यति, काठमांडू, नेपाल में को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "चुनौतियों की पहचान करना, प्रगति का आकलन करना आगे बढ़ानाः दक्षिण एशिया में प्रभाव और वास्तविकता का पता लगाना" कार्यक्रम से संबंधित चर्चा करने के लिए दिनांक 10.1.2018 को आयोग के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ एक बैठक के लिए आयोग का दौरा किया।

15.39 श्री स्टेफन लैंजिंगर, जर्मन के पॉलिटिकल काउंसलर ने एन.एच.आर.सी., भारत के कार्य को समझने के लिए महासचिव के साथ शिष्टाचार मुलाकात हेतु दिनांक 15.01.2018 को आयोग का दौरा किया।

अध्याय 16

प्रशासन और संभारकीय सहयोग

क. कर्मचारी का सहयोग :

16.1 दिनांक 31.3.2018 तक आयोग में सभी श्रेणियों के कुल मिलाकर 331 संस्वीकृत विभिन्न पदों की तुलना में 301 कर्मचारी नियुक्त थे। वर्षों से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने स्वयं के कैडर के विकास और निर्माण हेतु कर्मियों के चयन के संबंध में विभिन्न उपायों का सहारा लिया है। इन तरीकों में प्रत्यक्ष नियुक्ति, पुनः रोजगार तथा संविदा के आधार पर नियुक्ति शामिल है।

बजट

16.2 आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 32 (1) के तहत भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन

16.3 आयोग के बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन को वार्षिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा अनुभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्राकलन को महासचिव के अनुमोदन से अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह समिति आयोग के वार्षिक बजट पर विचार कर अनुमोदन प्रदान करती है। संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात् बजट प्राक्कलन को केन्द्र सरकार के पास भेजा जाता है। इस बजट प्राक्कलन का गृह मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से संवीक्षा कर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

लेखा परीक्षा

16.4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आयोग की लेखा परीक्षा की जाती है और इस तरह के लेखा परीक्षा के संबंध में कोई भी व्यय आयोग द्वारा देय होगा।

वार्षिक लेखा

16.5 आयोग के वार्षिक लेखा–जोखा को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाता है। इस लेखा–जोखा का महासचिव द्वारा प्रमाणीकरण एवं हस्ताक्षर तथा संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। मुद्रित लेखा–जोखा के साथ–साथ लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र को अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सरकार के पास प्रस्तुत किया जाता है।

व्यय

16.6 पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान एवं व्ययित खर्च का विवरण निम्नलिखित है:

(रुपए लाख में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	व्यय
2015–16	3754.54	3467.47
2016–17	4404.00	4044.24
2017–18	4648.20	4403.11

ख. राजभाषा का प्रचार–प्रसार

16.7 एन.एच.आर.सी. के राजभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आयोग में एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। इसका मुख्य कार्य एन.एच.आर.सी. की मासिक पत्रिका, वार्षिक रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट एवं आयोग के महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों के अनुवाद सहित राजभाषा नीति का अनुपालन करना है। इसके अलावा, आयोग का राजभाषा अनुभाग हिन्दी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन, वार्षिक जनरल (मानव अधिकार : नई दिशाएं एवं मानव अधिकार : संचयिका) का प्रकाशन, हिंदी लेखन प्रतियोगिता एवं महात्मा गांधी द्विवार्षिक हिंदी पुरस्कार योजना जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापों द्वारा मानव अधिकारों का प्रचार–प्रसार करता है।

ग. प्रलेखन केंद्र (ई–लाइब्रेरी)

16.8 आयोग का पुस्तकालय अनुसंधान और संदर्भ उद्देश्य के लिए वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था। इसे एन.एच.आर.सी. प्रलेखन केंद्र (ई–लाइब्रेरी) के रूप में अपग्रेड किया गया है जो कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाओं से सुसज्जित है। पाठकों के व्यापक उपयोग के लिए पुस्तकों/ दस्तावेजों और लेखों का डेटाबेस इंटरनेट पर उपलब्ध है। इन पाठकों में विश्वविद्यालयों के शोध विद्वान और मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहें लोग शामिल हैं।

16.9 किसी भी प्रलेखन केंद्र के लिए गुणवत्तापूर्ण जानकारी मुख्य आधार और आवश्यक पहलू है। एन.एच.आर.सी. प्रलेखन केंद्र (ई–लाइब्रेरी) विभिन्न स्रोतों और दस्तावेजों से महत्त्वपूर्ण जानकारी रखता है ताकि इसे आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों, अंतःशिक्षु, शोधकर्ताओं और मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत अन्य लोगों को मूल्य वर्धित सूचना सम्बंधित सेवाएँ प्रदान कर इसे उपलब्ध कराया जा सके। केंद्र में डेटाबैंक के दस्तावेजों और सूचनाओं को निरंतर अद्यतन किया जाता है, जिसमें मानव अधिकारों, सरकारी रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र, गैर सरकारी संगठन, एन.एच.आर.आई. से प्राप्त सूचना, शोध पत्र, अप्रकाशित रिपोर्ट, फिल्म, सीडी, वीडियो कैसेट आदि से सम्बंधित पुस्तकें और पत्रिकाएं शामिल हैं।

16.10 पुस्तकालय में संकलित सूचना और समाचार पत्र की कतरनें आसानी से उपलब्ध हैं। मानव अधिकारों के मुख्य विषयों पर सूचना संग्रह एवं संकलित करने की अपनी मुख्य भूमिका के अलावा, यह वर्तमान सूचना को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों, समाचार पत्र और ईमेल सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को सक्रिय रूप से प्रसारित करता है।

16.11 भारत में विभिन्न मानव अधिकार उल्लंघनों पर डेटा और जानकारी प्रदान करने के सम्बन्ध में द वीकली न्यूज़ डाइजेस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एक पहल है। प्रलेखन केंद्र इस दस्तावेज़ को भी संकलित करता है। एकत्रित दस्तावेज और जानकारी को नियमित रूप से वेबसाइट में अपडेट और अपलोड किया जाता है और दुनिया भर के लोग इस प्रलेखित जानकारी का उपयोग कर रहे हैं। अनुरोध के आधार पर, विभिन्न विषयों से सम्बंधित जानकारी भी ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

16.12 पुस्तकालय में मानव अधिकारों पर मुद्रित पुस्तकों के कंप्यूटर डेटाबेस के साथ–साथ कथा साहित्य और संदर्भ पुस्तकों का एक छोटा संग्रह है। पुस्तकालय कम्प्यूटरीकृत है, और एन.आई.सी., नई दिल्ली द्वारा विकसित ई–ग्रंथालय (पुस्तकालय सॉफ्टवेयर) के समर्थन से पूरी तरह से स्वचालित पुस्तकालय के रूप विकसित हुआ है। पुस्तकालय का ऑनलाइन कैटलॉग, समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार के उल्लंघन पर शोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उत्कृष्ट प्रारंभिक आधार प्रदान करता है। पुस्तकालय के पुस्तकों और दस्तावेजों के संग्रह को अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि उपयोगकर्ता सबसे नवीनतम पुस्तकें, दस्तावेजों, रिपोर्टों आदि को प्राप्त कर सकें।

16.13 आयोग के पुस्तकालय में लगभग 36,497 पुस्तकें और पत्रिकाओं का संग्रह हैं। इसमें 540 सीडी/ डीवीडी/ कैसेट्स का संग्रह भी है। आयोग को 54 पत्रिकाओं (भारतीय और विदेशी), सहायता अनुदान के आधार पर प्राप्त 40 पत्रिकाओं, 112 सीरियल प्रकाशन, 27 पत्रिकाओं और 22 राष्ट्रीय भाषा और 9 क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों की सदस्यता प्राप्त है। आयोग के पास पास मानव अधिकारों एवं संबंधित विषयों पर पुस्तकों एवं दस्तावेजों का एक व्यापक संग्रह है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान मानव अधिकार एवं संबंधित विषयों पर 7256 नयी पुस्तकों को पुस्तकालय के संग्रह में शामिल किया गया।

16.14 आयोग का पुस्तकालय 3 ऑनलाइन डेटाबेस अर्थात एससीसी ऑनलाइन, मनुपत्र ऑनलाइन एवं वेस्टलॉ ऑनलाइन के साथ–साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.), नई दिल्ली द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज (ई–ग्रंथालय) से भी सुसज्जित है। पुस्तकालय के पाठक/ उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा और नए फर्नीचर के साथ अधुनिकिकृत किया गया है।

16.15 पुस्तकालय में किसी भी एक्सेस जैसे लेखक, शीर्षक, विषय, मूलशब्द एवं प्रकाशक के माध्यम से पुस्तकालय में उपलब्ध किसी पुस्तक या दस्तावेज की उपलब्धता और स्थान का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन ओपीएसी (ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग) को विशेष रूप से विकसित किया गया है।

16.16 एन.एच.आर.सी. पुस्तकालय ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी और डेलनेट (विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्किंग), नई दिल्ली का संस्थागत सदस्य है जो पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझा करने को बढ़ावा देता है। आयोग का पुस्तकालय पुस्तकों, दस्तावेजों और पत्रिकाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने और उधार लेने के लिए, इंटर–लाइब्रेरी लोन सुविधाओं के माध्यम से अन्य पुस्तकालयों के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है।

घ. सूचना का अधिकार

16.17 आर.टी.आई. इकाइयों में दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों और अपीलों और सीआईसी नोटिसों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	विवरण	ऑनलाइन	डाक	कुल
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	819	2646	3465
2.	30 दिनों के अंदर निपटान किए गए आवेदनों की संख्या	799	2523	3322
3.	एक महीने बाद लंबित आवेदनों की संख्या	–	–	–
4.	लंबित आवेदनों की संख्या किन्तु एक महीने के भीतर	20	123	143
5.	अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को स्थानांतरित किए गए आवेदनों की संख्या	90	262	352

प्रथम अपीलों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	ऑनलाइन	डाक	कुल
1.	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों की संख्या	59	289	348
2.	एक माह के अंदर इन अपीलों के किए गए निपटान संख्या	50	286	336
3.	लंबित अपीलों की संख्या	09	03	12

सीआईसी के साथ दूसरी अपीलों की संख्या

क्र.सं.	विवरण	ऑनलाइन	डाक	कुल
1.	सी आई सी से प्राप्त नोटिसों की संख्या	04	31	35
2.	सी पी आई ओ/अपीली प्राधिकारी द्वारा प्रबंध किए गए सुनवाई की संख्या	04	31	35
3.	सी आई सी को प्रेषित अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में सुनवाई की संख्या	04	31	35
4.	सी आई सी को प्रेषित न की गई अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में सुनवाईयों की संख्या	–	–	–

16.18 इन विवरणों में दो विभिन्न नोडल अधिकारी, उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार) तथा सहायक निदेशक (प्रकाशन) की देखरेख में आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 'डाक' एवं 'दस्ती' आवेदन/अपील के साथ–साथ ऑनलाइन आवेदनों पर कार्रवाई शामिल है।

अध्याय 17

राज्य सरकार द्वारा एन.एच.आर.सी. की सिफारिशों की गैर-स्वीकृति

17.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग धारा 18 (क)(i)(ii) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्त्ता या पीड़ित परिवार के सदस्यों को हर्जाने या क्षतिपूर्ति के भुगतान एवं/या दोषी लोकसेवक के खिलाफ आयोग द्वारा यथोचित कार्रवाई की शुरूआत करने हेतु संस्तुति करता है।

17.2 वर्ष 2017–18 के दौरान, आयोग को शिकायत प्राप्त हुई कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त द्वारा शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को उनके ही घर में 7.11.2012 से 16.11.21012 तक अवैध रूप से नजरबंद कर रखा गया एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पश्चात ही उन्हें मुक्त किया गया। आयोग ने सीबी–सीआईडी के माध्यम से मामले की जांच की और इस जांच द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिवक्ता आयुक्त, जो न्यायालय के आदेश को निष्पादित करने के लिए गए थे, वास्तव में उन्होनें शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य– श्रीमती प्रमिला, श्रीमती कुमारी, श्रीमती रेवती, श्रीमती पार्वती और शिकायतकर्ता, श्री रंगराजू को उनके घर के अंदर नजरबंद कर दिया।

17.3 अधिवक्ता आयुक्त की ओर से लापरवाही के परिणामस्वरुप, शिकायतकर्ता को गलत तरीके से नजरबंद के कारण पीड़ित को लगभग 10 दिनों तक मानसिक पीड़ा और अपमान का सामना करना पड़ा एवं आयोग ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को उपर्युक्त 5 पीड़ितों में के प्रत्येक सदस्य को उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के मुआवजे के रूप में ₹ 2,00,000/– (दो लाख रुपए) का भुगतान करने की सिफारिश की।

17.4 हालाँकि, आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार ने 2018 के रिट याचिका (सी) संख्या 4814 को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जो कि न्यायालय में लंबित है।

17.5 हालांकि, वर्ष 2016–17 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में जैसा उल्लेख किया गया है कि आयोग की सिफारिशों को 6 मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा चुनौती दी गई। ऊपर वर्णित एक और मामले को शामिल किए जाने के साथ, आयोग की सिफारिशों को चुनौती देने वाले मामलों की संख्या अब बढ़कर 7 तक पहुंच गई है। इन मामलों का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है:–

क्रम सं.	राज्य का नाम/ रा0 क्षेत्र	मामला संख्या	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/ निकट संबंधियों के लिए संस्तुत राशि (क)	संस्तुति की तिथि	आयोग की संस्तुतियों के खिलाफ फाइल किए गए मामलों का विवरण
1.	रेल मंत्रालय	1951/4/7/2012–जेसी डी	रेलवे अस्पताल, मुगल सराय, उ0 प्र0 में मृत्तक के उपचार से इंकार	1,00,000	30.10.2015	रेल मंत्रालय ने आयोग की संस्तुतियों को दिल्ली उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.पी. (सी) नं0 1194/2017 द्वारा चुनौती दी है।
2.	रेल मंत्रालय	984/34/15/08–09	आर.पी.एफ. कार्मिकों द्वारा रेल में यात्रा के समय पीड़ित की पत्नी को छेड़छाड़ करने की आपत्ति जताने पर बंदूक के बट से घायल होने के कारण मौत	5,00,000	06.05.2015	रेल मंत्रालय ने आयोग की संस्तुतियों को रांची उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सी) नं0 5974/2015 द्वारा चुनौती दी है।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	55/9/2003–2004 एडी	जम्मू पुलिस (शिकायत) की अभिरक्षा में कथित मौत	5,00,000	19.08.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
4.	जम्मू एवं कश्मीर	206/9/2003–2004 एम–4	सरकार (शिकायत) द्वारा मकान की क्षति	2,00,000	23.11.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
5.	केरल	43/11/2002–2003–सी डी	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	1,50,000	12.09.2008	केरल सरकार ने आयोग तथा उच्च न्यायालय की संस्तुति को केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका नं0 21305/09 द्वारा चुनौती दी है। रिट याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा है।

क्रम सं.	राज्य का नाम/ रा0 क्षेत्र	मामला संख्या	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/ निकट संबंधियों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	आयोग की संस्तुतियों के खिलाफ फाइल किए गए मामलों का विवरण
6.	ओडिशा	123/18/1999–2000	पुलिस द्वारा कथित भाारिरिक उत्पीड़न एवं अवैध रूप से नज़रबंद करना	अनुशासनिक कार्रवाई	31.07.2000	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को ओडिशा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या ओ.जे.सी.नं 8776/2000 चुनौती दी है जो विचाराधीन है।
7.	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	418/10/1/2013	अधिवक्ता आयुक्त द्वारा 10 दिनों के लिए परिवार के पांच सदस्यों को घर के अंदर नजरबंद करना	प्रत्येक सदस्य को दो लाख रुपए	15.11.2017	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4814/2018 दायर की है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

अध्याय 18

एन.एच.आर.सी. के अपनी प्रभावी कार्यान्वयन में हो रही समस्याएं

18.1 एन.एच.आर.सी., भारत की स्थापना वर्ष 1993 में, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के अधिदेश हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत हुई। अधिनियम की धारा 2 (घ) के तहत मानव अधिकार का वर्णन किया गया है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार। किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए यह अधिकार काफी आव यक एवं अहस्तांतरणीय है। आयोगए प्रतिवर्श एक लाख से अधिक या कम, मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है जिसमें फर्जी मुठभेड़ में मौत, हिरासतीय मौत एवं उत्पीड़न तथा अन्य पुलिस नृशसंता, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, बलात्कार एवं अपहरण, महिलाओं का अवैध व्यापार, प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण करंट लगने से मौत, पर्यावरण एवं प्रदूशण संकट, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में कदाचार इत्यादि से संबंधित कथित शिकायतें शामिल हैं। यह शिकायतें देश की परिधि सहित पूरे देश भर से प्राप्त होती हैं। मानव अधिकार समर्थकों सहित शिकायतकर्ताओं का आयोग पर अटूट विश्वास है कि आयोग उनके साथ अवश्य ही न्याय करेगा। आयोग पीड़ितों को उनकी दहलीज़ पर न्याय दिलाने के अपने प्रयास में देश के विभिन्न भागों में शिविर बैठक एवं जन सुनवाई का आयोजन भी करता है।

प्रशासनिक बाध्यताएं

18.2 एन.एच.आर.सी. पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के पास एक बुनियादी ढांचा होगा जो विशेष रूप से पर्याप्त धन और कर्मचारियों से सम्बंधित गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए अनुकूल है। इस वित्त पोषण का उद्देश्य सरकार एवं वित्तिय नियंत्रण से स्वतंत्र होने के लिए स्वयं के कर्मचारी एवं प्रांगण से सक्षम होना है ताकि मानव अधिकारों के परिपेक्ष्य में उनकी स्वतंत्रता प्रभावित न हो।"

18.3 आयोग की भूमिका दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एवं वर्तमान में यह एक वर्ष में एक लाख से ज्यादा शिकायतें प्राप्त कर रहा है जो आम जनता का आयोग पर विश्वास को प्रदर्शित करता है। इसके लिए प्रशासनिक के साथ–साथ वित्तीय मामलों में अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. की शक्ति के हस्तांतरण की आवश्यकता जरूरी हो जाती है।

18.4 आयोग के लिए जगह की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है जिसके लिए पत्राचार अभी भी प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार दिल्ली जल बोर्ड के साथ लगातार पत्राचार के पश्चात् भी, अब तक जल बोर्ड पानी की आपूर्ति का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। परिणामस्वरूप आयोग खासकर ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त जल की कमी का सामना करता है। इसके पश्चात् जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स में कई कार्यालयों के स्थानांतरण से, यातायात में बाधा से संबंधित मुद्दे पर

संबंधित यातायात प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि वाहनों को जीपीओ कॉम्प्लेक्स में बहुत अव्यवस्थित तरीके से पार्क किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे दिन सड़क पर हमेशा जाम लगा रहता है।

जनशक्ति की कमी

18.5 वर्तमान में, आयोग के पास 331 संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 301 कर्मचारी कार्यरत हैं। अंग्रेजी अख़बार, रोजगार समाचार आयोग की वेबसाइट तथा विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु व्यापक प्रचार के बावजूद भी, आयोग को कई पदों के लिए उपयुक्त अधिकारी नहीं मिल सके। अपनी स्थापना के बाद से ही, आयोग में पूर्ण संस्वीकृत पदों की तुलना में उपलब्ध पद पूर्ण नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, अत्यधिक संख्या में शिकायतों के कारण, आयोग सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को अल्पावधि के लिए संविदा आधार पर परामर्शदाता के पद पर नियुक्त करने के लिए विवश है।

18.6 यह उद्धृत करना प्रासंगिक होगा कि भर्ती नियमावली में संशोधन/परिशोधन कर इसकी एक प्रति को वर्ष 2012 में गृह मंत्रालय के पास भेजी गई थी। हालांकि, विभिन्न कारणों से इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। आयोग के भर्ती नियमों को फिर से पूर्ण आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है और अधिसूचना के लिए इसे मई, 2017 में गृह मंत्रालय को भेजा गया है, जो अभी भी मंत्रालय के अंतर्गत विचाराधीन है।

18.7 आयोग देश भर में मानव अधिकार पीड़ितों की उम्मीदों पर खरा उतरने पर संघर्षरत तथा मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के अपने अधिदेश को पूरा करने में अक्षम हैं। आयोग को अपने अधिदेश का प्रभावी रीति और कुशलता से निर्वहन करने के लिए विभिन्न पदों के सृजन की आवश्यकता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 11 (ख) के तहत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुभवी जांच अधिकारियों की कमी की वजह से हिरासतीय मौत, उत्पीड़न, अवैध नज़रबंदी इत्यादि पर घटना स्थल की जांच प्रभावित हो रही है जहां पर्याप्त अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता है। विधि प्रभाग, जो आयोग की रीढ़ की हड्डी है, वह भी जन शक्ति की कमी के कारण शिकायतों के निपटान/कार्यवाही के संबंध में अपनी और अधिक भूमिका के निष्पादन में समस्याओं का सामना कर रहा है।

18.8 इस संबंध में, 16 फरवरी, 2018 को गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ 104 अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव आरम्भ किया गया। इस प्रस्ताव को 77 पदों तक सीमित कर दिया गया है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत विचाराधीन है। गृह मंत्रालय ने हालांकि, आयोग से कहा कि उपर्युक्त व्यापक प्रस्ताव में प्रधान सचिव के निजी सचिव और प्रमुख निजी सचिव के पद में 15 प्रतिशत का उन्नयन करके प्रधान कर्मचारी अधिकारी (पी.एस.ओ.) के एक पद का सृजन करे। तदनुसार, 105 अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु एक संशोधित व्यापक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय बाधाएं

18.9 आयोग को हर साल भारत सरकार, गृह मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होता है। मानव संरक्षण अधिनियम की धारा 32 (2) अध्याय 7 के तहत "इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन हेतु यथोचित राशि का खर्च कर सकता है एवं इन खर्चों को उपधारा (1) के तहत इन अनुदानों को खर्च के रूप में माना जाएगा।" अपनी वित्तीय स्वायत्तता के कारण आयोग को इस अवधि के दौरान अपने कार्य निष्पादन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। इस वित्तीय स्वतंत्रता के साथ, आयोग अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए कुशलता से कार्य करता है। हालांकि, आयोग वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में वित्तीय स्वायत्तता चाहता है क्योंकि आयोग को यह अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किया गया है।

अध्याय 19

प्रमुख अनुशंसाओं और टिप्पणियों का सारांश

क. शिकायतों की संख्या और प्रकृति

19.1 पिछले वर्षों के अनुसार, मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोग ने देश के विभिन्न हिस्सों से शिकायतें प्राप्त कीं। आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों में लोकसेवकों द्वारा लापरवाही के कारण अभिकथित मानव अधिकार उल्लंघन तथा इस प्रकार के उल्लंघन से बचाव करने में लापरवाही, हिरासतीय हिंसा, यातना, फर्जी मुठभेड़, पुलिस की बर्बरता, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हनन जेलों से संबंधित स्थिति, महिलाओं एवं बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, सेवानिवृत्ति के लाभों का भुगतान नहीं करना, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार आदि के आरोप वाले मामले शामिल थे। आयोग ने इसके अतिरिक्त पुलिस मुठभेड़ एवं पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत तथा रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संज्ञन लिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया गया, जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जो देश के विभिन्न भागों में दौरे के दौरान अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आए।

ख. मानव अधिकार उल्लंघन मामले

19.2 2017–18 के दौरान आयोग में कुल 79,612 मामले दर्ज किए गए। इन 79,612 मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित 38,659 मामले, दिल्ली में 5,829, ओडिशा राज्य में 4,977, बिहार में 3,522 और राजस्थान में 3,285 मामले सम्मिलित हैं। आयोग ने 2017–18 के दौरान 86,187 मामलों का निपटारा किया, जिसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 33,290 मामलों को आरम्भ में ही खारिज कर दिया गया। आयोग द्वारा 15,364 मामलों का निपटान उचित प्राधिकरणों को उपचारात्मक उपाय के निर्देश के साथ किया गया। कुल 21,652 मामलों को राज्य मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटान के लिए भेजा गया। समीक्षाधीन अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2018 के अंत में आयोग के पास कुल 25,775 मामले लम्बित थे। इनमें 2,212 मामले प्रारम्भिक विचारण के लिए प्रतीक्षित तथा 23,563 मामले या तो संबद्ध प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने अथवा आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्टों पर विचारण हेतु लम्बित थे।

ग. हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

19.3 आयोग को वर्ष 2017–18 के दौरान न्यायिक हिरासत[2] में मौत से संबंधित 1636 सूचनाएं तथा पुलिस हिरासत में मौत की 148 सूचनाएं प्राप्त हुई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अर्द्धसैन्य बल/रक्षा बल की हिरासत में मौत की एक सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने हिरासतीय मौत के 2151 मामले निपटाए। इन 2151 मामलों में से न्यायिक हिरासत में मौत के 1945 मामले, पुलिस हिरासत में मौत के 205 मामले तथा अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत के एक मामले का निपटान किया। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं।

घ. आर्थिक राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें एवं उसका अनुपालन

19.4 समीक्षाधीन अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान आयोग ने 757 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को आर्थिक राहत/मुआवजे के भुगतान के रूप में ₹ 22,69,80,000/– की सिफारिश की। इन 757 मामलों में से जितने मामलों में आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई थी, उनमें से केवल 151 मामलों में ही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जबकि कुल ₹ 5,67,75,000/– की राशि का भुगतान पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को किया गया।

19.5 दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ऐसे 606 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिनमें ₹ 17,02,05,000/– की आर्थिक राहत की अनुशंसा की गई थी। आर्थिक राहत के संबंध में की गई सिफारिश के अलावा आयोग ने 38 मामलों में दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई तथा 02 मामलों में दोषी लोकसेवकों के अभियोजन की अनुशंसा भी की। आयोग ने एक बार फिर उन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से उनके यहां लंबित पड़े मामलों पर अनुपालन से संबंधित त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश की ताकि प्रत्येक मामले में पीड़ितों/निकटतम संबंधी को संस्तुति आर्थिक राहत तत्काल ही दी जा सके।

19.6 पिछले वर्षों से संबंधित मामलों की अनुपालन रिपोर्टों के संबंध में 274 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

ङ. सिलिकोसिस

सिलिकोसिस के रोकथाम, उपचार, पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति पहलू के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें।

1. कारखानों/खानों/उद्योगों/प्रतिष्ठानों का मानचित्रणः

---

2. वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक हिरासत का अर्थ है, कोर्ट के आदेश के अनुसार जेल में बंद व्यक्ति।

सिलिकोसिस की समस्या का विस्तार और आयाम जानने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिएः

- सिलिका प्रवण कारखानों/ खदानों/ उद्योगों/ प्रतिष्ठानों वाले जिलों और क्षेत्रों की पहचान।
- दोनों संगठित और असंगठित क्षेत्र के ऐसे सभी कारखानों/खानों/उद्योगों/ प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या सहित जनगणना का विवरण एकत्र करना। संगठित क्षेत्र के मामलों में, यह भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसे कारखाने/ खदान/ उद्योग/ प्रतिष्ठान किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
- क्या विभिन्न उद्योगों के नियोक्ता उचित रोज़गार सम्बन्धी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जिनमें श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए रजिस्टर, प्रत्येक श्रमिक को दिया जाने वाला वेतन, प्रत्येक श्रमिक को दी जाने वाली छुट्टी, जिसमें चिकित्सा अवकाश भी शामिल है।
- क्या प्रत्येक सिलिका प्रवण स्थापना के नियोक्ता ने सिलिकोसिस का पता लगाने के लिए अपने श्रमिकों की प्रारंभिक और आवधिक चिकित्सा जांच की है या नहीं और क्या उन्होंने सिलिकोसिस के मामलों को निर्धारित प्राधिकारी को रिपोर्ट किया था।
- क्या अतीत में पहचान किये गए सिलिकोसिस पीड़ितों को उचित स्वास्थ्य देखभाल और उपचार प्रदान किया गया था।
- क्या नियोक्ता के तरफ से (रोजगार पश्चात) सिलिकोसिस प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति और पारिवारिक पेंशन के विषय में कोई योजना है या नहीं और अतीत में ऐसी किसी योजना का लाभ सिलिकोसिस पीड़ितों और किसी पीड़ित की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को प्रदान किया गया है।
- सिलिकोसिस की रोकथाम के लिए नियोक्ता द्वारा यदि कोई उपाय हो तो।

2. उपरोक्त सर्वेक्षण करते समय, राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों, सिलिका प्रवण कारखानों, खानों, उद्योगों, प्रतिष्ठानों में काम करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी सर्वेक्षण करेंगे और उन व्यक्तियों की सूची भी तैयार करेंगे जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं।

3. उपरोक्त सर्वेक्षण (ए+बी) प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश द्वारा तीन महीने में पूरा किया जाना चाहिए और सर्वेक्षण का परिणाम पूरे विवरण के साथ प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। इस सर्वेक्षण को राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सूची के रूप में जाना जाएगा। इस सूची के आधार पर, एक महीने के भीतर, भारत संघ द्वारा एक राष्ट्रीय सूची तैयार की जाएगी, जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय और खनन मंत्रालय की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के सूची में उपलब्ध जानकारी को आरम्भ में तीन साल तक नियमित रूप से हर छह महीने और तत्पश्चात एक वर्ष के बाद अपडेट किया जाएगा। तदनुसार, राष्ट्रीय सूची में बदलाव किए जाएंगे।

4 ऊपर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जब एक बार प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सूची के साथ राष्ट्रीय सूची तैयार की जाती है, तो सबसे पहली आवश्यकता उन लोगों को चिकित्सा प्रदान करने की होगी जिन्हें पहले से ही सिलिकोसिस रोगियों के रूप में पहचाना गया था। इन सिलिकोसिस रोगियों का उपचार जिला/ राज्य के अस्पतालों में एक महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो उन्हें उपचार प्रदान करने के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो।

19.7 मानकों का निर्धारण:

क. सीपीसीबी, डीजीएमएस और डीजीएफएएसएलआई को विभिन्न कारखानों/ खानों/ उद्योगों/ प्रतिष्ठानों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए श्वसन योग्य सिलिका धूल की अनुमेय सीमा के लिए एक समान मानक तैयार करना चाहिए। वर्तमान में, हवा में धूल के कणों के 100 माइक्रोग्राम/ एम3 के मानक को संशोधित किया जाना चाहिए। यह सिफारिश की जाती है कि सिलिका–प्रवण उद्योगों के लिए सबसे कठोर मानक निर्धारित किया जाना चाहिए। अमेरिका में क्रिस्टलीय सिलिका के लिए अनुमेय श्वसन योग्य सीमा (पीईएल) 50 माइक्रोग्राम/मी है। उपरोक्त एजेंसियों द्वारा यह कार्य एक महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उपरोक्त समय अवधि के भीतर, उक्त एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/ सुरक्षा उपकरणों की एक जांच सूची भी तैयार करनी चाहिए, जिसे सभी सिलिका प्रवण कारखानों/ खानों/ प्रतिष्ठानों द्वारा इंस्टाल/उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद, तीन महीने के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महानिदेशक के साथ, खनन और खदानों के लिए खान और कारखानों के लिए कारखानों के निरीक्षक को सभी उद्योगों/ इकाइयों का निरीक्षण करना चाहिए और ऐसे इकाई(यों) के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए जो जांच सूची के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को इंस्टाल/तैनात और इस तरह के सुरक्षा उपायों को लागू करना में विफल रहे हैं। ऐसी सभी डिफ़ॉल्ट इकाइयों को बंद कर दिया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्यों के भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सहयोग से 20 भवन निर्माण श्रमिकों या उससे अधिक को रोजगार देने वाले नागरिक निर्माण स्थलों के संबंध में इसी तरह के निरीक्षण किए जाएंगे। उनके मामले में भी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को तैनात करने में विफलता की स्थिति में समान दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीएमएस/ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के सहयोग से समय–समय पर तिमाही आधार पर जांच की जानी चाहिए एवं शुरू में तीन साल के लिए और उसके बाद छमाही आधार पर अर्थात वर्ष में दो बार यह सुनिश्चित करने/ पता लगाने के लिए कि ये इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण उपायों/ सुरक्षा उपायों का अनुपालन कर रही हैं अथवा नहीं। सीपीसीबी को साधारण रूप से एक वार्षिक जांच करनी चाहिए। अनुपालन और कार्रवाई की स्थिति की वार्षिक रिपोर्ट को श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं खनन मंत्रालय के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

ख. एक बार राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग के अस्तित्व में आने के बाद, विभिन्न कारखानों/ खानों/ उद्योगों/ प्रतिष्ठानों के लिए श्वसन योग्य सिलिका धूल के लिए अनुमेय सीमा के मानकों को संशोधित करने का कार्य उक्त आयोग द्वारा किया जाएगा।

ग. राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र, खनन / उत्खनन / पत्थर पर नक्काशी, पत्थर तराशने, वाले उद्योगों में धूल कण नियंत्रण प्रणाली के उचित सुविधा के बिना निर्माण / कटाई / ड्रिलिंग उपकरणों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा सकते हैं। संबंधित नियामक अधिकारियों द्वारा वेट ड्रिलिंग और धूल निष्कर्षक का उपयोग लागू किया जा सकता है।

घ. कपड़े बदलने के सबंध में : सभी नाबालिगों को अपना काम शुरू करने से पहले और काम की जगह छोड़ने से पहले अनिवार्य रूप से अपने कपड़े बदलने चाहिए। इस संबंध में अभ्रक उद्योगों के लिए पहले से ही मानक मौजूद हैं; संभवतः सिलिका–प्रवण उद्योगों के लिए अपनाया जा सकता है।

19.8 चिकित्सीय पहलू

क. **सिलिकोसिस प्रवण उद्योगों में चिकित्सीय परीक्षण** : सिलिका प्रवण उद्योग में शामिल होने की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों को अपने रोजगार शुरू करने से पहले उनकी चिकित्सकीय रूप से जांच की जानी चाहिए। किसी भी श्वसन विकार से निपटने के लिए श्रमिकों के वक्षीय रेडियोग्राफी और पल्मोनरी फंक्शन परीक्षण के साथ चिकित्सकीय जांच की जानी चाहिए। किसी विशेष उद्योग / खदान / प्रक्रिया में उत्पादित सिलिका सामग्री पर आगे की चिकित्सीय परीक्षण की आवधिकता आधारित होनी चाहिए। स्टोन क्रशिंग, नक्काशी और मूर्तिकला उद्योग के श्रमिकों के मामले में, उनके नियुक्ति के समय और फिर दो साल बाद और उसके बाद हर साल चिकित्सीय परीक्षण आयोजित की जानी चाहिए। कारखाने के श्रमिकों के मामले में, उनका चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति के समय और फिर हर तीन वर्ष के बाद की जानी चाहिए।

ख. **स्मार्ट कार्ड जारी करना**: राज्य सरकार सिलिका प्रवण खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड जारी करेगी। इन स्मार्ट कार्डों में चिकित्सा इतिहास और चिकित्सा परीक्षा के विवरण के साथ–साथ कार्यकर्ता के कार्य का विवरण भी शामिल हो सकता है। ये स्मार्ट कार्ड किसी भी क्षमता के उद्योगों / प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सिलिका प्रवण के सभी कर्मचारियों को जारी किए जाएंगे, चाहे वे नियमित, अस्थायी, अनुबंध या नौकरी के काम (श्रम) में हों। जिस दिन ऐसे कर्मचारी सिलिका प्रवण उद्योग में शामिल होते हैं उनके लिए ऐसे स्मार्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड डेटाबेस में श्रमिकों के कार्य सबंधी इतिहास को दर्ज करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल निर्धारित करना होगा। प्रत्येक राज्य के डीजीएमएस / मुख्य इंस्पेक्टरेट यह सुनिश्चित करेंगें कि जिस कर्मचारी को स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किया गया है उसे कर्मचारी, जो स्थायी / अस्थायी, अनुबंध या नौकरी करने वाले, को किसी भी सिलिका प्रवण उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं प्रदान करना है। यदि कोई कर्मचारी सिलिका प्रवण कारखाने में बिना स्मार्ट कार्ड के काम करता पाया जाता है तो कारखाने के निरीक्षक द्वारा सिलिका प्रवण कारखाने के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था 2 साल के निश्चित समय अवधि के भीतर शुरू की जाएगी।

ग. **क्षय रोग को व्यावसायिक रोग के रूप में पहचान और तपेदिक रोगियों के व्यावसायिक इतिहास को अभिलेखित करना** : तपेदिक को ऐसे सभी पीड़ितों के लिए एक व्यावसायिक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए जो यह उल्लेख करते है की उन्होनें खदान / कारखाने / पत्थर पर नक्काशी

या कुचल उद्योग में काम किया था और ऐसी टीबी रोगी को सिलिकोसिस रोगी के लिए उपलब्ध सभी पुनर्वास उपायों का अधिकार प्रदान करना चाहिए।

राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर तपेदिक की घटनाओं का नियमित सांख्यिकीय विश्लेषण करना चाहिए और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहाँ ऐसी घटनाओं की संख्या अधिक है। सिलिका प्रवण उद्योगों/ अन्य प्रतिष्ठानों की उपस्थिति या वातावरण में सिलिका की उपस्थिति के लिए इन क्षेत्रों की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए।

सकारात्मक रूप से तपेदिक से पीड़ित पाए गए प्रत्येक रोगी के व्यावसायिक इतिहास का अवलोकन किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बनाए गए रजिस्टर में मरीजों के व्यावसायिक इतिहास का वर्णन करने वाला एक अलग से कॉलम होना चाहिए।

घ. **सिलिकोसिस नियंत्रण कार्यक्रम को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ एकीकृत करना:** भारत सरकार को सिलिकोसिस पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। चूंकि सिलिकोसिस और तपेदिक निकट संबंधी बीमारियां हैं, और इस सम्बन्ध में पहले से ही एक संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) मौजूद है तो इसके लिए सिलिकोसिस नियंत्रण कार्यक्रम को अलग और स्वतंत्र करते वक्त इसका एनएनटीसीपी के साथ एक अभिन्न संबंध होना चाहिए। राज्य सरकारों को सिलिकोसिस मैपिंग के परिणामों के आधार पर, जो वे कार्यान्वित कर रहे हैं, स्वतंत्र व्यापक सिलिकोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

ङ. **सिलिकोसिस के निदान के लिए एक सुविधा की पहचान करना :** प्रत्येक जिलों में, जहां सिलिकोसिस प्रवण उद्योग, खदान या बड़ी निर्माण परियोजनाएं मौजूद हैं वहां सिलिकोसिस के निदान और उपचार के लिए एक निर्दिष्ट अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस निर्दिष्ट अस्पताल में सिलिकोसिस प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक ओपीडी और एक इन–पेशेंट सुविधा शामिल होनी चाहिए। राज्यों को एक वर्ष के भीतर सभी स्थानिक जिलों में निदान और उपचार के लिए सभी सुविधा का निर्माण करना चाहिए।

च. **सिलीकोसिस के प्रमाणन के लिए अलग न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड:** सिलिकोसिस से पीड़ित हर जिले में सिलिकोसिस के प्रमाणन के लिए एक अलग न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड होना चाहिए। जिला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड में वक्षीय चिकित्सक, एक सामान्य चिकित्सक और रेडियोलॉजिस्ट शामिल होना चाहिए एवं इसकी व्यवस्था न होने पर एक व्यावसायिक स्वास्थ्य चिकित्सक को रखा जाए एवं यह भी सुविधा उपलब्ध न होने पर किसी भी अन्य वरिष्ठ चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। राज्य सरकारों को सिलिकोसिस की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाना चाहिए ताकि परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया में एकरूपता लाई जा सके। सिलिकोसिस के निदान और पहचान के लिए न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड के सदस्यों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। हर राज्य में प्रमाणन में विवाद से निपटने के लिए एक या एक से अधिक अपीलीय बोर्ड होने चाहिए।

19.9 पुनर्वास उपाय

क. एन.एच.आर.सी. ने मृतक के निकटतम परिजनों को अंतरिम मुआवजे के रूप में ₹ 3 लाख की सिफारिश की

थी जिसे उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.05.2016 को जारी आदेशों के माध्यम से स्वीकार किया गया था। दिनांक 23.08.2016 को अपने अगले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिलिकोसिस के कारण मृत्यु के सभी मामलों में 3 लाख की राशि दी जाए। सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि सिलिकोसिस से मृत्यु के सभी मामलों में उनके परिजनों को का अंतरिम मुआवजा के रूप में ₹ 3 लाख का भुगतान किया जाएगा ताकि मृतक के परिवार को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। एन.एच.आर.सी. अनुशंसा करता है कि सिलिकोसिस के कारण होने वाली मृत्यु के सभी मामलों में अंतरिम राहत की राशि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य को इस उद्देश्य के लिए एक कोष बनाना चाहिए।

ख. उपरोक्त अंतरिम आर्थिक राहत के अलावा, सिलिकोसिस के कारण मृत्यु के मामलों में, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मृतक पीड़ित की विधवा को वृद्धावस्था तक पेंशन के रूप में मासिक पेंशन प्रदान की जानी चाहिए। राज्यों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में बदलाव के आधार पर हर 3 साल में पेंशन के नियमित संशोधन का प्रावधान करना चाहिए।

ग. यदि दोनों पति–पत्नी सिलिकोसिस के कारण मर जाते हैं और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, एवं उनकी देखभाल करने वाला कोई न हो तो, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग को उन्हें आश्रय, सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करना चाहिए।

घ. सिलिकोसिस पीड़ितों और मृतक पीड़ित के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पीडीएस और अन्य केंद्रीय और राज्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

ङ. यदि कोई व्यक्ति सिलिकोसिस से पीड़ित है, तो उसे संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैकल्पिक नौकरी या जीवन पर्यंत पेंशन प्रदान की जानी चाहिए। सिलिकोसिस रोगियों और परिवार के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे रोजगार के अन्य क्षेत्रों में काम प्राप्त कर सकें।

च. **श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं:** असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित राष्ट्रीय/ राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, खदानों/ पत्थर खदानों/ स्टोन क्रशिंग/ पत्थर पर नक्काशी के श्रमिकों, जो सिलिकोसिस के जोखिम के प्रभाव से सम्बंधित है और साथ ही पहले से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना चाहिए। इस तरह की योजनाओं का वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा एकत्रित उपकर के माध्यम से हो सकता है। इन बोर्डों द्वारा बनाई गई कल्याण योजनाओं को मौजूदा बीओसीडब्ल्यू/ डीएमएफटी/ रेहाब कल्याण योजनाओं के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

छ **सिलिकोसिस पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का विस्तार:** सिलिकोसिस रोगियों को बीपीएल परिवारों के रूप में माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार को सिलिका प्रवण खानों/ उद्योगों/ पत्थर पर नक्काशी/ कटाई/ प्रसंस्करण इकाइयों में कार्यरत सभी

श्रमिकों के बीपीएल परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का विस्तार करने पर विचार कर सकती है।

ज. यदि कोई व्यक्ति सिलिकोसिस के कारण प्रभावित होता है या उनके निकटतम परिजन यदि कानून के अनुसार मुआवजे/ हर्जाने का दावा करना चाहते हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसे दावों के प्रक्रिया के सम्बन्ध में कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

झ. उपरोक्त सिफारिशें न्यूनतम हैं, जो प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जानी चाहिए। केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश को ऐसी योजना बनानी चाहिए जो सिलिकोसिस प्रभावित व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक लाभकारी हो।

19.10 विधायी ढांचे को मजबूत बनाना

- कारखानों अधिनियम, 1948 की धारा 85 (1) के तहत, राज्यों और/ संघ शासित प्रदेशों ने अभी तक छोटी इकाइयों को अधिसूचित नहीं किया है, जिससे वहां कार्यरत श्रमिकों को सिलिकोसिस होने की संभावना है अतः इस सम्बन्ध में कारखानों को जल्द से जल्द सभी छोटी इकाइयों को कारखाना के रूप में घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 87 के तहत, जिन निर्माण प्रक्रियाओं या संचालन को कारखानों में किया जा रहा है, जिसमें पत्थर या किसी मुक्त सिलिका से युक्त अन्य सामग्री का कटिंग/ नक्काशी/ प्रसंस्करण किया जा रहा है, को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खतरनाक प्रक्रिया के रूप में अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है।
- कर्मचारियों की संख्या के बावजूद सभी खनन, उत्खनन, स्टोन क्रशिंग इकाइयों को स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियमों अर्थात् खनन अधिनियम, 1952, कारखाना अधिनियम 1948 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए।

19.11 विनियामक तंत्र

क. राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग

केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए। आयोग का कार्य सरकार के विधायी उपायों को लागू और अनुशंसा करने एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना और संवर्द्धन के लिए एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति का समय–समय पर समीक्षा करने आदि कार्य सम्मिलित है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग में अध्यक्ष, तीन सदस्य और एक सचिव शामिल होने चाहिए। तीन सदस्यों में से एक सदस्य को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेषज्ञ होना चाहिए। इन्हें ऐसे अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो आवश्यक हो।

(i) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत और प्रक्रिया स्थापित करेगाः–

- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर व्यापक मानकों का गठन।
- अनावश्यक प्रशासन और लागतों से बचते हुए, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रमों में निरंतर सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करें।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, सूचना, शिक्षा प्रदान करें।
- संगठनों के लिए एक मॉडल व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति प्रदान करें।
- उद्योग में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक ऑडिट तंत्र विकसित और प्राधिकृत करना।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आंकड़ों के संग्रह के लिए एक प्रोफार्मा का विकास करना और राज्य आयोग को सूचित करना। राज्य आयोगों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में परिवर्तन/ सुधार का सुझाव विशेषतः उनसे परामर्श कर प्रस्तुत करें।

(ii) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग के पास व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों में पूछताछ का संचालन या निर्देशन की शक्ति हो सकती है।

ख. राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति

1. केंद्र सरकार अपने कार्यों के सन्दर्भ में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग को सलाह और सहायता के लिए, एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति का गठन कर सकती है।

2. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति में डीजीएफएएसएलआई, डीजीएमएस, निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, निदेशक, राष्ट्रीय खनन स्वास्थ्य संस्थान, एक्सप्लोसिव्स कंट्रोलर, चेयरमैन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), कम से कम 3 राज्यों के श्रम आयुक्त, 3 राज्यों के मुख्य निरीक्षकों, 3 राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं के डी.जी., ई.एस.आई., डी.जी., कर्मचारियों के 3 प्रतिनिधि, व्यवसाय और स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े 3 प्रतिनिधि, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव शामिल होने चाहिए।

3. समिति विभिन्न विषयों/ चुनौतियों के लिए उप–समितियों का गठन कर सकती है। उप–समितियां ऐसे उद्योगों में व्याप्त व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित स्थितियों का प्रथम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न उद्योगों का दौरा कर सकती हैं।

ग. राज्य व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग

राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग के अनुरूप राज्य व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग भी नियुक्त करना चाहिए। राज्य व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग का कार्य राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आयोग से अलग होगा और जो कि निम्नलिखित हो सकता है:

1. राज्य और संगठनात्मक स्तर पर व्यवस्थित स्वास्थ्य और सुरक्षा गतिविधियों की व्यवस्थित पहचान, योजना, कार्यान्वयन और सुधार के लिए स्वैच्छिक व्यवस्था को सुगम बनाना और सुधारना।

2. सभी स्तरों पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

3. उद्योग के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रमों में आम तौर पर जनता के सदस्यों और उद्योग के पास काम करने वाले या रहने वाले लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

4. ऐसे उद्योग के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रमों में उद्योग के पास काम कर रहे चिकित्सीय पेशे के सदस्यों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

5. स्कूल और कॉलेज स्तर के छात्रों के साथ–साथ इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि और पशु चिकित्सा संस्थानों और कॉलेजों में एवं पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

6. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आंकड़ों का विश्लेषण करने और राष्ट्रीय आयोग के साथ साझा किए जाने के लिए इकट्ठा, संकलन और विश्लेषण करें।

घ. **प्रोत्साहनः** नियोक्ताओं और हितधारकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है, जो खदानों/ खदानों/ कारखानों में धूल को पूरी तरह से हटाने या घटाने के लिए ईमानदारी से धूल नियंत्रण उपायों को लागू करते हैं।

ङ **संयुक्त समिति का गठनः** डीजीएमएस, डीजीएफएएसएलआई और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच एक पूर्ण सम्बन्ध नहीं है। संयुक्त समिति में डीजीएमएस, डीजीएफएएसएलआई, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य खनन विभाग, राज्य श्रम विभाग, राज्य निरीक्षणालय कारखानों और बॉयलरों और राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जा सकता है ताकि इन संगठनों के बीच उचित समन्वय स्थापित हो सके और डीजीएमएस और डीजीएफएएसएलआई द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा की जाती है तथा राज्य सरकारों द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लिए इन समितियों को राज्यवार आधार पर गठित करना होगा।

19.12 पट्टे का आकारः राज्य सरकार को भूमि के न्यूनतम आकार को निर्धारित करके खनन के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का न्यूनतम आकार बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में 0.1 एकड़ भूमि को भी खनन के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है। वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन सुनिश्चित करने के लिए खनन पट्टे के लिए न्यूनतम क्षेत्र पांच हेक्टेयर होना चाहिए।

19.13 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जन सुनवाईः प्रत्येक सिलिकोसिस प्रवण क्षेत्र में, जिला मजिस्ट्रेट को हर तीन महीने में एक बार सिलिकोसिस पर सार्वजनिक सुनवाई करनी चाहिए।

19.14 डीजीएमएस/ राज्य के मुख्य निरीक्षणालय द्वारा नियमित निरीक्षण: स्थापना की प्रकृति के आधार पर डीजीएमएस या राज्य के मुख्य निरीक्षक को सिलिका के खतरे से युक्त सभी कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण के समय कार्यस्थल में वायु जनित सिलिका के स्तर की माप शामिल होनी चाहिए।

वर्तमान में, विभिन्न राज्यों के कारखानों के मुख्य निरीक्षणालय और डीजीएमएस के कार्यालय में कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। केंद्र/ राज्य सरकारों को राज्य के मुख्य निरीक्षक और डीजीएमएस दोनों के सम्बन्ध में श्रमशक्ति को मजबूत करना चाहिए।

19.17 सिलिका अपशिष्ट का निपटान: वर्तमान में, सिलिका कचरे के निपटान के लिए कोई मानक नहीं हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले अपशिष्ट सिलिका को खतरनाक अपशिष्ट के रूप में घोषित करना चाहिए एवं इसके निपटान के लिए मानदंडों को पूरा करना चाहिए। ये मानक एस्बेस्टस कचरे के निपटान के लिए बीआईएस मानकों के अनुरुप हो सकते हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि सिलिका युक्त अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने वाले ट्रकों को टारपोलिन के साथ ढका जाना चाहिए तथा ट्रक की गति 20 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए और पटरियों पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। सिलिका पाउडर को मोहरबंद बैग में ले जाना चाहिए।

19.18 प्रशिक्षण और जागरूकता का प्रचार–प्रसार करना

1. **जागरूकता उत्पन्न करना:** सिलिकोसिस की चपेट में आने वाले सभी हितधारकों और श्रमिकों को बीमारी के बारे में जागरूक करने के साथ–साथ उनके कानूनी अधिकार और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के उपयोग के साथ व्यापक प्रचार अभियानों के माध्यम से सावधानी के सम्बन्ध में जागरुक करने की आवश्यकता है। इससे मामलों की स्व–रिपोर्टिंग में भी सुधार होगा और शीघ्र पहचान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सभी हितधारकों, जिला स्तर पर विशेष रूप से नियोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों, सिविल सेवकों एवं स्थानिक राज्यों के डॉक्टरों बीच जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। हर सिलिका, प्रवण उद्योग में एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए जो वायु जनित सिलिका के खतरनाक प्रभावों की सूचना देता हो।

2. **प्रशिक्षण:** सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य डॉक्टरों/ पैरामेडिक्स को प्रारंभिक निदान और सिलिकोसिस का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए।

छ. "बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

19.19 एन.एच.आर.सी. ने दिनांक 27.10.2017 को नई दिल्ली में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन, बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यान्वयन" पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के दौरान प्राप्त सिफारिशों को दो कार्य समूहों अर्थात् **अ**) 6 साल तक के गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता एवं **ब**) मध्याह्न भोजन योजनाएं के सम्बन्ध में कार्यान्वयन करने का निर्देश दिया गया। उपर्युक्त सिफारिशें संलग्न हैं।

19.20 कार्यकारी समूह–I: 6 साल तक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता।

- राज्य सरकार को प्रवासी आबादी की समस्याओँ का समाधान करने के लिए सक्रिय तंत्र के सम्बन्ध में नए कदम उठाने चाहिए।
- जहाँ तक संभव हो, परित्यक्त/ दूर दराज/ दूरवर्ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आंगनवाड़ी केंद्र को नवीन दृष्टिकोण/ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए, चाहे भागीदारी की संख्या कम हो (जैसे मोबाइल इकाइयां, सूक्ष्म आंगनवाड़ी केंद्र आदि)।
- वर्तमान में टेक होम राशन (टीएचआर)/ गर्म पका हुआ भोजन के बजाय नकद हस्तांतरण की सुविधा लाभकारी नहीं हो सकती है और इसे बहुत ही असाधारण मामलों के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पोषण प्रदान करने के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा एवं नकद को आसानी से अन्य व्यय में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- अधिकांश राज्यों में न्यूनतम वेतन स्तर सुनिश्चित करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को उप इष्टतम मानदेय संबंधी विषय का समाधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार को मॉडल नियोक्ता होना चाहिए। नियमित मासिक भुगतान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- निजी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी संख्या अत्यधिक है एवं यदि उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया तो कुपोषण की घटनाए उन्हें प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगीं।
- विभिन्न राज्यों और विभागों से प्राप्त निधि के माध्यम से सभी राज्यों में अधिकतम तीन वर्षों की समय सीमा के भीतर, भवन, रसोई, पेयजल आपूर्ति/ शौचालय के संदर्भ में अवसंरचनात्मक समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, जैसा कि केरल, तमिलनाडु आदि जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों आदि का उपयोग करके सभी राज्यों द्वारा जिला स्तर पर पर्याप्त भोजन परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- एनएफएसए में प्रदान किए गए मातृत्व लाभों की सीमाओं को जननी सुरक्षा योजना या समान पात्रता के साथ संयुक्त करके अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना की शर्त, एनएफएसए की धारा 4 (बी) और एन.एच.आर.सी. की पिछली सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधानों के विपरीत है।
- नमक और खाद्य तेल की उपलब्धता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जबकि ठीक इसी समय गेहूं के आटे मामले में उत्पादन, आपूर्ति, संभावित संदूषण, प्रभावकारिता और उपलब्धता की लागत आदि को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक परीक्षण आयोजित किये जाते हैं।
- जिला कलेक्टर के सीधे नेतृत्व में समन्वय बैठकें, समुचित प्रशिक्षण, व्यवस्थित फंडिंग आदि के माध्यम से

महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण/ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, डब्ल्यूसीडी, शिक्षा, जल और स्वच्छता और ग्रामीण विकास/ पंचायती राज जैसे एजेंसियों सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

- रसोई बागवानी, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फलों और सब्जियों की उपलब्धता को शामिल कर, संतुलित आहार और सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के स्रोत के रूप में खाद्य विविधता को प्रोत्साहित करना होगा।
- कई राज्यों में उपलब्ध आंगनवाड़ी स्तर पर माता की समिति और आईसीडीएस स्तर पर स्थानीय समन्वय समिति का अभिनव समन्वय और पर्यवेक्षण तंत्र सभी राज्यों में विस्तारित किए जा सकते हैं।
- जो वर्तमान में भोजन परोसा जा रहा है वह परिकल्पित प्रोटीन की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं करता है। प्रत्येक बच्चे और गर्भवती महिलाएं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें हर दिन प्रोटीन की समुचित मात्रा प्राप्त हो और प्रोटीन सेवन का एक सरल समाधान आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण के रूप में अंडे और उन लोगों के लिए जो शाकाहारी है,के लिए दूध उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में तरीकों और साधनों को सुनिश्चित और लागू किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक आंगनवाड़ी में समान उपस्थिति वाले बच्चे की स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए शैक्षिक साहित्य आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उचित और पारदर्शी चयन के पश्चात, उन्हें नियमित रूप से नवीन प्रशिक्षण के बाद एक बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक राज्य में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी

19.21 कार्यकारी समूह–II: मध्याह्न भोजन योजनाएँ

- रसोइया, राशन, प्राकृतिक आपदा, छात्रों की अनुपस्थिति, मुकदमों आदि की अनुपलब्धता जैसे कारणों से एमडीएम योजना के किसी भी अप्रयुक्त कोष का उपयोग लक्षित लाभार्थियों के लिए उसी वर्ष में किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई भी निधि किसी अन्य योजना के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- खाना पकाने की लागत के मानदंड, रसोइयों और सहायकों का मानदेय, परिवहन लागत, रसोई गैस आदि को युक्तिसंगत और उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।
- प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई) के लिए आवंटित धन को समय–समय पर तर्कसंगत और उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।
- प्रत्येक जिले में तीसरे दल (जैसे मनरेगा के तहत सिविल सोसाइटी/ डोमेन एक्सपर्ट/ सोशल ऑडिट निदेशालय) द्वारा सोशल ऑडिट और मूल्यांकन प्रतिवर्ष आयोजित की जानी चाहिए।
- राज्य के पोर्टल पर सोशल ऑडिट रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- इन सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई को राज्य पोर्टल पर भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

- सामाजिक लेखापरीक्षा में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), अनु. जाति / अनु. जनजाति से सम्बंधित छोटे गाँव, खानाबदोश और गैर–अधिसूचित जनजातियों, प्रवासी श्रमिकों के परिवारों, सुदूर द्वीपों, रेगिस्तान की बस्तियों, सीमावर्ती क्षेत्रों और वन गांवों और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- स्कूलों के नियोजित स्थान पर रसोई, पानी की सुविधा, स्वच्छता की सुविधा और बर्तनों के लिए धुलाई क्षेत्र उपलब्ध होने चाहिए।
- स्थानीय सांस्कृतिक प्राथमिकता के अनुसार, भोजन की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अंडे और दूध जैसे प्रोटीन युक्त भोजन को आहार में शामिल किया जाना चाहिए।
- किसी भी बच्चे के आधार लिंक की अनुपलब्धता के कारण उसे मध्यान्ह भोजन के लाभ से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उसका / उसकी बिना किसी गलती के इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- जहां तक संभव हो किचन उद्यान को स्कूल परिसर में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, छात्रों को सब्जियों के कृषिकरण में शामिल करना चाहिए तथा भोजन पकाने के लिए इन सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को उनके अपने घरों में सब्जियां उगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- निर्धारित अवकाशों के दौरान, मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए एक योजना विकसित करना।
- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के तहत गैर सम्मिलित छात्रों के बारे में डेटा (जो मध्याह्न भोजन के तहत आते हैं) एवं उनके गैर समावेशन का कारण का उल्लेख कर उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए।

च. वन स्टॉप सेंटर पर एक दिवसीय बैठक

19.21 दिनांक 26 सितंबर, 2017 को मानव अधिकार भवन में वन स्टॉप सेंटर्स पर एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. ने की।

19.22 बैठक से प्राप्त कुछ प्रमुख सिफारिशें / सुझाव निम्नानुसार थे:

- **सरल नाम:** 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर' को 'सखी', 'भारोसा', 'आशा ज्योति केंद्र' जैसे नाम के रूप में सरलीकरण किया जाएं और पूरे भारत में इस नामकरण को स्वीकार्य किया जाए।
- **जागरूकता:** विज्ञापन, फ्लेक्स बोर्ड, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया और समूह संदेश जैसे माध्यमों के साथ–साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप–केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्कूलों, विभिन्न स्तरों के न्यायालयों, बार एसोसिएशनों और चिकित्सा संगठनों और सरकारी और निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
- **प्रक्रिया के मानक:** सभी हितधारकों (पुलिस, काउंसलर, केस हैंडलर, डॉक्टर, गैर सरकारी संगठन, प्रशासक, पैरा–मेडिक्स, सामाजिक कार्यकर्ता, मजिस्ट्रेट, और फोरेंसिक सहित) के लिए सरल चरणों के रूप में सरल और

विस्तृत और समान एसओपी (राज्यों में) को मामले को समझने और अनुकरण हेतु मौखिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

- **केंद्र की कार्यप्रणाली:** एक एकल स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत एक छत के नीचे आश्रय, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता और मनो–सामाजिक परामर्श (समुचित संख्या में) जैसी सभी सुविधाओं के साथ एक केंद्र होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समर्पित व्यक्ति को पुलिस, चिकित्सा, स्थानीय प्राधिकारियों, क्षतिपूर्ति और कानूनी प्रक्रिया के बीच समन्वय करना चाहिए।

- **प्रशिक्षण:** भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनरों के लिए काउंसलिंग के साथ–साथ वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के प्रबंधन का एक समान प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।

- **अन्तःसम्बन्ध और सभी केंद्रों को जोड़ने:** सम्पूर्ण भारत में अंतर–राज्य मामलों को सीखने, साझा करने और निपटने में सक्षम बनाने के लिए एक वेबसाइट/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सभी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटरों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

- **कार्यप्रणाली का आकलन करना:** वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के कामकाज का आकलन करने के लिए एक तंत्र विकसित करें। इसमें फीडबैक फॉर्म शामिल हो सकते हैं।

- **पीड़ित मुआवजा योजना:** अन्य राज्यों द्वारा दिल्ली सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना को अपनाया जा सकता है जहां यह वर्तमान में नहीं है। मुआवजे के पैमाने को मानकीकृत किया जाना चाहिए (उच्चतम न्यायलय निर्णय)।

छ. बाल विवाह पर क्षेत्रीय सम्मेलन

19.23 आयोग ने 4–5 जनवरी, 2018 को ओडिशा के भुवनेश्वर में बाल विवाह पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

प्रत्येक समूह से प्राप्त प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

क) बाल विवाह: वर्तमान स्थिति, मुद्दों और चुनौतियों की वास्तविकता की जाँच

- **राज्यों द्वारा रणनीतिक योजना:** राज्यों को बाल विवाह के कारण वृद्धावस्था खतरे को दूर करने के लिए राज्य रणनीतिक योजना और कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, जिसे विभिन्न विभागों, विकास भागीदारों और सभी संबंधित हितधारकों द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

- **ग्राम पंचायत विकास योजना में बाल विवाह के मुद्दे को शामिल करना:** राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायतों द्वारा एसडीजी के साथ समन्वय करने के लिए तैयार की जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के अंतर्गत लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए 'बाल विवाह के विरुद्ध अभियान' को एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में शामिल करना चाहिए और नियमित रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाओं की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।

- **विवाह पंजीकरण को आधार से जोड़ना:** बाल विवाह पर रोक रखने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या यानि आधार के साथ विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए।

- **स्कूलों के पाठ्यक्रम में बाल संबंधी कानूनों को शामिल करना:** लैंगिक समानता, बाल विवाह, बाल अधिकार, पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ अन्य मुद्दों से संबंधित कानूनों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एमएचआरडी और राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग (डीओई) का अभिसरण होना चाहिए।

- **समुदाय और धार्मिक नेताओं की नियुक्ति:** समुदायों, जहाँ जल्दी या बाल विवाह का प्रचलन है, में धार्मिक और सामुदायिक नेता निर्णय लेने वाले होते हैं। इन शक्तिशाली व्यक्तियों को संलग्न और शिक्षित कर, बाल विवाह के सम्बन्ध में समुदाय के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया जा सकता है। समुदायों में समग्र रूप से बाल विवाह जैसी परंपराओं के हानिकारक प्रभावों के सम्बन्ध में धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को नियुक्त करने एवं उन्हें शिक्षित करने संबंधी विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

ख) पॉलिसी फ्रेमवर्क: बाल विवाह के कार्यक्रम संबंधी और कानूनी पहलू

- **बाल विवाह निषेध अधिकारी के तीन स्तर:** राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम 2006 की धारा 16 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य, जिला, तालुक स्तरों पर बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) नियुक्त किए जा रहे हैं, जिन्हें सचिव, महिला और बाल विकास को बाल विवाह की घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्ट करना चाहिए।

- **बाल विवाह पर अनिवार्य रिपोर्टिंग खंड:** पीसीएमए में बाल विवाह की अनिवार्य रिपोर्टिंग को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की धारा 19 के अनुरूप शामिल करने की आवश्यकता है।

- **सामुदायिक पुलिसिंग:** बाल विवाह को रोकने के विषय में पुलिस प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए हर राज्य में समुदाय आधारित पुलिसिंग की आवश्यकता है क्योंकि इससे पुलिस अधिकारियों और निजी नागरिकों को रचनात्मक तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। इस दिशा में एक ऐसा कार्यक्रम ओडिशा पुलिस द्वारा शुरू की गई एएमए पुलिस परियोजना है।

- **पंचायत राज संस्थाओं की परिभाषित भूमिका:** बाल विवाह के मुद्दे को जमीनी स्तर पर सुलझाने के लिए, यह महत्त्वपूर्ण है कि पंचायती राज संस्थानों (पीआरई) की भूमिका को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) में परिभाषित किया जाए।

- **बाल विवाह विघटन कानून:** चूंकि बाल विवाह स्वतः समाप्त नहीं होते हैं और इसे समाप्त करने के लिए तलाक की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि बाल विवाह विघटन कानून होना चाहिए।

- **शीघ्र न्याय:** बच्चे के विषय में सभी संबंधित अधिनियमों (पीसीएमए, पोस्को, किशोर न्याय अधिनियम औरआईपीसी) के तहत प्रावधानों का उपयोग करते हुए बच्चे से संबंधित मामलों का शीघ्रता से निपटान होना चाहिए।

ग) बाल विवाह के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कारकों की गतिशीलता: निवारक उपाय

- **21 दिनों के भीतर जन्म का पंजीकरण:** जन्म 21 दिनों के भीतर पंजीकृत होना चाहिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के माध्यम से हो सकता है, जिसमें प्रमुख संस्थान जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशाएं आदि शामिल हैं।
- **विवाह पंजीकरण का सार्वभौमिकरण:** विवाह पंजीकरण को सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए।
- **जागरूकता पैदा करना:** बाल विवाह के प्रभाव पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) प्रदान करने के लिए, पीसीएमए के रिपोर्टिंग के माध्यम से, सभी प्रकार के माध्यमों जैसे– टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्कूल वर्कशॉप, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, स्लोगन, वाद–विवाद और चित्रकारी का उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- **माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण:** माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में संस्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। बाल सहभागिता मंच को सक्रिय करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए और इसके लिए एक पुरुष और महिला शिक्षक को समर्पित होना चाहिए।
- **व्यापारिक घरानों की भूमिका:** व्यावसायिक घरानों द्वारा अपने संपर्क में बाल विवाह के खिलाफ टैगलाइन का उपयोग करके मदद करना।
- **निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कार्यशालाएं:** बाल विवाह के खिलाफ मजबूत समर्थन के लिए राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।
- **बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को पुरस्कृत करना:** सरपंच को गांव को बाल विवाह मुक्त गांव बनाने के लिए पुरस्कार का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा, यदि किसी गाँव में बहुत से बाल विवाह होते हैं, तो सरपंच को अगले चुनावों के संदर्भ में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- **शिक्षा के अधिकार को 18 साल तक की आयु तक बढ़ाना:** केंद्र सरकार को आरटीई के तहत बच्चों की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 साल करनी चाहिए, ताकि लड़कियां अपनी शिक्षा जारी रख सकें और बाल विवाह को रोका जा सके।
- **सामाजिक निगम दायित्व के तहत निधि का संचरण:** देश में युवा लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के स्तर में सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को मुख्यधारा में लाने के लिए कॉरपोरेट निकायों और संगठनों को सीएसआर के तहत अपनी निधि के संचरण की सुविधा सुनिश्चित करना।
- **विवाह के समय 8वें "फेरे" के बारे में:** विवाह के दौरान 8वां "फेरा" होना चाहिए, जहाँ युगल द्वारा यह शपथ ली जाए कि वे न तो लिंग की पहचान करेंगें और न ही बाल विवाह को बढ़ावा देंगें।

घ) मानव तस्करी और बाल विवाहः मुद्दे, चुनौतियां और आगे का सफ़र

- कानून, सजा और निवारण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए पीड़ितों, परिवारों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए जाने चाहिए। दूरदराज के गांवों के लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- पंजीकरण रजिस्टर का रख–रखावः जन्म, विवाह और विशेषकर बच्चों, विदेशी व्यक्तियों और प्लेसमेंट एजेंटों के पंजीकरण के लिए गाँव, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंजीकरण रजिस्टर बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- शादी से प्रभावित बच्चों के लिए निवारण तंत्रः बाल विवाह और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबरों के साथ एक शिकायत निवारण प्रणाली को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- सरकारी हितधारकों, सीएसओ के बचाव, अनुवर्ती कार्रवाई और पीड़ितों के पुनर्वास के अभिसरण को स्थापित करना होगा।
- दिशानिर्देश और एसओपी का निर्माणः तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के संरक्षण के लिए दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है।
- बचाए गए बच्चे का पुनर्वासः उन प्रक्रियाओं पर शायद ही कोई ध्यान दिया गया हो, जो तस्करी के शिकार बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुविधा प्रदान करती हैं, इसलिए इस संबंध में, राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तस्करी से बचाए गए पीड़ित बच्चों को सीएसआर के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के लिए, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जाए।
- पारगमन मार्गों की पहचान और मानचित्रणः बाल विवाह या किसी अन्य उद्देश्य के लिए तस्करी किये गए बच्चों के स्रोत, पारगमन और स्थलों की पहचान और मानचित्रण की आवश्यकता है।

ज. वृद्धजनों के अधिकार

19.24 दिनांक 7 फरवरी, 2018 को एन.एच.आर.सी. के सदस्य श्री एस. सी. सिन्हा की अध्यक्षता में वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण के विषय पर एन.एच.आर.सी. कोर ग्रुप एक बैठक आयोजित की गई।

19.25 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सलाहकार के अनुसार, देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को भारत सरकार के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उक्त समितियां वास्तव में हर पुलिस स्टेशन में प्रत्येक स्तर पर काम कर रही हैं।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को बुजुर्गों (एनपीएचसीई) के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक नए उपाय के साथ आने की जरूरत है, जो उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा 'परामर्श' को भी सम्मिलित करते हों ताकि समय–समय पर दवा का निर्धारण किया जा सकता है और वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

- संलग्न अस्पताल/क्लिनिक और आवासीय विद्यालय के साथ 1000–1500 लोगों की क्षमता वाले बड़े वृद्धाश्रम का निर्माण गुजरात मॉडल के आधार पर किया जाना चाहिए। यह बुजुर्ग व्यक्तियों को युवा पीढ़ी के साथ बातचीत करने और उनकी मदद करने का अवसर प्रदान करेगा।

- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 20 के पैरा (IV), में प्रावधान है कि बुजुर्ग से सम्बंधित पुरानी बीमारियों और बढती उम्र के लिए अनुसंधान गतिविधियों का राज्य सरकारों द्वारा विस्तार किया जाना है। इसलिए, इस पर विचार करते हुए, अनुसंधान को वरिष्ठ नागरिकों को रखने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि वे वृद्धाश्रम में स्थानांतरित किए बिना अपने मूल स्थान पर रहना जारी रखें।

- अधिनियम की धारा 19 (1) में वृद्धाश्रम की स्थापना का प्रावधान है, लेकिन इसमें उल्लेख है कि यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो वह चरणबद्ध तरीके से वृद्धाश्रम स्थापित कर सकती और उसका रख–रखाव भी कर सकती है, जितना कि आवश्यक हो, और इसकी शुरुरवात प्रत्येक जिले में कम से कम और इस वृद्धाश्रम में न्यूनतम 150 वरिष्ठ नागरिकों को समायोजित कर सकती है। यह अनुशंसा की जाती है कि अधिनियम, 2007 में "हो सकता है" शब्द को "होना चाहिए" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि शब्द "हो सकता है" राज्य सरकारों को यह कहने का अवसर प्रदान करता है कि उनके पास वृद्धाश्रम बनाने के लिए पैसे नहीं है।

- इसके अलावा, हर जिले में 150 लोगों की क्षमता वाले वृद्धाश्रम के निर्माण के बजाय, वृद्धाश्रम में लोगों की संख्या को कम कर इसे लगभग 50–60 लोगों तक सीमित कर, इसका निर्माण हर जिले में किया जा सकता है।

- वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए सरकार के तरफ से खर्च की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इस संबंध में सरकार के प्रयास को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों का उपयोग पूरक के रूप में किया जा सकता है।

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के अलावा एक अलग संस्थान की स्थापना की आवश्यकता है जहां बढ़ती उम्र के अन्य पहलुओं अर्थात वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर ध्यान दिया जा सकता है। इस प्रकार के संस्थान को 'स्कूल/ इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोन्टोलॉजी' कहा जा सकता है।

- कोर ग्रुप के सदस्यों के सुझाव के अनुसार, एन.एच.आर.सी. अन्य सभी हितधारकों जैसे नालसा, पंचायती राज मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य मानव अधिकार आयोग, एन.जी.ओ./ सिविल सोसायटी संगठनों, एसोचैम, फिक्की, सीआईआई आदि के प्रतिनिधियों को को आमंत्रित करते हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर सकता है।

19.26 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कोर ग्रुप की इन सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

झ. दिव्यांगता पर एन.एच.आर.सी. कोर ग्रुप की बैठक

19.27 15 फरवरी, 2018 को श्री एस.सी. सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई।

19.28 दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विचार किये गए प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम, 2016 की धारा 3 (3) में उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि अधिरोपित अधिनियम चूक वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है। चूंकि उपर्युक्त अधिनियम 'वैध उद्देश्य' शब्द के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह अधिकारियों को दिव्यांगता विषय के सम्बन्ध में भेदभाव करने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करेगा। यह सुझाव दिया गया कि सरकार द्वारा नियमों का निर्धारण करते समय इस विषय का ध्यान रखा जाए।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (1) राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जाति और जन्म के स्थान पर नागरिकों के साथ होने वाले भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है जबकि अनुच्छेद 15 के खंड (3) में यह प्रावधान है कि इस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान लागू करने के लिए राज्य को स्वंत्रता प्रदान करता है। यह अनुशंसा की जाती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (1) और (3) में दिव्यांगता को जोड़ा जाना चाहिए।

- आरपीडी अधिनियम की धारा 74 के तहत मुख्य आयुक्त के कार्यालय की संरचना के सम्बन्ध में यह प्रावधान करता है कि उपर्युक्त कार्यालय के लिए तीन व्यक्तियों (1 मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त) में से केवल एक दिव्यांग व्यक्ति होगा। यह सुझाव दिया गया है कि अधिनियम की धारा 74 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दो व्यक्तियों अर्थात या तो एक मुख्य आयुक्त और एक आयुक्त या 'दो आयुक्तों' के लिए प्रावधान होना चाहिए। तदनुसार, सरकार आरपीडी अधिनियम की धारा 98 के तहत के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की {1996 की 1} धारा 32 के प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में, दिव्यांग व्यक्तियों के पदों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यह सिफारिश की जाती है कि केंद्रीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदों की पहचान हेतु समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और यदि कोई राज्य सरकार इस कार्य को स्वतंत्र रूप करने की इच्छा रखती है, तो उसे अपनी समिति का गठन करना चाहिए। समिति को हर तीन महीने में पदों के वितरण की समीक्षा भी करनी चाहिए।

- भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 (2000 में यथासंशोधित) और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है।

- कुष्ठ रोगियों, विशेष रूप से स्थानिक जिलों के लिए अस्पताल में बिस्तर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्थानिक जिलों में कुष्ठ रोगियों के लिए भी अस्पताल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्रालयों ने इन सिफारिशों की जांच करने और इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।

ञ. मानसिक स्वास्थ्य पर एन.एच.आर.सी. के कोर ग्रुप की बैठक

19.29 दिनांक 1 सितंबर, 2017 को श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई।

- **जागरूकता:** मानसिक स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने और शिक्षित करने और मानसिक बीमारी से जुड़े दुष्प्रचार को कम करने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर, आशा कार्यकर्ता, जो पहले से ही अन्य सामाजिक कार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित हैं, का उपयोग मानसिक बीमारी और इसके उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा सकता है।

- **पीएचसी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता:** मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बढ़ते बोझ और इन बीमारियों से जुड़े दुष्प्रचार की प्रवृत्ति जारी है, और इसके परिणामस्वरूप लोगों को आवश्यक उपचार प्राप्त नहीं हो पाता है। यह सुझाव दिया गया कि मौजूदा पीएचसी प्रणालियों को समुदाय के लिए आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए और इस प्रकार इस दूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचना चाहिए।

- **अधिनियम के तहत नियम तैयार करने वाली विशेषज्ञों की समिति में आयुष को शामिल करना:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत नियमों और विनियमों को तैयार करने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के विशेषज्ञों के साथ एक समिति का गठन किया गया। यह सुझाव दिया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत नियम तैयार करने के लिए गठित समिति में आयुष को शामिल करने के लिए कहा जाना चाहिए।

- **मानसिक रूप से बीमार लोगों को स्वास्थ्य बीमा:** बीमा कंपनियां मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 की धारा 21 (4) के अनुसार, मानसिक रूप से बीमार रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं करती है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी बीमाकर्ता को शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए उपलब्ध सुविधा के अनुसार ही मानसिक बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा बीमा का प्रावधान करें। यह सुझाव दिया जाता है कि बीमा और नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) को अपने बीमा कवर की पहुंच बढ़ाने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर के तहत मानसिक बीमारी के समावेशन को सुनिश्चित करें। यह बीमा मुख्य रूप से गरीबों की मदद करेगा।

ट व्यवसाय और मानव अधिकार

19.30 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने दिनांक 12 जनवरी, 2018 को व्यवसाय और मानव अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। व्यवसाय और मानव अधिकार विषय पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन से प्राप्त प्रमुख सिफारिश निम्नानुसार हैं:

- संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप, व्यापार उद्यमों द्वारा मानव अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण हेतु, सभी संबंधित मंत्रालयों और व्यापार और मानव अधिकारों पर हितधारकों को शामिल कर **व्यापार और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना** को राज्यों की जिम्मेदारी के रूप में विकसित करना।
- उन सभी श्रमिकों के मानव अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए **एक स्व नियमन तंत्र** विकसित करना है जो उनके संचालन, उत्पादों और सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य दलों के साथ उनके व्यापारिक संबंधों, अर्थात अपने आपूर्ति श्रृंखला के रूप में श्रमिक से सम्बन्धित हैं।
- एन.एच.आर.सी. भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद/ बेंगलुरु के सहयोग से एक अल्पकालिक अनुसंधान अध्ययन/ परियोजना का आयोजन कर सकती है। एन.एच.आर.सी. दीर्घावधि के रूप में इस विषय को स्थायी आधार पर कार्यान्वयन हेतु, व्यापार और मानव अधिकारों पर आईआईएम, बेंगलुरु में एक अध्यक्ष/ कार्यकारी समूह की स्थापना के विषय में भी विचार कर सकता है।
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक **मान्यता/ रेटिंग तंत्र** विकसित कर उन्हें उस डिग्री के अनुसार मान्यता देना, जो मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशीलता मानदंडों को पूर्ण करते हो।
- भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के 'राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों' से 'स्वैच्छिक' शब्द हटाना।
- कंपनियों को **स्व–मूल्यांकन उपकरण** को अपनाने/उपयोग करने की आवश्यकता है जिसे उद्योग संघों/ संगठनों के प्रतिनिधियों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुविधा प्रदान की गई है, ताकि मानव अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का मूल्यांकन किया जा सके, और आगे के लिए आवश्यक अंतरालों की पहचान की जा सके।

अनुलग्नक

अनुलग्नक– 1

पैरा 2.38

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौतों/बलात्कार के संबंध में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	कुल योग
			पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत/बलात्कार	अर्द्ध सैनिक बलों/रक्षा की हिरासत में मौत/बलात्कार		
संपूर्ण भारत	562	3	0	0	0	0	565
आंध्र प्रदेश	1082	0	2	36	0	1	1121
अरुणाचल प्रदेश	32	1	3	3	0	5	44
असम	232	1	11	29	1	18	292
बिहार	3403	3	7	109	0	0	3522
गोवा	45	1	0	0	0	0	46
गुजरात	1476	0	14	50	0	0	1540
हरियाणा	2962	2	7	46	0	4	3021
हिमाचल प्रदेश	159	0	2	6	0	0	167
जम्मू एवं कश्मीर	189	0	0	4	0	1	194
कर्नाटक	864	2	4	11	0	2	883
केरल	578	1	3	38	0	0	620
मध्य प्रदेश	2574	7	7	114	0	1	2703
महाराष्ट्र	2069	7	19	125	0	10	2230
मणिपुर	35	0	1	1	0	3	40
मेघालय	28	0	2	2	0	4	36
मिजोरम	12	0	1	2	0	0	15
नागालैण्ड	19	0	0	2	0	0	21
ओडिशा	4909	3	4	54	0	7	4977
पंजाब	839	2	10	127	0	1	979
राजस्थान	3182	5	3	91	0	4	3285
सिक्किम	5	0	0	2	0	0	7
तमिलनाडु	1976	3	11	72	0	2	2064
त्रिपुरा	45	0	1	5	0	0	51
उत्तर प्रदेश	38196	17	12	390	0	44	38659
पश्चिम बंगाल	1563	0	5	138	0	4	1710
अंडमान निकोबार	35	0	0	0	0	0	35
चण्डीगढ	117	0	0	2	0	0	119
दादरा एवं नगर हवेली	15	0	0	0	0	0	15
दमन एवं दीव	17	0	0	0	0	0	17
दिल्ली	5771	8	7	42	0	1	5829
लक्षद्वीप	4	0	0	0	0	0	4
पुद्दुचेरी	102	0	0	0	0	0	102
छत्तीसगढ़	520	4	3	54	0	40	621
झारखण्ड	1531	3	6	50	0	10	1600
उत्तराखण्ड	1466	0	0	17	0	1	1484
तेलंगाना	746	1	3	14	0	1	765
विदेश	229	0	0	0	0	0	229
कुल योग	77589	74	148	1636	1	164	79612

अनुलग्नक– 2

पैरा 2.40–2.42

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्यवार निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भ में खारिज	निर्देश सहित निपटान	राज्य मानव अधिकार आयोग को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्ति के बाद समाप्त			योग
				शिकायतें/स्वतः संज्ञान के मामले	हिरासतीय मौतें/बलात्कार	मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	
संपूर्ण भारत	506	60	0	11	0	0	577
आंध्र प्रदेश	488	260	266	162	52	1	1229
अरुणाचल प्रदेश	9	11	1	9	3	7	40
असम	100	50	41	64	43	57	355
बिहार	1286	450	1207	619	143	0	3705
गोवा	22	12	6	9	3	0	52
गुजरात	653	274	404	223	96	0	1650
हरियाणा	1105	526	870	654	71	0	3226
हिमाचल प्रदेश	68	47	19	56	6	0	196
जम्मू एवं कश्मीर	100	38	38	55	7	1	239
कर्नाटक	442	174	207	93	17	3	936
केरल	302	105	139	125	41	0	712
मध्य प्रदेश	1188	408	729	391	159	2	2877
महाराष्ट्र	917	415	543	267	164	6	2312
मणिपुर	6	14	2	38	1	12	73
मेघालय	11	10	0	23	9	16	69
मिजोरम	2	4	0	5	6	0	17
नागालैण्ड	4	6	0	8	6	0	24
ओडिशा	1318	1872	1394	757	70	11	5422
पंजाब	348	158	210	200	174	4	1094
राजस्थान	1219	450	873	764	103	1	3410
सिक्किम	1	2	0	3	1	0	7
तमिलनाडु	954	409	453	289	90	3	2198
त्रिपुरा	17	11	2	28	10	1	69
उत्तर प्रदेश	16207	6595	12643	6396	464	18	42323
पश्चिम बंगाल	751	276	388	228	135	3	1781
अंडमान निकोबार	18	13	0	7	2	0	40
चण्डीगढ़	58	41	2	31	6	0	138
दादरा एवं नगर हवेली	3	5	0	1	0	0	9
दमन एवं दीव	7	8	0	4	0	0	19
दिल्ली	3142	1835	5	1144	46	1	6173
लक्षद्वीप	0	3	0	3	0	0	6
पुद्दुचेरी	48	39	0	25	2	0	114
छत्तीसगढ़	260	69	132	254	70	16	801
झारखण्ड	568	249	460	287	75	8	1647
उत्तराखण्ड	645	223	475	192	29	1	1565
तेलंगाना	359	167	143	97	47	4	817
विदेश	158	75	0	32	0	0	265
कुल योग	33290	15364	21652	13554	2151	176	86187

अनुलग्नक– 3

पैरा 2.44

वर्षा 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों के लम्बित मामलों का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भिक विचारण हेतु लंबित मामले				वे लम्बित मामले जिनकी प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है या फिर रिपोर्ट की प्रतीक्षा है				कुल योग
	शिकायतें/स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत/बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	शिकायतें/स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत/बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	
संपूर्ण भारत	19	0	0	19	18	0	0	18	37
आंध्र प्रदेश	37	1	0	38	277	108	11	396	434
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	34	22	14	70	70
असम	4	4	0	8	138	66	202	406	414
बिहार	125	6	0	131	1101	297	16	1414	1545
गोवा	2	0	0	2	10	0	0	10	12
गुजरात	112	6	0	118	382	72	2	456	574
हरियाणा	78	1	0	79	1047	117	15	1179	1258
हिमाचल प्रदेश	11	0	0	11	72	10	0	82	93
जम्मू एवं कश्मीर	4	0	0	4	88	3	0	91	95
कर्नाटक	23	0	0	23	194	11	3	208	231
केरल	16	5	0	21	165	87	0	252	273
मध्य प्रदेश	81	5	0	86	685	91	12	788	874
महाराष्ट्र	98	7	0	105	508	201	31	740	845
मणिपुर	0	0	0	0	88	5	30	123	123
मेघालय	0	0	0	0	31	10	42	83	83
मिजोरम	0	1	0	1	13	9	0	22	23
नागालैण्ड	0	0	0	0	15	6	0	21	21
ओडिशा	196	0	0	196	1224	74	16	1314	1510
पंजाब	33	3	0	36	445	181	2	628	664
राजस्थान	104	5	0	109	1114	184	4	1302	1411
सिक्किम	0	0	0	0	5	2	0	7	7
तमिलनाडु	66	4	0	70	438	76	2	516	586
त्रिपुरा	0	0	0	0	38	14	1	53	53
उत्तर प्रदेश	758	27	3	788	7606	966	78	8650	9438
पश्चिम बंगाल	36	7	1	44	517	280	30	827	871
अंडमान निकोबार	1	0	0	1	14	2	0	16	17
चण्डीगढ़	1	0	0	1	38	4	0	42	43
दादरा एवं नगर हवेली	7	0	0	7	2	1	0	3	10
दमन एवं दीव	2	0	0	2	4	0	0	4	6
दिल्ली	143	1	0	144	1755	111	11	1877	2021
लक्षद्वीप	0	0	0	0	5	0	0	5	5
पुद्दुचेरी	3	0	0	3	49	1	0	50	53
छत्तीसगढ़	19	2	3	24	188	120	175	483	507
झारखण्ड	55	2	0	57	626	158	52	836	893
उत्तराखण्ड	43	0	0	43	199	34	2	235	278
तेलंगाना	33	1	0	34	251	83	4	338	372
विदेश	7	0	0	7	18	0	0	18	25
कुल योग	2117	88	7	2212	19402	3406	755	23563	25775

अनुलग्नक– 4

पैरा 2.46

वर्षा 2017–18 के दौरान वित्तीय राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या
(दिनांक 20.08.2018 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुतियां की गई	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुति का अनुपालन हुआ	भुगतान की गई राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामलों की संख्या	अनुपालन हेतु लम्बित मामलों में संस्तुत राशि
संपूर्ण भारत	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	19	5150000	2	1800000	17	3350000
अरुणाचल प्रदेश	3	450000	0	0	3	450000
असम	11	23650000	5	21200000	6	2450000
बिहार	47	10580000	7	1150000	40	9430000
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	26	33525000	13	2775000	13	30750000
हरियाणा	32	10300000	10	1500000	22	8800000
हिमाचल प्रदेश	2	110000	0	0	2	110000
जम्मू एवं कश्मीर	1	500000	0	0	1	500000
कर्नाटक	5	1700000	0	0	5	1700000
केरल	5	4500000	2	3900000	3	600000
मध्य प्रदेश	29	6815000	9	1105000	20	5710000
महाराष्ट्र	39	11910000	14	3525000	25	8385000
मणिपुर	14	7550000	1	500000	13	7050000
मेघालय	4	500000	1	100000	3	400000
मिजोरम	2	125000	1	25000	1	100000
नागालैण्ड	3	450000	1	100000	2	350000
ओडिशा	59	11710000	10	3050000	49	8660000
पंजाब	18	2925000	5	1100000	13	1825000
राजस्थान	46	6435000	9	755000	37	5680000
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	12	3100000	3	1300000	9	1800000
त्रिपुरा	4	3500000	2	3100000	2	400000
उत्तर प्रदेश	241	32520000	29	4510000	212	28010000
पश्चिम बंगाल	23	7725000	2	400000	21	7325000
अंडमान निकोबार	2	700000	1	500000	1	200000
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	49	8100000	15	2230000	34	5870000
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पुद्दुचेरी	1	500000	1	500000	0	0
छत्तीसगढ़	17	4700000	6	1050000	11	3650000
झारखण्ड	24	16650000	0	0	24	16650000
उत्तराखण्ड	4	1900000	1	100000	3	1800000
तेलंगाना	15	8700000	1	500000	14	8200000
विदेश	0	0	0	0	0	0
कुल योग	757	226980000	151	56775000	606	170205000

अनुलग्नक– 5 पैरा 2.47

वर्ष 2017–18 के दौरान वित्तीय राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या (दिनांक 20.08.2018 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	अंडमान निकोबार	15/26/0/2016	106	यौन उत्पीड़न	200000	3/23/2018
2	आंध्र प्रदेश	1084/1/10/2015	100	बच्चे	500000	11/7/2017
3	आंध्र प्रदेश	1085/1/10/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	150000	12/16/2017
4	आंध्र प्रदेश	1086/1/24/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/6/2017
5	आंध्र प्रदेश	1095/1/21/2011-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	4/5/2017
6	आंध्र प्रदेश	1160/1/15/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/8/2017
7	आंध्र प्रदेश	1183/1/4/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/18/2017
8	आंध्र प्रदेश	1234/1/19/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/4/2017
9	आंध्र प्रदेश	144/1/15/2015	1900	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.	100000	6/13/2017
10	आंध्र प्रदेश	146/1/24/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	8/22/2017
11	आंध्र प्रदेश	197/1/6/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	1/31/2018
12	आंध्र प्रदेश	225/1/19/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	4/19/2017
13	आंध्र प्रदेश	556/1/4/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/21/2017
14	आंध्र प्रदेश	591/1/24/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/30/2017
15	आंध्र प्रदेश	701/1/21/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	7/11/2017
16	आंध्र प्रदेश	746/1/11/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	8/3/2017
17	आंध्र प्रदेश	81/1/10/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	1/16/2018
18	आंध्र प्रदेश	897/1/2/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	9/6/2017
19	अरुणाचल प्रदेश	168/2/0/2014-जे.सी.आर.	302	हिरासत में बलात्कार (न्यायिक)	300000	11/23/2017
20	अरुणाचल प्रदेश	18/2/4/2012	809	हिरासतीय उत्पीड़न	50000	11/22/2017
21	अरुणाचल प्रदेश	20/2/13/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/22/2017
22	असम	212/3/1/2011-ed	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	100000	11/13/2017
23	असम	239/3/9/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12/20/2017
24	असम	380/3/0/2012-ए.एफ.	1610	सैन्य मुठभेड़ में मौत	500000	10/4/2017
25	असम	422/3/5/2014-ed	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	12/20/2017
26	असम	43/3/5/2014	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	450000	11/15/2017
27	असम	601/3/11/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/13/2017
28	असम	1302/4/32/2013-डब्ल्यू.सी.	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	100000	2/5/2018
29	असम	1481/4/3/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	10/17/2017

30	बिहार	1521/4/8/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/3/2017
31	बिहार	1856/4/34/2013-ए.आर.	317	न्यायिक हिरासत में कथित बलात्कार	300000	11/22/2017
32	बिहार	1902/4/9/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/21/2017
33	बिहार	1939/4/23/2015	1202	पेंशन/हर्जाने का भुगतान न करना	25000	10/16/2017
34	बिहार	2024/4/26/2013-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	6/14/2017
35	बिहार	2056/4/23/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/1/2017
36	बिहार	2082/4/22/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	5/15/2017
37	बिहार	2086/4/1/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/29/2017
38	बिहार	2126/4/7/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	10/12/2017
39	बिहार	2236/4/22/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/11/2017
40	बिहार	2334/4/4/2011	819	पुलिस द्वारा प्रेरित घटनाएं	200000	9/1/2017
41	बिहार	2337/4/18/2015-जे.सी.आर.	317	न्यायिक हिरासत में कथित बलात्कार	50000	12/19/2017
42	बिहार	2347/4/22/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	8/31/2017
43	बिहार	2355/4/39/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/4/2017
44	बिहार	2569/4/6/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/3/2017
45	बिहार	2838/4/10/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12/20/2017
46	बिहार	2879/4/0/08-09-पी.एफ.	1709	गोलीबारी में मौत	500000	4/19/2017
47	बिहार	3083/4/10/2016	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	900000	3/1/2018
48	बिहार	3111/4/13/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/10/2018
49	बिहार	3717/4/16/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	7/28/2017
50	बिहार	385/4/11/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	10000	8/22/2017
51	बिहार	396/4/14/2011-ए.एफ.ई.	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	5/3/2017
52	बिहार	3964/4/26/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/22/2017
53	बिहार	3966/4/39/2013-ए.डी.	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय हत्या	100000	12/22/2017
54	बिहार	4007/4/32/2016-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	1/23/2018
55	बिहार	403/4/7/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/30/2017
56	बिहार	4061/4/26/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/29/2017
57	बिहार	4087/4/26/2013-डब्ल्यू.सी.	1306	महिलाओं का शोषण	400000	4/13/2017
58	बिहार	4112/4/8/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/14/2017
59	बिहार	4197/4/35/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	40000	12/15/2017
60	बिहार	4244/4/2005-2006	813	कथित फर्जी मुठभेड़	1500000	1/10/2018
61	बिहार	4689/4/24/2014	815	गलत मामले में फंसाना	30000	3/19/2018
62	बिहार	535/4/8/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/29/2017
63	बिहार	537/4/8/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	7/4/2017
64	बिहार	786/4/1/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/29/2017
65	बिहार	83/4/8/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	7/26/2017
66	बिहार	87/4/26/2014-डब्ल्यू.सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	200000	4/7/2017
67	बिहार	902/4/37/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	11/13/2017
68	छत्तीसगढ	212/33/17/2013-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12/13/2017

69	छत्तीसगढ	323/33/5/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/15/2017
70	छत्तीसगढ	368/33/0/2010	821	प्रताड़ित करना	1000000	11/2/2017
71	छत्तीसगढ	404/33/3/2011-पी.एफ.	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	500000	2/8/2018
72	छत्तीसगढ	406/33/3/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/11/2017
73	छत्तीसगढ	640/33/17/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	150000	12/16/2017
74	छत्तीसगढ	677/33/8/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/12/2017
75	छत्तीसगढ	678/33/14/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/12/2017
76	छत्तीसगढ	692/33/11/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/23/2017
77	छत्तीसगढ	699/33/5/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/13/2017
78	छत्तीसगढ	776/33/18/2013-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	11/22/2017
79	दिल्ली	1214/30/7/2014-डब्ल्यू.सी.	803	अपहरण/बलात्कार	100000	11/8/2017
80	दिल्ली	1820/30/8/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	400000	11/1/2017
81	दिल्ली	1963/30/5/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	6/19/2017
82	दिल्ली	1968/30/7/2016	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	10/3/2017
83	दिल्ली	2004/30/5/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	1/3/2018
84	दिल्ली	2274/30/9/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/13/2017
85	दिल्ली	2321/30/9/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/15/2017
86	दिल्ली	2418/30/2/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	7/31/2017
87	दिल्ली	2418/30/7/2010-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	5/3/2017
88	दिल्ली	2588/30/7/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	12/21/2017
89	दिल्ली	2634/30/9/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	1/29/2018
90	दिल्ली	2725/30/0/2017	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	200000	3/15/2018
91	दिल्ली	3155/30/9/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/4/2017
92	दिल्ली	3322/30/7/2016	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	6/27/2017
93	दिल्ली	3358/30/10/2013-डब्ल्यू.सी.	1309	महिलाओं का अपमान	20000	7/3/2017
94	दिल्ली	3434/30/2/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	10/30/2017
95	दिल्ली	3595/30/9/2015	307	जेल में अनियमितताएं	100000	1/31/2018
96	दिल्ली	383/30/3/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	2/1/2018
97	दिल्ली	3849/30/9/2016-ए.आर.	823	पुलिस अभिरक्षा में कथित बलात्कार	50000	9/18/2017
98	दिल्ली	3897/30/10/2016	106	यौन उत्पीड़न	600000	10/23/2017
99	दिल्ली	4375/30/8/2015	100	बच्चे	100000	3/23/2018
100	दिल्ली	4533/30/9/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	2/21/2018
101	दिल्ली	4582/30/0/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	200000	10/13/2017
102	दिल्ली	5039/30/5/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	7/25/2017
103	दिल्ली	5077/30/10/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	1/31/2018
104	दिल्ली	5324/30/9/2011-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	150000	12/16/2017

105	दिल्ली	5640/30/8/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	50000	6/22/2017
106	दिल्ली	5659/30/2/2012	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	200000	6/15/2017
107	दिल्ली	5665/30/9/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	6/27/2017
108	दिल्ली	5728/30/9/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/4/2017
109	दिल्ली	6641/30/9/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	12/11/2017
110	दिल्ली	6714/30/8/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	9/15/2017
111	दिल्ली	81/30/9/2016-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	3/27/2018
112	दिल्ली	8194/30/5/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	1/30/2018
113	गुजरात	1012/6/9/2011	202	जन स्वास्थ्य जोखिम	2000000	3/15/2018
114	गुजरात	1082/6/9/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/8/2017
115	गुजरात	1189/6/11/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/16/2017
116	गुजरात	1244/6/18/2012-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	1/22/2018
117	गुजरात	1463/6/5/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	3/14/2018
118	गुजरात	225/6/21/2017	809	हिरासतीय उत्पीड़न	200000	2/7/2018
119	गुजरात	2384/6/1/08-09-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	3/14/2018
120	गुजरात	334/6/9/2010	902	पर्यावरण प्रदूषण	8400000	3/15/2018
121	गुजरात	351/6/3/2010	202	जन स्वास्थ्य जोखिम	18300000	12/21/2017
122	गुजरात	458/6/25/09-10-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	9/6/2017
123	गुजरात	802/6/23/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/13/2017
124	गुजरात	942/6/23/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	50000	4/4/2017
125	गुजरात	945/6/9/2011-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	1/31/2018
126	हरियाणा	11046/7/5/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	4/10/2017
127	हरियाणा	1164/7/2/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/23/2018
128	हरियाणा	1450/7/8/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	5/22/2017
129	हरियाणा	161/7/10/2016	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	575000	1/5/2018
130	हरियाणा	2000/7/6/2012	816	अवैध हिरासत	50000	12/15/2017
131	हरियाणा	2282/7/3/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	200000	10/17/2017
132	हरियाणा	3572/7/3/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/29/2017
133	हरियाणा	3586/7/18/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	2/5/2018
134	हरियाणा	3671/7/19/2013	815	गलत मामले में फंसाना	50000	8/23/2017
135	हरियाणा	5/7/21/2015	106	यौन उत्पीड़न	25000	1/8/2018
136	हरियाणा	5140/7/3/2014-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100000	2/1/2018
137	हरियाणा	5565/7/21/2012-डब्ल्यू.सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	50000	8/3/2017
138	हरियाणा	5632/7/10/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	3/14/2018
139	हरियाणा	6177/7/10/2013-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100000	7/31/2017
140	हरियाणा	622/7/3/2013	817	अवैध नज़रबंदी	50000	11/15/2017
141	हरियाणा	6432/7/3/2014	817	अवैध नज़रबंदी	25000	10/3/2017
142	हरियाणा	7030/7/3/2015-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5000000	10/25/2017

143	हरियाणा	7158/7/17/2015-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	10/25/2017
144	हरियाणा	7343/7/5/2015-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	7/3/2017
145	हरियाणा	7636/7/2/2012-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	5/4/2017
146	हरियाणा	8431/7/5/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	5/4/2017
147	हरियाणा	8643/7/19/2015-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	9/13/2017
148	हिमाचल प्रदेश	156/8/6/2016-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/2/2017
149	हिमाचल प्रदेश	167/8/12/2016	815	गलत मामले में फंसाना	10000	2/27/2018
150	जम्मू एवं कश्मीर	70/9/8/2010-ए.एफ.	1611	कथित फर्जी मुठभेड़ (रक्षा)	500000	6/28/2017
151	झारखण्ड	1013/34/6/07-08	202	जन स्वास्थ्य जोखिम	11600000	3/1/2018
152	झारखण्ड	1184/34/7/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	8/3/2017
153	झारखण्ड	119/34/16/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	6/28/2017
154	झारखण्ड	1222/34/1/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	900000	10/10/2017
155	झारखण्ड	1243/34/6/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	5/30/2017
156	झारखण्ड	1258/34/18/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/16/2017
157	झारखण्ड	1384/34/4/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/23/2017
158	झारखण्ड	141/34/16/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/13/2017
159	झारखण्ड	1504/34/6/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/13/2017
160	झारखण्ड	1545/34/9/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	6/29/2017
161	झारखण्ड	1578/34/11/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	1/3/2018
162	झारखण्ड	1626/34/16/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/13/2017
163	झारखण्ड	1667/34/15/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	2/7/2018
164	झारखण्ड	1743/34/16/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	7/4/2017
165	झारखण्ड	239/34/3/2012-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	12/13/2017
166	झारखण्ड	248/34/12/09-10	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	300000	1/31/2018
167	झारखण्ड	276/34/21/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/20/2018
168	झारखण्ड	530/34/12/2015	104	बच्चों का उत्पीड़न	50000	1/3/2018
169	झारखण्ड	739/34/7/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/1/2017
170	झारखण्ड	8/34/17/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	9/12/2017
171	झारखण्ड	80/34/4/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/4/2017
172	झारखण्ड	81/34/12/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	50000	12/14/2017
173	झारखण्ड	865/34/4/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	50000	9/14/2017
174	झारखण्ड	898/34/16/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	7/17/2017
175	कर्नाटक	1032/10/22/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/23/2018
176	कर्नाटक	122/10/2/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	6/1/2017

177	कर्नाटक	418/10/1/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	1000000	11/15/2017
178	कर्नाटक	538/10/14/2013-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	200000	12/15/2017
179	कर्नाटक	926/10/2/2014	1604	शक्ति का दुरुपयोग	300000	1/25/2018
180	केरल	268/11/0/2012-ad	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	200000	2/27/2018
181	केरल	281/11/8/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/4/2017
182	केरल	879/11/13/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	1/24/2018
183	मध्य प्रदेश	1211/12/2/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	12/1/2017
184	मध्य प्रदेश	1443/12/36/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	7/6/2017
185	मध्य प्रदेश	1495/12/30/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	11/23/2017
186	मध्य प्रदेश	1558/12/44/2016	804	शक्ति का दुरुपयोग	200000	2/8/2018
187	मध्य प्रदेश	1650/12/29/2013	100	बच्चे	150000	12/15/2017
188	मध्य प्रदेश	1678/12/12/2012-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	3/14/2018
189	मध्य प्रदेश	1877/12/36/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	5/15/2017
190	मध्य प्रदेश	2194/12/20/2013-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	400000	12/19/2017
191	मध्य प्रदेश	2235/12/15/2015	817	अवैध नज़रबंदी	10000	11/15/2017
192	मध्य प्रदेश	231/12/23/2010	202	जन स्वास्थ्य जोखिम	400000	4/3/2017
193	मध्य प्रदेश	2330/12/21/2014-डब्ल्यू.सी.	1309	महिलाओं का अपमान	50000	11/22/2017
194	मध्य प्रदेश	2590/12/21/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/29/2017
195	मध्य प्रदेश	2695/12/45/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/28/2017
196	मध्य प्रदेश	271/12/35/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	8/28/2017
197	मध्य प्रदेश	2808/12/21/2014	1202	पेशन/हर्जाने का भुगतान न करना	200000	12/16/2017
198	मध्य प्रदेश	2995/12/5/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	1/31/2018
199	मध्य प्रदेश	60/12/18/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	7/26/2017
200	मध्य प्रदेश	730/12/18/2012	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	50000	12/7/2017
201	मध्य प्रदेश	884/12/22/2012	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	1800000	11/9/2017
202	मध्य प्रदेश	972/12/46/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	500000	11/29/2017
203	महाराष्ट्र	1013/13/17/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/15/2017
204	महाराष्ट्र	1046/13/27/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/25/2017
205	महाराष्ट्र	1074/13/16/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	11/29/2017

206	महाराष्ट्र	1155/13/30/08-09-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	2/7/2018
207	महाराष्ट्र	1397/13/13/2013	821	प्रताड़ित करना	10000	7/27/2017
208	महाराष्ट्र	1424/13/16/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	10/30/2017
209	महाराष्ट्र	1569/13/30/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	11/16/2017
210	महाराष्ट्र	176/13/16/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	6/12/2017
211	महाराष्ट्र	1992/13/5/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	2/7/2018
212	महाराष्ट्र	2417/13/30/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/31/2018
213	महाराष्ट्र	2495/13/1/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	8/21/2017
214	महाराष्ट्र	2560/13/31/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/22/2017
215	महाराष्ट्र	2590/13/23/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	8/21/2017
216	महाराष्ट्र	2661/13/23/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/15/2017
217	महाराष्ट्र	2664/13/4/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	8/3/2017
218	महाराष्ट्र	2706/13/30/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/4/2017
219	महाराष्ट्र	2749/13/4/2015	806	अनु. जाति/अनु. ज. जा. पर अत्याचार (पुलिस द्वारा)	25000	8/23/2017
220	महाराष्ट्र	2862/13/12/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	7/25/2017
221	महाराष्ट्र	2866/13/30/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/11/2017
222	महाराष्ट्र	301/13/14/2011-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	50000	8/3/2017
223	महाराष्ट्र	324/13/16/2016-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	10/25/2017
224	महाराष्ट्र	388/13/19/2016	1508	केन्द्र एवं राज्य सरकार के कस्टम/एक्साइज़/प्रवर्तन/वन/आयकर विभाग इत्यादि द्वारा नृशंस्तता	50000	1/23/2018
225	महाराष्ट्र	39/13/28/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12/14/2017
226	महाराष्ट्र	823/13/11/2014-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	3000000	8/17/2017
227	महाराष्ट्र	967/13/16/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	900000	1/31/2018
228	मणिपुर	108/14/14/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/13/2017
229	मणिपुर	11/14/4/07-08-पी.एफ.	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	1500000	1/31/2018
230	मणिपुर	117/14/15/2012-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	8/23/2017
231	मणिपुर	124/14/15/2011-ए.डी.	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	5/4/2017
232	मणिपुर	137/14/10/2012-ए.डी.	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	3/14/2018
233	मणिपुर	15/14/4/07-08-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	8/30/2017
234	मणिपुर	23/14/12/2014-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	10/11/2017
235	मणिपुर	3/14/4/2011-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	550000	3/12/2018
236	मणिपुर	31/14/12/2010-पी.एफ.	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	500000	4/26/2017
237	मणिपुर	40/14/4/08-09-एफ.ई.	813	कथित फर्जी मुठभेड़	1000000	8/23/2017

238	मणिपुर	40/14/6/2016-ए.डी.	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय हत्या	100000	2/12/2018
239	मणिपुर	46/14/4/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	1/31/2018
240	मणिपुर	54/14/1/2012-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	10/11/2017
241	मेघालय	2/15/0/2016-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/25/2017
242	मेघालय	37/15/2/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	3/14/2018
243	मेघालय	53/15/5/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	3/8/2018
244	मिजोरम	4/16/4/2016-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/5/2017
245	नागालैण्ड	14/17/2/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	9/6/2017
246	नागालैण्ड	36/17/1/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/29/2017
247	ओडिशा	1009/18/8/2015	205	राज्य में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव	200000	6/19/2017
248	ओडिशा	1042/18/16/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	25000	8/4/2017
249	ओडिशा	11016/18/8/2015-पी.एफ.	1704	शक्ति का दुरुपयोग	100000	3/1/2018
250	ओडिशा	1115/18/1/2014	104	बच्चों का उत्पीड़न	70000	7/8/2017
251	ओडिशा	11291/18/3/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	10/10/2017
252	ओडिशा	1209/18/31/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	9/12/2017
253	ओडिशा	1241/18/0/2014-डब्ल्यू.सी.	1306	महिलाओं का शोषण	50000	10/25/2017
254	ओडिशा	1254/18/5/2010	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	3/15/2018
255	ओडिशा	1501/18/8/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	9/18/2017
256	ओडिशा	15534/18/29/2015	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	200000	2/12/2018
257	ओडिशा	15824/18/28/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	6/19/2017
258	ओडिशा	15857/18/18/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	8/3/2017
259	ओडिशा	1762/18/8/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300000	12/11/2017
260	ओडिशा	1799/18/30/2014-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	70000	7/17/2017
261	ओडिशा	2024/18/13/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	12/6/2017
262	ओडिशा	2101/18/29/2015-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	100000	1/23/2018
263	ओडिशा	2124/18/7/2013	106	यौन उत्पीड़न	50000	10/5/2017
264	ओडिशा	2168/18/32/2013	106	यौन उत्पीड़न	100000	12/6/2017
265	ओडिशा	2178/18/1/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	75000	12/15/2017
266	ओडिशा	224/18/7/2014-डब्ल्यू.सी.	1309	महिलाओं का अपमान	25000	12/16/2017

267	ओडिशा	228/18/17/2016	1508	केन्द्र एवं राज्य सरकार के कस्टम/एक्साइज़/प्रवर्तन/वन/आयकर विभाग इत्यादि द्वारा नृशंस्तता	44000	11/20/2017
268	ओडिशा	251/18/12/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	70000	2/8/2018
269	ओडिशा	2526/18/1/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	250000	11/29/2017
270	ओडिशा	2585/18/16/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	10/12/2017
271	ओडिशा	3259/18/6/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	1/31/2018
272	ओडिशा	3454/18/11/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	5/22/2017
273	ओडिशा	3559/18/30/2014	106	यौन उत्पीड़न	50000	7/19/2017
274	ओडिशा	3619/18/31/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	2/26/2018
275	ओडिशा	3620/18/13/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	8/4/2017
276	ओडिशा	3658/18/5/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	7/26/2017
277	ओडिशा	3712/18/16/2013	100	बच्चे	440000	8/4/2017
278	ओडिशा	3726/18/12/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	12/6/2017
279	ओडिशा	3727/18/29/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	161000	11/22/2017
280	ओडिशा	4018/18/11/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	370000	7/1/2017
281	ओडिशा	4037/18/7/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	8/16/2017

282	ओडिशा	4176/18/14/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	200000	7/4/2017
283	ओडिशा	4232/18/27/2014	602	मजदूरों का शोषण	70000	1/13/2018
284	ओडिशा	4724/18/7/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	85000	8/4/2017
285	ओडिशा	4777/18/16/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	1400000	3/12/2018
286	ओडिशा	5685/18/18/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	1/31/2018
287	ओडिशा	5851/18/4/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	11/22/2017
288	ओडिशा	593/18/9/2015	815	गलत मामले में फंसाना	100000	9/18/2017
289	ओडिशा	630/18/26/2015-डब्ल्यू.सी.	1903	अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. का बलात्कार	100000	3/8/2018
290	ओडिशा	632/18/14/2015	100	बच्चे	100000	8/21/2017
291	ओडिशा	735/18/8/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	3/16/2018
292	ओडिशा	8464/18/14/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	105000	1/16/2018
293	ओडिशा	960/18/28/2014	100	बच्चे	100000	4/5/2017
294	ओडिशा	961/18/1/2014	104	बच्चों का उत्पीड़न	50000	7/17/2017
295	ओडिशा	9803/18/13/2015-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	300000	8/16/2017
296	पंजाब	1080/19/3/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/10/2018
297	पंजाब	1413/19/1/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/29/2017
298	पंजाब	1450/19/9/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	7/24/2017
299	पंजाब	1587/19/3/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/20/2017
300	पंजाब	1857/19/15/2013-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	9/12/2017
301	पंजाब	300/19/15/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	11/2/2017
302	पंजाब	330/19/6/2016-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/5/2017
303	पंजाब	357/19/1/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/29/2017
304	पंजाब	583/19/3/2016-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/10/2018
305	पंजाब	827/19/7/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	9/27/2017
306	पंजाब	835/19/9/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	6/28/2017
307	पंजाब	888/19/10/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/15/2017

308	पंजाब	946/19/22/2015		केन्द्र एवं राज्य सरकार के कस्टम/एक्साइज़/प्रवर्तन/वन/आयकर विभाग इत्यादि द्वारा नृशंस्तता	25000	11/23/2017
309	राजस्थान	1004/20/14/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/6/2017
310	राजस्थान	1192/20/30/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	20000	1/10/2018
311	राजस्थान	1285/20/14/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	9/20/2017
312	राजस्थान	141/20/17/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/23/2017
313	राजस्थान	1528/20/14/2016	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	1/16/2018
314	राजस्थान	1532/20/2/2016-डब्ल्यू.सी.	1306	महिलाओं का शोषण	100000	3/27/2018
315	राजस्थान	1630/20/32/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/1/2017
316	राजस्थान	1727/20/26/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	1/23/2018
317	राजस्थान	1754/20/5/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	2/27/2018
318	राजस्थान	1773/20/18/2016	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	1/10/2018
319	राजस्थान	2059/20/28/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	8/21/2017
320	राजस्थान	2064/20/3/2017	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	800000	1/19/2018
321	राजस्थान	2122/20/2/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	150000	9/11/2017
322	राजस्थान	2144/20/16/2014-डब्ल्यू.सी.	1903	अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. का बलात्कार	50000	12/22/2017
323	राजस्थान	2216/20/20/2011-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/29/2017
324	राजस्थान	2288/20/5/2015-डब्ल्यू.सी.	1312	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	25000	2/7/2018
325	राजस्थान	2341/20/25/2014-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	300000	1/19/2018
326	राजस्थान	2497/20/5/2011-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	200000	2/26/2018
327	राजस्थान	2572/20/2/2014	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	500000	5/3/2017
328	राजस्थान	2612/20/29/2015	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	30000	11/13/2017
329	राजस्थान	2655/20/14/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	15000	9/29/2017
330	राजस्थान	2664/20/21/2013-डब्ल्यू.सी.	1903	अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. का बलात्कार	50000	12/15/2017

331	राजस्थान	3038/20/34/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	200000	1/31/2018
332	राजस्थान	306/20/1/2016	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	3/23/2018
333	राजस्थान	3084/20/20/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	1/23/2018
334	राजस्थान	3087/20/14/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	75000	1/16/2018
335	राजस्थान	3162/20/24/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	12/11/2017
336	राजस्थान	333/20/33/2014-ए.डी.	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय हत्या	100000	1/19/2018
337	राजस्थान	339/20/33/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	90000	1/19/2018
338	राजस्थान	411/20/23/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/1/2018
339	राजस्थान	592/20/11/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	10000	3/23/2018
340	राजस्थान	634/20/6/2015-डब्ल्यू.सी.	1309	महिलाओं का अपमान	50000	3/8/2018
341	राजस्थान	731/20/21/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/18/2018
342	राजस्थान	744/20/5/2010	1500	विविध	1065000	7/7/2017
343	राजस्थान	746/20/1/2012-डब्ल्यू.सी.	1312	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	200000	12/16/2017
344	राजस्थान	883/20/19/2015	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	1/10/2018
345	राजस्थान	929/20/2/2014-डब्ल्यू.सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	100000	10/11/2017
346	तमिलनाडु	137/22/36/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	7/24/2017
347	तमिलनाडु	1412/22/16/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	7/7/2017
348	तमिलनाडु	1539/22/13/2011	809	हिरासतीय उत्पीड़न	300000	6/28/2017
349	तमिलनाडु	181/22/13/2015	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	11/2/2017
350	तमिलनाडु	2483/22/9/2012-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	7/26/2017
351	तमिलनाडु	2648/22/13/2012-ए.डी.	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय हत्या	100000	9/7/2017
352	तमिलनाडु	317/22/42/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	11/23/2017
353	तमिलनाडु	598/22/13/2012	1202	पेंशन/हर्जाने का भुगतान न करना	25000	4/20/2017
354	तमिलनाडु	976/22/52/2016	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	10/24/2017
355	तेलंगाना	1046/1/18/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/12/2017
356	तेलंगाना	1060/1/7/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/29/2017
357	तेलंगाना	1157/1/8/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/25/2017

358	तेलंगाना	1186/1/18/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/20/2018
359	तेलंगाना	1232/1/13/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/4/2017
360	तेलंगाना	1330/1/7/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	6/21/2017
361	तेलंगाना	145/1/12/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/11/2017
362	तेलंगाना	156/1/8/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	10/5/2017
363	तेलंगाना	25/36/9/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	3/27/2018
364	तेलंगाना	295/1/7/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	1/10/2018
365	तेलंगाना	511/1/23/2013	305	कैदियों का उत्पीड़न	500000	3/13/2018
366	तेलंगाना	624/1/12/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	10/13/2017
367	तेलंगाना	646/36/2/2016	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	600000	9/13/2017
368	तेलंगाना	682/36/6/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	5400000	9/14/2017
369	त्रिपुरा	19/23/4/2015-पी.एफ.	1701	शक्ति का मनमाना प्रयोग	300000	5/22/2017
370	त्रिपुरा	40/23/4/2016-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	100000	9/11/2017
371	उत्तर प्रदेश	10040/24/7/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/9/2018
372	उत्तर प्रदेश	10048/24/48/2015-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	150000	3/8/2018
373	उत्तर प्रदेश	1031/24/43/2014	815	गलत मामले में फंसाना	50000	1/10/2018
374	उत्तर प्रदेश	10582/24/46/2013-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	50000	8/23/2017
375	उत्तर प्रदेश	1084/24/52/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	300000	2/21/2018
376	उत्तर प्रदेश	10867/24/53/2015-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	100000	9/25/2017
377	उत्तर प्रदेश	10881/24/53/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	11/15/2017
378	उत्तर प्रदेश	11117/24/66/2013	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	6/19/2017
379	उत्तर प्रदेश	11463/24/22/2016	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	50000	12/18/2017
380	उत्तर प्रदेश	11800/24/38/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/3/2017
381	उत्तर प्रदेश	11802/24/20/2014	805	हत्या का प्रयास	300000	1/10/2018
382	उत्तर प्रदेश	12024/24/74/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	8/9/2017
383	उत्तर प्रदेश	12066/24/3/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	6/19/2017
384	उत्तर प्रदेश	12091/24/43/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/11/2017
385	उत्तर प्रदेश	12170/24/3/2012-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	5/19/2017
386	उत्तर प्रदेश	12366/24/40/2013	817	अवैध नज़रबंदी	10000	10/11/2017

387	उत्तर प्रदेश	12435/24/39/2015-डब्ल्यू. सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100000	10/10/2017
388	उत्तर प्रदेश	12978/24/31/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	8/31/2017
389	उत्तर प्रदेश	1310/24/43/2014-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	1/22/2018
390	उत्तर प्रदेश	13180/24/64/2015	821	प्रताड़ित करना	25000	10/31/2017
391	उत्तर प्रदेश	13407/24/1/2013-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/4/2017
392	उत्तर प्रदेश	13555/24/4/2015-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	11/15/2017
393	उत्तर प्रदेश	13954/24/34/2015-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/5/2017
394	उत्तर प्रदेश	14280/24/32/2013-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	40000	12/15/2017
395	उत्तर प्रदेश	1440/24/72/2015-डब्ल्यू. सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25000	3/23/2018
396	उत्तर प्रदेश	14538/24/21/2012	809	हिरासतीय उत्पीड़न	400000	11/17/2017
397	उत्तर प्रदेश	14719/24/34/2014-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/22/2017
398	उत्तर प्रदेश	15100/24/34/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	75000	11/22/2017
399	उत्तर प्रदेश	15122/24/43/2013	817	अवैध नज़रबंदी	10000	10/4/2017
400	उत्तर प्रदेश	15476/24/55/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	10/25/2017
401	उत्तर प्रदेश	1570/24/31/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	2/8/2018
402	उत्तर प्रदेश	16039/24/48/2015-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	3/28/2018
403	उत्तर प्रदेश	16053/24/47/2017	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	200000	1/3/2018
404	उत्तर प्रदेश	1607/24/33/2013	817	अवैध नज़रबंदी	10000	9/19/2017
405	उत्तर प्रदेश	16293/24/55/2012-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	11/16/2017
406	उत्तर प्रदेश	16334/24/57/2015-डब्ल्यू. सी.	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	100000	9/5/2017
407	उत्तर प्रदेश	16593/24/18/2010-ए. एफ.ई.	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	8/10/2017
408	उत्तर प्रदेश	16637/24/14/2015	809	हिरासतीय उत्पीड़न	50000	8/8/2017
409	उत्तर प्रदेश	17064/24/21/2013	305	कैदियों का उत्पीड़न	50000	9/7/2017
410	उत्तर प्रदेश	17307/24/57/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	3/12/2018
411	उत्तर प्रदेश	17573/24/1/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	10/20/2017

412	उत्तर प्रदेश	17753/24/19/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	70000	11/23/2017
413	उत्तर प्रदेश	18245/24/14/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	1/31/2018
414	उत्तर प्रदेश	18307/24/22/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	6/8/2017
415	उत्तर प्रदेश	18309/24/18/2014-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	300000	10/25/2017
416	उत्तर प्रदेश	1831/24/23/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	200000	1/22/2018
417	उत्तर प्रदेश	18635/24/70/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/4/2017
418	उत्तर प्रदेश	18771/24/70/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/8/2017
419	उत्तर प्रदेश	18848/24/55/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	2/13/2018
420	उत्तर प्रदेश	18943/24/57/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	2/7/2018
421	उत्तर प्रदेश	18967/24/18/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	1/16/2018
422	उत्तर प्रदेश	18982/24/34/2015	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	9/26/2017
423	उत्तर प्रदेश	19216/24/54/2014-डब्ल्यू.सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	7/19/2017
424	उत्तर प्रदेश	19437/24/48/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/19/2017
425	उत्तर प्रदेश	19661/24/1/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	8/24/2017
426	उत्तर प्रदेश	19728/24/22/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	2/13/2018
427	उत्तर प्रदेश	2010/24/6/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	7/18/2017
428	उत्तर प्रदेश	20163/24/49/2010-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	1/10/2018
429	उत्तर प्रदेश	20339/24/4/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	50000	9/12/2017
430	उत्तर प्रदेश	20341/24/37/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	9/11/2017
431	उत्तर प्रदेश	20689/24/68/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	8/23/2017
432	उत्तर प्रदेश	21592/24/77/2012-डब्ल्यू.सी.	1312	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	25000	1/10/2018
433	उत्तर प्रदेश	21777/24/36/2016-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	3/28/2018
434	उत्तर प्रदेश	21831/24/50/2013-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	25000	11/15/2017
435	उत्तर प्रदेश	22045/24/51/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	12/22/2017

436	उत्तर प्रदेश	22307/24/12/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	10/9/2017
437	उत्तर प्रदेश	22443/24/1/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	800000	1/3/2018
438	उत्तर प्रदेश	22512/24/19/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	10/25/2017
439	उत्तर प्रदेश	23045/24/54/2015	817	अवैध नज़रबंदी	25000	10/24/2017
440	उत्तर प्रदेश	23089/24/77/2015	1501	गुमशुदगी	25000	1/23/2018
441	उत्तर प्रदेश	23211/24/43/2013	817	अवैध नज़रबंदी	20000	9/27/2017
442	उत्तर प्रदेश	23383/24/43/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12/14/2017
443	उत्तर प्रदेश	23901/24/1/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/31/2017
444	उत्तर प्रदेश	24274/24/31/2015-डब्ल्यू.सी.	1309	महिलाओं का अपमान	100000	8/31/2017
445	उत्तर प्रदेश	24457/24/76/2016-डब्ल्यू.सी.	1309	महिलाओं का अपमान	5000	6/29/2017
446	उत्तर प्रदेश	24561/24/26/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/8/2018
447	उत्तर प्रदेश	24716/24/46/2016-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	10/30/2017
448	उत्तर प्रदेश	24735/24/31/2014	815	गलत मामले में फंसाना	50000	7/3/2017
449	उत्तर प्रदेश	24851/24/26/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	8/22/2017
450	उत्तर प्रदेश	24989/24/27/2014-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	10000	6/29/2017
451	उत्तर प्रदेश	25018/24/3/2014-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25000	3/20/2018
452	उत्तर प्रदेश	25825/24/54/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	25000	1/8/2018
453	उत्तर प्रदेश	2599/24/52/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/17/2017
454	उत्तर प्रदेश	26132/24/57/2016-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/1/2017
455	उत्तर प्रदेश	26234/24/68/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	125000	9/11/2017
456	उत्तर प्रदेश	26242/24/52/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	10/9/2017
457	उत्तर प्रदेश	26578/24/44/2013-डब्ल्यू.सी.	1306	महिलाओं का शोषण	50000	12/6/2017
458	उत्तर प्रदेश	26649/24/27/2014-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	10000	1/16/2018
459	उत्तर प्रदेश	26845/24/3/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	2/26/2018
460	उत्तर प्रदेश	26984/24/26/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/22/2017
461	उत्तर प्रदेश	26985/24/1/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/7/2017

462	उत्तर प्रदेश	27236/24/18/2013-डब्ल्यू. सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	50000	9/11/2017
463	उत्तर प्रदेश	27373/24/8/2013	815	गलत मामले में फंसाना	400000	12/4/2017
464	उत्तर प्रदेश	27480/24/31/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/26/2018
465	उत्तर प्रदेश	27556/24/32/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	8/24/2017
466	उत्तर प्रदेश	27623/24/1/2012	817	अवैध नज़रबंदी	75000	9/13/2017
467	उत्तर प्रदेश	27675/24/21/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	200000	10/5/2017
468	उत्तर प्रदेश	27969/24/1/2011-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	2/15/2018
469	उत्तर प्रदेश	28142/24/13/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/2/2017
470	उत्तर प्रदेश	28160/24/1/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	7/6/2017
471	उत्तर प्रदेश	28399/24/19/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	12/7/2017
472	उत्तर प्रदेश	28428/24/31/2012	817	अवैध नज़रबंदी	10000	10/24/2017
473	उत्तर प्रदेश	28599/24/62/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	11/22/2017
474	उत्तर प्रदेश	28905/24/51/2016	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	9/13/2017
475	उत्तर प्रदेश	28929/24/30/2015	801	शक्ति का मनमाना प्रयोग	400000	8/10/2017
476	उत्तर प्रदेश	2897/24/72/08-09-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	8/10/2017
477	उत्तर प्रदेश	29356/24/70/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	20000	9/1/2017
478	उत्तर प्रदेश	29365/24/36/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/1/2017
479	उत्तर प्रदेश	2956/24/23/2016	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	8/31/2017
480	उत्तर प्रदेश	29588/24/77/2014	815	गलत मामले में फंसाना	50000	11/1/2017
481	उत्तर प्रदेश	29802/24/4/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	25000	6/12/2017
482	उत्तर प्रदेश	29806/24/4/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/14/2017
483	उत्तर प्रदेश	29891/24/4/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	200000	2/8/2018
484	उत्तर प्रदेश	30053/24/1/2013	304	विधिक सहायता की रोक	50000	10/5/2017
485	उत्तर प्रदेश	30738/24/27/2013-डब्ल्यू. सी.	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	50000	1/31/2018
486	उत्तर प्रदेश	30991/24/46/2015	817	अवैध नज़रबंदी	25000	9/11/2017
487	उत्तर प्रदेश	3101/24/15/2012-जे.सी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/30/2017

		डी.				
488	उत्तर प्रदेश	31499/24/31/2014-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	25000	7/5/2017
489	उत्तर प्रदेश	31741/24/28/2015-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/15/2017
490	उत्तर प्रदेश	32054/24/4/2014-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/1/2017
491	उत्तर प्रदेश	32451/24/15/2015-डब्ल्यू. सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	100000	8/31/2017
492	उत्तर प्रदेश	33219/24/72/2014	305	कैदियों का उत्पीड़न	50000	3/7/2018
493	उत्तर प्रदेश	33402/24/13/2012-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/6/2017
494	उत्तर प्रदेश	33712/24/55/2013-डब्ल्यू. सी.	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	50000	11/29/2017
495	उत्तर प्रदेश	34369/24/1/2013-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	25000	2/1/2018
496	उत्तर प्रदेश	34380/24/48/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	11/29/2017
497	उत्तर प्रदेश	3492/24/54/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	5/16/2017
498	उत्तर प्रदेश	34940/24/72/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	2/28/2018
499	उत्तर प्रदेश	35089/24/52/2015-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/5/2017
500	उत्तर प्रदेश	35140/24/68/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	12/7/2017
501	उत्तर प्रदेश	35398/24/57/2013-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	11/15/2017
502	उत्तर प्रदेश	35475/24/3/2013-डब्ल्यू. सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25000	9/25/2017
503	उत्तर प्रदेश	35873/24/30/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	9/7/2017
504	उत्तर प्रदेश	36039/24/51/2013	805	हत्या का प्रयास	500000	5/25/2017
505	उत्तर प्रदेश	36349/24/30/2016-ए.डी.	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय हत्या	100000	7/14/2017
506	उत्तर प्रदेश	36403/24/52/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	50000	2/27/2018
507	उत्तर प्रदेश	36492/24/18/2012	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	50000	7/19/2017
508	उत्तर प्रदेश	36841/24/47/2010-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	2/7/2018
509	उत्तर प्रदेश	37301/24/55/2013-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/15/2017
510	उत्तर प्रदेश	37504/24/13/2014-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/24/2017

511	उत्तर प्रदेश	37741/24/24/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	10/20/2017
512	उत्तर प्रदेश	37988/24/35/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	12/15/2017
513	उत्तर प्रदेश	38349/24/48/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	500000	12/14/2017
514	उत्तर प्रदेश	38367/24/8/2014	817	अवैध नज़रबंदी	50000	7/10/2017
515	उत्तर प्रदेश	38500/24/6/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	60000	2/20/2018
516	उत्तर प्रदेश	3854/24/8/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	9/12/2017
517	उत्तर प्रदेश	38707/24/46/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	10000	11/29/2017
518	उत्तर प्रदेश	3948/24/43/2014	815	गलत मामले में फंसाना	75000	9/12/2017
519	उत्तर प्रदेश	39654/24/31/08-09-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	8/10/2017
520	उत्तर प्रदेश	39722/24/1/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	9/1/2017
521	उत्तर प्रदेश	39743/24/3/2010-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	2/15/2018
522	उत्तर प्रदेश	40132/24/43/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/28/2017
523	उत्तर प्रदेश	40431/24/22/2016	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	9/19/2017
524	उत्तर प्रदेश	41416/24/1/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	9/14/2017
525	उत्तर प्रदेश	41445/24/45/2013-डब्ल्यू.सी.	1312	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	25000	9/19/2017
526	उत्तर प्रदेश	41657/24/53/2013-डब्ल्यू.सी.	1309	महिलाओं का अपमान	10000	3/20/2018
527	उत्तर प्रदेश	41733/24/72/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	1/3/2018
528	उत्तर प्रदेश	41989/24/70/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/26/2017
529	उत्तर प्रदेश	42304/24/77/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	10/16/2017
530	उत्तर प्रदेश	43290/24/56/2011-डब्ल्यू.सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	100000	12/5/2017
531	उत्तर प्रदेश	43970/24/73/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/29/2017
532	उत्तर प्रदेश	44048/24/18/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	4/19/2017
533	उत्तर प्रदेश	44077/24/57/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/26/2018
534	उत्तर प्रदेश	4424/24/22/2015	817	अवैध नज़रबंदी	10000	3/22/2018
535	उत्तर प्रदेश	44288/24/3/2014-डब्ल्यू.सी.	1312	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	25000	9/11/2017

536	उत्तर प्रदेश	44565/24/52/2013-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	50000	9/11/2017
537	उत्तर प्रदेश	44873/24/14/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/4/2017
538	उत्तर प्रदेश	45784/24/72/2015	817	अवैध नज़रबंदी	400000	1/3/2018
539	उत्तर प्रदेश	45951/24/52/2011-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	5/4/2017
540	उत्तर प्रदेश	45951/24/52/2011-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	3/8/2018
541	उत्तर प्रदेश	46119/24/30/2014	501	बदमाशों/गुण्डों द्वारा अराजकता	200000	11/15/2017
542	उत्तर प्रदेश	46268/24/43/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	8/16/2017
543	उत्तर प्रदेश	46506/24/43/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/31/2018
544	उत्तर प्रदेश	46982/24/72/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	200000	8/4/2017
545	उत्तर प्रदेश	47201/24/4/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/25/2017
546	उत्तर प्रदेश	480/24/46/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/19/2017
547	उत्तर प्रदेश	48000/24/31/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	12/14/2017
548	उत्तर प्रदेश	48077/24/9/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	11/24/2017
549	उत्तर प्रदेश	48096/24/22/2014-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	25000	9/15/2017
550	उत्तर प्रदेश	48482/24/63/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	8/31/2017
551	उत्तर प्रदेश	49661/24/77/2014	503	असामाजिक तत्वों द्वारा परेशानी	25000	9/28/2017
552	उत्तर प्रदेश	5115/24/24/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	6/6/2017
553	उत्तर प्रदेश	5150/24/8/2015	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	9/12/2017
554	उत्तर प्रदेश	517/24/1/2015-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	9/18/2017
555	उत्तर प्रदेश	5306/24/55/2016-डब्ल्यू. सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	25000	8/21/2017
556	उत्तर प्रदेश	53823/24/72/2011	817	अवैध नज़रबंदी	100000	8/24/2017
557	उत्तर प्रदेश	5487/24/34/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	7/17/2017
558	उत्तर प्रदेश	6198/24/57/2015-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/15/2017
559	उत्तर प्रदेश	6354/24/32/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/5/2017
560	उत्तर प्रदेश	6434/24/52/2017-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	25000	2/28/2018
561	उत्तर प्रदेश	6511/24/14/09-10-डब्ल्यू. सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	100000	11/24/2017

562	उत्तर प्रदेश	6621/24/1/2010-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	1/10/2018
563	उत्तर प्रदेश	6696/24/64/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/5/2017
564	उत्तर प्रदेश	6699/24/77/2013	817	अवैध नज़रबंदी	10000	12/13/2017
565	उत्तर प्रदेश	6766/24/4/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	10/24/2017
566	उत्तर प्रदेश	7402/24/14/2013-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	2/12/2018
567	उत्तर प्रदेश	7699/24/33/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	3/28/2018
568	उत्तर प्रदेश	770/24/51/2014-डब्ल्यू.सी.	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	50000	9/11/2017
569	उत्तर प्रदेश	8390/24/1/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/19/2017
570	उत्तर प्रदेश	8414/24/61/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	10/3/2017
571	उत्तर प्रदेश	8419/24/64/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/30/2017
572	उत्तर प्रदेश	8447/24/51/2013-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	10000	10/11/2017
573	उत्तर प्रदेश	8684/24/39/2015	816	अवैध हिरासत	5000	8/21/2017
574	उत्तर प्रदेश	8696/24/78/2015-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	25000	10/24/2017
575	उत्तर प्रदेश	9036/24/56/2015	205	राज्य में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव	100000	6/28/2017
576	उत्तर प्रदेश	9097/24/57/2015-डब्ल्यू.सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	25000	9/15/2017
577	उत्तर प्रदेश	9245/24/14/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	5/26/2017
578	उत्तर प्रदेश	9307/24/8/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	30000	7/7/2017
579	उत्तर प्रदेश	9554/24/53/2017	100	बच्चे	100000	1/23/2018
580	उत्तर प्रदेश	9916/24/36/2015-डब्ल्यू.सी.	1903	अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. का बलात्कार	25000	9/21/2017
581	उत्तर प्रदेश	9927/24/3/2015-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	2/21/2018
582	उत्तर प्रदेश	9930/24/68/2014	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	8/10/2017
583	उत्तराखण्ड	1095/35/5/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	7/13/2017
584	उत्तराखण्ड	156/35/6/09-10-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	6/28/2017
585	उत्तराखण्ड	1689/35/12/2015-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1000000	9/18/2017
586	पश्चिम बंगाल	1202/25/19/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	8/3/2017
587	पश्चिम बंगाल	1209/25/15/2014	604	जोख़िमपूर्ण रोजगार	3200000	5/4/2017
588	पश्चिम बंगाल	1349/25/5/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/23/2018
589	पश्चिम बंगाल	1403/25/11/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/29/2017

590	पश्चिम बंगाल	1474/25/8/2014	604	जोख़िमपूर्ण रोजगार	100000	3/23/2018
591	पश्चिम बंगाल	1482/25/22/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	4/6/2017
592	पश्चिम बंगाल	1485/25/16/2012-पी.एफ.	1705	हिरासत में मौत (अर्द्ध–सैनिक बल)	500000	8/24/2017
593	पश्चिम बंगाल	1492/25/10/2013-डब्ल्यू. सी.	1311	बलात्कार	100000	10/9/2017
594	पश्चिम बंगाल	1533/25/5/2015-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	7/26/2017
595	पश्चिम बंगाल	1746/25/10/2015-जे.सी. डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/29/2017
596	पश्चिम बंगाल	1767/25/2/2015-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	2/8/2018
597	पश्चिम बंगाल	2123/25/22/2015-डब्ल्यू. सी.	1313	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (सरकारी कार्यालयों)	50000	2/5/2018
598	पश्चिम बंगाल	293/25/15/2014	817	अवैध नज़रबंदी	50000	2/19/2018
599	पश्चिम बंगाल	302/25/3/2012	604	जोख़िमपूर्ण रोजगार	800000	3/1/2018
600	पश्चिम बंगाल	360/25/14/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/15/2018
601	पश्चिम बंगाल	447/25/22/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	3/23/2018
602	पश्चिम बंगाल	456/25/5/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	7/25/2017
603	पश्चिम बंगाल	730/25/22/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/11/2017
604	पश्चिम बंगाल	767/25/10/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/10/2018
605	पश्चिम बंगाल	77/25/13/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	4/5/2017
606	पश्चिम बंगाल	851/25/9/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	2/8/2018

अनुलग्नक– 6 पैरा 2.48

वित्तीय राहत के भुगतान हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	1027/1/19/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/11/2017
2	आंध्र प्रदेश	5/1/3/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	20000	4/1/2016
3	आंध्र प्रदेश	792/1/19/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/29/2016
4	आंध्र प्रदेश	864/1/10/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	110000	9/1/2016
5	आंध्र प्रदेश	970/1/6/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/20/2016
6	असम	242/3/15/2012-ए.एफ.	1603	ABDUCTION/RAPE	100000	3/30/2017
7	असम	358/3/4/2012-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	6/7/2016
8	असम	389/3/10/2012-ए.एफ.	1610	सैन्य मुठभेड़ में मौत	500000	2/21/2017
9	असम	63/3/24/09-10	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	5500000	1/25/2017
10	बिहार	1458/4/23/2015	809	हिरासतीय उत्पीड़न	20000	1/12/2017
11	बिहार	2047/4/28/2011-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	3/22/2017
12	बिहार	2166/4/23/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/6/2017
13	बिहार	2546/4/3/2014-डब्ल्यू.सी.	1309	महिलाओं का अपमान	10000	6/8/2016
14	बिहार	2572/4/8/08-09-ए.डी.	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	5/27/2016
15	बिहार	2886/4/39/2013	100	बच्चे	67500	3/14/2017
16	बिहार	4378/4/21/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	11/16/2016
17	बिहार	4598/4/26/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/6/2017
18	बिहार	846/4/39/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	1/2/2017
19	छत्तीसगढ	961/33/9/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/8/2016
20	दिल्ली	1111/30/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	7/13/2016
21	दिल्ली	1361/30/9/2014	815	गलत मामले में	500000	11/8/2016

				फंसाना		
22	दिल्ली	3434/30/2/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	11/7/2016
23	दिल्ली	374/30/3/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300000	3/16/2017
24	दिल्ली	4433/30/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	3/1/2017
25	दिल्ली	5050/30/5/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	3/20/2017
26	दिल्ली	5494/30/0/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	900000	11/28/2016
27	दिल्ली	5537/30/9/2014-पी.एफ.	1703	अपहरण/बलात्कार	100000	3/20/2017
28	दिल्ली	6738/30/8/2014	1200	सेवा मामले	25000	6/20/2016
29	गुजरात	1435/6/13/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	6/7/2016
30	गुजरात	1573/6/9/2013-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	12/7/2016
31	गुजरात	212/6/9/2010	202	जन स्वास्थ्य जोखिम	1600000	6/8/2016
32	गुजरात	256/6/9/2010-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	550000	1/25/2017
33	हरियाणा	3007/7/3/2014-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	300000	2/21/2017
34	झारखण्ड	1167/34/16/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	12/13/2016
35	झारखण्ड	118/34/16/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	4/12/2016
36	झारखण्ड	1188/34/18/2011-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	200000	3/2/2017
37	झारखण्ड	1194/34/11/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	500000	5/17/2016
38	झारखण्ड	1447/34/11/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	2/7/2017
39	झारखण्ड	1538/34/4/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/8/2016
40	झारखण्ड	355/34/22/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	500000	1/29/2017
41	झारखण्ड	370/34/2/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	10000	5/16/2016

42	झारखण्ड	514/34/11/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	2/21/2017
43	झारखण्ड	767/34/22/2010-पी.एफ.	1709	गोलीबारी में मौत	150000	9/8/2016
44	झारखण्ड	890/34/3/2013	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	25000	6/20/2016
45	झारखण्ड	947/34/11/2013	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	700000	10/19/2016
46	झारखण्ड	949/34/0/2012	1500	विविध	70000	7/11/2016
47	कर्नाटक	967/10/1/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	4/13/2016
48	केरल	437/11/8/2014-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/31/2016
49	केरल	464/11/3/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	300000	1/5/2017
50	केरल	508/11/2/2016-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	3/27/2017
51	केरल	615/11/3/2016	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	1/24/2017
52	मध्य प्रदेश	1328/12/18/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/20/2016
53	मध्य प्रदेश	2170/12/54/2015	106	यौन उत्पीड़न	200000	10/31/2016
54	मध्य प्रदेश	236/12/38/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	30000	1/11/2017
55	मध्य प्रदेश	2695/12/33/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	625000	3/22/2017
56	मध्य प्रदेश	3022/12/46/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	200000	2/21/2017
57	मध्य प्रदेश	353/12/54/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	125000	5/23/2016
58	मध्य प्रदेश	508/12/24/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/7/2016
59	महाराष्ट्र	102/13/13/2014-डब्ल्यू.सी.	1313	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (सरकारी कार्यालय)	100000	11/24/2016
60	महाराष्ट्र	1196/13/17/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/21/2016
61	महाराष्ट्र	1286/13/6/2010-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	9/15/2016
62	महाराष्ट्र	1385/13/28/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/16/2017
63	महाराष्ट्र	1386/13/17/09-10-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	2/2/2017

64	महाराष्ट्र	1454/13/9/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/16/2017
65	महाराष्ट्र	1517/13/14/2011-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	1/25/2017
66	महाराष्ट्र	1831/13/13/2015	106	यौन उत्पीड़न	50000	2/21/2017
67	महाराष्ट्र	2242/13/23/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/29/2016
68	महाराष्ट्र	228/13/21/2011-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/16/2016
69	महाराष्ट्र	2991/13/16/2013-डब्ल्यू. सी.	1312	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	50000	9/19/2016
70	महाराष्ट्र	3143/13/23/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	200000	1/25/2017
71	महाराष्ट्र	390/13/22/2011-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	3/2/2017
72	महाराष्ट्र	473/13/26/09-10-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	50000	5/27/2016
73	महाराष्ट्र	496/13/23/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	2/13/2017
74	महाराष्ट्र	501/13/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	4/6/2016
75	महाराष्ट्र	545/13/6/2013-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	100000	5/11/2016
76	महाराष्ट्र	820/13/33/2011-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	450000	6/1/2016
77	महाराष्ट्र	848/13/16/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	11/23/2016
78	मणिपुर	2/14/1/2010-पी.एफ.	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	500000	9/15/2016
79	मणिपुर	33/14/4/09-10-पी.एफ.	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	1000000	3/1/2017
80	मणिपुर	65/14/13/2012-पी.एफ.	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	1500000	11/30/2016
81	ओडिशा	11351/18/26/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	2/16/2017
82	ओडिशा	1754/18/8/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	3/22/2017
83	ओडिशा	192/18/12/2014	100	बच्चे	20000	5/3/2016
84	ओडिशा	2307/18/26/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	870000	11/16/2016
85	ओडिशा	2430/18/12/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	1/9/2017

86	ओडिशा	2842/18/8/2012	1202	पेंशन/हर्जाने का भुगतान न करना	100000	7/11/2016
87	ओडिशा	2976/18/3/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	50000	12/21/2016
88	ओडिशा	3098/18/10/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	12/30/2016
89	ओडिशा	3556/18/1/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	6/8/2016
90	ओडिशा	3778/18/12/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	40000	3/30/2017
91	ओडिशा	4060/18/2/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	20000	10/7/2016
92	ओडिशा	4959/18/12/2014-डब्ल्यू. सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	150000	3/10/2017
93	ओडिशा	577/18/3/2013-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	1/11/2017
94	ओडिशा	6654/18/3/2016	1904	प्रताड़ित करना	100000	1/9/2017
95	ओडिशा	674/18/2/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	3/22/2017
96	ओडिशा	6744/18/7/2016	801	शक्ति का मनमाना प्रयोग	100000	1/9/2017
97	ओडिशा	689/18/8/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	3/22/2017
98	ओडिशा	705/18/3/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	2/13/2017
99	पंजाब	273/19/13/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/13/2017
100	पंजाब	290/19/18/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/16/2016
101	पंजाब	304/19/19/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	1/23/2017
102	राजस्थान	1200/20/9/2015	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	3/7/2017

103	राजस्थान	1338/20/2/2015	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	10000	7/14/2016
104	राजस्थान	1533/20/7/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	6/27/2016
105	राजस्थान	1703/20/26/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	2/16/2017
106	राजस्थान	2033/20/19/2015-डब्ल्यू. सी.	1903	अनु.जाति/अनु.ज. जाति/अ.पि.व. का बलात्कार	50000	11/10/2016
107	राजस्थान	2185/20/14/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/18/2016
108	राजस्थान	2971/20/9/2014	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	2/8/2017
109	राजस्थान	344/20/24/2014	307	जेल में अनियमितताएं	50000	5/16/2016
110	राजस्थान	64/20/30/2015-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25000	12/7/2016
111	राजस्थान	84/20/29/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	10/4/2016
112	राजस्थान	922/20/21/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	7/11/2016
113	राजस्थान	942/20/10/2015-डब्ल्यू.सी.	1903	अनु.जाति/अनु.ज. जाति/अ.पि.व. का बलात्कार	50000	3/7/2017
114	तमिलनाडु	1694/22/37/2014	106	यौन उत्पीड़न	50000	3/27/2017
115	तमिलनाडु	2051/22/13/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/21/2017
116	तमिलनाडु	2715/22/30/2012-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	3/24/2017
117	तमिलनाडु	61/22/13/2014	816	अवैध हिरासत	300000	4/13/2016
118	तेलंगाना	855/1/8/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/8/2017
119	उत्तर प्रदेश	10226/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	9/29/2016
120	उत्तर प्रदेश	10642/24/40/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	7/21/2016
121	उत्तर प्रदेश	10703/24/71/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	3/22/2017
122	उत्तर प्रदेश	12021/24/46/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	5/23/2016
123	उत्तर प्रदेश	14505/24/62/2014	1202	पेंशन/हर्जाने का भुगतान न करना	100000	3/14/2017

124	उत्तर प्रदेश	14789/24/39/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	5/18/2016
125	उत्तर प्रदेश	14807/24/42/2012-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	3/23/2017
126	उत्तर प्रदेश	15736/24/14/2014	1500	विविध	100000	3/17/2017
127	उत्तर प्रदेश	18128/24/27/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	9/30/2016
128	उत्तर प्रदेश	18780/24/53/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/18/2016
129	उत्तर प्रदेश	20336/24/7/2013-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100000	10/24/2016
130	उत्तर प्रदेश	22082/24/10/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/29/2017
131	उत्तर प्रदेश	22499/24/9/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	1/24/2017
132	उत्तर प्रदेश	25136/24/55/2010-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	5/25/2016
133	उत्तर प्रदेश	25395/24/44/2010-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	8/4/2016
134	उत्तर प्रदेश	25500/24/35/2014	109	गुमशुदगी/लापता	100000	3/20/2017
135	उत्तर प्रदेश	27898/24/49/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/6/2017
136	उत्तर प्रदेश	27930/24/18/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	3/21/2017
137	उत्तर प्रदेश	29674/24/54/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	600000	7/8/2016
138	उत्तर प्रदेश	29716/24/52/2014	815	गलत मामले में फंसाना	25000	2/8/2017
139	उत्तर प्रदेश	29857/24/9/2016	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	3/22/2017
140	उत्तर प्रदेश	30311/24/31/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	11/9/2016
141	उत्तर प्रदेश	32377/24/75/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	10000	5/20/2016
142	उत्तर प्रदेश	3241/24/48/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	5/20/2016
143	उत्तर प्रदेश	33200/24/5/2013	802	अपहरण	25000	4/25/2016
144	उत्तर प्रदेश	34791/24/43/2013	106	यौन उत्पीड़न	100000	6/21/2016
145	उत्तर प्रदेश	35164/24/25/2013	105	बच्चों का अवैध व्यापार	50000	3/6/2017
146	उत्तर प्रदेश	35220/24/1/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	6/6/2016

147	उत्तर प्रदेश	36481/24/2002-2003-ए.डी.	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासतीय हत्या	500000	3/16/2017
148	उत्तर प्रदेश	37313/24/48/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	1/29/2017
149	उत्तर प्रदेश	38292/24/21/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	300000	12/20/2016
150	उत्तर प्रदेश	39116/24/30/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	1/30/2017
151	उत्तर प्रदेश	39429/24/57/2012	816	अवैध हिरासत	50000	2/16/2017
152	उत्तर प्रदेश	40161/24/65/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	300000	4/19/2016
153	उत्तर प्रदेश	40332/24/48/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	7/11/2016
154	उत्तर प्रदेश	40420/24/75/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	6/20/2016
155	उत्तर प्रदेश	41931/24/65/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	12/5/2016
156	उत्तर प्रदेश	42848/24/31/2012	817	अवैध नज़रबंदी	25000	2/28/2017
157	उत्तर प्रदेश	43922/24/3/2012	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	4/25/2016
158	उत्तर प्रदेश	44438/24/43/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/16/2016
159	उत्तर प्रदेश	44988/24/59/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	4/19/2016
160	उत्तर प्रदेश	48166/24/4/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	500000	1/29/2017
161	उत्तर प्रदेश	49638/24/4/2014-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	25000	1/23/2017
162	उत्तर प्रदेश	5016/24/31/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	3/22/2017
163	उत्तर प्रदेश	618/24/35/2013-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100000	5/3/2016
164	उत्तर प्रदेश	7351/24/30/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	150000	1/31/2017
165	उत्तर प्रदेश	7805/24/31/2010-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	8/18/2016
166	उत्तर प्रदेश	8119/24/46/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/30/2016
167	उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल	8998/24/9/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	9/1/2016
168	उत्तर प्रदेश	9967/24/7/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	8/30/2016
169	पश्चिम बंगाल	127/25/15/2013-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	11/9/2016

170	पश्चिम बंगाल	1272/25/5/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/5/2016
171	पश्चिम बंगाल	1315/25/11/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	150000	6/20/2016
172	पश्चिम बंगाल	1356/25/13/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/24/2016

अनुलग्नक– 7 पैरा 2.48

वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के लिए वर्ष 2000–01 एवं वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
1	आंध्र प्रदेश	232/1/10/2014-डब्ल्यू. सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	100,000	30/01/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
2	बिहार	2329/4/39/2011	106	यौन उत्पीड़न (बच्चे)	25,000	20/02/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
3	बिहार	258/4/8/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	08/09/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
4	दिल्ली	252/30/8/2014	2006	उत्पीड़न (विदेशी/एन.आर. आई.)	300,000	29/09/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
5	दिल्ली	4693/30/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500,000	08/10/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
6	दिल्ली	6429/30/1/2012	204	सरकारी अस्पतालों/जन स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300,000	20/10/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
7	गुजरात	500/6/19/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	03/11/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
8	झारखण्ड	254/34/1/2010-ए.डी.	309	न्यायिक हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	100,000	09/04/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
9	झारखण्ड	589/34/22/2012-पी.एफ.	1704	अर्द्ध–सैनिक बलों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग	100,000	09/07/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
10	केरल	354/11/13/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300,000	23/12/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
11	मध्य प्रदेश	430/12/32/2012	604	जोख़िमपूर्ण रोजगार	1,200,000	11/09/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
12	महाराष्ट्र	3622/13/33/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25,000	22/12/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
13	राजस्थान	142/20/14/2014-डब्ल्यू. सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	300,000	22/12/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
14	तमिलनाडु	101/22/13/2014-डब्ल्यू.	2003	विदेशी/एन.आर.आई	100,000	17/02/2015	भुगतान का

		सी.		से बलात्कार			साक्ष्य प्रतीक्षित
15	उत्तर प्रदेश	20381/24/72/2013	809	पुलिस द्वारा कथित शारीरिक उत्पीड़न एवं गैर कानूनी नज़रबंदी	100,000	28/10/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
16	उत्तर प्रदेश	26885/24/48/2011	203	चिकित्सा व्यवसायियों का कदाचार	300,000	16/12/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
17	उत्तर प्रदेश	30596/24/3/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	02/01/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
18	उत्तर प्रदेश	31257/24/3/2013	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300,000	20/01/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
19	उत्तर प्रदेश	33505/24/26/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300,000	06/06/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
20	उत्तर प्रदेश	38710/24/79/2013-डब्ल्यू.सी.	1903	अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. से बलात्कार	75,000	16/02/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
21	उत्तर प्रदेश	39182/24/1/2012-ए.डी.	309	न्यायिक हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	100,000	16/02/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
22	उत्तर प्रदेश	5581/24/72/2010	809	पुलिस द्वारा कथित शारीरिक उत्पीड़न एवं गैर कानूनी नज़रबंदी	25,000	25/08/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
23	उत्तर प्रदेश	6066/24/56/2014-ए.डी.	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	500,000	18/03/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
24	उत्तर प्रदेश	7876/24/54/2014	800	पुलिस	100,000	12/08/2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
25	बिहार	2572/4/8/08-09-ए.डी.	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	21-08-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
26	दिल्ली	3500/30/0/2011	800	पुलिस	100000	15-05-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
27	गुजरात	1012/6/9/2011	202	जन स्वास्थ्य जोखिम	2500000	22-10-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
28	झारखण्ड	380/34/11/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	150000	18-12-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
29	महाराष्ट्र	558/13/11/08-09-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	01-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
30	राजस्थान	1345/20/21/09-10-जे.	301	हिरासत में मौत	300000	26-08-2013	भुगतान का

		सी.डी.		(न्यायिक)			साक्ष्य प्रतीक्षित
31	उत्तर प्रदेश	14844/24/39/2010	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	25-09-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
32	उत्तर प्रदेश	20804/24/24/2010	1202	पेंशन/हर्जाने का भुगतान न करना	50000	27-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
33	उत्तर प्रदेश	2547/24/4/09-10-डी.एच.	108	न्यायिक हिरासत में मौत	300000	27-09-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
34	उत्तर प्रदेश	2655/24/34/2012-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	300000	31-03-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
35	उत्तर प्रदेश	34188/24/72/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	200000	26-11-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
36	उत्तर प्रदेश	3656/24/2005-2006	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	15-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
37	उत्तर प्रदेश	39743/24/3/2010-ई.डी.	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03-04-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
38	उत्तर प्रदेश	43024/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-11-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
39	उत्तर प्रदेश	43091/24/17/2012-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	50000	17-09-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
40	उत्तर प्रदेश	53582/24/72/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	19-12-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
41	उत्तर प्रदेश	6855/24/56/2012	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	02-09-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
42	उत्तर प्रदेश	8584/24/57/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	1000000	12-02-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
43	उत्तराखण्ड	1597/35/2006-2007	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	05-02-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
44	बिहार	1817/4/32/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रीयता	1400000	19/11/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
45	दिल्ली	1818/4/1/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रीयता	400000	30/08/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
46	दिल्ली	5494/30/0/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रीयता	900000	15/10/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
47	दिल्ली	2843/30/1/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	20.01.2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
48	जम्मू एंव कश्मीर	55/9/2003-2004-ए.डी.	822	जम्मू पुलिस की हिरासत में कथित मौत (शिकायत)	5,00,000	19.08.2009	आयोग की संस्तुतियों को जम्मू एवं कश्मीर उच्च

							न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा चुनौती
49	**जम्मू एंव कश्मीर**	206/9/2003-2004	1508	सरकार द्वारा घर की क्षति (शिकायत)	2,00,000	23.11.2009	आयोग की संस्तुतियों को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा चुनौती
50	**ओडिशा**	123/18/1999-2000	809	पुलिस द्वारा कथित शारीरिक उत्पीड़न एवं गैर कानूनी नज़रबंदी	अनुशासनात्मक कार्रवाई	31.07.2000	आयोग की संस्तुतियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा ओडिशा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या ओ.जे.सी. सं. 8776/2000, जो विचारार्थ लम्बित है
51	**पंजाब**	377/19/8/09-10-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	30/11/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
52	**उत्तर प्रदेश**	41459/24/1/2010	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	28/03/2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
53	**उत्तर प्रदेश**	30217/24/2002-2003-सी.डी.	301	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	10000	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
54	**असम**	354/3/9/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	29/10/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
55	**बिहार**	180/4/26/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300000	01/03/2016	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
55	**बिहार**	180/4/26/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300000	01/03/2016	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
56	**बिहार**	1951/4/7/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	30/10/2015	दिल्ली उच्च न्यायालय की

							रिट याचिका (सिविल) सं. 1194/2017 में दी गई संस्तुतियों को रेल मंत्रालय द्वारा चुनौती
57	छत्तीसगढ़	835/33/14/2013-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	09/12/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
58	दिल्ली	1907/30/0/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	600000	05/05/2015	
59	दिल्ली	2315/30/10/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	75000	04/11/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
60	दिल्ली	2624/30/0/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	22/06/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
61	दिल्ली	5755/30/6/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	24/02/2016	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
62	हरियाणा	1195/7/3/2014	815	गलत मामले में फंसाना	100000	24/06/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
63	हरियाणा	1572/7/19/2014	503	असामाजिक तत्वों द्वारा परेशानी	900000	07/11/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
64	हरियाणा	9267/7/17/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	15/09/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
65	झारखण्ड	1155/34/11/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	11/06/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
66	झारखण्ड	1243/34/6/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/12/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
67	झारखण्ड	1276/34/7/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/06/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
68	झारखण्ड	130/34/6/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	400000	10/12/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
69	झारखण्ड	1383/34/5/2012-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	02/12/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
70	झारखण्ड	164/34/5/2013	305	कैदियों का उत्पीड़न	100000	18/11/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
71	झारखण्ड	550/34/20/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही	80000	08/03/2016	भुगतान का

				करने में असफलता			साक्ष्य प्रतीक्षित
72	**झारखण्ड**	984/34/15/08-09	804	शक्ति का दुरुपयोग	500000	06/05/2015	झारखण्ड उच्च न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 5974/2015 में दी गई संस्तुतियों को रेल मंत्रालय द्वारा चुनौती
73	**मध्य प्रदेश**	1598/12/2002-2003	1500	विविध	300000	02/07/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
74	**मध्य प्रदेश**	554/12/15/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	24/02/2016	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
75	**मध्य प्रदेश**	902/12/20/2013-पी.सी.डी.	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	28/10/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
76	**महाराष्ट्र**	2851/13/36/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	200000	06/01/2016	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
77	**महाराष्ट्र**	2852/13/3/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	25000	21/01/2016	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
78	**महाराष्ट्र**	2855/13/36/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	50000	06/01/2016	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
79	**महाराष्ट्र**	2857/13/2/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	50000	06/01/2016	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
80	**ओडिशा**	1179/18/18/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	10/02/2016	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
81	**ओडिशा**	1760/18/24/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	17/02/2016	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
82	**ओडिशा**	2296/18/28/2013-डब्ल्यू.सी.	1311	बलात्कार	100000	19/08/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
83	**राजस्थान**	1617/20/26/2013-जे.सी.	301	हिरासत में मौत	100000	28/10/2015	भुगतान का

		डी.		(न्यायिक)			साक्ष्य प्रतीक्षित
84	**राजस्थान**	1651/20/2/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	150000	22/07/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
85	**राजस्थान**	1766/20/2/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	300000	16/07/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
86	**राजस्थान**	1904/20/14/2011-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	13/01/2016	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
87	**तेलंगाना**	1010/1/8/2013-डब्ल्यू.सी.	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	300000	18/11/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
88	**त्रिपुरा**	8/23/5/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	30/11/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
89	**उत्तर प्रदेश**	12023/24/46/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	26/10/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
90	**उत्तर प्रदेश**	24558/24/31/2013	817	अवैध नज़रबंदी	25000	25/06/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
91	**उत्तर प्रदेश**	25042/24/8/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	03/07/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
92	**उत्तर प्रदेश**	29202/24/2006-2007-ए.डी.	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	24/06/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
93	**उत्तर प्रदेश**	34021/24/72/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	300000	26/05/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
94	**उत्तर प्रदेश**	39734/24/36/2013-डब्ल्यू.सी.	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	100000	19/08/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
95	**उत्तर प्रदेश**	39952/24/31/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	250000	02/06/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
96	**उत्तर प्रदेश**	40059/24/43/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	04/01/2016	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
97	**उत्तर प्रदेश**	42106/24/6/2011-जे.सी.डी.	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	08/10/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
98	**उत्तर प्रदेश**	43640/24/51/2013	817	अवैध नज़रबंदी	30000	08/09/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
99	**उत्तर प्रदेश**	43743/24/46/2012-डब्ल्यू.सी.	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	06/07/2015	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
100	**उत्तर प्रदेश**	44142/24/5/2011	1200	सेवा मामले	50000	01/12/2015	अनुपालन रिपोर्ट

							प्रतीक्षित
101	उत्तर प्रदेश	44241/24/72/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	20/01/2016	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
102	उत्तर प्रदेश	44339/24/62/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	300000	17/04/2015	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित

संक्षिप्तियाँ

ए ए वाई (AAY)	–	अंत्योदय अन्न योजना
ए सी जे एम (ACJM)	–	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अनु0 (Art.)	–	अनुच्छेद
अनु0 (Arts.)	–	अनुच्छेदों
ए टी आर (ATR)	–	की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
ए एस आई (ASI)	–	सहायक उप–निरीक्षक
बी पी एल (BPL)	–	गरीबी रेखा के नीचे
सी एफ एन एच आर आई CFNHRI	–	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल फोरम
सी ओ पी 21 COP 21	–	पक्षों का 21वां सम्मेलन
सी.पी.सी.बी. CPCB	–	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी आर पी सी Cr. P.C.	–	दण्ड प्रक्रिया संहिता
सी आर पी एफ CRPF	–	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
डी. डी. DD	–	दैनिक डायरी
डी जी पी (DGP)	–	पुलिस महानिदेशक
डी एम (DM)	–	जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
एफ आई आर (FIR)	–	प्रथम सूचना रिपोर्ट

एफ एस एल (FSL)		फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी
गनहरी (GANHRI)	–	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का वैश्विक संघ
जी डी (GD)	–	सामान्य डायरी
जी पी एफ (GPF)		उपदान भविष्य निधि
जी आर पी (GRP)	–	सरकारी रेलवे सुरक्षा
एच सी (HC)	–	हैड कांस्टेबल
मुख्या0 (HQs.)	–	मुख्यालय
आई सी सी (ICC)	–	मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति
आई ओ (IO)	–	जांच अधिकारी
सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी (I&PRO)	–	सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी
आई पी सी (I.P.C.)	–	भारतीय दण्ड संहिता
जे सी एल (JCL)	–	विधि के संघर्ष में किशोर
जे जे ए (JJA)	–	किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम,2000
एल एफ (LFs)	–	लिंक फाइल
एम ई आर (MER)	–	मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट
मनरेगा योजना (MGNREG Scheme)	–	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम/ओ (M/O)	–	मंत्रालय

एन सी आर (NCR)	–	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन सी आर बी (NCRB)	–	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एन सी टी (NCT)		राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
ओ बी सी (OBC)	–	अन्य पिछड़ा वर्ग
पी सी एण्ड पीएनडीटी, एक्ट (PC & PNDT Act)	–	पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
पी डी (PD)	–	शारीरिक ड्रिल
पी डी एस (PDS)	–	लोक वितरण प्रणाली
पी एच आर एक्ट (PHR Act)	–	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
पी एस (P.S./PS)	–	पुलिस स्टेशन
आर/ओ (r/o)	–	निवासी
आर/डब्ल्यू (r/w)	–	सह–पठित
आर.टी.ई. (RTE)	–	शिक्षा का अधिकार
एस/ओ (s/o)	–	सुपुत्र
एस सी (SC)	–	अनुसूचित जाति
एस डी एम (SDM)	–	उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट
एस एच ओ (SHO)	–	थाना प्रभारी
एस एम एस (SMS)	–	लघु संदेश सेवा
एस ओ पी एस	–	मानक प्रचालन प्रक्रियाएं

(SOPs)		
एस पी (SP)	–	पुलिस अधीक्षक
एस एस पी (SSP)	–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
एस टी (ST)	–	अनुसूचित जनजाति
एस टी एफ (STF)	–	विशेष कार्य बल
यू पी (U P)	–	उत्तर प्रदेश
यू एस (u/s)	–	धारा के तहत्
डब्ल्यू/ओ (w/o)	–	पत्नी

.....

ISSN 0973-7553

राष्ट्रीय मानव
अधिकार आयोग, भारत
मानव अधिकार भवन, सी-ब्लॉक
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

Printed at Mittal Enterprises, Delhi, M.: 9811340726